उत्तर प्रदेश शासन

अनुदानवार अनुमानों पर

स्मृति-पत्र

1990-91

NIEPA DC
D05464

(जैसा कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया)

-542
352.1252
UTT-A

Sub. Nati : l Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurb ndo Marg.New Delhi-110016
DOC. No.....D-5464......
Date......3-12-90..........

उत्तर प्रदेश शासन

अनुदानवार अनुमानों पर

स्मृति पत्र

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

व्याख्यात्मक टिप्पणियां--

1989--90 के पुनरीक्षित अनुमान- 1--39

राजस्व प्राप्तियां .. ..

राजस्व तथा पूंजी लेखे का व्यय .. ..

1990--91 के आय-व्ययक अनुमान- प्राप्तियां 40-46

राजस्व प्राप्तियां .. ..

1990--91 के व्यय--अनुदान की मांगों में न्यूनाधिकताओं की ब्योरेवार व्याख्यायें--

मांग/क्रम-संख्या

1--आबकारी विभाग 47--48

2--आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) 48--49

3--आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) 50--51

4--उद्योग विभाग (खानें और खनिज) 52

5--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) 53--54

6--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) 54--56

7--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) 56--57

8--उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) 58--59

9--उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) 59

10--ऊर्जा विभाग 60

11--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) 61--62

12--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) 62--64

13--कृषि तथा अन्य सबद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) 64--65

14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) 66

15--कृषि तथा अन्य सबद्ध विभाग (पशुधन) 67

16--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) 68--69

17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) 69

18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) 70--71

19--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) 71--72

20--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) 72

21--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) 73

22--खाद्य तथा रसद विभाग 74--75

23--खेल विभाग 75--77

24--गन्ना विकास विभाग (गन्ना) 77--78

25--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) 78-80

26--गृह विभाग (कारागार) 80

27--गृह विभाग (पुलिस) 81-82

28--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) 82-83

29--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) 83

30--गोपन विभाग (राजस्व विशिष्टि अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) 84

*31--गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) 84--85

---

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

विवरण	पृष्ठ संख्या
32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	85-87
33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	88-89
34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	89-90
35--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	91-92
36--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	93
37--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	93-94
38--नागरिक उड्डयन विभाग	95
39--नियुक्ति विभाग	96
40--नियोजन विभाग	96-98
41--निर्वाचन विभाग	98
42--न्याय विभाग	98-101
43--परिवहन विभाग	101-102
44--पर्यटन विभाग	103
45--प्रशासनिक सुधार विभाग	104
46--प्राविधिक शिक्षा विभाग	105-106
47--पर्वतीय विकास विभाग	106-112
48--मुस्लिम वक्फ़ विभाग	112-113
49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग	113-114
50--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	114-116
51--राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत)	116-118
52--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	118-120
53--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	120-121
54--वन विभाग	122-124
55--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	125-126
56--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	127
57--वित्त विभाग (कोषागार और लेखा प्रशासन)	127-128
58--वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	129
59--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	130
60--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	131
61--विधान परिषद् सचिवालय	131-132
62--विधान सभा सचिवालय	132-133
63--विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	133
64--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	133-134
65--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	135-137
66--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	138-142
67--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	142-144
68--शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	144-145
69--शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	145-146
70--श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	146-147
71--श्रम विभाग (सेवायोजन)	148-149
72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	149-150

विवरण	पृष्ठ-संख्या
73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	150
74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	150
75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालक भवन)	151
76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	151
77—सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	151–152
78—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	152–153
79—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	153–154
80—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	155
81—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	155–156
82—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	156–157
83—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	157–158
84—सचिवालय प्रशासन विभाग	158–159
85—सतर्कता विभाग	159–160
86—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	160–162
87—सांस्कृतिक कार्य विभाग	162–163
88—सामान्य प्रशासन विभाग	163–164
89—सार्वजनिक उद्यम विभाग	164
90—सूचना विभाग	165–166
91—सैनिक कल्याण विभाग	167
92—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)	168
93—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	169
94—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जन-जाति कल्याण)	170

पुनरीक्षित अनुमान 1989-90

1989-90 के पुनरीक्षित अनुमानों को उस वर्ष के मूल अनुमानों से तुलना करने पर जो न्यूनाधिकताय व्यक्त होती हैं, उनका स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है--

राजस्व प्राप्तियां--राजस्व प्राप्तियों के मूल आय-व्ययक अनुमानों से पुनरीक्षित अनुमानों में होने वाली न्यूनाधिकतायें नीचे दी गयी ह :

(हजार रुपयों में)

	न्यूनाधिकतायें	
	(+)	(-)
निगम कर से भिन्न आय पर कर	47,50,00	..
स्टाम्प और पंजीकरण	20,51,97	..
राज्य उत्पाद शुल्क	9,80,30	..
बिक्री-कर	50,91,89	..
वाहनों पर कर	42,00	..
माल और यात्रियों पर कर	79,54	..
बिजली पर कर और शुल्क	4,47,56	..
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	11,88	..
ब्याज प्राप्तियां	20,53,37	..
लेखन सामग्री और मुद्रण	1,04,48	..
अन्य प्रशासनिक सेवायें	..	1,52,33
पेंशनों और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	1,25	..
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	..	1,32,58
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	63,16	..
नगर विकास	10,53	..
सूचना और प्रचार	33	..
श्रम और रोजगार	..	99,44
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	40,14	..
कृषि कार्य	28,76	..
मीन उद्योग	..	2,01
वानिकी और वन्य जीवन	7,22,49	..
सहकारिता	6,00	..
अन्य कृषि कार्यक्रम	..	70,00
बृहद् और मध्यम सिंचाई	..	96,10
लघु सिंचाई	46,10	..
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	6,68	..
अन्य उद्योग	1,05	..
नागर विमानन	50	..
सड़क परिवहन	1,90	..
नागरिक पूर्ति	5,42,45	..
अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	7,85	..
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	..	1,03,09,56
संघ उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	1,07,24	..

0021—निगम कर से भिन्न आय पर कर (+47,50,00)—

उपलब्ध संकेतों के आधार पर पुनरीक्षित अनुमानों में निगम कर से भिन्न आय पर कर 47,50,00 की वृद्धि अनुमानित है।

0021—निगम कर से भिन्न आय पर कर (+1,37,39,00)

प्राप्त संकेतों के आधार पर बजट अनुमानों में निगम कर से भिन्न आय पर कर में 1,37,39,00 की वृद्धि की सम्भावना है।

0030—स्टाम्प और पंजीकरण (+20,51,97)

02—स्टाम्प और अदालती (+26,51,97)

प्राप्ति के वास्तविक आंकड़ों की गतिविधि के आधार पर "102-स्टाम्पों की बिक्री" तथा 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत क्रमशः 23,98,01 तथा 3,28,95 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके विपरीत "103 दस्तावेज को दाखिल करने पर शुल्क" के अन्तर्गत 74,99 की एक कमी प्रदर्शित है।

01—स्टाम्प अदालती (– 4,00,00)—

"101-स्टाम्पों के रूप में वसूल अदालती फीस" के अन्तर्गत 6,50,,00 की कमी स्टाम्पों की व्यय अदालती फीस की वसूली के फलस्वरूप हुई है। इसके विपरीत स्टाम्पों कों अधिक बिक्री के फलस्वरूप "102-स्टाम्पों की बिक्री" के अन्तर्गत 2,50,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

03—पंजीकरण शुल्क (–2,00,00)—

कम संख्या में दस्तावजों के पंजीकरण के कारण "104-दस्तावेजों के पंजीकरण का शुल्क" में 2,00,00 की कमी परिलक्षित है।

102—स्टाम्पों की बिक्री (– 23,98,01)—

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर "01-हुन्डी के सम्बन्ध में बिक्रम पत्र" के अन्तर्गत 29,68,00 की वृद्धि अनुमानित है। इसके विपरीत–02–अन्य गैर अदालती स्टाम्प के अन्तर्गत कुल 23,98,01 की कमी परिलक्षित है।

103—दस्तावेजों को दाखिल करने पर शुल्क (– –74,99)—

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर "01-भारतीय स्टाम्प नियमावली 1942 के नियम 8 और 11 के अधीन वसूल किया हुआ शुल्क" के अन्तर्गत 45,00 की वृद्धि अनुमानित है। इसके विपरीत "03–1899 के ऐक्ट संख्या–2 के अध्याय–4 के अधीन बिना स्टाम्प या अपर्याप्त स्टाम्प लगे लेखों पर शुल्क" के अन्तर्गत 1,19,99 की कमी प्रदर्शित है।

800—अन्य प्राप्तियां (+3,28,95)—

"02 प्रकीर्ण प्राप्तियों" तथा "04–अधिकताओं से प्राप्त निवेश प्रमाण-पत्र की फीस" के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्ति आंकड़ों के आधार पर क्रमशः 4,80,00 तथा 14,00 की वृद्धि अनुमानित है। इसके विपरीत "03–ऐडजुडिकेशन फीस" तथा "05 स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज" के अन्तर्गत क्रमशः 5,05 तथा 1,15,00 की कमी अनुमानित है।

0039—राज्य उत्पाद शुल्क (+9,80,30)—

वास्तविक आय के आंकड़ों के आधार पर "देशी स्प्रिट" (+20,00,00) और देशी किण्वित शराब (+5,00) इस प्रकार कुल 20,05,00 की वृद्धि प्रत्याशित है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राप्तियां" (–10,00,00) माल्ट शराब (माल्ट लीकर्स)" (–20 00) तथा "अफीम", "भांग" और अन्य औषधियों (–4,70) इस प्रकार कुल 10,24,70 की कमी होने की सम्भावना है। इस कमी को समायोजित करते हुये शुद्ध वृद्धि 9,80,30 की अनुमानित है।

004—बिक्रीकर (+50,91,89)

12—राज्य बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां (+58,83,84)—

विगत वर्षों में प्राप्ति के वास्तविक आंकड़ों की गतिविधि के आधार पर "01-कर संग्रहण" में 54,00,00 की "02–अधिभार" में 38,00 की "03–लाइसेंस और रजिस्ट्री फीस" में 42,00 की तथा "04–अन्य प्राप्तियां" के अन्तर्गत 4,03,84 वो वृद्धि अनुमानित है।

103—मोटर स्प्रिट और लुब्रीकेंटों की बिक्री पर कर (+14,49,80)—

अधिक पट्रोल की बिक्री के फलस्वरूप "01-पट्रोल की बिक्री पर कर" के अन्तर्गत 14,50,00 की अधिक अय अनुमानित है। इसके विपरीत वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर "02–जुर्माने और जब्तियां" में 40 की कमी प्रत्याशित है।

101—केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां (– –29,40,00)—

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत कम प्राप्तियां होने के फलस्वरूप उक्त शीर्ष में 29,40,00 की कम आय प्राप्त होना प्रदर्शित है।

106—गन्ने की खरीद पर कर (+6,98,45)

01—चीनी मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ने पर कर (+6,98,45)

चीनी मिलों द्वारा अधिक मात्रा में गन्ने के क्रय के कारण उक्त शीर्ष में 6,98,45 की वृद्धि अनुमानित है।

0041—वाहनों पर कर (+42,00)

वास्तविक प्राप्तियों की गति के आधार पर 101 भारतीय मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों में 6,00 की तथा 102–राज्य मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों में 36,00 की वृद्धियां परिलक्षित हैं। इस प्रकार कुल 42,00 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित हैं।

0042—माल और यात्रियों पर कर (+79,54)

वास्तविक आंकड़ों एवं माल तथा यात्रियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप 101–कर संग्रह में 10,16 की 102–पथ कर में 66,00 की तथा 800–अन्य प्राप्तियों में 3,38 की वृद्धियां परिलक्षित हैं। इस प्रकार कुल 79,54 की शुद्ध अधिक प्राप्तियां सम्भावित हैं।

0043—बिजली पर कर और शुल्क (+4,47,56)

वर्ष 1989-90 के मूल अनुमान 42,72,00 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमानों में 4,47,56 की वृद्धि प्रदर्शित है।

प्राप्तियों की गति को देखते हुए "बिजली की खपत और बिक्री पर कर" की मद में 4,50,00 की वृद्धि, सिनेमाओं के बिजली सम्बन्धी निरीक्षण के लिए फीस" की मद में 25 की वृद्धि तथा "अन्य प्राप्तियां" की मद के 50 की वृद्धि परिलक्षित है।

घटाइये-वापसियां" के अन्तर्गत 3,19 की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है।

0045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (+11,88)—

"101–मनोरंजन कर" तथा "90–घटाइये वापसियां" तथा 102 बाजीकर" के अन्तर्गत क्रमश: 4,00,00 की 20 तथा 20 की वृद्धि के वास्तविक आकड़ों के आधार पर परिलक्षित है। इसके विपरीत "0201–मनोरंजन कर पर अधिभार" के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 3,88,12 की कमी प्रदर्शित है।

0049—ब्याज प्राप्तियां (+20,53,37)—

मुख्यत: कृषकों से ब्याज में 1,06,91 रोकड़ बाकी के निवेश पर वसूल ब्याज के अन्तर्गत 9,00,00 सहकारी समितियों से ब्याज के अन्तर्गत 10,42,71 एवं अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत 3,75 की वृद्धि अनुमानित है।

0058—लेखन सामग्री और मुद्रण—(+1,04,48)--

101–लेखन सामग्री सम्बन्धी प्राप्ति में 2,00,00 की कमी है।

102–राजपत्र आदि की बिक्री के अन्तर्गत अधिनियम तथा अन्य पुस्तकों में 2,25 की कमी है।

800–अन्य प्राप्तियों-के अन्तर्गत प्रकीर्ण मद में 3,06,53 की वृद्धि है।

0070—अन्य प्रशासनिक सेवायें (–1,52,33)--

60—अन्य सेवायें—

इस उप शीर्षक में जहां बीसा पर व्यय की प्रतिपूर्ति में 2,47 विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों में 20 की अधिक आय अनुमानित है, वहां सरकारी लेखा परीक्षा की फीस में 1,55,00 की कम प्राप्तियां भी अनुमानित हैं

0071—पेन्शनों और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूलियां—(+1,25)--

01—सिविल (+1,25)—

पेन्शनों और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूलियों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर "101–अभिदान और अंशदान" में 1,25 की वृद्धि प्रत्याशित है।

0202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति—(–1,32,58)

1—सामान्य शिक्षा—(–1,29,92)

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में छात्र संख्या में कमी हो जाने के कारण क्रमश: 5,30 एवं 1,24,62 की कमी परिलक्षित हो रही है।

04—कला और संस्कृति (+) 34–अन्य प्राप्तियों में वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 64 की वृद्धि तथा अभिलेखागार तथा संग्रहालय में 30 की कमी परिलक्षित है।

03--खेल और युवा सेवायें--(-3,00)

प्रदेश में ग्रामीण खेलकूद योजना अब भारत सरकार द्वारा सीधे प्रादेशिक विकास दल से चलवाई जा रही है। अतः यहां से 3,00 की यह प्राप्तियां हटा दी गई है।

राजस्व प्राप्तियां--

1475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें--

800--अन्य प्राप्तियां--(-2,85)

सियाड कार्यक्रम के लिये यूनीसेफ से वर्तमान वर्ष में कोई सहायता न मिलने के कारण यहां पर 2,85 की कमी प्रदर्शित है।

0210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (+63,16)

01--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--(+63,15)

020--अस्पताल और औषधालय सेवाओं के लिये मरीजों से प्राप्तियां (-30,00)

रोगियों की निबंधन शुल्क में कमी के कारण "02-रोगियों की निबंधन फीस"-एलोपैथी" में 20,00 की कमी अंकित है। रोगियों की संख्या में कमी के कारण" 01-अस्पताल और औषधालय सेवा के लिए रोगियों से प्राप्तियां में 10,00 की एक और कमी प्रदर्शित है।

101--कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियां (+93,15)

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर "01-राज्य बीमा निगम से व्यय की पूर्ति हेतु प्राप्तियां में 87,69 की वृद्धि इंगित है"। "02-परिवार कल्याण परियोजना के व्यय की पूर्ति हेतु राज्य बीमा निगम और इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेशन से अग्रिम" में इसी कारण से 5,59 की एक और वृद्धि परिलक्षित है। इसके विपरीत "03-कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय के व्यय की प्रतिपूर्ति में 13 की कम प्राप्तियां परिलक्षित है।

01--लोक स्वास्थ्य (+1)

"99-अन्य व्यय" में प्रदर्शित 1 की न्यून वृद्धि वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर अनुमानित है।

0217--नगर विकास (+10,53)--

01--वास्तुशास्त्री सहित अधिकारियों द्वारा नक्शों को तैयार करने के लिए गैर सरकारी व्यक्तियों या संस्थाओं से फीस में 2 की कम प्राप्तियां सम्भावित है।

02--छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजना हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में नगरपालिका कों से वसूली जाने वाली धनराशि में 10,58 की वृद्धि संभावित है।

03--अन्य प्राप्तियों में 3 की कमी अनुमानित है।

0220--सूचना और प्रचार--(+33)

10--फिल्में--(+33)

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर सूचना निदेशालय के सामुदायिक श्रवण योजनाओं से होने वाली आय के अन्तर्गत 33 की अधिक प्राप्तियां होने का अनुमान है।

0230--श्रम और रोजगार (-99,44)

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 99,44 की कम प्राप्तियां अनुमानित हैं।

0235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+40,14)

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

800--अन्य प्राप्तियां-

03--उ0 प्र0 जिला सैनिक नाविक, तथा वैमानिक परिषदों के संबंध में प्राप्तियां

0301--भारत सरकार से प्राप्ति (+40,14)

भारत सरकार से प्राप्तियों में 40,13 की वृद्धि सम्भावित है।

0401--कृषि कार्य (+28,76)

104--कृषि फ़ार्मों से प्राप्तियां के अन्तर्गत 10,01 की अधिक आय प्रत्याशित है।

120--ट्रैक्टरों सहित कृषि उपकरणों एवं मशीनों की बिक्री आदि सेवाओं से 3,00 की अधिक आय प्रत्याशित है।

800--अन्य प्राप्तियां--मृदापरीक्षण शुल्क से प्राप्तियां में 4,25 की कमी तथा कृषि सेवा केन्द्रों की योजना से 10,00 की अधिक आय प्रत्याशित है। इस प्रकार 5,75 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

107--पोध संरक्षण सेवाओं से प्राप्तियों के अधीन 10,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

0405--मीन उद्योग (-2,01)--

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर मूल आय-व्ययक की तुलना में पुनरीक्षित अनुमानों 1989-90 में 2,01 की कमी है।

0406--वानिकी और वन्य जीवन--

01--वानिकी (+7,22,49)--

मूल प्राविधान +73,24,00 की तुलना में वर्ष 1989-90 के पुनरीक्षित अनुमान 80,46,49 है, जो 7,22,49 अधिक है। यह वृद्धि मुख्यत: इमारती लकड़ी तथा सामाजिक और फारम वन खंडों में सम्भावित अधिक प्राप्तियों के कारण है।

0425--सहकारिता (+6,00)--

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 6,00 की वृद्धि है।

0435--अन्य कृषि कार्यक्रम--(--70,00)--

भूमि संरक्षण योजनाओं से प्राप्तियां के अन्तर्गत 70,00 की कमी प्रत्याशित है।

0701--वृहद् एवं मध्यम सिंचाई (-96,10)--

कतिपय क्षेत्रों में सामयिक वर्षा एवं बाढ़ के फलस्वरूप जल की मांग में कमी होने के कारण सृजित सिंचन क्षमता का प्रत्याशित प्रयोग नहीं हो सका फलस्वरूप 96,10 की कमी प्रत्याशित है।

0702--लघु सिंचाई (+46,10)--

जल की मांग की अधिकाधिक पूर्ति हेतु सृजित क्षमता का उपयोग प्रत्याशित से अधिक हुआ। फलस्वरूप 46,10 की वृद्धि प्रत्याशित है।

0851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--(+6,68)

103--हथकरघा उद्योग--01--विभिन्न हैण्डलूम उत्पादन केन्द्रों की प्राप्तियां के अधीन 15 की कमी है।

800--अन्य प्राप्तियां--03--प्रकीर्ण प्राप्तियां--के अधीन 6,86 की वृद्धि है।

0875—अन्य उद्योग— (+1,05)

02—अन्य उद्योग—

800—अन्य प्राप्तियां—

03—पेट्रोलियम अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां में 60 की वृद्धि है।

06—अन्य इमारतों का किराया में 3 की कमी है।

07—जलकर में 4 की कमी है।

08—अधिभुगतानों की वसूलियों में 13 की वृद्धि है।

99—प्रकीर्ण प्राप्तियां में 38 की वृद्धि प्रदर्शित है।

1053—नागर विमानन (+ 50)

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 50 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित हैं।

1055—सड़क परिवहन (+1,90)

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 1,90 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित हैं।

1456—नागरिक पूर्ति (+5,42,45)

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 0101–खाद्यान्न विक्रेताओं से अनुज्ञप्ति शुल्क में 4,94,75 की तथा 0103–अन्य विविध प्राप्तियों 47,89 की अधिक प्राप्तियां तथा 0102–चावल मिल अनुज्ञप्ति आदेश प्रवर्तन के कारण प्राप्तियों की प्रतिपूर्ति में 19 की कम प्राप्तियां अनुमानित हैं।

1475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (+ 7,85)

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर अन्य कारबारी उपक्रमों का विनियमन में 85 की तथा तौल और माप या स्टाम्प लगाने की फीस में 7,00 की अधिक प्राप्तियां होने का अनुमान है।

1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान (–) 1,03,09,56—

केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कुल (-) 1,03,09,56 की कम प्राप्ति अनुमानित है। मुख्य न्यूनाधिक्तायें निम्न प्रकार हैं:—

आयोजनाभिन्न अनुदान के अन्तर्गत (+) 3,91,66 तथा राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान के अन्तर्गत (+) 71,33,30 की वृद्धि प्रत्याशित है। इसके विपरीत केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान में (-) 85,91,38 एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये अनुदान के अन्तर्गत (-) 92,56,44 की कमी प्रत्याशित है। इस प्रकार कुल 1,03,09,56 की कमी परिलक्षित है।

1603—संघ उत्पाद शुल्क में राज्यों का हिस्सा (+1,07,24,00)

प्राप्त सूचना के अनुसार संघ उत्पादन शुल्कों में राज्य सरकार के अंश में 1,07,24,00 की वृद्धि अनुमानित है।

राजस्व तथा पूंजी लेखे का व्यय—

वर्ष 1989-90 के व्यय के मूल व्ययक अनुमानों तुलना की में पुनरक्षित अनुमानो में होने वाली न्यनाधिकतायें नीची स्पष्ट की गई हैं।

आबकारी विभाग

राजस्व लेखा (+69,41)

आयोजनेतर—

2039—राज्य उत्पाद शुल्क—वृद्धि मुख्यतः वेतनमानों के पुनरीक्षण के कारण तथा गाड़ियों के क्रय हेतु स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि क कारण हुई।

पूंजी लेखा--

आयोजनागत-- (+2,28,84)

4059--**सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय तथा**

4216--**आवास पर पूंजी परिव्यय--आबकारी भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 1988-89 में राज्य आकस्मिकता निधि से** स्वीकृत धनराशि की पूर्ति विगत वर्ष में अनुपूरक मांगों से किये जाने के कारण 2,28,84 की वृद्धि प्रदर्शित हो रही है।

आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)

राजस्व लेखा आयोजनेतर (मतदेय) (+3,95)--

2029--भू-राजस्व (-3,59)--

के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 3,59 की कमी है।

2217--शहरी विकास (+36)--

के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 36 की वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनेतर (भारित) (+84,15)

2049--ब्याज सदाय (भारित) (+84,15)

के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम आदि को ब्याज के भुगतान के वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 84,15 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत (मतदेय) (+17,22)--

2217--नगर विकास (+17,22)--

के अन्तर्गत कतिपय योजनाओं हेतु अतिरिक्त आवश्यकता के कारण 17,22 की वृद्धि प्रत्याशित है।

पूंजी लेखा--

आयोजनेतर (भारित) (+15,24)--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित) (+15,24)--

मूलधन के प्रतिदान हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 15,24 की वृद्धि है।

आयोजनागत (मतदेय) (+11,27,60)

6216--आवास के लिये उधार (+3,74,60)

600-अन्य उधार

इस मद में कतिपय योजनाओं हेतु चालू वर्ष के मूलानुमान की तुलना में अधिक ऋण उपलब्ध कराये जाने के कारण 3,74,60 की वृद्धि परिलक्षित है।

6217--नगर विकास के लिये उधार (+7,53,00)

02--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (+4,53,00)

इस मद में सामान्य तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मेट्रोपोलिटन शहरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में संगठित नगर विकास के लिए (केन्द्रीय आयोजनागत योजना) चालू वर्ष के मूलानुमान की तुलना में भारत सरकार से अधिक ऋण सहायता प्राप्त होने के कारण 4,53,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

80--अन्य शहरी विकास योजनायें--

191--स्थानीय निगमों निकायों, आदि को उधार (+3,00,00)

इस मद में कानपुर विकास के सामान्य तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत उ० प्र० नगर विकास एवं जल सम्पूर्ति परियोजनाओं (विश्व बैंक पोषित) हेतु चालू वर्ष के मूलानुमान की तुलना में अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण कुल 3,00,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)

आयोजनेतर--

राजस्व लेखा (+39,12,04)--

2052--सचिवालय-सामान्य सेवायें (+6,50)--

समता समिति की संस्तुति के कार्यान्वयन के कारण वेतन के मद में 13,50 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की मदों में क्रमशः 3,80 व 3,20 की कमी है।

2053—जिला प्रशासन (+1,17,54)—

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के कारण वेतन के मद में 61 की वृद्धि तथा अन्तरिम सहायता की मद में 58 तथा महंगाई भत्ते की मद में 1.69 अन्य भत्ते की मद में 6 की कमी है। इलाहाबाद कुम्भ मेला अधिष्ठान के कार्यालय व्यय में 14.15 तथा लघु निर्माण कार्य की मद में 1,05,11 की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर है।

3054—सड़के और पुल (+30,00,00)—

स्थानीय निकायों के सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत हेतु साधारण तथा विशेष सड़क अनुदान की मद में 30,00,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3604—स्थानीय निकायो और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूरक और समनुदेशन (+8,00,00)—

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्यन हेतु 8,00,00 की अधिक व्यवस्था की गई थी।

आयोजनागत—

राजस्व लेखा (-2,50,00)—

2215—जल पूर्ति और सफाई—

डच क्रेडिट ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत 2,38,00 की कमी वास्तविक आवश्यकता के कारण हुयी है। ग्रामीण पेयजल योजना की मद में 12,00 की कमी प्रदर्शित है।

उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—(+31,12)—

2853—अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग

समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने के कारण 31,12 की वृद्धि हुई है।

आयोजनागत (+6,25)—

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 6,25 की वृद्धि परिलक्षित है।

उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—

"मतदेय" (+1,59,05)—

"2425"--सहकारिता" (+60) के अधीन वेतन तथा अन्य भत्ते की मदों में क्रमश: 1,00 तथा 7 की वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की मदों में क्रमश: 35 तथा 12 की कमी के कारण 60 की वृद्धि है।

2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+61,82)—

के अधीन वेतन तथा अन्य भत्ते की मदों में वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की मदों में कमी के कारण कुल 61,82 की वृद्धि है।

"2852—उद्योग (+96,63)—

के अधीन वेतन तथा अन्य भत्ते की मदों में वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की मदों में कमी के कारण कुल 96,63 की वृद्धि है।

आयोजनागत—

"मतदेय" (+3,88,68)—

2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+3,77,67)—

के अधीन वेतन, अन्य भत्ते, तथा सहायक अनुदान की मदों में वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की मदों में कमी के कारण कुल 3,77,67 की वृद्धि है।

2852—उद्योग (+11,01)—

के अधीन वेतन अन्य भत्ते की मदो में वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की मदों में कमी के कारण कुल 11,01 की वृद्धि है।

पूंजी लेखा--

आयोजनागत--

"मतदेय" (+2,03,00)--

"4851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग पर पूंजी परिव्यय" (+1,75,00) के अधीन अन्य व्यय तथा निवेश में क्रमशः 1,58,00 तथा 17,00 अर्थात् कुल 1,75,00 की वृद्धि है।

6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार- (+28,00)--

के अधीन एकीकृत सीमान्त ऋण तथा उपसिब पार्टीज, ऊर्जा के लिये क्रमशः 3,00 तथा 25,00 अर्थात् कुल 28,00 की वृद्धि है।

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर "मतदेय" (+28,07)--

"भारित" (+5,71)--

"2049- ब्याज संदाय (भारित) (+5,71) के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ब्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 5,71 की वृद्धि है।

"2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग" (+27,84)--के अधीन वेतन तथा अन्य भत्ते में वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की मदों में कमी होने के फलस्वरूप कुल 27,84 की वृद्धि हुई है।

"2852-उद्योग" (+23) के अधीन वेतन तथा अन्य भत्ते की मदों में क्रमशः 2,02 तथा 15 की वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की मदों में क्रमशः 1,19 तथा 75 की कमी है। इस प्रकार कुल 23 की वृद्धि हुई है।

आयोजनागत "मतदेय" (+2,49,89)--

"2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग" (+2,49,89) के अधीन वेतन, अन्य भत्ते, मजदूरी, अन्य व्यय और सहायक अनुदान की मदों में वृद्धि तथा महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता की मदों में कमी होने के परिणामस्वरूप कुल 2,49,89 की वृद्धि हुई है।

पूंजी लेखा--

आयोजनेतर "भारित" (-51)--

"6003-राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित)-(-51) के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मूलधन के प्रतिदान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 51 की कमी है।

आयोजनागत "मतदेय" (-1)--

"6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिए उधार" (-1) के अधीन उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम द्वारा कच्चे माल के लिए बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु ऋण में 1 की कमी हुई।

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर (मतदेय) (+1,20,00)--

(भारित) (-11,50)--

2049--ब्याज संदाय (भारित) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ब्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर *11,50* की कमी है।

2885--उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय--04--केन्द्रीय सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना हेतु प्रदत्त सुविधाओं के अन्तर्गत सेन्ट्रल फुट वियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट को नोयडा में भूमि उपलब्ध कराने के कारण 1,20,00 की वृद्धि है।

आयोजनागत (+2,81,77)--

2852--उद्योग, भारी उद्योग अनुभाग का पुनर्गठन के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,77 की वृद्धि है।

2885--उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता क आधार पर 2,80,00 की वृद्धि है।

पूंजी लेखा--

आयोजनेतर-भारित-(-*21,81*)--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित)--108-राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से उधार के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर *21,81* की कमी है।

आयोजनागत–(+ 26,28,00) —

4854—सीमेन्ट और धातु भिन्न खनिज उद्योगों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम को अधिक अंशपूंजी उपलब्ध कराये जाने के कारण 3,00,00 की वृद्धि है।

4859—दूर संचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योगों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स निगम को अधिक अंशपूंजी स्वीकृत किये जाने के कारण 4,00,00 की वृद्धि है।

4860—उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम तथा सहकारी कताई मिलों में अधिक पूंजी विनियोजन के कारण 1,25,00 की वृद्धि है।

4885—उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत उ0 प्र0 वित्तीय निगम तथा पिकप में अधिक अंशपूंजी विनियोजन के कारण 4,80,00 की वृद्धि है।

6858—इन्जीनियरी उद्योगों के लिए उधार के अन्तर्गत आटो ट्रैक्टर्स लि0, प्रतापगढ़ को ऋण स्वीकृत करने के कारण 3,94,00 की वृद्धि है।

6859—दूर संचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों को उधार–के अन्तर्गत यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स निगम को कलर पिक्चर ट्यूब्स परियोजना हेतु ऋण स्वीकृत करने के कारण 3,66,00 की वृद्धि है।

6885—अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए उधार के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कुल 5,63,00 की वृद्धि है।

उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

राजस्व लेखा (+ 6,44,46)—
आयोजनेतर (+ 6,21,96)—
2058—लेखन सामग्री और मुद्रण (+ 6,21,71)—

के अन्तर्गत समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने तथा विधान सभा, लोक सभा निर्वाचन, 1989 के मतपत्रों को निजी प्रेसों से छपवाने के कारण 6,21,71 की वृद्धि है।

2236—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+ 25)—
के अन्तर्गत जमा से सम्बद्ध बीमा योजना सरकारी भविष्य निधि में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 25 की वृद्धि है।

आयोजनागत (+ 22,50)—
के अन्तर्गत समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने के कारण 22,50 की वृद्धि है।

उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक अनुमान 1,59,99 (2,21 आयोजनेतर तथा 1,57,78 आयोजनागत) के समक्ष 2,14,17 की पुनरीक्षित मांग है। इस प्रकार कुल 54,18 की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :–

राजस्व लेखा– (+ 52)—
आयोजनेतर "मतदेय" (+52)—

"3453–विदेश व्यापार और निर्यात सम्बर्धन" (+52) के अधीन वेतन तथा अन्य भत्ते की मदों में क्रमशः 68 तथा 22 की वृद्धि और महंगाई भत्ते की मद में 38 की कमी है। इस प्रकार कुल 52 की वृद्धि है।

पूंजी लेखा–(+53,66)—
आयोजनागत "मतदेय"–(+53,66)—

"6885—ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार" (+33,66) के अधीन मूवा सहायता के अन्तर्गत कारीगरों के कल्याणार्थ उ0 प्र0 राज्य ग्रास बेयर निगम को दिये गये ऋण में 33,66 की वृद्धि और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण को ऋण में 20,00 की वृद्धि है। इस प्रकार कुल 53,66 की वृद्धि है।

ऊर्जा विभाग

राजस्व लेखा–आयोजनेतर (+7191)–
2045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (+46,91)—

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर के वेतनमानों के पुनरीक्षण एवं अवशेष वेतन, भत्तों के भुगतान के कारण विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अधिष्ठान व्यय में 46,91 की वृद्धि है।

2245—दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत (+25,00)—

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्युत उप-गृह, ट्रान्सफार्मर, खम्भों एवं केबिल्स को बदलने और मरम्मत हेतु सहायक अनुदान / राज सहायता स्वीकृत किए जाने के कारण 25,00 की वृद्धि है।

आयोजनागत (+88,63,00)--

2801--80--सामान्य--800--अन्य व्यय (+32,00)--

ऊर्जा सलाहकार परिषद् के स्टाफ के वेतन, भत्तों एवं अन्य खर्चों हेतु धनराशि की स्वीकृति के कारण 32,00 की वृद्धि है।

पूंजी लेखा--

4801--विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय (+3,50,00)--

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम को स्वीकृत आयोजनागत परिव्यय के आधार पर अधिक अंशपूंजी स्वीकृत किए जाने एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के कारण 3,50,00 की वृद्धि है।

6801--विद्युत परियोजनाओं के लिए उधार (+84,81,00)

विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु स्वीकृत आयोजनागत परिव्यय के आधार पर अधिक ऋण उपलब्ध कराने जाने के कारण 84,81,00 की वृद्धि है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

औद्यानिक विकास (+5,59,80)--

राजस्व व्यय--

2401--कृषि कार्य (मतदेय +4,65,38/भारित +*4,03*)--

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय के आधार पर अनुमोदित कार्यक्रम एवं समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मूल अनुमान के समक्ष 1,14,79 की वृद्धि प्रदर्शित है।

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आयोजनेतर पक्ष में मूल अनुमान की तुलना में 3,50,59 की वृद्धि प्रदर्शित है।

भारित मद में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 4,03 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2406--वानिकी और वन्य जीवन (+53,81)--

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मूल अनुमान की तुलना में 53,81 की वृद्धि परिलक्षित है।

2415--कृषि अनुसन्धान और शिक्षा (+28,36)--

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर 37 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनेतर पक्ष में समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 27,99 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2435--अन्य कृषि कार्यक्रम (+67)--

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप आयोजनेतर पक्ष में मूल अनुमान के समक्ष 67 की वृद्धि परिलक्षित है।

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+7,55)--

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन में निहित व्यय को समायोजित किये जाने के फलस्वरूप 1,72 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनेतर पक्ष में भी 5,83 की वृद्धि समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के कारण प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा--

4401--कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय (+1,22,73)--

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय के आधार पर कार्यालय भवन तथा प्रक्षेत्रों पर आवासीय एवं अनावासीय निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने के फलस्वरूप 80,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनेतर पक्ष में कृषकों को समय पर विभिन्न बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के फलस्वरूप 42,73 की वृद्धि प्रदर्शित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

राजस्व लेखा (+7,33,03)--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें (+3,08)--

आयोजनेतर पक्ष में विशेष जांच आयोग के लिए आवश्यकता के आधार पर धन की व्यवस्था की गई है फलस्वरूप 3,08 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2401—कृषि कार्य (+4,51,43)—

आयोजनागत (–13,15,00) तथा आयोजनेतर (+17,65,93)—

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध परिव्यय के अन्तर्गत 61,77,93 के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 48,62,93 रखे जाने के कारण 13,15,00 की कमी प्रदर्शित है। आयोजनेतर पक्ष में समता समिति की संस्तुतियों को लागू करने तथा दरों में वृद्धि स्वरूप मुख्यतः वेतन-भत्तों आदि में हुए व्ययाधिक्य के आधार पर 35,02,61 के मूल अनुमान के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 52,68,54 रखे जाने के फलस्वरूप 17,65,93 की वृद्धि प्रदर्शित है। भारित व्यय में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मूल अनुमान *2,00* के समक्ष पुनरीक्षित अनुमान *2,50* रखने के कारण *50* की वृद्धि प्रत्याशित है।

2402—भूमि तथा जल संरक्षण (+5,54)—

समता समिति की संस्तुतियों के लागू होने तथा दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन व भत्तों में हुए व्ययाधिक्य की पूर्ति हेतु आयोजनेतर पक्ष में 3,27,14 के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 4,09,02 रखे जाने के फलस्वरूप 81,88 की वृद्धि प्रदर्शित है। आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम तथा आवश्यकता के आधार पर 39,02,07 के मूल अनुमान के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 38,25,73 रखे जाने के कारण 76,34 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार शुद्ध वृद्धि 5,54 की परिलक्षित है।

2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा (+2,00,81)—

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 13,57,30 के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 15,44,03 रखने के कारण 1,86,73 की वृद्धि परिलक्षित है। आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम तथा उपलब्ध परिव्यय की सीमा में 5,64,20 के मूल अनुमान के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 5,78,28 रखने के कारण 14,08 की वृद्धि प्रदर्शित है। इस प्रकार कुल वृद्धि 2,00,81 प्रदर्शित है।

2435—अन्य कृषि कार्यक्रम (+72,17)—

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर मूल अनुमान 1,07,21 के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 1,09,94 रखने के फलस्वरूप 2,73 की वृद्धि प्रत्याशित है। आयोजनेतर पक्ष में समता समिति की रिपोर्ट के लागू होने के कारण अपेक्षित व्ययाधिक्य की पूर्ति स्वरूप मूल अनुमान के 1,65,66 के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 2,35,10 रखने के कारण 69,44 की वृद्धि प्रत्याशित है। इस प्रकार शुद्ध वृद्धि 72,17 प्रत्याशित है।

पूंजी लेखा (–18,11,01)—

4401—कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय (– 11,11,00)—

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मूल अनुमान 70,58,10 के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 59,47,10 रखे जाने के फलस्वरूप 11,11,00 की कमी प्रत्याशित है।

4415—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर पूंजी परिव्यय (+1,00,00)—

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मूल अनुमान 2,58,82 के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 3,58,82 रखने के फलस्वरूप 1,00,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनेतर—

6401—कृषि कार्य के लिये उधार (–8,00,01)—

105—खाद्य और उर्वरक—

03—किसानों को तकावी—33—अन्य व्यय (–1)—

इस मद में वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 1 हजार रुपये के प्रतीक प्राविधान के समक्ष कोई स्वीकृति जारी न होने के कारण पुनरीक्षित में 1, की कमी प्रदर्शित है।

190—सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार (– 8,00,00)—

01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

0101—उ0 प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम को कृषि निवेशों के (क्रय एवं वितरण) हेतु ऋण केन्द्र पोषित (+4,00,00)—

इस मद में मूल आय-व्ययक प्राविधान के विपरीत कृषि निवेशों के लिए भारत सरकार से अपेक्षाकृत अधिक अल्पकालीन ऋण सहायता प्राप्त होने के कारण पुनरीक्षित में कुल 4,00,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

0102—उ0 प्र0 राज्य कृषि औद्योगिक निगम एवं अन्य शीर्ष संस्थाओं को उर्वरक के व्यापार हेतु ऋण केन्द्र पोषित (–12,00,00)—

इस मद में योजनान्तर्गत भारत सरकार से अपेक्षाकृत कम अल्पकालीन ऋण सहायता प्राप्त होने के कारण वर्ष 1989–90 के पुरीक्षित में 12,00,00 की कमी प्रदर्शित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

(–1,53,16,88)—

राजस्व लेखा—

2505—ग्रामीण रोजगार (–1,87,40,77)—

आयोजनागत पक्ष में "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" तथा "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम" के समाप्त किए जाने के कारण कुल 1,87,40,77 की कमी प्रदर्शित है।

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (+32,31,62)

आयोजनागत पक्ष में संशोधित व अनुमोदित प्लान परिव्यय के आधार पर निर्धारित कार्यक्रमों हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराए जाने के कारण कुल 5,79,50 की वृद्धि प्रदर्शित है। आयोजनेतर पक्ष में समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान लागू किए जाने के करण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कर्मचारिवर्ग के वेतन आदि के लिए आवश्यकतानुसार प्राविधान कराने के कारण कुल 26,52,12 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2702—लघु सिंचाई (+1,92,27)—

आयोजनागत पक्ष में संशोधित व अनुमोदित प्लान परिव्यय के आधार पर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराए जाने के कारण कुल 1,70,71 की वृद्धि प्रदर्शित है। आयोजनेतर पक्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कर्मचारिवर्ग के लिए समता समिति की संस्तुति के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुसार वेतन आदि के लिए आवश्यकतानुसार प्राविधान कराए जाने के कारण कुल 21,56 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा—

4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजी परिव्यय (–3,47,00)—

आयोजनागत पक्ष में आवंटित प्लान परिव्यय संशोधित हो जाने के कारण आवश्यकतानुसार स्वीकृतियां जारी करने के कारण कुल 3,47,00 की कमी प्रदर्शित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

(+30,19,97)—

राजस्व लेखा—

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं (+75,74)—

आयोजनेतर पक्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कर्मचारियों के वेतन, अन्तरिम सहायता आदि में वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय के कारण कुल 68,34 की वृद्धि प्रदर्शित है। आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रमों तथा प्लान परिव्यय के आधार पर प्राविधान कराए जाने के कारण कुल 7,40 की वृद्धि है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+12,00)—

आयोजनागत पक्ष में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता आदि मदों में वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय के कारण कुल 12,00 की वृद्धि है।

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (+31,72,73)—

आयोजनेतर पक्ष में समता समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वियन के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 1986 से वेतन के पुनरीक्षित किए जाने के उपरान्त बकाया वेतन भत्तों के भुगतान किए जाने के कारण 31,22,23 की वृद्धि प्रदर्शित है। आयोजनागत पक्ष में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण कर्मचारियों को वेतन आदि के भुगतान के फलस्वरूप 50,00 की वृद्धि है।

3054—सड़कें तथा पुल (–5,00,00)—

आयोजनेतर पक्ष में विभिन्न निर्माण से सम्बन्धित योजनाओं में वास्तविक व्यय के आधार पर कुल 5,00,00 की कमी प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा—

4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय (+2,60,00)—

आयोजनेतर पक्ष में प्रदेश के जनपदों में युवा केन्द्रों की स्थापना हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराने के कारण कुल 2,60,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

(+2,78,00)—

राजस्व लेखा—

2403—पशुपालन (+2,76,50)—

आयोजना पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों हेतु आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण कुल 2,13,81 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनेतर पक्ष में समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कर्मचारि वर्ग हेतु पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के कारण कुल 62,69 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा—

4403—पशुपालन पर पूंजी परिव्यय (+1,50)—

संशोधित एवं अनुमोदित प्लान परिव्यय के आधार पर आयोजनागत पक्ष के लिए निर्धारित कार्यक्रमों हेतु प्राविधान कराये जाने के कारण कुल 1,50 की वृद्धि प्रदर्शित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

1—राजस्व लेखा (+91,16)—

2404—डेरी विकास—(+91,16)—

आयोजनेतर पक्ष में वेतन समिति की संस्तुति के आधार पर किए गए वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन, अन्य भत्ते की मदों में वर्ष 1986 से बकाया भुगतान किये जाने तथा अन्य मदों में वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर वृद्धि किये जाने तथा आयोनागत पक्ष एवं पर्वतीय क्षेत्र का बचनबद्ध व्यय आयोजनेतर पक्ष में सामान्यीकरण किये जाने के फलस्वरूप आय-व्ययक प्राविधान 1,64,14 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 2,14,22 रखे जाने के कारण 50,09 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में परियोजनाओं में विस्तार किये जाने के लिए आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर कुल 41,07 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2—**पूंजी लेखा** (+1,03,09)—आयोजनेतर पक्ष में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ के अल्पकालिक आर्थिक संकट को समाप्त करने हेतु 2 माह के लिये 1,00,00 रु0 का ऋण, आय-व्ययक प्राविधान के अभाव में, राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर स्वीकृत किया गया था, अतएव 1,00,00 रु0 की वृद्धि पुनरीक्षित अनुमान में प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में पुनरीक्षित अनुमान आवंटित परिव्यय एवं अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित किये जाने के कारण 3,09 की वृद्धि प्रदर्शित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

राजस्व लेखा—

2405—मीन उद्योग (−39,96)—

आयोजनेतर पक्ष में समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत कर्मचारिवर्ग के वेतन आदि मदों हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराए जाने के कारण कुल 3,71 की कमी प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में आवंटित प्लान परिव्यय तथा निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर कुल 36,25 की कमी प्रत्याशित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

(मतदेय+21,82,95 तथा भारित (−73,87)—

राजस्व लेखा—

2049—ब्याज संदाय (−79,55)—

(भारित)

आयोजनेतर पक्ष में ब्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 79,55 की कमी है।

2030—श्रम और रोजगार (+7)—

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किए जाने के कारण 7 की वृद्धि है।

2401—कृषि कार्य (+5,69,47)—

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक व्यय के आधार पर मांग के कारण मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमानों में कुल 5,53 की कमी हुई है। आयोजनागत पक्ष में आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर निर्धारित कार्यक्रमों हेतु प्राविधान कराए जाने के कारण 5,75,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2425—सहकारिता (+2,31,78)—

समता समिति के संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विभिन्न योजनाओं में वेतन, भत्तों में तथा मितव्ययता के मदों जैसे "यात्रा व्यय", "कार्यालय व्यय" तथा "अनुरक्षण" एवं "पेट्रोल की खरीद" में वृद्धि होने के कारण कुल 70,41 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में आवंटित प्लान परिव्यय और परियोजनाओं के विस्तार किए जाने के कारण 1,61,37 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा--

4425—सहकारिता पर पूंजी परिव्यय (+10,17,71)—

आयोजनागत पक्ष में आय-व्ययक वर्ष 1989-90 में मूल अनुमान 2,44,59 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 12,62,30 रखे जाने के कारण 10,17,71 की वृद्धि प्रदर्शित है। वृद्धि के कारण विभिन्न परियोजनाओं के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना है।

6003—राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित) (+5,68)--

आयोजनेतर पक्ष में, मूलधन के प्रतिपान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 5,68 की वृद्धि है।

6401--कृषि कार्य के लिए उधार (-1,11)—

आयोजनेतर पक्ष में 1,000 रु० के प्रतीक प्राविधान के समक्ष कोई सहायता न स्वीकृत किए जाने के कारण 1, की कमी हुई।

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय एवं अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराए जाने के कारण 1,10 की कमी हुई है।

6408—खाद्य भण्डारण और भण्डागारण के लिए उधार (-5,00)—

सहकारी क्रय-विक्रय समितियों को खाद्यान्न का व्यवसाय कराने के लिए आवश्यकतानुसार सहायता स्वीकृत किये जाने के कारण 5,00 की कमी हुई है।

6425—सहकारिता के लिए उधार (+3,70,03)--

आयोजनागत पक्ष में मूल अनुमान 17,78,00 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 21,48,03 रखे जाने के कारण शुद्ध वृद्धि 3,70,03 की है जिसके कारण विभिन्न परियोजनाओं में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कम अथवा अधिक विनियोजन स्वीकृत किया जाना है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

2501—ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम (+50)—

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय के सन्दर्भ में अनुमोदित कार्यक्रम तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 9,16,00 के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 9,16,50 रखे जाने के फलस्वरूप 50, की वृद्धि प्रदर्शित है।

2705—कमान क्षेत्र विकास (-2,78,14)—

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय के सन्दर्भ में अनुमोदित कार्यक्रम तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 42,97,12 के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 40,13,98 रखे जाने के फलस्वरूप 2,78,14 की कमी प्रदर्शित है।

कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर (मतदेय) (+10,83)—

2014—न्याय प्रशासन (+9,83)--

के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 9,83 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें (+1,00) —

के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर (+22,04)--

2051—लोक सेवा आयोग (भारित) (+22,04)--

नये वेतनमान में "वेतन" निर्धारण के फलस्वरूप "महंगाई भत्ते" में 4,00 की एवं "अन्तरिम सहायता" में 3,96 की कमी हुई है। विज्ञापन व्यय, परीक्षा व्यय एवं गोपनीय व्यय में आशातीत वृद्धि होने से "कार्यालय व्यय" में 30,00 की वृद्धि प्रदर्शित है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए 22,04 की शुद्ध वृद्धि प्रत्याशित है।

खाद्य तथा रसद विभाग

राजस्व लेखा——

आयोजनेतर (+4,63,14 मतदेय तथा + *80,78* भारित)——

2049——ब्याज संदाय (भारित) (+ *80,78*)——

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 80,78 की वृद्धि परिलक्षित है।

2408——खाद्य भण्डारण और भाण्डागारण (+3,43,05)—

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 3,43,05 की वृद्धि परिलक्षित है।

3456——नागरिक आपूर्ति (+96,08)——

व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर उक्त शीर्षकों के विभिन्न मदों में 96,08 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3475——अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (+23,95)——

व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर उक्त शीर्षकों के विभिन्न मदों में शुद्ध 23,95 की वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनागत (+10,37)——

3456——नागरिक पूर्ति (– 90)——

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यहां शुद्ध 90 की कमी प्रस्तावित की गई है।

3475——अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (+11,27)——

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 11,27 की वृद्धि प्रदर्शित है।

खेल विभाग (+2,70,50)—

आयोजनेत्तर– (+17,36)—

यह वृद्धि मुख्यत: कर्मचारियों को समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर नए वेतनमान देने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 1986 से अवशेष का भुगतान करने, क्रीड़ा भवनों एवं मैदानों के अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने, क्लबों एवं क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं का आयोजन करने एवं खेलकूद उपकरणों के क्रय हेतु अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत करने, के0 डी0 सिंह "बाबू" स्टेडियम के आवासीय सूट्स में पुन: विद्युतीकरण कराए जाने एवं के0 डी0 सिंह "बाबू" स्टेडियम लखनऊ में तरणताल के पीछे मिनी वेट लिफ्टिंग हाल का निर्माण कराए जाने के कारणों से हुई है।

आयोजनागत–(+2,53,14)——

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्तिम वर्ष में आवंटित पुनरीक्षित प्लान परिव्यय के आधार पर यहां 2,53,14 की, अधिक व्यवस्था प्रदेश के 3 क्षेत्रीय खेलकूद कार्यालयों हेतु डीजल चालित जीप व उनके लिए 3 ड्राईवरों के पदों की व्यवस्था करने स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में सिन्थेटिक ट्रैक की स्थापना स्वीकृत करने, होम्योहाल स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में ट्विन स्क्वैश कोर्ट का निर्माण कराए जाने, गाजियाबाद में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण कराए जाने, के0 डी0 सिंह "बाबू" स्टेडियम, लखनऊ के तरणताल को सौर ऊर्जा से ताप नियंत्रित कराए जाने एवं समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर लागू किए गए नए वेतनमानों के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1986 से अवशेष का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने के कारणों से की गई है।

गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (मतदेय+2,64,98, भारित+*11*)

राजस्व लेखा (+14,13)——

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर 14,13 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनेतर——

2049–ब्याज संदाय (भारित–*11*)——

वास्तविक आवश्यकतानुसार मूल अनुमान 60, के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 49, रखे जाने के फलस्वरूप 11, की कमी प्रदर्शित है।

2401–कृषि कार्य (+1,27,94)——

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समता समिति की संस्तुत्तियों के क्रियान्वयन एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मूल अनुदान 11,26,91 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 13,54,85 रखे जाने के फलस्वरूप 1,27,94 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2415—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (+22,91)—

समता समिति की संस्तुतियों के क्रियान्वयन एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मूल अनुमान 87,54 के समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 1,10,45 रखे जाने के फलस्वरूप 22,91 की वृद्धि प्रदर्शित है ।

पूंजी लेखा —

6003—राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित–9)

वास्तविक आवश्यकतानुसार मूल अनुमान 4,02 के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 3,93 रखे जाने के फलस्वरूप 9 की कमी प्रदर्शित है ।

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—

2049—ब्याज संदाय (भारित) (+ *62,81*)—

01—आन्तरिक ऋणों पर ब्याज—200—अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज—01—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर ब्याज के अन्तर्गत निगम को ब्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 62,81 की वृद्धि है ।

2052—उद्योग (+ 82,47)—

08—उपभोक्ता उद्योग 001—निदेशन एवं प्रशासन—01—चीनी आयुक्त का अधिष्ठान में समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने के कारण 82,47 की वृद्धि है ।

पूंजी लेखा—

आयोजनेतर—

4860—उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय (+41,50,00)—उ0प्र0 राज्य चीनी निगम तथा सहकारी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य के भुगतान, आफ़ सीजन रिपेयर तथा कर्मचारियों के विभिन्न देयों के भुगतान किए जाने के कारण 41,50,00 की वृद्धि है ।

6003—राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (+29,42)—

108—राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से उधार—01—**ऋणों** का प्रतिदान (भारित) के अन्तर्गत निगम को मूल धन के प्रतिदान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 29,42 **की** वृद्धि है ।

6860—उपभोक्ता उद्योगों के लिये उधार (— 1)—

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के न होने के कारण 1 की कमी है ।

आयोजनागत—(–28,00,00)—

4860—उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय (— 30,90,00)—

के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य चीनी निगम तथा उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ के अन्तर्गत चीनी मिलों में वास्तविक आवश्यकता के कारण अंशपूंजी विनियोजन के फलस्वरूप 30,90,00 की कमी प्रदर्शित है ।

6860—उपभोक्ता उद्योगों के लिये उधार (+2,90,00) के अन्तर्गत सहकारी चीनी मिलों को ऋण स्वीकृत करने के कारण 2,90,00 की वृद्धि है ।

गृह विभाग (कारागार) (+ 33,14)—

राजस्व लेखा—आयोजनेतर—

2056—जेलें (+12,74)—

इस शीर्षक में अनुपूरक मांग द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था के कारण लघु निर्माण-कार्य में 11,42, अनुरक्षण में 2 तथा अन्य व्यय में 1,30 की वृद्धि प्रदर्शित ।

पूंजी लेखा—आयोजनागत—(+20,40)

4059—सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय आवश्यकता के आधार पर बृहत् निर्माण-कार्य में 20,40 की वृद्धि प्रदर्शित है ।

गृह विभाग (पुलिस) (+75,33,77)--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--मतदेय--(+69,86,19)--

भारित (+8,74)--

2049--ब्याज संदाय--भारित--(+ 8,74)--

इस शीर्षक में अधिक भुगतान के कारण ब्याज में 8,74 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2055--पुलिस--(+ 66,65,53)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक मांग द्वारा ग्यारह विभिन्न कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के कारण निदेशन और प्रशासन में 3,74, शिक्षा और प्रशिक्षण में 19,38, अपराधिक अन्वेषण में 28,77, विशेष पुलिस में 17,06,93, जिला पुलिस में 47,35,32, ग्राम पुलिस में 54,79, वायरलेस में 5,07, विधि चिकित्सा विज्ञान में 1 तथा अन्य व्यय में 1,11,52 की वृद्धि अनुमानित है।

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें (+2,79,86)--

इस शीर्षक में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन म 4,48, महंगाई भत्ते में 1,29, यात्रा व्यय में 30, अन्य भत्त में 67, कार्यालय व्यय में 1,05, टेलीफोन पर 1,20, पेट्रोल की खरीद में 75, लघु निर्माण में 24,75, मशीन में 2,45,22 तथा अन्य व्यय में 15 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+40,80)--

इस शीर्षक में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अन्य व्यय में 40,80 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा--

आयोजनागत (+5,12,57)--

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (+58,45)--

इस शीर्षक में वास्तविक आवश्यकता के कारण वृहत निर्माण कार्य में 58,45 की वृद्धि अनुमानित है।

4216--आवास पर पूंजी परिव्यय (+4,54,12)--

इस शीर्षक में वास्तविक आवश्यकता के कारण वृहत निर्माण कार्य में 4,54,12 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनेतर--मतदेय (+16,94)--

भारित (+9,33)--

4215--जलपूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय (+16,94)--

इस शीर्षक में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वृहत निर्माण कार्य तथा लघु निर्माण कार्य में 16,94 की वृद्धि प्रदर्शित है।

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण--भारित (+9,33)--

इस शीर्षक में भारतीय साधारण बीमा निगम के ऋण के अधिक प्रतिदान हेतु अन्य व्यय में 9,33 की वृद्धि अनुमानित है।

गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

राजस्व लेखा/आयोजनेतर (+15,07)--

2014--न्याय प्रशासन- (+10,60)--

के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 10,60 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2052--सचिवालय-सामान्य सेवायें (+2,47)--

समता समिति की संस्तुतियों को लागू किए जाने के फलस्वरूप 2,47 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2251--सचिवालय-सामाजिक सेवायें (+2.00)--

के अन्तर्गत मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप 2,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—(+10,27,66)—

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—

इस शीर्षक में वेतनमानों में पुनरीक्षण तथा लोक सभा 1989 के निर्वाचनों के कारण वेतन में 21, मजदूरी में 4,29,75, महंगाई भत्ते में 43, यात्रा व्यय में 7,52, अन्य भत्ते में 1,10, टेलीफोन में 10, मोटर गाड़ियों का क्रय में 11,82, पेट्रोल का क्रय में 90,75, छात्रवृत्ति में 3,52,34, माल व सम्पूर्ति में 1,23,64 तथा अन्य व्यय में 10,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

गोपन विभाग

(राज्यपाल सचिवालय)

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर— (+3,90)

2012—राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक—(भारित)

090—सचिवालय—(+*3,50*)

वास्तविक व्यय के आधार पर "अन्य भत्ते" में *2,50* की तथा "टेलीफोन पर व्यय" में *1,00* की वृद्धि परिलक्षित है।

800—अन्य व्यय—

02—राजभवन में स्वच्छतः (भारित) (+*40*)

उपर्युक्त कारणों से यहां पर भी *40* की वृद्धि परिलक्षित है।

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

मतदेय—(+89,14,22)—भारित +*13,14*

आयोजनेतर—(+76,26,86)—

राजस्व लेखा— (+76,26,86) —

01—शहरी स्वास्थ्य सेवायें—एलोपैथी (+34,29,80)

समता समिति की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 1986 से अवशेष देयों के भुगतान के फलस्वरूप "001—निदेशन और प्रशासन" के शीर्ष में 59,75 की, "104—चिकित्सा भण्डार डीपो" में 4,71 की, "110—अस्पताल और औषधालय" में 29,40,05 का अधिक प्राविधान किया गया है। विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देने के लिए "800—अन्य व्यय" के शीर्ष में 4,12,15 की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। डिक्री की धनराशि के भुगतान के कारण भारित में *13,14* की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—एलोपैथी (+42,10,20) —

मुख्यतया समता समिति की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप "110—अस्पताल और औषधालय की मद में 42,10,20 का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है।

आयोजनागत—(+12,87,36)—

राजस्व लेखा—(+9,44,97) —

26,03,85 के मूल प्राविधान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमानों में 35,48,82 की व्यवस्था की गई है जो 9,44,97 अधिक है इस वृद्धि का मुख्य कारण समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अवशेष देयों का भुगतान तथा कतिपय नई योजनाओं का वर्ष 1989-90 की अनुपूरक मांगों के माध्यम से स्वीकृत किया जाना है।

पूंजी लेखा—(+3,42,39) —

पूंजी लेखे में 3,42,39 की वृद्धि कतिपय नए निर्माण-कार्यों की स्वीकृति के फलस्वरूप है।

चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

(+9,14,56)—

राजस्व लेखा—(+8,64,63)—

आयोजनेतर—(+5,10,33)—

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य—(+5,10,33)—

02—शहरी स्वास्थ्य सेवायें—(+63,36)—

व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर "101—आयुर्वेद" तथा "103—यूनानी" के अन्तर्गत क्रमशः 58,61 तथा 4,75 की वृद्धि अनुमानित है ।

04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—(+3,66,36)

समता समिति की संतुतियों के कार्यान्वियन के फ़लस्वरूप "101—आयुर्वेद" में 3,52,56 की तथा "103—यूनानी" में 13,80 की वृद्धि प्रदर्शित है ।

05—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान—(+80,61)—

मुख्यतः समता समिति की संस्तुतियों के फ़लस्वरूप उक्त शीर्ष के अन्तर्गत शुद्ध 80,61 की वृद्धि परिलक्षित है ।

पूंजी लेखा—(+49,93)—

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान के लिए भूमि तथा भवन आदि की अतिरिक्त व्यवस्था हेतु 49,93 की धनराशि स्वीकृत की गई थी । तदनुसार उक्त शीर्ष में वृद्धि 49,93 की वृद्धि परिलक्षित है ।

आयोजनागत—(+4,04,23)—

गत वर्ष के 4,55,42 के विपरीत पुनरीक्षित अनुमान 8,59,65 पर निर्धारित किए गए । तदनुसार शुद्ध 4,04,23 की वृद्धि अनुमानित है, जो निर्धारित आयोजनागत परिव्यय के अनुरूप है ।

चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)—

(+2,65,08)

राजस्व लेखा—(+2,65,08)

आयोजनेतर—(+2,56,01)

शहरी स्वास्थ्य सेवायें, अन्य चिकित्सा पद्धतियां—

102—होम्योपैथी (+27,60)—

समता समिति की सस्तुतियों के अनुसार अवशेष देयों के भुगतान के कारण 27,60 की वृद्धि प्रदर्शित है ।

04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—

102—होम्योपैथी— (+1,79,35)—

नवीन वेतनमानों में अवशेष देयों के कारण 1,79,35 की वृद्धि हुई है .

05—चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान (+49,06)

102—होम्योपैथी— (+49,06)—

समता समिति की संस्तुतियों के अनुसार अवशेष देयों के भुगतान के फलस्वरूप 49,06 का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है ।

आयोजनागत— (+9,07)—

आयोजनागत योजनाओं के अधिकारियों / कर्मचारियों के नवीन वेतनमानों में वेतन पुनरीक्षण के समता समिति की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप 9,07 की वृद्धि प्रदर्शित है ।

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

(+16,98,30)—

आयोजनेतर—(+12,18,66)—

राजस्व लेखा (+12,18,66)—

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें (+14)—

एक सदस्यीय जांच आयोग के लिये 14 की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है ।

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (+12,18,52)—

01—शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी (+5,92,43)—

समता समिति की संस्तुतियों के अनुसार अवशेष देयों के भुगतान हेतु "विभागीय औषधि विनिर्माण" के लिये 3,80 एवं विभिन्न मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों/अस्पतालों के लिये 5,88,63 की वृद्धि प्रदर्शित है।

05—चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसन्धान (+6,26,09)—

001—निदेशन और प्रशासन (+5,60)--

समता समिति की संस्तुतियों के अनुसार वेतनादि के भुगतान हेतु 5,60 की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है।

105—एलोपैथी (+6,20,49)--

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वियन के फलस्वरूप विभिन्न मेडिकल कालेजों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के अधीन वेतनादि की मदों के अन्तर्गत 6,20,49 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत (+4,79,64)—

राजस्व लेखा (+4,79,64)—

22,79,36 के मूल प्राविधान की तुलना में 27,59,00 की व्यवस्था की गयी है, जो 4,79,64 अधिक है। इस वृद्धि का कारण वर्ष 1989-90 में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ को अतिरिक्त अनुदान दिया जाना है।

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

(+27,27,36)--

उक्त शीर्षक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित परिवार कल्याण कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वियन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग समस्त योजनायें भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता पर तथा उन्हीं की नीति निर्देशों के अनुसार चलाई जाती हैं। विभिन्न योजनाओं के संचालनार्थ गत वर्ष के मूल 73,24,54 (73,24,15 मतदेय तथा *39* भारित) के विपरीत पुनरीक्षित अनुमान 1,00,51,90 (1,00,51,51 मतदेय तथा *39* भारित) पर निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार व्यय में शुद्ध 27,27,36 की वृद्धि परिलक्षित है।

चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

(+39,76,88)—

राजस्व लेखा (+39,76,88)—

प्रायोजनेतर—(+35,61,59)—

उक्त शीर्षक के अन्तर्गत मूल अनुमान 54,32,17 (54,31,67 मतदेय तथा *50* भारित) की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 89,93,76 (89,93,26 मतदेय तथा *50* भारित) पर निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार शुद्ध 35,61,59 का आधिक्य परिलक्षित है। जिसका मुख्य कारण समता समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप कर्मचारिवर्ग को वेतनादि की बकाया धनराशि का भुगतान किया जाना है।

प्रायोजनागत (+4,15,29)--

गत वर्ष के 21,92,91 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 26,08,20 पर निर्धारित किये गये हैं। तदनुसार व्यय के पुनरीक्षित अनुमानों में 4,15,29 की वृद्धि अनुमानित है, जो निर्धारित आयोजनागत परिव्यय को पूरा करने के लिय हैं।

नागरिक उड्डयन विभाग

राजस्व लेखा (+ 5,76,65)—

आयोजनेतर (+5,55,28)—

समता समिति एवं वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 207.0-अन्य प्रशासनिक सेवाओं में 5,58,54 की वृद्धि तथा 3053-नागर विमानन में 3,26 की कमी परिलक्षित है। इस प्रकार शुद्ध 5,55,28 का आधिक्य अनुमानित है।

आयोजनागत (+21,37)—

समता समिति की संस्तुतियों तथा कतिपय योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 21,37 का आधिक्य प्रदर्शित है।

नियुक्ति विभाग

राजस्व लेखा

आयोजनेतर (+9,77)—

2202—सामान्य शिक्षा (+9,77) —

के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भाषा निधि से किए जाने वाले व्यय में 9,77 की वृद्धि परिलक्षित है।

नियोजन विभाग

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर (+65,41)—

पदों के रिक्त होने से 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, में 6,49 की कमी तथा नये वेतनमान में वेतन निर्धारण एवं अवशेष के भुगतान के फलस्वरूप 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें में 11,23 तथा 3454-जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी" के विभिन्न मदों में 60,67 की वृद्धि परिलक्षित है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए 65,43 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत (+ 22,33)—

"2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम"-800-अन्य व्यय" में 19,00 की कमी क्षेत्र विकास अभिकरण अजीतमल, इटावा एवं गाजीपुर को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्राविधानित धनराशि से कम अनुदान स्वीकार किया जाना है। समता समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप नये वेतनमान में वेतन निर्धारण एवं अवशेष के भुगतान के कारण "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें" में 41,33 की वृद्धि हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर 22,33 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

निर्वाचन विभाग

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—

2015—निर्वाचन—(+19,56,04)—

इस शीर्षक के अन्तर्गत लोक सभा, विधान सभा तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के कारण कार्यालय व्यय में 19,31,04 तथा यात्रा व्यय में 25,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

न्याय विभाग

राजस्व लेखा--

(+2,20,26 भारित) (मतदेय +2,48,32)

2014--न्याय प्रशासन-102--उच्च न्यायालय-01--उच्च न्यायालय (2,20,26-भारित)--संशोधित वेतनमान लागू किये जाने के कारण 2,20,26 की वृद्धि परिलक्षित है।

105--सिविल और सत्र न्यायालय--01--जिला तथा सेशन न्यायाधीश (+51,30)--संशोधित वेतनमान लागू किये जाने के कारण 51,30 की वृद्धि प्रदर्शित है।

02--दीवानी न्यायाधीश--(+1,10) संशोधित वेतनमान लागू किये जाने के कारण 1,10 की वृद्धि प्रदर्शित है।

04--मुंसिफ (+13,91)--पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने के कारण 13,91 की वृद्धि प्रदर्शित है।

07--पारिवारिक न्यायालय (+7,10)-संशोधित वेतनमान लागू किये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के कारण 7,10 की वृद्धि प्रदर्शित है।

106--लघुवाद न्यायालय--01--प्रधिष्ठान (+4,81)--संशोधित वेतनमान लागू किये जाने के कारण 4,81 की वृद्धि प्रदर्शित है।

108--दण्ड न्यायालय--01--नियमित अधिष्ठान (+57,70)--संशोधित वेतनमान लागू किये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 57,70 की वृद्धि परिलक्षित है।

03--रेलवे मजिस्ट्रेटों का अधिष्ठान--(+62)--संशोधित वेतनमान लागू किये जाने के कारण 62 की वृद्धि प्रदर्शित है।

110--महाप्रशासक और शासकीय न्यासी--01--अधिष्ठान (+32)---संशोधित वेतनमान लागू किये जाने के कारण (+32) की वृद्धि परिलक्षित है।

114--कानूनी सलाहकार परिषदें--01--महाधिवक्ता (+2,40)--संशोधित वेतनमान लागू किये जाने के कारण 2,40 की वृद्धि परिलक्षित है।

02--विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता (+95,85)--संशोधित वेतनमान तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 95,85 की वृद्धि परिलक्षित है।

03--हिन्दी विधि पत्रिका के प्रकाशन पर व्यय (+2,00)--हिन्दी विधि पत्रिका के प्रकाशन हेतु 2,00 की व्यवस्था सम्मिलित किये जाने के कारण वृद्धि प्रदर्शित है।

800--अन्य व्यय--01 न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (+2,60)--संशोधित वेतनमान लागू किये जाने के कारण 2,60 की वृद्धि परिलक्षित है।

02--पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त की स्मृति में शोधपीठ तथा शोध ग्रन्थ का प्रकाशन-- (+52)-अवास्तविक आवश्यकता के आधार पर 52 की वृद्धि परिलक्षित है।

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--091--सम्बद्ध कार्यालय--01--विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश प्रदेश भवन नई दिल्ली पर होने वाला व्यय (+76) वेतनमान पुनरीक्षित होने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 76 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--06--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--104--जमा से सम्बद्ध बीमा योजना सरकारी भविष्य निधि--01--न्याय विभाग (+6)---जमा से संबद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत 6 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा--+1,60,69

4059--भवन निर्माण हेतु व्यवस्था के फलस्वरूप 1,17,37 की वृद्धि परिलक्षित है।

4216--आवास पर पूंजी परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी इमारतें-700-अन्य आवास (+37,20) परिव्यय के आधार पर 37,20 की अतिरिक्त व्यवस्था के कारण 37,20 की वृद्धि परिलक्षित है।

परिवहन विभाग

राजस्व लेखा (+62,60) —

आयोजनेतर (+44,93) --

समता समिति तथा वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वियन एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2041-वाहनों पर कर में 8,30 की 2045--वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क में 32,40 की एवं 3055--सड़क परिवहन में 5,64 का आधिक्य तथा 2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में 1,41 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार शुद्ध 44,93 का आधिक्य सम्भावित है।

आयोजनागत (+17,67) —

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वियन एवं कतिपय योजनाओं की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 17,67 का आधिक्य सम्भावित है।

पूंजी लेखा (+96,90) —

आयोजनेतर (—1)

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी इस पक्ष से विनियोजित न किये जाने के कारण 1 की कमी अनुमानित है।

आयोजनागत (+96,91) —

कतिपय चालू भवनों का निर्माण पूर्ण करने हेतु 96,91 का आधिक्य परिलक्षित है।

पर्यटन विभाग—

(+1,20,25) —

राजस्व लेखा (+49,63) —

3452—पर्यटन (+49,63) --

आयोजनेतर (+7,93)—

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 7,93 का आधिक्य प्रदर्शित है।

आयोजनागत (+41,70) --

कतिपय नई योजनाओं के कार्यान्वियन तथा चालू योजनाओं के त्वरित संचालन हेतु 41,70 का आधिक्य सम्भावित है।

पूंजी लेखा (+70,62) --

आयोजनागत (+70,62) —

कतिपय बौद्ध मन्दिरों एवं पर्यटन आवास गृहों आदि के निर्माण कराये जाने के फलस्वरूप 70,62 का आधिक्य प्रदर्शित है।

प्रशासनिक सुधार निदेशालय—

राजस्व लेखा—

आयोजनागत—

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें—

091—सम्बद्ध कार्यालय—

02—प्रशासनिक सुधार निदेशालय (+1 98) --

पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वेतन में 2,45 की तथा अन्य भत्ते में 73 की वृद्धि तथा अन्तरिम सहायता में 1,20 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर कुल 1,98 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

आयोजनेतर— (+8,16,16)—

वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय अवशेषों के भुगतान आदि के कारण यहां 8,16,16 की वृद्धि हुई है।

आयोजनागत— (+1,54,85)—

राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में कतिपय नई योजनायें प्रारम्भ करने के कारण यहां कुल 1,54,85 की वृद्धि हुई है।

पर्वतीय विकास विभाग—

आयोजनेतर--

2049—ब्याज संदाय (- 2,50)—

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के ब्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,50 की कमी है।

आयोजनागत--

2551—पहाड़ी क्षेत्र—(+33,40,34)—

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

101—लोक निर्माण--(+1,28,00)--

'पवतीय क्षेत्र के जिला परिषदों मोटर मार्गों और पुल में अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप 1,28,00 की वृद्धि हुयी है।

102—सामान्य शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा (+3,05,86)--

जूनियर बेसिक स्कूल खोलने, प्रान्तीयकरण, असहायित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप 3,05,86 की वृद्धि हुयी है।

103—माध्यमिक शिक्षा (+2,63,31) निर्धारित प्लान परिव्यय, वास्तविक आवश्यकता के कारण राजकीय हाई स्कूलों का उच्चीकरण जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर कम्पेनयन, अशासकीय विद्यालय को सहायता तथा हाई स्कूल एवं इण्टर में अतिरिक्त विषयों का खोले जाने फलस्वरूप 2,63,31 की वृद्धि हुयी है।

104—सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा (+2,00) राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय, पिथौरागढ़ व रानीखेत (अल्मोड़ा) के छात्र संघ भवनों को अनुदान दिये जाने हेतु 2,00 की वृद्धि है।

107—तकनीकी शिक्षा--(+6,50) इंजीनियरिंग कालेज घड़दौड़ी पौड़ी द्वारा हाट (अल्मोड़ा) को अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप 6,50 की वृद्धि हुई।

109—कला एवं संस्कृति (+5,06) निर्धारित प्लान परिव्यय, वास्तविक आवश्यकता, जवाहर लाल नेहरू व मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म शताब्दी पर नैनीताल महोत्सव, स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान तथा समता समिति एवं की संस्तुति फलस्वरूप अतिरिक्त धनराशि दिये जाने हेतु 5,06 की वृद्धि हुयी।

110—चिकित्सा लोक स्वास्थ्य-शहरी स्वास्थ्य सेवायें (+35,33)—

निर्धारित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा को अतिरिक्त साज सज्जा उपकरण एवं दवाओं के क्रय हेतु तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 35,33 की वृद्धि हुयी।

111--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-चिकित्सा की अन्य पद्धितियां (+26,44)--निर्धारित प्लान पयिव्यय समता समिति एवं वेतन समिति की संस्तुति के फलस्वरूप एवं अतिरिक्त धनराशि दिये जाने के कारण 26,44 की वृद्धि हुयी।

117--जल पूर्ति और सफाई--जल निकासी और सफाई (+51,76)--मृत (डिफेक्ट) पेयजल योजनाओं को पुनर्जीवन देने तथा निर्धारित प्लान परिव्यय एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 51,76 की वृद्धि हुयी।

124--शहरी विकास--छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का एकीकृत विकास (+3,21,73)--पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग प्रकाश, शौचालयों का निर्माण मुख्य मुख्य स्थलों, नगरों का सौन्दर्यी करण, हेतु 3,21,73 की वृद्धि हुयी।

126--अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-अनुसूचित जातियों का कल्याण (+30,37)--निर्धारित प्लान परिव्यय वेतन समिति समता समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप अतिरिक्त धनराशि दिये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 30,37 की वृद्धि हुयी।

127--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (+68,60)--निर्धारित प्लान परिव्यय, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के रख-रखाव, बुक्सम आदिम जन जातियों का उत्थान तथा राजी पाठशालाओं के खोलने हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 68,60 की वृद्धि हुयी ।

128--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण--अन्य पिछड़े हुये वर्गों का कल्याण (+19,10)--निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 19,10 की वृद्धि हुयी ।

130--श्रम और रोजगार श्रम--(+36,77)--निर्धारित प्लान परिव्यय, श्रम न्यायालय तथा औद्योगीकरण न्यायालय की स्थापना, बन्धुवा मजदूरों का पुनर्वासन तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 36,77 की वृद्धि हुयी ।

132--श्रम और रोजगार--व्यावसायिक प्रशिक्षण (+1,34,39)--पर्वतीय क्षेत्र में 6 नये आई0 टी0 आई0 खोलने हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,34,39 की वृद्धि हुयी ।

134--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--सामाजिक कल्याण--(+56,47)--निर्धारित प्लान परिव्यय निराश्रित विधवाओं भरण पोषण उनके बच्चों की व्यवस्था तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 56,47 की वृद्धि हुयी ।

141--कृषि कार्य (+2,15,76)--निर्धारित प्लान परिव्यय वेतन समिति, समता समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप अतिरिक्त धनराशि दिये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,15,76 की वृद्धि हुयी ।

142--पशुपालन (+63,00) निर्धारित प्लान परिव्यय, वेतन समिति समता समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप अतिरिक्त धनराशि दिये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 63,00 की वृद्धि हुयी ।

143--डेरी विकास (+99,07)--निर्धारित प्लान परिव्यय, दुग्ध संघों को अनुदान दिये जाने तथा वेतन समिति समता समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप अतिरिक्त धनराशि दिये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 99,07 की वृद्धि हुयी ।

145--वानिकी और वन्यजीवन-वन (+7,63,38)--वन विभाग की विभिन्न योजनाओं पर गत वित्तीय वर्ष 1989-90 की मूल आय-व्ययक व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण पुनरीक्षित व्यवस्था करायी गयी जो आवश्यकाओं के आधार पर है। इस प्रकार 7,63,38 की वृद्धि हुई है।

151--सहकारिता (-11)--वास्तविक आवश्यकता के आधार यहां पर 11 की कमी है।

152--ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम--एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (+1,54,67)--निर्धारित प्लान परिव्यय एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,54,67 की वृद्धि हुयी ।

164--उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+4,59,84)--निर्धारित प्लान परिव्यय वस्त्र, जड़ी बूटी, इलेक्ट्रानिक्स, लघु एवं ग्रामीण उद्योग विकास, आयोग की स्थापना तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 4,59,84 की वृद्धि हुयी।

167--अलौह धातु खनन तथा धातु कर्म उद्योग खनन के विनियमन और विकास (+32,18) निर्धारित प्लान परिव्यय, भू-तल एवं निदेशालय, इंजीनियरिंग अयोलाजी का शुद्धीकरण वेतन समिति, समता समिति के लिये अतिरिक्त धनराशि दिये जाने के कारण 32,18 की वृद्धि हुयी ।

173--सचिवालय आर्थिक सेवायें (+41,04)--निर्धारित प्लान परिव्यय श्रीनगर/अल्मोड़ा में एक कार्यालय की स्थापना और वहां पर कम्प्यूटर के क्रय तथा मुख्यालय पर कम्प्यूटर के क्रय तथा उपाध्यक्ष परिषद के लिए एक स्टाफ का क्रय तथा वेतन समिति समता समित की संस्तुति के लिए अतिरिक्त धनराशि दिये जाने के कारण 41,04 की वृद्धि हुयी।

175--पर्यटन (+19,60) मतदेय (+3,06)--निर्धारित प्लान परिव्यय, पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन निदेशालय की स्थापना तथा पर्वतीय नगरों का पर्यटन की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु मतदेय पक्ष में 19,60 की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त पर्यटन काम्पलेक्स मंसूरी के लिये अध्यापित मूल के प्रतिकर के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भुगतान किये जाने की दृष्टि से भारित पक्ष में *3,06* की वृद्धि हुयी ।

पूंजी लेखा—

आयोजनेतर—

6003—राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण भारित (+*2,07*)--राष्ट्रीय सहकारी निगम को ब्याज के भुगतान वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,07 की वृद्धि हुई है।

आयोजनागत--

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय (+29,95,16)— 129--अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियो एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण (+5,75)-निर्धारित प्लान परिव्यय की सीमा में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 5,75 की वृद्धि हुई है।

140--कृषि कार्य (+2,07,76)--निर्धारित प्लान परिव्यय की सीमा में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 2,07,76 की वृद्धि हुई है ।

142--पशुपालन (+56,12)-निर्धारित प्लान परिव्यय की सीमा में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 56,12 की वृद्धि हुई है।

151--सहकारिता (+1,17,73)--निर्धारित प्लान परिव्यय की सीमा में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 1,17,73 की वृद्धि हुई है।

155—वृहत एवं मध्यम सिंचाई (+2,15,00)—नियोजन के आधार पर निर्माण कार्य (1,25,89) निदेशन और प्रशासन (86,84) व उपस्कर एवं मशीनें (1,27) की अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 2,15,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

164—उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+4,76,31)—निर्धारित प्लान परिव्यय की सीमा के वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 4,76,31 की वृद्धि हुयी है।

178—नागरिक उड्डयन (+2,00,01)—गोचर (चमोली) तथा पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी के निर्माण किये जाने हेतु 2,00,01 की वृद्धि हुई है।

169—सड़क तथा पुल (+5,00,00)—प्लान परिव्यय के आधार पर अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने के फस्वरूप 5,00,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

175—पर्यटन-सामान्य (+6,44,82)—निर्धारित प्लान परिव्यय की सीमा में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 6,44,82 की वृद्धि हुई है।

203—लोक निर्माण-सामान्य-01—भवन निर्माण (+4,33,98)—विभिन्न विभागों के भवन निर्माण कार्यों के प्लान परिव्यय में वृद्धि के फलस्वरूप 4,33,98 की बढ़ोतरी हुई है।

6551—पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

119—शहरी आवास (+50,00)

03—विकास प्राधिकरणों को आधारिक पूंजी हेतु ऋण—इस मद में वर्ष 1989-90 में मूल अनुमान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऋण सहायता उपलब्ध करायें जाने के कारण पुनरीक्षित में 50,00 हजार की वृद्धि प्रदर्शित है।

141—कृषि कार्य- (+6,50)—05—लघु एवं सीमान्त उद्यानपतियों इनमोटर इपोस्टिंग योजनान्तर्गत वाटर टैंक निर्माण हेतु वर्ष 1989-90 में मूल अनुमान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण पुनरीक्षित में 6,50 की वृद्धि प्रदर्शित है।

143—डेरी विकास (+5)-01—वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं था परन्तु 5 की ऋण सहायता स्वीकृत किये जाने के कारण पुनरीक्षित अनुमान में इतनी ही वृद्धि प्रदर्शित है।

151—सहकारिता (+27,55) 04—उपभोक्ता योजनान्तर्गत उपभोक्ता भण्डारों को व्यवसाय हेतु मार्जिन मनी ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 में बजट प्राविधान न होने के कारण ऋण सहायता एकीकृत किये जाने के फलस्वरूप पुनरीक्षित अनुमान में 10 की वृद्धि प्रदर्शित है।

06—सहकारी क्रय विक्रय योजनान्तर्गत क्रय विक्रय समिति को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु मार्जिन मनी-ऋण हेतु वर्ष 1989-90 में आवश्यकता के आधार पर ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण 40 की वृद्धि प्रदर्शित है।

07—सहकारी ड्रग फैक्ट्री रानीखेत के आधुनिकीकरण हेतु आवश्यकता के आधार पर ऋण सहायता स्वीकृत किये जाने के कारण 20,05 की वृद्धि प्रदर्शित है।

15—फल एवं विपणन योजनान्तर्गत विपणन सहकारी संघ हल्द्वानी को सेव क्रय हेतु कार्यशील पूंजी के रूप में आवश्यकता के आधार पर ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण 2,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

16—सहकारी ड्रग फैक्ट्री रानीखेत को आधुनिकीकरण हेतु आवश्यकता के आधार पर ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण 5,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

217—लघु सिंचाई (—14,02)—01—निजी लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिये अपेक्षाकृत कम ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण 14,02 की कमी प्रदर्शित है।

164—उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+67,75)-06—कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 को सेवों की पैकिंग हेतु आवश्यकता के आधार पर कायशील पूजी ऋण उपलब्ध कराये जाने के कारण 67,75 की वृद्धि प्रदर्शित है।

मुस्लिम वक्फ विभाग

2075—विविध सामान्य सेवायें—+2,40-800—अन्य व्यय-01—वसीका कार्यालय लखनऊ (+ 50) वेतनमान पुनरीक्षित होने के कारण "वेतन (+ 70) तथा "अन्य भत्ते (+ 15) इस प्रकार कुल (+ 85) की वृद्धि प्रदर्शित है। दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को पुनरीक्षित वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण (- 20) और अन्तरिम सहायता का भुगतान समाप्त हो जाने के कारण (- 15), कुल 35 की कमी हुई है। इस प्रकार शुद्ध वृद्धि 50 की प्रदर्शित है।

2252—अन्य सामाजिक सेवायें— 102—धार्मिक और पूत विन्यास अधिनियम का प्रशासन-01—अधिष्ठान—वेतनमान पुनरीक्षित होने के कारण "वेतन (+ 8,50) तथा अन्य भत्ते (+ 1,00) इस प्रकार 9,50 की वृद्धि प्रदर्शित है। दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को पुनरीक्षित वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण महंगाई भत्ता (-4,60) तथा अन्तरिम सहायता (-3,00) इस प्रकार कुल 7,60 की कमी प्रदर्शित है, जिसे समायोजित करते हुये शुद्ध वृद्धि 1,90 की परिलक्षित है।

राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

आयोजनेतर—

2053—जिला प्रशासन— (+ 38,32)—

नवसृजित तहसीलों के परगनाधिकारियों/तहसीलदारों के प्रयोगार्थ 25 नई जीपों के क्रय 25 चालक के पदों के सृजन एवं पी० ओ० सी० की व्यवस्था के फलस्वरूप विभिन्न मदों में 38,32 की वृद्धि हुयी है।

4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

01—कार्यालय की इमारतें—

201—भूमि का अधिग्रहण—

नव सृजित जनपद फ़िरोजाबाद के विभिन्न कार्यालयों तथा आवासीय भवनों तहसील मुजफ्फरनगर के नवीन भवन नई तहसीलों के अनावासीय भवनों के निर्माणार्थ क्रय की जाने वाली भूमि के प्रतिकर के भुगतानार्थ अनुपूरक मांग से 3,19,86 तथा नई टेहरी कार्यालय भवन से परिवर्तन/परिवर्धन किए जाने हेतु 20,00 की व्यवस्था के फलस्वरूप कुल 3,39,86 की वृद्धि परिलक्षित है।

राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

राजस्व लेखा—

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें (−11 मतदेय)—

वास्तविक व्यय के आधार पर 11 की कमी प्रदर्शित है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1,86,97)

निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न एवं वस्त्र वितरण के लिए अनुपूरक व्यवस्था किये जाने से 1,86,97 की वृद्धि हुई है।

2245—दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत (+2,00,00 मतदेय)—

प्रदेश में बाढ़ अतिवृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क राहत तथा मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण हेतु सहायता पहुंचाने की दृष्टि से अनुपूरक व्यवस्था के फलस्वरूप 2,00,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—(−1)

2029—भू-राजस्व (भारित) (−1)

वास्तविक व्यय के आधार पर भारित पक्ष में 1 की कमी परिलक्षित है।

आयोजनागत—(− 6,57)

"2029—भू-राजस्व" में कतिपय पदों के रिक्त होने से 2,37 की तथा वास्तविक व्यय की प्रगति के आधार पर "2506—भूमि सुधार" में 4,20 की कमी अर्थात् कुल 6,57 की कमी प्रदर्शित है।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

आयोजनागत (+35,00)—

उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी के भू-खण्ड पर भवन निर्माण हेतु अनुमोदित आगणन के समक्ष प्रथम व द्वितीय किश्त के रूप में 35,00 की धनराशि स्वीकृत करने के कारण यह वृद्धि हुई है।

आयोजनेतर (+25,10)—

यह वृद्धि मुख्यतः प्रथम व द्वितीय अनुपूरक मांग 1989–90 के माध्यम से मौलाना आजाद स्मारक अकादमी को आवर्तक अनुदान में वृद्धि करने, इसी अकादमी को मौलाना आजाद की जन्म शताब्दी समारोह के आयोजनार्थ, अतिरिक्त अनावर्तक, अनुदान स्वीकृत करने, साम्प्रदायिक सहिष्णुता एवं सद्भाव सुदृढ़ करने में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत करने हेतु आवर्तक व्यवस्था करने, अन्जुमन तरक्की, उर्दू, उत्तर प्रदेश के आवर्तक अनुदान में वृद्धि करने एवं पण्डित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर राष्ट्रीय एकता नामक कैम्प का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयोजन करने हेतु व्यवस्था करने के कारणों से हुई है।

वन विभाग

(+18,43,95)--

वन विभाग राजस्व लेखा-आयोजनागत (+4,15,59)--

2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण- (+3,94)--इस योजना के अन्तर्गत वन विभाग के श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू किए जाने के कारण 3,94, की वृद्धि है।

2406--वानिकी और वन्य जीवन--(+3,84,08)--

01--वानिकी-के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 3,84,08 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2407--बागान (+27,57)--

बागान के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर औद्योगिक तथा पल्पउड वृक्षारोपण के लिये 27,45 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजातियों का आरोपण योजना में 12 की वृद्धि प्रदर्शित है। इस प्रकार कुल 27,57 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा (+5,10,00)--

4056--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (+1,00,00)--

01-कार्यालय की इमारतें-101-पूल आवास- 01-वन विभाग- आवास- 18-बृहत निर्माण के अन्तर्गत 1,00,00 की वृद्धि हुई है।

4216--आवास पर पूंजी परिव्यय (+2,60,00)--

01-सरकारी रिहायसी इमारतें-700-अन्य आवास- 01-वन विभाग-भवन-18 वृहत निर्माण के अन्तर्गत 2,60,00 की वृद्धि हुई है।

4406--वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय (+1,50,00)--

01-वानिकी-800-अन्य व्यय- 02-वन विभाग के कर्मचारियों के लिए हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में अस्पताल के निर्माण हेतु 1,50,00 की आवश्यकता होने के कारण वृद्धि प्रदर्शित है।

राजस्व लेखा -आयोजनेतर--

2406--वानिकी और वन्य जीवन-01-वानिकी (+8,02,73)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत कुछ नई योजनाओं को आयोजनागत पक्ष से आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के कारण मुख्य रूप से 8,02,73 की वृद्धि हुई है।

पूंजी लेखा--

4406--वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय (+1,01,49)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय में वृद्धि के कारण (1,01,70) की अतिरिक्त व्यवस्था कराई गयी। अतः 1,01,70 की वृद्धि प्रदर्शित है।

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

(-25,73,39,99)--

राजस्व लेखा (-20,34,52,82)--

2048--ऋण में कमी अथवा उससे बचाव के लिए विनियोग (+2,16,00) वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋणो के संहृत निक्षेप निधि के अन्तर्गत 2,16,00 की वृद्धि अनुमानित है।

2049--ब्याज संदाय (-36,68,94)-आन्तरिक ऋणों पर ब्याज के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अल्पकालिक ऋणों पर ब्याज के कारण 2,04,41 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज में 19,09,00 केन्द्रीय सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज में 15,39,53 आरक्षित निधियों पर ब्याज में 16,00 की कमी होने का अनुमान है।

2052-सचिवालय सामान्य सेवायें मतदेय (19,99,99,88)--वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय के अन्तर्गत 12 की वृद्धि अनुमानित है। इसके विपरीत वेतन आयोग/समता समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा महंगाई भत्ते आदि में वृद्धियों के लिए कुल 20,00,00,00 का एक मुश्त प्राविधान किया गया था किन्तु पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नुसार इस हेतु अतिरिक्त आवश्यक व्यवस्था संगत अनुदानों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग/अनुपूरक मांग द्वारा कर लिये जाने के कारण उक्त एक मुश्त व्यवस्था का उपयोग नही किया गया और इस प्रकार इस मद के समक्ष, कुल 19,99,99,88 की कमी प्रदर्शित हुई है।

पूंजी लेखा- (-5,43,87,17)

6003-राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (-5,02,74,05)

बाजार उधार के अन्तर्गत 2,74,05 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों में 5,00,00,00 की कमी होने का अनुमान है।

6004-केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम (--41,13,12)-

आयोजना भिन्न उधार में 20,78,45, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार में 21,39,24 तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार में 57,67 की कमी परिलक्षित है इसके विपरीत केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार में 82,92, 1984-85 से पहले के उधार में 79,82 की वृद्धि है।

7610--सरकारी सेवकों आदि को उधार (+5,00,00)--

राज्य कर्मचारियों को गृह निर्माण / क्रय हेतु अग्रिम की मद में 5,00,00 की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर परिलक्षित है।

6801--विद्युत परियोजनाओं के लिए उधार (-- 84,81,00)--

विद्युत परियोजनाओं वित्त पोषण हेतु स्वीकृत आयोजनागत परिव्यय के आधार पर अधिक ऋण उपलब्ध कराय जाने के कारण 84,81,00 की वृद्धि है।

वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते और पेंशन)

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

2071--पेन्शनें और सेवा निवृत्ति लाभ--(+16,77,83)--

पुनरीक्षित वेतन के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन की राशिकृत मूल्य के भुगतान हेतु "102-पेंशनों के रूपान्तरित मूल्य की मद में 4,90,00 की वृद्धि हुई है। 103-अनुकम्पा पूर्ण भत्ता की मद या अनुकम्पा पूर्ण भत्ता में सम्भावित व्ययधिक्य की पूर्ति हेतु 35,46 की तथा पारिवारिक पेंशनों की मद में 1,50,78 की वृद्धि हुई है। वेतन पुनरीक्षित के कारण उपादान की धनराशि में वृद्धि के फलस्वरूप अनुमानित व्ययधिक्य की पूर्ति हेतु 107-पेंशनों और उपादानों के लिए अंशदान की मद में 8,00,85 की वृद्धि परिलक्षित है। 108-भविष्य निधियों के लिए अंशदान की मद में 40,34 की वृद्धि व्ययाधिक्य की पूर्ति के कारण हुई है। विधायक पेंशनों की संख्या में वृद्धि होने कारण, 111-विधायक की पेंशनें राज्य विधान मंडल के सदस्य" की मद में 63,74 की वृद्धि परिलक्षित है। 112-राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा भारत सरकार को स्टर्लिंग पेंशनों के पूंजी परिव्यय" के अन्तर्गत व्ययाधिक्य की पूर्ति के लिए 4 की तथा 200--अन्य पेंशनों की मद में 96,62 की वृद्धि परिलक्षित है। पेंशन पुनरीक्षण एवं पेंशन पर देय राहत के लिए एक मुश्त व्यवस्था, "101--अधिवर्षता और सेवा निवृत्त भत्ते" के अन्तर्गत की गई है, इसलिए "800--अन्य व्यय" में 1,00,00 की कमी तथा "101--अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते" के अन्तर्गत 10,00,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

(+8,56,67)

राजस्व लेखा-आयोजनेतर- (+8,48,43)--

2054--राजकोष और लेखा प्रशासन--

003--प्रशिक्षण-वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान (+2,66)

वेतन के मद में वचनबद्ध व्यय के आधार पर अधिक व्यय परिलक्षित होने के कारण कुल 2,66 की वृद्धि है।

095--लेखा और राजकोष निदेशालय (+22,63)--

01--कोषागार निदेशालय (+16,85)

वेतन, अन्य भत्ते, गाड़ियों का क्रय आदि मदों में वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर 16,85 की वृद्धि प्रत्याशित है।

02--विभागीय लेखा निदेशालय (+5,78)

वेतन, अन्य भत्ते, टेलीफ़ोन, मोटर गाड़ियो के अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद एवं अनुरक्षण आदि मदों पर वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर 5,78 की वृद्धि है।

097--राजकोष स्थापना (+8,23,14)--

01--मुख्य-(+7,93,43)-

वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, मोटर गाड़ियों का क्रय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद, किराया, उप शुल्क कर स्वामित्व, मशीनें तथा सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र, अनुरक्षण आदि मदों पर 7,93,43 की अधिक वृद्धि है।

02--अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश के उपकोषागारों की स्थापना-(+29,71)

वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते आदि मदों पर 29,71 की अधिक वृद्धि है।

पूंजी लेखा

आयोजनागत--

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (+8,24)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वृहत् निर्माण-कार्य में 8,24 की वृद्धि प्रदर्शित है।

वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

(+11,61,61)—

इस अनुदान के अन्तर्गत कुल पुनरीक्षित माग 1,38,43,72 की है, जो वर्ष का कुल प्राविधानित धनराशि 1,26,82,11 से 11,61,61 अधिक है, जिसमें लेखा शीर्षक "2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें" में (+11,61) की वृद्धि तथा लेखा शीर्षक "2075—विविध सामान्य सेवायें" के अन्तर्गत (+11,50,00) की वृद्धि प्रत्याशित है, जो मुख्यत: वेतन व अन्य भत्ते की मदों में वृद्धि व लाटरी की सकल आय में अनुमानित वृद्धि के कारण प्रत्याशित है।

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

राजस्व लेखा (मतदेय+4,16,31 तथा भारित-*1*)

आयोजनतर पक्ष में वित्त विभाग की विभिन्न सेवाओं से सबंद्ध कर्मचारियों के लिये वेतन महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता आदि मदों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय के आधार पर न्यूनाधिकता के फ़लस्वरूप निम्नलिखित शीर्षकों में कुल 3,58,06 की वृद्धि प्रदर्शित है:—

2047—अन्य राजकोषीय सेवायें	(+20,00)
2049—ब्याज संदाय (भारित)	(-*1*)
2054—राजकोष और लेखा प्रशासन	(+2,29,71)
2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	(+10,15)
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(-10)
2425—सहकारिता	(+82,34)
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	(+15,96)
योग ..	(+3,58,06)

आयोजनागत पक्ष में सहकारिता के अन्तर्गत अनुमोदित आधार पर कुल 58,25 की वृद्धि है।

वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

(-1)—

राजस्व लेखा—

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—(-1)

आयोजनेतर

इस शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक व्यय कम होने के कारण अन्य व्यय की मद में 1, की कमी परिलक्षित है।

विधान परिषद् सचिवालय

राजस्व लेखा—(-17,22)

आयोजनेतर—(- 17, 22)

2011—संसद राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल—

102—विधान परिषद् (- 22,22)

माननीय सदस्य विधान परिषद् के लगभग एक तिहाई पद रिक्त होने से "वेतन" (मतदेय) में 3,81 तथा "यात्रा व्यय" (मतदेय) में 18,00 की कमी हुई है। माननीय उप सभापति का पद रिक्त होने में "वेतन" (भारित) में *10* एवं "अन्य भत्ते" (भारित) में *31* की कमी हुई है। इस प्रकार कुल 22,22 की कमी परिलक्षित है।

103—विधान मण्डल सचिवालय-01-विधान परिषद् सचिवालय (+5,00)

नये वेतनमान में वेतन निर्धारण के फ़लस्वरूप "वेतन" में 5,00 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर कुल 17,22 की शुद्ध कमी परिलक्षित है।

विधान सभा सचिवालय

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर (+1,29,92)—

2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल—

101—विधान सभा (मतदेय) (+74,78)—

अधिनियम में संशोधन करके जन-सेवा कार्य के लिए दैनिक भत्ता के प्राविधान किए जाने के फलस्वरूप "यात्रा व्यय" (मतदेय) में 74,08 की तथा "अन्य भत्ते" (मतदेय) में 30, की वृद्धि हुई है। वास्तविक व्यय के आधार पर "अन्य व्यय" (मतदेय) में 40 की वृद्धि परिलक्षित है।

103—विधान मण्डल सचिवालय–01–विधान सभा सचिवालय (मतदेय) (+55,14)—

नये वेतनमान में "वेतन" निर्धारण एवं अवशेष धनराशि के भुगतान, महंगाई भत्ते की अधिकांश धनराशि तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण धनराशि वेतन में समायोजित हो जाने के फलस्वरूप "वेतन" में 61,85 की एवं "अन्य भत्ते" में 10,10 की वृद्धि तथा "महंगाई भत्ते" में 13,61 की और "अन्तरिम सहायता" में 7,00 की कमी हुई है। विधान भवन कैफेटेरिया की फर्नीचर के प्रतिस्थापन के कारण "कार्यालय व्यय" में 1,30 की, सी0 पी0 एवं, नई दिल्ली शाखा को सेमिनार आयोजन हेतु अनुदान दिए जाने से "सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता" में 2,00 की तथा विधान भवन मण्डल की स्थापना के कारण मशीनें तथा सज्जा। उपकरण एवं संयंत्र" में 50, की वृद्धि हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने पर यहां 55,14 की शुद्ध वृद्धि हुई है।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

पूंजी लेखा--

7610—सरकारी सेवकों आदि को उधार (+10,00)

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को मोटर गाड़ियों की खरीद के लिये अग्रिम के मद में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 10,00 की वृद्धि हुई है।

विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

राजस्व लेखा--

आयोजनागत (+1,15,19)--

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में पुनरीक्षित प्लान परिव्यय के अनुसार "3425--अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान" नामक उप शीर्षक में 1,01,00 की अधिक व्यवस्था मुख्यत: राजकीय वेधशाला, नैनीताल की पुरानी स्टाफ कोच के स्थान पर एक नई डीजल चालित स्टाफ कोच के क्रय हेतु, विज्ञान एवं प्रोद्योग परिषद् द्वारा विज्ञान को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये अतिरिक्त अनुदान देने हेतु, रिमोट सेंसिंग एजेन्सी के नवीन भवन में अतिरिक्त खण्ड के निर्माण एवं आगणनों के निरीक्षित किये जाने हेतु एवं राजकीय वेधशाला, नैनीताल को अधिक मशीन/साज-सज्जा व उपकरण क्रय के लिये धनराशि देने हेतु की गई है। इसी प्रकार "3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें" नामक उप शीर्षक में 14,19 की अधिक व्यवस्था वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान में भारत सरकार की योजना के अधीन राज्य/जिला/ब्लाक स्तर की ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सेल की स्थापना हेतु एवं सेल में कम्प्यूटर यूनिट की स्थापन हेतु की गई है।

आयोजनेतर (+16,63)—

उप लेखा शीर्षक "3425--अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान" के अधीन 17,03 की अधिक व्यवस्था मुख्यत: समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर राजकीय वेधशाला, नैनीताल कर्मचारियों पर नये वेतनमान लागू किये जाने के कारण हुई है। दूसरी ओर "2215--जल पूर्ति और सफाई" नामक उप शीर्षक में 40 की कमी मितव्ययिता के फलस्वरूप हुई है।

शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—(+3,84,93,06)--

इस अनुदान के अन्तर्गत मूल आय-व्ययक में की गयी व्यवस्था 5,70,38,52 के विरुद्ध आवश्यकतानुसार 9,55,31,58 की व्यवस्था पुनरीक्षित अनुमानों में की गयी है। इस प्रकार यहां 3,84,93,06 की वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। वृद्धि का मुख्य कारण वेतनमानों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय अवशेषों के भुगतान, महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते तथा बोनस की दरों में वृद्धि के कारण है।

आयोजनागत (+38,98,04)—

आयोजनागत पक्ष में मूल आय-व्ययक में की गयी व्यवस्था 1,19,87,40 के विरुद्ध आवश्यकतानुसार 1,58,85,44 की व्यवस्था पुनरीक्षित अनुमानों में की गयी है। अत: यहां 38,98,04 की वृद्धि दृष्टिगत है।

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

आयोजनेतर (+1,50,61,13)—

मुख्यतय: वेतनमानों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय अवशेषों के भुगतान तथा समय-समय पर बढ़ महंगाई भत्ते के कारण कुल 1,50,61,13 की वृद्धि प्रदर्शित हो रही है।

आयोजनागत—(+2173,26)—

मुख्यत: व्यावसायीकरण की केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के कार्यान्वयन, नव-सृजित जनपदों के लिए शिक्षा विभाग के सम्बन्धित कार्यालयों की स्थापना आदि किए जाने के कारण कुल 21,73,26 की वृद्धि हुई है।

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

आयोजनेतर (+23,48,97)--

इस अनुदान के अन्तर्गत मूल आय-व्ययक में की गयी व्यवस्था 1,04,18,34 के विरुद्ध आवश्यकतानुसार 1,27,67,32 की व्यवस्था पुनरीक्षित अनुमानों में की गयी है। इस प्रकार यहां 23,48,97 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मुख्य कारण वेतनमानों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय अवशेषों का भुगतान, महगाई भत्ते, अन्य भत्ते, एवं बोनस के कारण है।

आयोजनागत (+20,80,73)--

आयोजनागत पक्ष में मूल आय-व्ययक में की गई व्यवस्था 11,01,37 के विरुद्ध आवश्यकतानुसार 31,82,10 की व्यवस्था पुनरीक्षित अनुमानों में की गई है। अतः यहां 20,80,73 की वृद्धि दृष्टिगोचर है।

शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)

राजस्व लेखा--

2202--सामान्य शिक्षा (+2,03,10)--

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में कतिपय नई प्रौढ़ शिक्षा परियोजनायें प्रारम्भ करने जन शिक्षण निलयमों एवं जन विद्यापीठों की स्थापना के कारण यहां 2,03,10 की वृद्धि प्रदर्शित हो रही है।

शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

राजस्व लेखा--

2202--सामान्य शिक्षा--80--सामान्य--

आयोजनागत (+1,46 23)--

कतिपय केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के प्रारम्भ करने के कारण यहां 1,46,23 की वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

राजस्व लेखा--

श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (-2,12,91)

आयोजनेतर (-2,35,99)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य में 91,71 तथा 2230--श्रम और रोजगार में 1,59,19 (1,59,20 मतदेय में वृद्धि तथा 1 भारित में कमी) की वृद्धि एवं 2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में 4,86,89 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार न्यूनधिक्य के समायोजन के बाद शुद्ध 2,35,99 की कमी परिलक्षित है।

आयोजनागत (+23,08)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तथा समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वियन के फलस्वरूप 2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य में 11,93 की तथा 2230--श्रम और रोजगार में 11,15 की वृद्धि परिलक्षित है।

श्रम विभाग (सेवायोजन)

राजस्व लेखा (+1,86,80)--
2230--श्रम और रोजगार (+1,86,54)--
आयोजनेतर (+1,92,80)--

समता समिति एवं वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वियन तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 02-रोजगार में 1,03,33 की तथा 03--प्रशिक्षण में 89,27 की वृद्धि सम्भावित है।

आयोजनागत (-6,26)--

कतिपय नई योजनाओं के कार्यान्वियन के फलस्वरूप 02--रोजगार में 1,26 की वृद्धि तथा कतिपय पदों पर नियुक्ति न किये जाने के कारण 03--प्रशिक्षण में 7,52 की कमी संभावित है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं के सामायोजनोपरान्त 6,26 की कमी परिलक्षित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+26)--
आयोजनेतर (+26)--

जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान किये जाने के फलस्वरूप 26 की वृद्धि परिलक्षित है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

इस अनुदान के अन्तर्गत 81,66,55 हजार रु० के मूल प्राविधान के समक्ष 96,39,73 हजार रु० के पुनरीक्षित अनुमान निर्धारित हुए हैं। इस प्रकार प्रश्नगत अनुदान में कुल 14,73,18 हजार रु० की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि आयोजनागत पक्ष में 6,77 हजार तथा आयोजनेतर पक्ष में 14,66,41 हजार रु० की वृद्धि के फलस्वरूप है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

इस अनुदान के अन्तर्गत अनावासिक भवनों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर होने वाले राजस्व एवं पूंजीगत व्यय प्रदर्शित किए जाते हैं। इन मदों के अन्तर्गत गत वर्ष के 32,42,01 हजार रुपए के मूल प्राविधान के समक्ष 23,33,57 हजार रुपए के पुनरीक्षित प्राविधान किए गए हैं जो मूल प्राविधान से (–) 9,08,44 हजार रुपए कम हैं। यह कमी पूंजी लेखा में (–) 9,09,75 हजार की कमी तथा राजस्व लेखा में (+) 1,31 हजार रुपए की वृद्धि के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हो रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

इस अनुदान में मूल प्राविधान 8,40,83 तथा पुनरीक्षित अनुमान 14,10,99 है। इस प्रकार (+) 5,70,16 की वृद्धि हुई। यह वृद्धि राजस्व लेखों में (+) 80,11 की तथा पूंजी लेखे में (+) 4,90,05 का वृद्धि के फलस्वरूप परिलक्षित हुई है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

(+8,80,03,000 रु0)

इस अनुदान के अन्तर्गत मूल प्राविधान 15,06,25,000 रु0 के समक्ष 23,86,28,000 रु0 के पुनरीक्षित प्राविधान किए गए हैं। इस प्रकार प्रश्नगत अनुदान के अन्तर्गत 8,80,03,000 रु0 की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि राजस्व लेखे में 46,55,000 रु0 की कमी तथा पूंजी लेखे के विभिन्न शीर्षकों में हुई वृद्धि 9,30,59,000 तथा कमी 4,01,000 रु0 को समायोजित करने के उपरान्त होने वाली वृद्धि 9,26,58,000 रु0 में राजस्व पक्ष में हुई कमी 46,55,000 रु0 का समायोजन करने के उपरान्त है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

(–) 3,06,46)–इस अनुदान में मूल प्राविधान 2,66,39,75 तथा पुनरीक्षित अनुमान 2,63,33,29 है। इस प्रकार (–) 3,06,46 की कमी हुई। यह कमी राजस्व तथा पूंजी लेखे में क्रमशः 17,89 तथा 2,88,57 की कमी के फलस्वरूप परिलक्षित हुई है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

राजस्व लेखा—

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें—

091—सम्बद्ध कार्यालय—

01—राज्य सम्पत्ति निदेशालय—

आयोजनेतर—(–50)—

वेतन समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप "अन्तरिम सहायता" की धनराशि वेतन की मद में समायोजित हो जाने के कारण "अन्तरिम सहायता" में 50, की कमी प्रत्याशित है।

सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

राजस्व लेखा—

2702—लघु सिंचाई (+2,00,00)—क्षतिग्रस्त नलकूपों की मोटर्स आदि के क्रय हेतु 2,00,00 की अतिरिक्त व्यवस्था के फलस्वरूप वृद्धि परिलक्षित है।

पूंजी लेखा—

4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय- (–1,75,00)–वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप आयोजनागत निदेशन एवं प्रशासन अंश हेतु अतिरिक्त व्यवस्था करने के फलस्वरूप 1,75,00 की कमी परिलक्षित है।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110
DOC. No. D-5464
Date 3-12-90

4701-वृहत् एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय (+18,76,57)-वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप आयोजनागत निदेशन एवं प्रशासन की अतिरिक्त व्यवस्था कराने हेतु एवं निर्माण कार्यों की अतिरिक्त व्यवस्था को समायोजित करने के उपरान्त 18,76,57 की वृद्धि परिलक्षित है ।

4702--लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय (+38,50,00)---वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप आयोजनागत निदेशन एवं प्रशासन की अतिरिक्त व्यवस्था कराने हेतु एवं निर्माण कार्यों की अतिरिक्त व्यवस्था को समायोजित करने के उपरान्त अतिरिक्त व्यवस्था के फलस्वरूप 38,50,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

4711--बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीपरिव्यय (+2,40,00)---वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप आयोजनागत निदेशन एवं प्रशासन की अतिरिक्त व्यवस्था कराने हेतु एवं निर्माण कार्यों की अतिरिक्त व्यवस्था समायोजित करने के उपरान्त अतिरिक्त व्यवस्था के फलस्वरूप 2,40,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

राजस्व लेखा (+50)-
आयोजनेतर (+50)-

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें (+50)---गाड़ियों की विशेष मरम्मत तथा संस्थागत वित्त परियोजनाओं के लिय संस्थागत वित्त जुटाने की दृष्टि से निदेशालय की कार्य प्रकृति यात्रा पर न होने से "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" में 50 की वृद्धि परिलक्षित है ।

पूंजी लेखा (+29,00)-
आयोजनागत (+29,00)-

5465--सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश (+29,00)-

भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश में घाटे पर चल रहे आठ क्षेत्रीय बैंकों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से निर्धारित पैटर्न पर अतिरिक्त अंशपूंजी विनियोजन के फलस्वरूप 29,00 की वृद्धि हुई है ।

संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (+9,54,42)--
राजस्व लेखा (+7,49,29)--
आयोजनेतर--(+7,49,29)--
001--निदेशन और प्रशासन--(+4,27,53)--
01--बिक्रीकर आयुक्त का अधिष्ठान (+3,55,73)--

मुख्यतः समता समिति की रिपोर्ट के कारण वेतनादि की बढ़ी हुई व्यवस्था तथा गत वर्षों के बचनबद्ध अवशेष के भुगतान हेतु शुद्ध 3,55,73 की वृद्धि अनुमानित है।

02--विक्रय कर अधिकरण का अधिष्ठान (+71,80)--

मुख्यतः समता समिति की रिपोर्ट को लागू किये जाने के निमित्त शुद्ध 71,80 का आधिक्य परिलक्षित है।

पूंजी लेखा (+20,48)--
4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (+17,98)--

गाजियाबाद जनपद में बिक्रीकर कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु 17,98 की व्यवस्था अनुपूरक मांग के माध्यम से की गई थी। तदनुसार इतनी ही धनराशि का आधिक्य प्रदर्शित है।

201--भूमि का अधिग्रहण (+2,50)--
60--अन्य इमारतें (+2,50)--

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से क्रय किए गए भवनों के अन्तर्मूल्य के भुगतान हेतु 2,50 की वृद्धि अनुमानित है।

आयोजनागत (+1,84,65)--
पूंज लेखा (+1,84,65)--
4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (+1,79,65)--

विभिन्न कार्यालय भवनों के निर्माण/क्रय हेतु 1,79,65 की व्यवस्था अनुपूरक मांग के माध्यम से की गई थी। तदनुसार इतनी ही वृद्धि प्रदर्शित है।

201--भूमि का अधिग्रहण (+2,50)--

उक्त वृद्धि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से क्रय किये गये भवनों के अन्तर्मूल्य के भुगतान हेतु परिलक्षित है।

संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बाजीकर)

राजस्व लेखा—(+29,84)—

आयोजनेतर (+29,84)—

101—संग्रह परिवार —मनोरंजन कर (+29,84)—

पुनरीक्षित वेतनमानों में अवशेष देयों के भुगतान एवं महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों की स्वीकृति के फलस्वरूप 29,84 का अधिक व्यय परिलक्षित है।

संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

राजस्व लेखा (+1,77,79)

आयोजनेतर (+1,77,79)

2030—स्टाम्प और पंजीकरण (+1,77,79)

01—स्टाम्प न्यायिक (+10,70)—"निदेशन और प्रशासन"—

पुनरीक्षित वेतनमानों में अवशेष देयों के भुगतान एवं महंगाई भत्ते की किश्तों की स्वीकृति के फलस्वरूप 10,70 का अधिक व्यय परिलक्षित है।

02—स्टाम्प गैर अदालती—निदेशन और प्रशासन (+39,85)—

पुनरीक्षित वेतनमानों में अवशेष देयों के भुगतान एवं महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों की स्वीकृति के फलस्वरूप 39,85 का अधिक व्यय परिलक्षित है।

03—पंजीकरण—001—निदेशन और प्रशासन (+1,27,24)

पुनरीक्षित वेतनमानों में अवशेष देयों के भुगतान एवं महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों की स्वीकृति के फलस्वरूप 1,27,24 का अधिक व्यय परिलक्षित है।

सचिवालय प्रशासन विभाग

राजस्व लेखा—(+11,00,98)

आयोजनेतर—(+11,00,98)

2013—मंत्रि परिषद—(+4,31,99)—

मंत्रि मंडल का आकार छोटा होने से 101—मंत्रियों और उप मंत्रियों का "वेतन" में 1,77 तथा 104—मनोरंजन और आतिथ्य व्यय की 1,74 कमी हुयी है। खड़ंजा, पुलिया नाली के निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था के लिये संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को धन उपलब्ध कराने, अशासकीय स्कूलों के भवन निर्माण/अनुरक्षण, जघन्य हत्याओं और दुर्घटनाओं के शिकार एवं उनसे पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 105—मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन कोष से अनुदान में 4,10,00 की वृद्धि हुयी है। वास्तविक न्याय की प्रगति के आधार पर, 108—यात्रा व्यय में 5,00 की 07—टेलीफोन के व्यय में 10,00 की, 09—पी0ओ0 एल मे 5,00 की एवं नई गाड़ियों के क्रय के फ़लस्वरूप "08—मोटर गाड़ियों के क्रय" में 5,50 की वृद्धि हुयी है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए 4,31,99 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें—(+5,17,44)—

नये वेतनमान में वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ते की अधिकांश धनराशि एवं अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण धनराशि वेतन में समायोजित हो जाने एवं वास्तविक व्यय के आधार पर "वेतन" में 6,34,55 की तथा "यात्रा व्यय" में 14,85 की वृद्धि तथा "महंगाई भत्ते" में 1,55,52 अन्य भत्ते में 30,10 की तथा "अन्तरिम सहायता" में 1,61,50 की कमी हुई है। मुख्य मंत्री कार्यालय तथा नियुक्ति विभाग में इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर एवं फ़ोटो कापियर मशीन की व्यवस्था, राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान एवं मूल्य वृद्धि के कारण हुए व्यायाधिक्य को वहन करने के लिए को गयी व्यवस्था के फ़लस्वरूप "कार्यालय व्यय" में 1,47,56 की वृद्धि हुई है। डेडीकेटेड हाटलाइन एवं मुख्य सचिव तथा स्थानिक आयुक्त के बीच फ़ैक्स की व्यवस्था एवं अवशेष बिलों के भुगतान के कारण 'टेलीफ़ोन पर व्यय" 40,00 की तीन सचिवों एवं शासन के पूल में 12 नई गाड़ियों के क्रय के फ़लस्वरूप गाड़ियों के क्रय में 24,00 की वृद्धि हुयी है। वास्तविक व्यय के आधार पर पी0 ओ0 एल0 की मद में, 3,60 की वृद्धि परिलक्षित है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर 5,17,44 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—(-3,45)—

नये वेतनमान में वेतन निर्धारण के फ़लस्वरूप वेतन में, 3,36 एवं अन्य भत्ते में 1,18 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ते में 3,16 और अन्तरिम सहायता में 4,53 की कमी हुयी है। मितव्ययता बरतने से "कार्यालय व्यय" में 50 की कमी एवं अवशेष बिलों के भुगतान में "टेलीफ़ोन" की मद में 20 की वृद्धि हुई है। न्यूनाधिकतायों को समायोजित करते हुए यहां पर 3,45 की शुद्ध कमी प्रदर्शित है।

2075—विविध सामान्य सेवायें—(+50)—

विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफ़ल के रूप में विशेष पारितोषिक के भुगतान में 50 की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई है।

2251—सचिवालय सामाजिक सेवायें—(+98,00)—

ऊपर लेखा शीर्षक--2052---में उल्लिखित कारणों से ही यहां पर भी "वेतन" में 1,40,00 की, अन्य भत्ते में 18,00 की वृद्धि एवं महगाई भत्ते में 20,00 एवं अन्तरिम सहायता में 40,00 की प्रदर्शित है। न्यूनाधिकताओं में समायोजित करते हुए 98,00 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें—(+56,50)—

लेखा शीर्षक 2052---में उल्लिखित कारणों के आधार पर यहां भी वेतन में 1,75,00 की वृद्धि एवं महंगाई भत्ते में 70,00 तथा अन्तरिम सहायता में 48,50 की कमी हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुये यहां पर 56,50 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

सतर्कता विभाग

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—(+10,88)—

104—सतर्कता

01—सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण (+1,48)—

इस उपशीर्षक के अन्तर्गत आयोग में बारह लाईनों की इन्टरकाम की स्थापना लेखा लिपिक के पद सृजन एवं बढ़े कार्यालयों में व्यय के कारण वेतन में 7, महंगाई भत्ता 2, यात्रा व्यय में 50, अन्य भत्ते में 2, कार्यालय व्यय में 20, टेलीफोन पर 54 तथा मोटर गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद में 13 की वृद्धि प्रदर्शित है।

02—सतर्कता निदेशालय (+9,40)—

इस उपशीर्षक के अन्तर्गत चार वाहनों के क्रय, चार वाहन चालकों के पद सृजन तथा निदेशालय के कार्यालय में कक्ष/कैन्टीन व लन्च रूम के निर्माण के कारण मोटर गाड़ियों के क्रम में 5,00 तथा लघु निर्माण कार्य में 4,40 की वृद्धि प्रदर्शित है।

सहायता एवं पुनर्वासिन विभाग

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—

0036—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (मतदेय) (+2,91)—

सहायता तथा पुनर्वासन विभाग की समस्त चल व अचल सम्पत्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई है। उक्त सम्पत्ति के निस्तारण हेतु विभिन्न जनपदों में सम्पत्ति कोष्ठक ईकाईयां गठित की गई हैं। इन ईकाईयों में स्वीकृत स्टाफ के वेतनमान के पुनरीक्षण तथा न्यायालय द्वारा की गई डिग्री के अनुसार एक वर्ष सुपरवाइजर के बकाया वेतन के भुगतान के फलस्वरूप विभिन्न मदों की न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर 2,91 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा—

आयोजनेतर—(– 4,54)

4235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय—

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि पर बसाने की योजनान्तर्गत वास्तविक व्यय के आधार पर 4,54 की कमी परिलक्षित है।

सांस्कृतिक कार्य विभाग

2205—कला और संस्कृति— (+2,46,35)

आयोजनेतर (+1,09,88)

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन, वास्तविक आवश्यकता एव परिगणना के आधार पर 1,09,88 का आधिक्य अनुमानित है।

आयोजनागत (+1,36,47)

परिव्यय सीमा में वृद्धि एवं कतिपय नई योजनाओं के सम्मिलित किये जाने तथा आवश्यक परिगणना के आधार पर 1,36,47 की वृद्धि प्रदर्शित है।

सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—(+26,00)

2053—जिला प्रशासन—

वास्तविक आवश्यकतानुसार 3,00 की वृद्धि है।

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें (+18,00)

जनगणना वर्ष 1991 के लिए व्यवस्था किए जाने के कारण 18,00 की वृद्धि है।

2235---सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+5,00)

उ0 प्र0 नागरिक परिषद् को अनुदान देने के लिए व्यवस्था किए जाने के कारण 5,00 की वृद्धि है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग

राजस्व लेखा---

3475---अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें---

800---अन्य व्यय---

01---सार्वजनिक उद्यम निदेशालय---

आयोजनेतर---(+27)---

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के कर्मचारियों को प्रबन्ध व्यवसाय से सम्बन्धित विख्यात संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शुल्क की व्यवस्था के फलस्वरूप "अन्य व्यय" में 27, की वृद्धि प्रदर्शित है।

सूचना विभाग

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर---

2220---सूचना और प्रचार---(+2,25,70)---

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, अन्य भत्ते आदि मदों में कुल 2,25,70 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत---

2220---सूचना और प्रचार (-9,24)---

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर 9,24 की कमी अनुमानित है।

सैनिक कल्याण विभाग

राजस्व लेखा---

आयोजनेतर (मतदेय) (+1,63)

2235---सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1,63)

सैनिक, नाविक एवं वैमानिक परिषद् के मुख्यालय तथा जिला कर्मचारिवर्ग में 1,63 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत (+75)

2075--विविध सामान्य सेवायें (+75)

इस शीर्षक के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को स्वत: रोजगार योजना का विस्तार किए जाने के कारण 75, की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा (-9,25)

4235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय (-9,25)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 9,25 की कमी प्रदर्शित है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)

राजस्व लेखा--

आयोजनागत---

2225---अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--(+1,40,66)

इस शीर्षक के अन्तर्गत एक नये जिले में जिला कार्यालय की स्थापना तथा अतिरिक्त हरिजन पाठशालाओं को अनुदान देने के निमित्त वेतन में 69, महंगाई भत्ते में 24, यात्रा व्यय में 5, अन्य भत्ते में 14, कार्यालय व्यय में 2,25, टेलीफ़ोन पर 46, भवन किराया पर 10 तथा सहायक अनुदान में 1,36,73 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा---

आयोजनागत---

4225---अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय--(+3,25,51)---

इस शीर्षक के अन्तर्गत निगमों को अंश पूंजी दिये जाने के कारण निवेश में 3,25,51 की वृद्धि प्रदर्शित है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)

राजस्व लेखा--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--

आयोजनागत (+5,05,33)--

इस शीर्षक में अनुपूरक मांग द्वारा विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त व्यवस्था के कारण वेतन में 14,47, महंगाई भत्ते में 4,13, यात्रा व्यय में 1,03, अन्य भत्ते में 4,44, कार्यालय व्यय में 3,37, टेलीफोन पर व्यय में 74,मोटर गाड़ियों का क्रय में 1,40, पेट्रोल का क्रय में 1,05, भवन किराया में 1,76, प्रकाशन में 5, सहायक अनुदान में 4,57,20, मशीनों में 9,43, अनुरक्षण में 6,15 तथा अन्य व्यय में 11 की वृद्धि अनुमानित है।

आयोजनेतर--(+2,90)--

इस शीर्षक में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर सहायक अनुदान में 2,88 तथा अन्य व्यय में 2 की वृद्धि अनुमानित है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

राजस्व लेखा--

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (+38,64)--

आयोजनागत (+41,88)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना के कारण जहां कार्यालय व्यय में 80, वृहत निर्माण में 41,36 तथा सामग्री व सम्पूर्ति में 4,52 की वृद्धि अनुमानित है वहां भारत सरकार से कम सहायता प्राप्त होने के कारण सहायक अनुदान में 5,00 की कमी भी परिलक्षित है।

आयोजनेतर (- 3,05)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत एक योजना समाप्त कर दिये जाने के कारण अन्य व्यय में 3,04 की कमी परिलक्षित है।

पूंजी लेखा--

आयोजनागत--

4225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय (+75)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत नवम् वित्त आयोग की आवास निर्माण योजना के लिये अनुपूरक मांग द्वारा व्यवस्था के कारण लघु निर्माण कार्य में 75 की वृद्धि परिलक्षित है।

आय--व्ययक अनुमान 1990--91

1990-91 के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों की न्यूनाधिकताओं पर स्पष्टीकरण और समीक्षा नीचे दी गई है:--

राजस्व प्राप्तियां--जैसा कि साधारणतया किया जाता है, राजस्व प्राप्तियों के वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक अनुमानों की तुलना 1989-90 के पुनरीक्षित अनुमानों से की गई है

	(हजार रुपयों में) न्यूनाधिकतायें	
	(+)	(--)
निगम कर से भिन्न आय पर कर	1,37,39,00	..
स्टाम्प और पंजीकरण	53,15,00	..
राज्य उत्पाद शुल्क	60,39,29	..
बिक्री-कर	2,68,43,00	..
वाहनों पर कर	5,90,00	..
माल और यात्रियों पर कर	9,12,00	..
बिजली पर कर और शुल्क	3,03,19	..
वस्तुओं और सेवाओं पर कर और शुल्क	3,57,10	..
ब्याज प्राप्तियां	..	1,10,39
लाभांश और लाभ	..	3,44,66
लोक सेवा आयोग	5,20	..
पुलिस	6,03,25	..
जेलें	10,50	..
लेखन-सामग्री और मुद्रण	..	2,53,90
लोक निर्माण	16,50	.
अन्य प्रशासनिक सेवायें	5,93,13	..
पेंशनों और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	9,70	..
विविध सामान्य सेवायें	12,78,68	..
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,47,77	..
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	..	27,27
परिवार कल्याण	2,00	..
नगर विकास	..	4,43
सूचना और प्रचार	3	..
श्रम और रोजगार	99,12	..
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	..	46,80
कृषि कार्य	97,90	..
पशुपालन	5,30	..
मीन उद्योग	4,00	..
वानिकी और वन्य जीवन	3,12,86	..
सहकारिता	57,79	..
अन्य कृषि कार्यक्रम	10,00	..
वृहद् और मध्यम सिंचाई	4,00,00	
लघु सिंचाई	50,00	..
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	15	..
नागर विमानन	1,50	..
सड़क और पुल	9,40	..
पर्यटन	1,00,00	..
नागरिक पूर्ति	..	4,88,16
अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	..	5,35
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	11,28,43,34	..
संघ उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	..	13,56,00

0021--निगम कर से भिन्न आय पर कर (+1,37,39,00)--

प्राप्त संकेतों के आधार पर बजट अनुमानों में निगम कर से भिन्न आय पर कर में 1,37,39,00 को वृद्धि की सम्भावना है।

0030—स्टाम्प और पंजीकरण (+53,15,00)

01—स्टाम्प अदालती (+12,00,00)

प्राप्ति की वास्तविक परिगणना के आधार पर "101–स्टाम्पों के रूप में वसूल अदालती फीस तथा" "102-स्टाम्पों की बिक्री" के अन्तर्गत क्रमशः 11,50,00 तथा 50,00 को वृद्धि परिलक्षित है।

02—स्टाम्प गैर अदालती (+37,65,00)

102—स्टाम्पों की बिक्री (+37,10,00)

"01-हुंडियों के सम्बन्ध में विनिमय पत्र" के अन्तर्गत 12,00,00 की वृद्धि अनुमानित है। प्राप्ति के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर "0201- 10 पैसा से 25 पैसे तक के राजस्व स्टाम्पों की बिक्री" के अन्तर्गत 9,00,00 की तथा "0202–मुखांकित चिप्पियां या चिपकाए जाने वाले विशेष स्टाम्प" एवं "0204–अन्य सामान्य स्टाम्प" के अन्तर्गत क्रमशः 10,00 तथा 16,00,00 की वृद्धि अनुमानित है।

800—अन्य प्राप्तियां (+55,00)

"01–जुर्माने और शास्तियां पेनाल्टीज" तथा 02-प्रकीर्ण प्राप्तियों के अन्तर्गत प्रदर्शित क्रमशः 5,00 तथा 50,00 की वृद्धि वास्तविक प्राप्ति के आंकड़ों पर आधारित है।

0039–राज्य उत्पाद शुल्क (+60,39,29) खपत में वृद्धि एवं आय के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर "देशी स्प्रिट" (+50,04,99) "देशी किण्वित शराब" (+5,00) "माल्ट शराब" (माल्ट लीकर्स), (+87,50)), "विदेशी शराब और स्प्रिट" (+8,50,00), "वाणिज्यिक और विकृतिकृत स्प्रिट और औषधिकृत शराब" (+22,00), "एलकोहल, अफीम आदि से युक्त औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां" (+54,40), "अफीम, भांग और अन्य औषधियां (+15,20) तथा "जुर्माने और जब्तियां" (+20) इस प्रकार कुल 60,39,29 की वृद्धि अनुमानित है।

0040—बिक्रीकर (+2,68,43,00)

101--केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां (+9,40,00)

"101 केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों" में प्रदर्शित 9,40,00 की वृद्धि विगत वर्षों में प्राप्ति के वास्तविक आंकड़ों पर परिलक्षित है।

102--राज्य बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां (+2,39,28,00)

"01–कर संग्रहण" के अन्तर्गत 2,43,00,00 की वृद्धि वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है। इसके विपरीत "04–अन्य प्राप्तियां में 3,72,00 की कमी परिलक्षित है।

103--मोटर स्प्रिट और लुब्रीकेंटों की बिक्री पर कर (+13,50,00)

अधिक पेट्रोल की बिक्री की प्रत्याशा में 13,50,00 की वृद्धि अनुमानित है।

106—गन्ने की खरीद पर कर (+6,25,00)

01—चीनी मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ने पर कर (+6,25,00)

उक्त शीर्ष में "0101–उपकर तथा कर" के अन्तर्गत 6,25,00 की वृद्धि प्राप्ति के वास्तविक अनुमानों पर आधारित है।

0041—वाहनों पर कर (+5,90,00)

वाहनों में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 101-भारतीय मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों 80,00 की तथा 102-राज्य मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों में 5,10,00 की अधिक प्राप्तियां सम्भावित हैं। इस प्रकार शुद्ध 5,90,00 की आधिक्य प्राप्तियां अनुमानित हैं।

0042--माल और यात्रियों पर (+9,12,00)

माल और यात्रियों में वृद्धि तथा वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 101–कर संग्रह में 7,72,00 की, 102–पथकर में 45,00 को तथा 890–अन्य प्राप्तियों में 95,90 को अधिक प्राप्तियां प्रदर्शित हैं। इस प्रकार कुल शुद्ध 9,12,00 की अधिक प्राप्तियां होने का अनुमान है।

0043—बिजली पर कर और शुल्क (+3,03,19)—

गत वर्ष के 47,19,56 की तुलना में प्राय-व्ययक अनुमान 50,22,75 है जिससे 3,02,44 की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

प्राप्तियों की गति को देखते हुए "बिजली की खपत और बिक्री पर कर" की मद में 7,50,00 की वृद्धि, "सिनेमाओं के बिजली की निरीक्षण के लिये फीस" में 25 की वृद्धि तथा "अन्य प्राप्तियों" के अन्तर्गत 50 को वृद्धि अनुमानित है।

0045—वस्तुओं और सेवाओं पर कर और शुल्क (+3,57,10)

101—मनोरंजन कर (+3,57,00)

विगत वर्षों में प्राप्ति के वास्तविक आंकड़ों की गतिविधि के आधार पर "01–कर संग्रहण" तथा "0202–अन्य विविध प्राप्तियां के अन्तर्गत क्रमश: 2,50,00 तथा 1,07,00 की वृद्धि अनुमानित है।

102—बाज़ी कर (+10)

सघन कर उगाही के कारण "01–कर की उगाही" में 10 की न्यून वृद्धि परिलक्षित है।

0049—ब्याज प्राप्तियां (−1,10,39)

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज के अन्तर्गत सिंचाई से संबंधित प्राप्तियों के संबंध में मूल अनुमान की तुलना में 16,89,78 तथा स्थानीय निकायों से ब्याज के अन्तर्गत 3,00 की वृद्धि अनुमानित है। इसके विपरीत कृषकों से ब्याज के अन्तर्गत 1,60,09 करोड़ बाकी के निवेश पर वसूल ब्याज में 9,00,00 एवं सहकारी समितियों से ब्याज के अन्तर्गत 6,80,39 एवं अन्य प्राप्तियों से 62,69 की कमी अनुमानित है। उक्त न्यूनाधिताओं को समायोजित करने के उपरान्त ब्याज प्राप्तियों में कुल 1,10,39 की कमी अनुमानित है।

0050—लाभांश और लाभ—(−3,44,66)

101—सरकारी उपक्रमों से लाभांश के अन्तर्गत 04–उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में विनियोजित राज्य अंशपूंजी पर लाभांश—

परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 3,55,56 की कमी अनुमानित है।

200–अन्य निवेश के लाभांश—

01—उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों पर ब्याज में 7,88 की वृद्धि अनुमानित है।

02—सहकारी उपक्रमों में सरकार के अंशकों पर प्राप्त लाभांश में 3,02 की वृद्धि अनुमानित है।

0051—लोक सेवा आयोग—(+5,20)

102—राज्य लोक सेवा आयोग (+5,20)

आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप "01--परीक्षा फीस" में 5,00 की वृद्धि परिलक्षित है। वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर, "02-अन्य प्राप्तियों" में 20 की, कमी हुई है। परीक्षा फीस की वापसी के मामलों की संख्या में कमी को देखते हुए 1,90 "घटाइये वापसियां" में 40 की बचत प्रत्याशित है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए फीस पर कुल 5,20 की वृद्धि सम्भावित है।

0055—पुलिस—(+6,03,25)

101—अन्य सरकारों को दी गई पुलिस—

इस मद के अन्तर्गत रेलवे पुलिस के भारत सरकार के अंशदान में 25,00, महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त पुलिस दल हेतु भारत सरकार के अंशदान में 1,00 भारत सरकार द्वारा रखा गया पुलिस दल में 8,34, भारत तिब्बत पुलिस के भारत सरकार के अंशदान में 1,83,91 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित हैं।

103—फीस, जुर्माने और जब्तियां—

इस मद के अन्तर्गत प्रक्रम वाहन अनुज्ञप्ति में 1,00, शस्त्र परिरक्षा फीस में 1,00 तथा अन्य फीस व जुर्माने में 50 की अधिक आय अनुमानित है।

104—आयुध अधिनियम के अन्तर्गत 2,00 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित हैं।

800—अन्य प्राप्तियां—

इस मद के अन्तर्गत अधिभुगतानों की वसूलियां में 24,00, भूमि और मकान की बिक्री से 1,00, पुलिस लाइनों की उपज की बिक्री से 3,50, इमारतों का किराया से 50, अवकाश वेतन अंशदान से 1,40, प्रकीर्ण प्राप्तियों में 3,50,00 की अधिक आय अनुमानित है।

0056—जेलें (+10,50)--

इस शीर्षक के अधीन जेलों में निर्मित वस्तुओं की बिक्री से आय में अधिक बिक्री के कारण 10,00 की तथा अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में अधिक वसूली के कारण 50 की अधिक आय अनुमानित है।

0058—लेखन सामग्री और मुद्रण—(−2,53,90)—

101–लेखन सामग्री सम्बन्धी प्राप्ति में 50,00 की अधिक प्राप्तियां संभावित हैं।

102–राजपत्र आदि की बिक्री के अन्तर्गत भारतीय विधि प्रतिवेदन में 8 की वृद्धि अधिनियम तथा अन्य पुस्तकों में 2,25 की वृद्धि गजट सिविल लिस्ट और दूसरे सामयिक प्रकाशन में 50 की कमी तथा सेवा पुस्तिकाओं की बिक्री से आया में 20 की वृद्धि है।

800–अन्य प्राप्तियां के अन्तर्गत रद्दी कागज और दूसरे बेकार कागज की बिक्री से आय में 60 की वृद्धि तथा प्रकीर्ण प्राप्तियां में 3,06,53 की कमी अनुमानित है।

0059—लोक निर्माण (+16,50)

01—कार्यालय की इमारतें—

गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान 7,22,02 की अपेक्षा चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में 7,38,52 की व्यवस्था है। इस प्रकार 16,50 की वृद्धि हुई है। जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:--

किराये में (+2,10) की बढ़ोत्तरी, प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में (+2,90) की वृद्धि तथा अन्य प्राप्तियों में (+11,50) की वृद्धि हुई है।

0070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—(+5,93,13)—

01—न्याय प्रशासन (+4,00)—

इस उपशीर्षक में अन्य प्राप्तियों की मद में अन्य न्यायालय से 4,00 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित हैं।

02—निर्वाचन—(+15,94)--

01—निर्वाचन कार्य विवरणों की बिक्री—(+5,50)--

इस मद में आय-व्ययक वर्ष में निर्वाचन न होने के कारण फार्मों की बिक्री से जहां 2,50 की कम आय अनुमानित है वहां स्थानीय निकाय के हो चुके निर्वाचनों के व्यय की स्थानीय निकायों से वसूली के कारण 8,00 की अधिक आय अनुमानित हैं।

104—फीस, जुर्माने और जब्तियां—(+2,60)--

इस मद में आय-व्ययक वर्ष में निर्वाचन न होने के कारण 2,60 की कम आय अनुमानित है।

800—अन्य प्राप्तियां—(+13,04)--

इस मद में जहां लोक सभा, विधान सभा के निर्वाचन पृथक-पृथक न होने के कारण भारत सरकार से वसूली में 42,47 की कम प्राप्तियां अनुमानित हैं वहां लोक सभा के हो चुके निर्वाचनों में भारत सरकार के अंशदान के कारण 55,51 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित है।

60—अन्य सेवायें-- (+5,73,19)—

इस उप शीर्षक के अन्तर्गत जहां बीसा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति में 2,23, फायर बिग्रेड द्वारा की गई सेवाओं के सम्बन्ध में वसूलियों में 1,00 और अन्य प्राप्तियों के अधीन 41,58 की कम प्राप्तियां अनुमानित हैं वहां सरकारी लेखा परीक्षा की फीस से 15,00 तथा 1991 की जनगणना के सम्बन्ध में भारत सरकार से वसूलियों में 6,03,00 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित है।

0071—पेशनों और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूलियां—(+9,70)

01—सिविल (+9,70)—

पेन्शन और सेवा निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूलियों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, जैसा कि महालेखाकार उत्तर प्रदेश ने इंगित किया है, "101-अभिदान और अंशदान" में 6,95 तथा "800-अन्य प्राप्तियों" में 4,00 अर्थात् कुल 9,70 की वृद्धि सम्भावित है।

0075—विविध सामान्य सेवायें—(+12,78,68)

103—राज्य लाटरियां—(+ 12,78,68)

इस शीर्षक के अन्तर्गत आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी के टिकटों की बिक्री से होने वाली कुल आय 1,39,60,58 जो विगत वर्ष की कुल प्रत्याशित आय 1,26,82,10 से 12,78,68 अधिक है। इस वृद्धि का कारण लाटरी टिकटों की बिक्री में अनुमानित वृद्धि है।

0202—शिक्षा, खेल कला और संस्कृति—(+2,47,77)

01—सामान्य शिक्षा (+3,12,22)—

सामान्यत: छात्र संख्या में वृद्धि तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या में अनुमानित वृद्धि के कारण प्राथमिक शिक्षा में 9,86 माध्यमिक शिक्षा में 2,72,57 तथा विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा में 29,69 की अधिक आय अनुमानित है। अन्य कारणों से सामान्य में 10 की वृद्धि का अनुमान है।

02—तकनीकी शिक्षा (- 65,24)

ट्यूशन और अन्य शुल्क में कमी का कारण पालीटेकनिकों में चालू पाठ्यक्रमों में छात्र संख्या में कमी होना है। कुल 65,24 की कम आय अनुमानित है।

03—खेल और युवा सेवायें—

101—शारीरिक शिक्षा-खेलकूद और युवा सेवायें—

खेलकूद क्रिया कलापों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण आय में भी 50 की वृद्धि अनुमानित है।

09—कला और संस्कृति (+29) अभिलेखागार और संग्रहालय में वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 50 की वृद्धि तथा अन्य प्राप्तियों में 21 की कमी प्रमाणित हैं।

0210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (– 27,27)

01—शहरी स्वास्थ्य सेवायें (– 22,52)

820—अस्पताल और औषधालय सेवाओं के लिये मरीजों से प्राप्तियां (–30,00)

रोगियों की संख्या में कमी के फलस्वरूप "01-अस्पताल और औषधालय सेवा के लिए रोगियों से प्राप्तियां में 10,00 की कमी अनुमानित है। इसके अतिरिक्त "02-रोगियों की निबंधन फीस-एलोपैथी" के अन्तर्गत निबंधन शुल्क में कमी के फलस्वरूप 20,00 की एक और कमी प्रदर्शित है।

101—कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियां (+7,38)

प्राप्तियों के वास्तविक आंकड़ों की गतिविधि के आधार पर "01- राज्य बीमा निगम से व्यय की पूर्ति हेतु प्राप्तियां" तथा 0[illegible] कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय व्यय की प्रतिपूर्ति" के अन्तर्गत क्रमशः 17,93 तथा 15 की अधिक आय अनुमानित है। इसके विपरीत वास्तविक प्राप्तियां के आधार पर "02-परिवार कल्याण परियोजना के व्यय की पूर्ति हेतु राज्य बीमा निगम और इन्टरनेशल लेबर अर्गनाइजेशन से अग्रिम" के अन्तर्गत 10,70 की कमी प्रदर्शित है।

800—अन्य प्राप्तियां (+10)

विगत वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर उक्त शीर्षक के अन्तर्गत 10 की वृद्धि अनुमानित है।

03—चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसन्धान (– 1,00)

105—एलोपैथी (– 1,00)

रोगियों से वसूल की जाने वाली फीस में कमी के फलस्वरूप "01-चिकित्सा शिक्षा के लिए शिक्षा फीस और अन्य फीस के अन्तर्गत 1,00 की कमी अनुमानित है।

04—लोक स्वास्थ्य (– 3,75)

102—सीरा/टीके की बिक्री (+25)

प्राप्तियों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर "02-सहकारी रोग [illegible] द्वारा औषधियों इत्यादि की बिक्री के आय" के अन्तर्गत 25 की अधिक आय प्रत्याशित है।

104—फीस और जुर्माने आदि (– 4,00)

विगत वर्षों में प्राप्ति के वास्तविक आंकड़ों की गतिविधि के आधार पर "02-औषधि अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति शुल्क" के अन्तर्गत 4,00 की कम आय अनुमानित है।

0211—परिवार कल्याण (+2,00)

800—अन्य प्राप्तियां (+2,00)

उक्त शोर्षक में प्रदर्शित 2,00 की वृद्धि प्राप्ति के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है।

0217—नगर विकास (–4,43)—

02—छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों के संगठित विकास योजना हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय के संबंध में नगरपालिकाओं से वसूली जाने वाली धनराशि में 4,45 की कमी सम्भावित है।

03—अन्य विविध प्राप्तियों में 2 की वृद्धि सम्भावित है।

0220—सूचना और प्रचार—(+3)

01—फिल्में (+3)

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर सूचना निदेशालय की सामुदायिक श्रवण योजनाओं से होने वाली आय के अन्तर्गत 3 की [अधिक] प्राप्तियां होने की सम्भावना है।

0230—श्रम और रोजगार (+99,12)

वास्तविक प्राप्तियों एवं आंकड़ों के आधार पर 99,12 की वृद्धि सम्भावित है।

0235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—(-) 46,80

60—अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

800—अन्य प्राप्तियां--

03--उ0 प्र0 [illegible] तकनीकि तथा वैमानिक परिषदों के सम्बन्ध में प्राप्तियां में 46,80 की कमी परिलक्षित है।

0401—कृषि कार्य (+ 97,90)

104--कृषि कर्मों से प्राप्तियों के अधीन 10,00 की कमी प्रत्याशित है ।

108--वाणिज्यिक फसलों से प्राप्तियों के अन्तर्गत 7,05 की अधिक आय प्रत्याशित है ।

121--कृषि शिक्षा से प्राप्तियां--राजकीय कृषि विद्यालयों के शुल्क से 50 की अधिक आय प्रत्याशित है ।

800--अन्य प्राप्तियां इस लेखे के अधीन 1,00,35 की अधिक आय प्रत्याशित है ।

0403—पशुपालन (+5,30)—

गत वर्ष 1989-90 के पुनरीक्षित अनुमान 4,15,78 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990-91 के लिए 4,21,08 के अनुमान रखे जाने के कारण 5,30 की वृद्धि प्रत्याशित है ।

0405—मीन उद्योग (+4,00)—

गत वर्ष 1989-90 के पुनरीक्षित अनुमान 61,99 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990-91 के लिए 65,99 के अनुमान निर्धारित किए जाने के कारण 4,00 की वृद्धि प्रत्याशित है ।

0406—वानिकी और वन्य जीवन--(+3,12,86)

01—वानिकी—(+3,12,86)--

गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों की अपेक्षा इस वर्ष 3,12,86 की अधिक व्यवस्था की गयी है । उक्त वृद्धि इमारती लकड़ी (+75,36) सामाजिक और फारम वन खण्डों (+50,00) तथा अन्य प्राप्तियां (+1,93,50) में अनुमानित है ।

0425—सहकारिता (+57,79)--

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 57,79 की वृद्धि है ।

0435—अन्य कृषि कार्यक्रम—(+ 10,00)

भूमि संरक्षण विभाग की योजनाओं से 10,00 की अधिक आय प्रत्याशित है ।

0701-वृहत् एवं मध्यम सिंचाई (+4,00,00)-सृजित सिंचन क्षमता का अधिकाधिक उपयोग एवं अवशेष शुल्क की वसूली में तीव्रता की प्रत्याशा में 4,00,00 की वृद्धि प्रस्तावित है ।

0702-लघु सिंचाई (+50,00) नलकूपों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप एवं सम्पूर्ण राजकीय लघु सिंचाई द्वारा सृजित सिंचन क्षमता के अधिकाधिक उपयोग की प्रत्याशा में 50,00 की वृद्धि प्रत्याशित है ।

0851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग—(+15)

103—हथकरघा उद्योग—

01—विभिन्न हैन्डीक्राफ्ट उत्पादन केन्द्रों की प्राप्तियां—के अधीन 15 की वृद्धि प्रत्याशित है ।

1053—नागर विमानन (+1,50)

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 1,50 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित हैं ।

1054—सड़क और पुल (+9,40)

102—पथकर (सड़क)

गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान 7,71,10 के स्थान पर चालू वित्तीय वर्ष में 7,80,50 की व्यवस्था है । इस प्रकार 9,40 की वृद्धि हुई । जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है ।

स्थायी पुलों पर पथकर में (+5,00) की तथा अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत (+4,40) की वृद्धि अपेक्षित है ।

1452—पर्यटन (+1,00,00)

800-अन्य प्राप्तियां-01-होटल टैक्स से प्राप्तियां- के अधीन 1,00,00 की वृद्धि प्रत्याशित है ।

1456—नागरिक पूर्ति (-4,88,16)

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 0101-खाद्यान्न विक्रेताओं से अनुज्ञप्ति शुल्क में 4,94,75 की कम प्राप्तियां तथा 0102-चावल मिल अनुज्ञाप्ति आदेश प्रवर्तन के कारण प्राप्तियों की प्रतिपूर्ति में 19 की तथा 0103-अन्य विविधि प्राप्तियों में 6,40 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित हैं । इस प्रकार शुद्ध 4,88,16 की कम प्राप्तियां सम्भावित हैं ।

1475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें—(-) 5,35

201—भूमि की अधिकतम सीमा (कृषि भूमि से भिन्न)

01—शहरी भूमि सीमारोपण (– 3,00)—

इस मद में 3,00 की कमी प्रत्याशित है ।

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर तौल माप पर स्टाम्प लगाने की फीस में 2,85 की कमी है तथा अन्य कारबारी उपक्रमों का विनियमन में 50 की अधिक प्राप्तियां होने का अनुमान है। इन न्यूनाधिक्यों को समायोजित करने पर कुल 2,85 की कम प्राप्तियां होने का अनुमान है।

1601--केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान (+11,28,43,34)--

01--आयोजना भिन्न अनुदान (+1,44,25,31) रेलगाड़ी कर के बदले में अनुदान में +8,73,55 तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान में +1,66,05,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

02--राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान (+4,76,13,10) एक मुश्त अनुदान के अन्तर्गत 2,05,43,10 तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान में 2,70,69,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

03--केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान (-18,95,05) मुख्यतः खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत 4,92,06, सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय परियोजना-बायोगैस में 2,91,55, प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत 1,79,63 तथा प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत 1,23,91 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके विपरीत कमान क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 3,73,80, स्वास्थ्य सेवायें के अन्तर्गत 4,33,97 तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 8,29,93 की कमी परिलक्षित है। मुख्यतः इन्हीं न्यूनाधिकताओं के कारण केन्द्रीय आयोजनागत अनुदान के अन्तर्गत 18,95,05 की कमी अनुमानित है।

04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान (+5,26,99,98)--मुख्यतः नगर विकास ग्रामीण जलपूर्ति के अन्तर्गत 2,68,00 भूमि संरक्षण के अन्तर्गत 7,93,48 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 4,08,74,66, पंचायती राज के अन्तर्गत 13,19,52 तथा सहकारिता के अन्तर्गत 1,75,00,00 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत 19,57,77 तथा लघु उद्योग के अन्तर्गत 1,20,25 की कमी परिलक्षित है। मुख्यतः इन्हीं न्यूनाधिकताओं के फलस्वरूप केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत 5,26,99,98 की वृद्धि प्रत्याशित है।

1603--संघ उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा (-13,56,00)

प्राप्त सूचना के आधार पर संघ उत्पाद शुल्कों में राज्य सरकार के अंश में 13,56,00 की कम प्राप्तियां अनुमानित है।

अनुदान संख्या—1

आबकारी विभाग

गत वित्तीय वर्ष 1989-90 के 5,50,60 आयोजनेतर की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 म 8,64,53 का प्राविधान किया गया है जिसमें आयोजनेतर पक्ष में 6,93,53 तथा आयोजनागत पक्ष में 1,71,00 की व्यवस्था है, जो गत वर्ष से 3,13,93 अधिक है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जाता है।

राजस्व लेखा—(+1,42,93)—

(आयोजनेतर)--

2039—राज्य उत्पादन शुल्क (+1,42,68)--

001—निदेशन और प्रशासन-- (+48,21) पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने के कारण वेतन (+35,70) तथा अन्य भत्ते (+2,50) की वृद्धि हुई है इसी प्रकार आवश्यकताओं के आधार पर कार्यालय व्यय (+40) टेलीफोन पर व्यय (+27,) गाड़ियों का क्रय (+15,50), मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण पर (+4,25) किराया उपशुल्क (+25), गुप्त सेवा व्यय नामक नई मद में (+3,75) की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है और मशीनें साज-सज्जा (+59) की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत महंगाई भत्ते के अन्तर्गत आवश्यकता के आधार पर तथा अन्तरिम सहायता के लिये प्राविधान शून्य किये जाने के कारण क्रमशः -8,31 तथा -11,50 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए 48,21 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

02—जिला कार्यकारी अधिष्ठान— (+85), "कार्यालय व्यय" (+35), लघु निर्माण कार्य (+2,00), अनुरक्षण (+10) अन्य व्यय में (-1,60) की कमी है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए कुल 85 की वृद्धि परिलक्षित है।

03--**भट्टियां** (+93,62) पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने के कारण वेतन में (+1,68,00), यात्रा व्यय में (+85), अन्य भत्ते में (+13,50), कार्यालय व्यय (+40) मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल (+50) अन्य व्यय (+10) इसके विपरीत आवश्यकता के आधार पर महंगाई भत्ते (-35,48) तथा अन्तरिम सहायता के लिये प्राविधान सम्मिलित न किये जाने के कारण इस मद में (-54,25) की कमी हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए 93,62 की वृद्धि परिलक्षित है।

2040—बिक्री कर— (+24)--

101—संग्रह प्रभार—

01—मोटर स्प्रिट की बिक्री पर कर (+24) संशोधित वेतनमान लागू किये जाने के कारण वेतन में (+58) अन्य भत्ते (+1) की वृद्धि दूसरी ओर आवश्यकता के आधार पर महंगाई भत्ते (-16) अन्तरिम सहायता (-19) के अन्तर्गत कुल 35 की कमी आवश्यकता के आधार पर हुई है। इन न्यूनाधिकताओं की समायोजित करते हुए 24 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

2235—**सामाजिक सुरक्षा और कल्याण** (+1) प्रतीक प्राविधान सम्मिलित किये जाने के कारण 1 की **वृद्धि परिलक्षित** है।

पूंजी लेखा—

(आयोजनागत)—

4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय - (+1,71,00) आबकारी विभाग के निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने के लिये व्यवस्था सम्मिलित किये जाने के कारण 1,71,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिये धन की व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है।

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर
राजस्व लेखा--		
01 वेतन	..	3,98,86
03 महंगाई भत्ता	..	1,35,60
04 यात्रा व्यय	..	13,75
05 अन्य भत्ते	..	69,68
06 कार्यालय व्यय	..	26,60
07 टेलीफोन पर व्यय	..	3,42
08 मोटर गाड़ियों का क्रय	..	18,00
09 मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	12,25
10 व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	..	1,00
11 किराया और कर स्वामित्व	..	2,75
12 प्रकाशन	..	50
17 गुप्त सेवा व्यय	..	3,75
19 लघु निर्माण कार्य	..	3,00

(हजार रुपयों में)

मानक मद					आयोजनागत	आयोजनेतर
20 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	..	..		..	40
23 अनुरक्षण	..	..	..	..	..	1,10
32 अन्तरिम सहायता	..	..	..	..	..	..
33 अन्य व्यय	..	..	..	मतदेय	..	2,77
				भारित	..	*10*
		योग, राजस्व लेखा		..	..	6,93,53
पूंजी लेखा--						
18 वृहत् निर्माण कार्य	..	..	..	..	1,71,00	..

अनुदान संख्या--2

आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय व्ययक वर्ष के लिये कुल मांग 1,15,94,46 (98,75,46 मतदेय तथा *17,19,00* भारित) की है जब कि गत वर्ष की मांग 86,49,98 (72,79,90 मतदेय तथा *13,70,00* भारित) की थी। इस प्रकार कुल 29,44,48 की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लखा (मतदेय) आयोजनेतर--(+68,96)--

2020--भू-राजस्व (+2,17)

के अन्तर्गत निदेशन और प्रशासन में वेतन अन्य भत्ते आदि मदों में समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने तथा आवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप 3,17 की वृद्धि परिलक्षित है।

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें (– 5,54)--

के अन्तर्गत विहित अधिकारियों के अधिष्ठान में वेतन अन्य भत्ते आदि मदों में समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने तथा आवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप 5,54 की वृद्धि परिलक्षित है।

2217--शहरी विकास (+36,94)--

सम्भागीय नियोजन योजना के आयोजनागत पक्ष के व्यय को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने तथा समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने के कारण 36,94 की वृद्धि परिलक्षित है।

3475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें--(+23,31)--

के अन्तर्गत समता समिति को संस्तुतियों को लागू किये जाने के कारण वेतन, आदि में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप 23,31 की वृद्धि परिलक्षित है।

राजस्व लेखा (भारित) आयोजनेतर--

2049--ब्याज संदाय (+1,60,00)--

भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम भारतीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को ब्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,60,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

राजस्व लेखा (मतदेय) आयोजनागत (+2,97,47)--

2217--शहरी विकास (+2,97,47)--

सम्भागीय नियोजन योजना के व्यय के आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने तथा समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने तथा कतिपय योजनाओं में आंशिक वृद्धि अथवा कमी किये जाने के फलस्वरूप 2,97,47 की वृद्धि परिलक्षित है।

पूंजी लेखा (भारित) आयोजनेतर (+*1,89,00*)--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (+1,89,00)--

मूलधन के प्रतिदान हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,89,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

पूंजी लेखा--

आयोजनागत (+22,29,13)--

4217--शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय (–10,00)--

उ0 प्र0 सहकारी आवास संघ लि0 के अंशकों में पूंजी विनियोजन में 10,00 की कमी प्रदर्शित है।

6216--आवास के लिये उधार (+1,50,00)--

201--आवास बोर्डों को उधार (+27,00)--

इस मद में निर्धारित परिव्यय तथा आवश्यकता के आधार पर कतिपय योजनान्तर्गत अधिक प्राविधान कराये जाने के कारण 27,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

800—अन्य उधार (+ 1,23,00)--

इस मद में निर्धारित परिव्यय तथा आवश्यकता के आधार पर कतिपय योजनाओं के अन्तर्गत अधिक प्राविधान कराये जाने के कारण 1,23,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

6217—नगर विकास के लिये उधार (+ 20,89,13)—

02—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (+ 4,60,00)--

इस मद में सामान्य तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मेट्रोपोलिटिन शहरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में संगठित नगर विकास के लिए (केन्द्रीय आयोजनागत योजना) चालू वर्ष के मूलानुमान की तुलना में भारत सरकार से अपेक्षाकृत अधिक ऋण सहायता प्राप्त होने की संभावना के कारण 4,60,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

03—छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का एकीकृत विकास (+ 60,00)—

इस मद में उक्त "02" में उल्लिखित कार्यों से भिन्न सामान्य तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत छोटे तथा मध्यम नगरों के एकीकृत नगर विकास हेतु ऋण सहायता प्राप्त होने की सम्भावना के कारण 60,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

80—अन्य शहरी विकास योजनायें—

191—स्थानीय निकायों निगमों आदि को उधार (+15,69,13)—

इस मद में कानपुर नगर विकास की सामान्य तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत उ0 प्र0 नगर विकास एवं जल सम्पूर्ति योजना हेतु चालू वर्ष के मूलानुमान की तुलना में विश्व बैंक से अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना को देखते हुए 15,69,13 की वृद्धि है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिए की गयी व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

मानक मद			आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	.. .. ..	28,29	2,18,04	2,46,33
02	मजदूरी	.. .. ..	16	1,07	1,23
03	महंगाई भत्ता	.. .. ..	9,61	73,70	83,31
04	यात्रा व्यय	.. .. ..	1,61	8,70	10,31
05	अन्य भत्ते	.. .. ..	2,69	27,71	30,40
06	कार्यालय व्यय	.. .. ..	1,64	10,68	12,32
07	टेलीफोन पर व्यय	.. .. ..	39	1,62	2,01
08	मोटर गाड़ियों का क्रय	.. ..	1,44	..	1,44
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	90	4,22	5,12
10	किराया, उपशुल्क और कर स्वमिस्व	.. ..	1,75	4,87	6,62
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	20,65,00	6,46	20,71,46
20	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	.. ..	10	57	67
23	अनुरक्षण	.. ..	..	1	1
26	ब्याज/लाभांश (भारित)	.. ..	..	*10,90,00*	*10,90,00*
29	अन्तर्लेखा संक्रमण	.. .. ..	..	1	1
33	अन्य व्यय	.. .. ..	7	14,15	14,22
	योग, राजस्व लेखा (मतदेय)	..	21,13,65	3,71,81	24,85,46
	योग, राजस्व लेखा (भारित)	..	..	*10,90,00*	*10,90,00*
	पूंजी लेखा (मतदेय)	..	73,90,00	..	73,90,00
	पूंजी लेखा (भारित)	..	..	*6,29,00*	*6,29,00*
	कुल योग .. (मतदेय)	..	95,03,65	3,71,81	98,[illegible]
	कुल योग .. (भारित)	..	..	*17,19,00*	*17,19,00*

अनुदान संख्या—3

आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के 2,18,27,15 (मतदेय) की तुलना में वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,83,67,42 की व्यवस्था की गई है। गत वर्ष की अपेक्षा 65,40,27 की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

आयोजनेत्तर—

राजस्व लेखा–(+46,87,98)—

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वेतन तथा अन्य भत्ते की मदों में (+12,04 व +64 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ते व अन्तरिम सहायता की मद में ((-6,22 व 4,03) की कमी प्रदर्शित है। यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय टेलीफोन पर व्यय, लघु निर्माण कार्य की मदों में क्रमशः +2 +76 +5 +4,62 की वृद्धि मूल्यों में वृद्धि के कारण से है। अन्य व्यय की मद में 12,00,00 की व्यवस्था जल संस्थानों के विद्युत बिलों का भुगतान राज्य विद्युत परिषद् को किये जाने हेतु की गई है। 9 की वृद्धि मेले आदि के लिये वृद्धि की गयी है। सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की कतिपय मदों में 58,75,62 की वृद्धि तथा कतिपय मदों में 23,95,71 की कमी प्रदर्शित है अर्थात् मद में कुल 34,79,91 की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:--

(हजार रुपयों में)

(1) माघ मेला, इलाहाबाद में विद्युत व्यवस्था हेतु राज्य विद्युत परिषद् को अनुदान	+10.00	..
(2) अयोध्या के राम नवमी मेला में पेयजल व्यवस्था के लिये ..	+50	..
(3) श्रावण झूला यात्रियों के लिये पेयजल व्यवस्था हेतु	+20	..
(4) जल सम्पूर्ति सीवरेज ड्रेनेज आदि के रख-रखाव ..	..	12,00,00
(5) भारतीय जीवन बीमा निगम के बकाया ऋण के प्रतिदान ..	..	1,03,00
(6) परिक्रमा एवं कार्तिक पूर्णिमा मेला में पेयजल हेतु	+12	..
(7) जल संस्थानों के बकाया विद्युत देयों के समायोजन हेतु राज्य विद्युत परिषद् को अनुदान	+47,00,00	..
(8) ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप्ड पेयजल योजना के रख-रखाव के लिये अनुदान ..	+4,00,00	..
गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का रख-रखाव--		
(9) गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत सेन्टेज चार्जेज	+50,00	..
(10) पंपिंग सेटों के रख-रखाव हेतु अनुदान	+1,34,80	..
(11) स्थानीय निकायों को मार्ग प्रकाश आदि के लिये अनुदान	+50,00	..
(12) स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मूर्ति हेतु ..	10,00	..
(13) स्थानीय निकायों को सड़कों के निर्माण हेतु	..	5,42,71
(14) स्थानीय निकायों को वेतन महंगाई भत्ता के लिये अंशदान	+5,00,00	..
(15) विकास प्राधिकरणों की स्थापना अनुदान हेतु	+10,00	..
(16) स्थानीय निकायों के मेला प्रदर्शनियों के लिये	5,00	..
(17) रिक्शा तांगा हाथ ठेला चालकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की बीमा योजना ..	5,00	..
(18) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत, और ..	..	2,50,00
(19) ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क-2 हैन्ड पम्पों के लिये रख-रखाव ..	..	3,00,00
योग ..	58,75,62	23,95,71

आयोजनागत—

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के राजस्व पक्ष में 1,26,79,39 की व्यवस्था की गई है, जबकि गत वर्ष 1989-90 में 1,08,87,50 की व्यवस्था थी। कतिपय मदों में 23,27,89 का आधिक्य तथा कतिपय मदों में 5,36,00 की कमी प्रदर्शित है जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:--

	अधिक	कमी
(1) बीस हजार से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों की जलपूर्ति ..	1,00,00	..
(2) बीस हजार तक की जनसंख्या वाले नगरों को जल सम्पूर्ति ..	..	3,00,0[illegible]
(3) गोकुल बैराज परियोजना	..	50,0[illegible]
(4) यमुना नदी बैराज	4,08,00	..
(5) कानपुर में गंगा नदी बैराज	5,00,00	

		अधिक	कमी
(6)	त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना	2,68,00	..
(7)	डच क्रेडिट ग्रामीण योजना	4,00,00	..
(8)	ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजना	3,88,00	..
(9)	डच सब क्रेडिट प्रोजक्ट--5	1,00,00	..
(10)	गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत सेन्टज चार्जेज	..	1,10,00
(11)	जाजमऊ (कानपुर) में स्थित विभिन्न टेनरियों के लिये संयुक्त उत्प्रवाह उपचार संयंत्र हेतु अनुदान	1,22,00	..
(12)	शुष्क शौचालयों का पानी वाले शौचालयों में परिवर्तन्न	10,50	..
(13)	सुलभ शौचालयों के निर्माण के लिये	..	21,00
(14)	कृषि कर्मोपयोगी जलोत्सारण योजना	..	50,00
(15)	नगर महापालिकाओं को फुटपाथ निवासियों के लिये रैन बसेरों का निर्माण ..	39,38	..
(16)	नेहरू रोजगार योजना का कार्यान्वयन	1	..
(17)	रिक्शा, तांगा, हाथ ठेला चालकों के लिये बीमा योजना	..	5,00
	योग ..	23,27,89	5,36,00

पूंजीगत व्यय (+60,50)--

6215--जलपूर्ति और सफाई के लिये उधार की मद में आवश्यकतानुसार 60,50 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ते, आकस्मिक व्यय, सहायक अनुदान तथा ऋण के लिये की गई व्यवस्था इस प्रकार है:--

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--			
01--वेतन	..	25,16	25,16
03--महंगाई भत्ता	..	7,65	7,65
04--यात्रा व्यय	..	93	93
05--अन्य भत्ते	..	2,65	2,65
06--कार्यालय व्यय	..	15,11	15,11
07--टेलीफोन पर व्यय	..	57	57
09--मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद ..	..	32	32
11--किराया उपशुल्क और कर	..	1,00	1,00
18--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,26,79,38	1,39,84,21	2,66,63,59
19--लघु निर्माण कार्य	..	48,83	48,83
33--अन्य व्यय	1	12,01,70	12,01,71
योग { मतदेय ..	1,26,79,39	1,52,88,03	2,79,67,42
योग { भारित ..	..	..	..
पूंजी लेखा--			
6215--जल पूर्ति और सफाई के लिये उधार ..	4,00,00	..	4,00,00
24--निवेश/ऋण			
योग, मतदेय ..	1,30,79,39	1,52,88,03	2,83,67,42

अनुदान संख्या--4

उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिए कुल मांग 4,44,17 (राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 2,89,47 मतदेय एवं 10 भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 4,60 राजस्व मतदेय तथा पूंजी लेखा में 1,50,00 मतदेय) की है जब कि गत वर्ष की कुल मांग 6,11,31 (राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 1,43,93 मतदेय एवं 10 भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 57,28 राजस्व मतदेय और पूंजी लेखा में 4,10,00) की थी। इस प्रकार कुल 1,67,14 की कमी अनुमानित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

2853--अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग--मतदेय (+1,45,54)--

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में खनन प्रशासन की योजना के अन्तर्गत समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने तथा आयोजनागत पक्ष के व्यय को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप 14,51 की वृद्धि परिलक्षित है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में खनिज एवं नियोजन कोष्ठक की स्थापना के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की राशि को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के कारण 1,48 की वृद्धि प्रत्याशित है।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों की योजना के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के व्यय को आयोजनेतर पक्ष में हस्तानान्तरित किये जाने तथा समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने के कारण 1,29,55 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत--

2853--अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग (- 52,68)--

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में खनन प्रशासन की योजना में 9,00 की कमी, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में खनिज एवं नियोजन कोष्ठक की स्थापना में 1,42 की कमी तथा प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों की योजना में 42,26 की कमी परिलक्षित है। इन कमियों का कारण आयोजनागत पक्ष के व्यय को आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित किया जाना है।

पूंजी लेखा--आयोजनागत--

4853--अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योगों पर पूंजी परिव्यय (-2,60,00)--

उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 के अंशक ऋण किये जाने में 2,60,00 की कमी अनुमानित है।

इस प्रकार अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय आदि के लिए की गयी व्यवस्था निम्नवत है :--

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--				
01	वेतन	..	1,36,39	1,36,39
02	मजदूरी	..	17,25	17,25
03	महंगाई भत्ता	..	46,42	46,42
04	यात्रा व्यय	..	10,26	10,26
05	अन्य भत्ते	..	20,50	20,50
06	कार्यालय व्यय	..	2,90	2,90
07	टेलीफोन पर व्यय	..	97	97
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	9,35	9,35
11	किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	..	1,50	1,50
19	लघु निर्माण कार्य	..	15	15
20	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	4,60	24,00	28,60
23	अनुरक्षण	..	50	50
32	अन्तरिम सहायता	..	2	2
33	अन्य व्यय (मतदेय)	..	19,26	19,26
	(भारित)	..	*10*	*10*
योग, राजस्व	मतदेय	4,60	2,89,47	2,94,07
	भारित	..	*10*	*10*
पूंजी लेखा--				
	उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 के अंशकों का क्रय	1,50,00	..	1,50,00
	24--निवेश ऋण			
योग, पूंजी		1,50,00	..	1,50,00
कुल योग	मतदेय	1,54,60	2,89,47	4,44,07
	भारित	..	*10*	*10*

अनुदान संख्या—5

उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय व्ययक वर्ष के लिये कुल मांग 37,86,47 (राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 10,37,03 मतदेय एवं 25 भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 16,82,20 मतदेय और पूंजी लेखा के आयोजनागत पक्ष में 10,66,99) है, जबकि गत वर्ष की कुल मांग 39,06,60 (राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 7,24,56 मतदेय एवं 25 भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 21,72,56 मतदेय और पूंजी लेखा के आयोजनागत पक्ष में 10,09,23 मतदेय) की थी। इस प्रकार कुल 1,20,13 की कमी प्रत्याशित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:—

राजस्व लेखा "मतदेय" (– 1,77,89)—

आयोजनेतर "मतदेय" (+3,12,47)—

"2058—लेखन सामग्री और मुद्रण—

" "2058 –लेखन सामग्री और मुद्रण"" (+5,00) के अधीन सामग्री और सम्पूर्ति की मद में 5,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

"2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण"—

" " 2235 –सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण" " (+2,20) के अधीन अन्य व्यय में "आयोजनागत पक्ष से आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित होने के कारण 2,20 की वृद्धि प्रदर्शित है।

"2425—सहकारिता" (+45)

" " 2425 –सहकारिता" " (+45) के अधीन वेतन तथा अन्य भत्ते की मदों में वृद्धि और महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता की मदों में कमी के कारण कुल 45 की वृद्धि प्रत्याशित है।

"2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग—

" " 2851 —ग्रामोद्योग और लघु उद्योग" " (+1,85,67) के अधीन मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र की आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के वचनबद्ध व्ययों को आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित करने एवं वेतन तथा भत्ते की मदों में वृद्धि होने और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की मदों में व्यय में कमी होने के परिणामस्वरूप कुल 1,85,67 की वृद्धि प्रदर्शित है।

"2852—उद्योग"—

" " 2852 –उद्योग" " (+1,19,15) के अधीन मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र की आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के वचनबद्ध व्ययों को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित करने एवं वेतन तथा अन्य भत्ते की मदों में वृद्धि होने और महंगाई भत्ता तथा अन्तरि सहायता की मदों में व्यय में कमी होने के कारण कुल 1,19,15 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत "मतदेय" (– 4,90,36)—

"2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण"—

" "2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण" " (+6,00) के अधीन खादी के सम्बन्धित कत्तिनों एवं बुनकरों के लिए कल्याण कारी कार्यक्रम हेतु अनुदान की मद में 6,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

" "2851 –ग्रामोद्योग और लघु उद्योग"

" ' 2851"-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग' (–4,40,02) के अधीन अधिकांश वचनबद्ध प्रकृति की योजनाएं आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित होने, वेतन तथा अन्य भत्ते की मदों में वृद्धि, महंगाई भत्ता तथा अंतरिम सहायता की मदों में व्यय में कमी और सहायक अनुदान की मद में विशेष रूप से केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना समाप्त होने के कारण कुल 4,40,02 की कमी प्रदर्शित है।

"2852 –उद्योग" (–56,34)—

" 2852—उद्योग" (–56,34) के अधीन अधिकांश वचनबद्ध प्रकृति की योजनाएं आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित होने के कारण 56,34 की कमी है।

पूंजी लेखा "मतदेय" (+57,76)—

आयोजनागत (+57,76)—

"4851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय"—

"4851- ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय" (+25,48) के अधीन मिनी औद्योगिक आस्थानों तथा बड़े औद्योगिक आस्थानों के निमित्त अन्य व्यय की मद में 25,48 की वृद्धि प्रदर्शित है।

"4885 –उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय"

" 4885—उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय" (+10,00) के अधीन अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के अंशकों में पूंजी निवेश में 10,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

"6851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार"

"6851 — ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिए उधार" (+22,28) के अधीन कुल 22,28 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस प्रकार अनुदान के अन्तर्गत वेतन महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा सहायक अनुदान आदि के लिये की गई व्यवस्था निम्नवत है--

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--				
01--वेतन		5,10,28	5,48,76	10,59,04
02--महंगाई भत्ता		1,68,04	1,84,94	3,52,98
04--यात्रा व्यय		9,06	15,56	24,62
05--अन्य भत्ते		40,85	80,38	1,21,23
06--कार्यालय व्यय		9,80	24,87	34,67
07--टेलीफोन पर व्यय		2,01	2,78	4,79
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..		7,35	1,52	8,87
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व		1,00	3,01	4,01
13--विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय		33,49	..	33,49
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..		7,48,36	90,82	8,39,18
15--छात्र वृत्तियां/छात्र वेतन		1,16	3,08	4,24
20--मशीनें और सज्जा,/उपकरण और सयंत्र ..		5	50	55
23--अनुरक्षण		..	1,08	1,08
25--सामग्री और सम्पूर्ति		25	55,50	55,75
29--अन्तर्लेखा संक्रमण		1,50,00	..	1,50,00
30--बट्टा खाता/हानियां		..	10	10
33--अन्य व्यय	"मतदेय"	50	24,13	24,63
	"भारित"	..	*25*	*25*
योग, राजस्व लेखा ..	"मतदेय" ..	16,82,20	10,37,03	27,19,23
	"भारित" ..	..	*25*	*25*
पूंजी लेखा--				
"4851-ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय" .. 24--निवेश/ऋण		3,35,00	..	3,35,00
""4885-उद्योगों और खानिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय" .. 24--निवेश/ऋण		35,00	..	35,00
6851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार-" .. 24--निवेश/ऋण		6,96,99	..	6,96,99
योग, पूंजी लेखा "मतदेय" ..		10,66,99	..	10,66,99
कुल योग ..	"मतदेय" ..	27,49,19	10,37,03	37,86,22
	"भारित" ..	..	*25*	*25*

अनुदान संख्या--6

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिए कुल मांग 45,98,71 (राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 35,85,16 मतदेय एवं *8,07* भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 7,92,07 मतदेय और पूंजी लेखा के आयोजनेतर पक्ष में *10,16* भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 2,03,25 मतदेय) की है जब कि गत वर्ष की कुल मांग 44,20,04 (राजस्व लेखे के आयोजनेतर पक्ष में 33,62,99 मतदेय एवं *6,65* भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 7,90,71 मतदेय और पूंजी लेखा के आयोजनेतर पक्ष में *6,60* भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 2,53,09 मतदेय) की थी। इस प्रकार कुल 1,76,67 की वृद्धि प्रदर्शित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :--

जस्व लेखा--

योजनेतर "मतदेय" (+2,23,53)--

"भारित" (+1,42)--

"2049--ब्याज संदाय (भारित)" (+1,42) के अधीन अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता आधार पर 1,42 की वृद्धि है।

"2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग" (+2,21,23) के अधीन मैदानी क्षेत्र और और पर्वतीय क्षेत्र की योजनाओं के नबद्ध व्ययों को आयोजनागत पक्ष से आयोजनेतर पक्ष में स्थान अन्तरित किए जाने, वेतन तथा अन्य भत्ते की मदों में वृद्धि होने हथकरघा त्र में नियंत्रित धोतियों एवं साड़ियों के उत्पादन पर उप दान के अन्तर्गत वृद्धि होने, महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता की मदों में य में कमी होने और शेष मदों में सामान्य वृद्धि होने, के फलस्वरूप कुल 2,21,23 की वृद्धि प्रदर्शित है।

"2852--उद्योग" (+94)--

"2852--उद्योग" (+94) के अधीन वेतन तथा अन्य भत्ते की मदों में क्रमश: 2,50 तथा 12 और महंगाई भत्ता तथा न्तरिम सहायता की मदों में क्रमश: 93, तथा 75, की कमी होने के फलस्वरूप कुल 94, की वृद्धि प्रदर्शित है।

ायोजनागत "मतदेय" (+1,36)--

"2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" (+5,00) के अधीन हथकरघा बुनकरों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, हथ-रघा बुनकरों तथा रंगाई करने वाले छीपियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

"2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग" (-3,64) के अधीन आयोजनगत पक्ष की योजनाओं के वचनबद्ध व्ययों आयोजनेतर क्ष में हस्तानान्तरित हो जाने से 3,64 की कमी प्रदर्शित है।

ी लेखा--

योजनेतर "भारित" (+3,56)--

"6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित)" (+3,56) के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मूलधन प्रतिदान की आवश्यकता के आधार पर 3,56 की वृद्धि प्रत्याशित है।

योजनागत "मतदेय" (-49,84)--

"4851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगो पर पूंजी परिव्यय (-1,43,53) के अधीन हथकरघा निगम, यूपिका तथा क्षेत्रीय हकारी समितियों के अंशकों में निवेश न किए जाने के फलस्वरूप 1,43,53 की कमी प्रदर्शित है।

'6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिए उधार' (+93,69) के अधीन सहकारिता क्षेत्र के बाहर के बुनकरों के करघों के आधुनिकीकरण हेतु ऋण, उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम को कच्चे माल की बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु ऋण, उ0 प्र0 ज्य हथकरघा निगम द्वारा जनपद फतेहपुर में हथकरघा क्षेत्र में आधुनिक डिजाइन केन्द्र की स्थापना हेतु ऋण, तथा हथकरघा नकर सहकारी समितियों द्वारा बिक्री केन्द्र की स्थापना हेतु ऋण में क्रमश: 66,13,99, 79,80 तथा 8,00 की वृद्धि और हथकरघा नकर सहकारी समितियों की अंशपूंजी ऋण तथा हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के करघों के आधुनिकीकरण हेतु ऋण में क्रमश: 1,84 तथा 6,92 की कमी है। इस प्रकार कुल 93,69 की वृद्धि प्रत्याशित है।

इस प्रकार अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, तथा सहायक अनुदान आदि के लिए की गई व्यवस्था म्नवत् है :--

(हजार रुपयों में)

ानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--			
1--वेतन	..	2,30,31	2,30,31
2--मजदूरी	..	5,42	5,42
03--महंगाई भत्ता	..	78,31	78,31
04--यात्रा व्यय	..	6,26	6,26
05--अन्य भत्ते	..	19,74	19,74
06--कार्यालय व्यय	..	5,82	5,82
07--टेलीफोन पर व्यय	..	8	8
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	80	80
0--किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	..	2,26	2,26
4--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	7,92,07	32,00,76	39,92,83
5--छात्रवृत्तियां / छात्र वेतन	..	3,00	3,00
9--लघु निर्माण-कार्य	..	3	3
0--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	97	97
2--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	40	40
3--अनुरक्षण	..	94	94
5--सामग्री और सम्पूर्ति	..	3,97	3,97

मानक	मद			आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
26--ब्याज / लाभांश (भारित)		..	..	..	*8,96*	*8,96*
33--अन्य व्यय		"मतदेय"	..	..	26,09	26,09
		"भारित"	..	..	*1*	*1*
	योग, राजस्व	"मतदेय"	..	7,92,07	35,85,16	43,77,23
		"भारित"	..	..	*8,07*	*8,07*
पूंजी लेखा—						
4851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय			..	9,47	..	9,47
24--निवेश/ऋण						
6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण "भारित"			..	..	*10,16*	*10,16*
24--निवेश/ऋण						
6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार			..	1,93,78	..	1,93,78
24--निवेश/ऋण						
	योग, पूंजी लेखा	"मतदेय"	..	2,03,25	..	2,03,25
		"भारित"	..	..	*10,16*	*10,16*
	कुल योग	"मतदेय"	..	9,95,32	35,85,16	45,80,48
		"भारित"	..	..	*18,23*	*18,23*

अनुदान संख्या—77

उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग)

व्यय—

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष 35,4516 (32,57,11 मतदेय तथा *2,88,05* भारित) के प्राविधान के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिए 66,21,37 (63,80,18 मतदेय तथा *2,41,19* भारित) की मांग की गई है। इस प्रकार व्यय में 30,76,21 की वृद्धि अनुमानित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर (मतदेय) (+ 6,90)
(भारित) (+*25,05*)

049—ब्याज संदाय (भारित) (+*25,05*)

01--अन्तरिक ऋणों पर ब्याज--

200--अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज--

01--राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज--

के अन्तर्गत निगम के ब्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 25,05 की कमी अनुमानित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1)

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

104--जमा से संबद्ध बीमा योजना--सरकारी भविष्य निधि--

01--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)--

33--अन्य व्यय में 1 की वृद्धि है।

2852—उद्योग (+6,89)—

80--सामान्य--001--निदेशन और प्रशासन--01--भारी उद्योग अनुभाग का पुनर्गठन के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के व्यय को आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित किए जाने के कारण 6,89 की वृद्धि अनुमानित है।

आयोजनागत (—1,11)

2852--उद्योग--80--सामान्य--001--निदेशन और प्रशासन--01--भारी उद्योग अनुभाग का पुनर्गठन के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के व्यय को आयोजनतर पक्ष में हस्तान्तरित किए जाने के कारण 6,,29 की कमी है।

2885--उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय (+5 18)

के अन्तर्गत गत वर्ष 2,54,82 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष हेतु 2,60,00 की मांग की गई है, जो निर्धारित आयोजनागत परिव्यय के अनुरूप है। इस प्रकार यहां 5,18 की वृद्धि परिलक्षित है।

पूंजी लेखा---

आयोजनेतर---

मतदेय (+33,00.00)--

भारित (-21,81)--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित)--108--भारतीय लघु उद्योग विकास निगम से उधार--01--उधार का प्रतिदान के अन्तर्गत निगम को मूलधन के प्रतिदान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर *21,81* की कमी परिलक्षित है।

6854--सीमेन्ट और धातु भिन्न खनिजों के लिए उधार के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 को ऋण उपलब्ध कराने हेतु 5,00,00 की वृद्धि है।

6858--इन्जीनियरिंग उद्योगों के लिए उधार के अन्तर्गत आटो ट्रैक्टर्स लि0, प्रतापगढ़ को ऋण उपलब्ध कराने हेतु 3,00,00 की वृद्धि है।

6885--प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन को विकास केन्द्र के प्रस्थापना योजना के अन्तर्गत 25,00,00 ऋण उपलब्ध कराने हेतु इतनी ही राशि की वृद्धि है।

आयोजनागत (-1,82,72)--

गत वर्ष 29,95,00 मतदेय तथा *5,00* भारित के प्राविधान की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिए 28,12,88 मतदेय तथा *5,00* भारित की मांग की गई है। इस प्रकार यहां 1,82,72 मतदेय की कमी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते आदि तथा पूंजी व्यय के लिए की गई व्यवस्था निम्नवत है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--				
01--वेतन		..	1,35	4,35
03--महंगाई भत्ता		..	1,48	1,48
04--यात्रा व्यय		..	15	15
05--अन्य भत्ते		..	80	80
06--कार्यालय व्यय		..	11	11
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता		2,60,00	..	2,60,00
26--ब्याज लाभांश	(भारित)	..	*1,04,50*	*1,04,50*
33--अन्य व्यय		1,00	1	1,01
योग	मतदेय	2,61,00	6,90	2,67,90
	भारित	..	*1,04,50*	*1,04,50*
पूंजी लेखा--				
4858--इन्जीनियरिंग उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	(मतदेय)	5,00	..	5,00
	(भारित)	*5,00*	..	*5,00*
4859--दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय		5,00,00	..	5,00,00
4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय		3,67,28	..	3,67,28
4885--उद्योगों और खनिजों पर पूंजी परिव्यय		1430,00	..	14,30,00
6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित)		..	*1,31,69*	*1,31,69*
6854--सीमेन्ट और धातु भिन्न खनिजों के लिए उधार		..	5,00,00	5,00,00
6858--इन्जीनियरिंग उद्योगों के लिए उधार		..	3,00,00	3,00,00
6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए उधार		5,10,00	25,00,00	30,10,00
योग, पूंजी	(मतदेय)	28,12,28	33,00,00	61,12,28
	(भारित)	*5,00*	*1,31,69*	*1,36,69*
कुल योग	(मतदेय)	30,73,28	33,06,90	63,80,18
	(भारित)	*5,00*	*2,36,19*	*2,41,19*

अनुदान संख्या—8

उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

व्यय—

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के 18,49,06 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग 21,44,97 की है। इस प्रकार 2,95,91 की वृद्धि हुई है; जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :

राजस्व लेखा—

2058—लेखन सामग्री और मुद्रण—

आयोजनेतर (+2,79,44)

001—निदेशन और प्रशासन (+6,74)

के अन्तर्गत समता समिति की संस्तुतियों तथा आयोजनागत पक्ष के व्यय को आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के कारण 6,74 की वृद्धि अनुमानित है।

101—लेखन सामग्री, भण्डारों की खरीद और पूर्ति (+29,88)

के अन्तर्गत समता समिति की संस्तुतियों तथा आयोजनागत पक्ष के व्यय को आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के कारण 29,88 की वृद्धि अनुमानित है।

102—फार्मों का मुद्रण, भण्डारण और वितरण (—3,11)

के अधीन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 3,11 की कमी प्रत्याशित है।

103—सरकारी मुद्रणालय (+2,42,26)

के अन्तर्गत समता समिति की संस्तुतियों तथा आयोजनागत पक्ष के व्ययों को आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के कारण 2,42,26 की वृद्धि प्रत्याशित है।

105—सरकारी प्रकाशन—(+3,67)

के अन्तर्गत समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने के कारण 3,67 की वृद्धि अनुमानित है।

आयोजनागत (—1,13,73)

के अधीन आयोजनागत पक्ष के व्यय को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के कारण 1,13,73 की कमी है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+25)

आयोजनेतर—

के अन्तर्गत जमा से सम्बद्ध बीमा योजना सरकारी भविष्य निधि में 25 की वृद्धि है।

पूंजी लेखा—

4058—लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय—

आयोजनेतर (-5)

राजकीय मुद्रणालयों में मशीनों आदि को आयोजनागत पक्ष से व्यय किये जाने के कारण 5 की कमी है।

आयोजनागत (+1,30,00)—

के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गत वर्ष 20,00 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग 1,50,00 की है। इस प्रकार 1,30,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, आदि मदों में तथा पूंजीगत परिव्यय के लिए की गयी कुल व्यवस्था इस प्रकार है:—

मानक मद	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
राजस्व लेखा—			
2058—लेखन सामग्री और मुद्रण			
01 वेतन	6,84,80	..	6,84,80
02 मजदूरी	85	..	85
03 महंगाई भत्ता	2,32,85	..	2,32,85
04 यात्रा व्यय	1,95	..	1,95
05 अन्य भत्ते	1,46,85	..	1,46,85
06 कार्यालय व्यय	82,27	..	82,27
07 टेलीफोन पर व्यय	44	..	44
09 मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	75	..	75
15 छात्र वृत्तियां और छात्र वेतन	5,90	..	5,90
19 लघु निर्माण कार्य	2,15	..	2,15
20 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	..	..
25 सामग्री और सम्पूर्ति	8,00,00	..	8,00,00

क्रम0 सं0	मद			आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
28	अवमूल्यन (शीर्षक 8228) ..	..	..	22,86	..	22,86
33	अन्य व्यय ..	..	..	11,80	..	11,80
		योग 2058	..	19,93,47	..	19,93,47
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—						
33	अन्य व्यय ..	..	..	1,50	..	1,50
		योग "2235"	..	1,50	..	1,50
पूंजी लेखा—						
4058—लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय—						
103—सरकारी मुद्रणालय—						
01—सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों और संयंत्रों का क्रय—						
	33—अन्य व्यय ..	..	..	..	1,50,00	1,50,00
		योग "4058"	..	..	1,50,00	1,50,00
		कुल योग	..	19,94,97	1,50,00	21,44,97

अनुदान संख्या—9

उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिए कुल मांग 1,91,15 (राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 2,50 तथा आयोजनागत पक्ष में 55,65 और पूंजी लेखा के आयोजनागत पक्ष में 1,33,00 है जबकि गत वर्ष की कुल मांग 1,59,99 राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 2,21 तथा आयोजनागत पक्ष में 45,78 और पूंजी लेखा के आयोजनागत पक्ष में 1,12,00) की थी। इस प्रकार कुल 31,16 की वृद्धि हो रही है जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर "मतदेय" (+29)

"3453—विदेश व्यापार और निर्यात सम्वर्धन (+29) के अधीन वेतन की मद में 73 की वृद्धि, महंगाई भत्ता की मद में 36 की कमी यात्रा व्यय की मद में 1 की वृद्धि, अन्य भत्ते की मद में 16 की वृद्धि अन्तरिम सहायता की मद में 25 की मी है। इस प्रकार कुल 29 की वृद्धि है।

आयोजनागत "मतदेय" (+9,87)

3453—विदेश व्यापार और निर्यात सम्वर्धन (+9,87) के अधीन सहायक अनुदान की मद में 9,87 की वृद्धि प्रत्याशित है

पूंजी लेखा (+21,00)

आयोजनागत "मतदेय" (+21,00)

"4885—उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय" (+10,00) के अधीन उ0 प्र0 वर्तन निगम, मुरादाबाद के अंशकों के निवेश में 10,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

"5465—सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश"–(+13,00) के अधीन उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के अंशकों के निवेश में 13,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

"6885—अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार" (–22,00) के अधीन भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु ऋण में 22,00 की कमी प्रदर्शित है।

2—इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में वेतन आदि के लिये कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है:—

(हजार रुपयों में)

मानक मद					आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा—							
01—वेतन	..	..	..	..	..	1,53	1,53
03—महंगाई भत्ता	..	..	..	..	..	52	52
04—यात्रा व्यय	..	..	..	..	..	4	4
05—अन्य भत्ते	..	..	..	..	..	30	30
06—कार्यालय व्यय	..	..	..	..	..	11	11
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता			..	..	55,65	..	55,65
पूंजी लेखा—							
2—निवेश/ऋण	..	..	..	..	1,33,00	..	1,33,00
				योग ..	1,88,65	2,50	1,91,15

अनुदान संख्या—10

ऊर्जा विभाग

आयोजनेतर—

राजस्व लेखा—

2045--वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (+22,88)—वेतन में 52,00 अन्य भत्ते में 4,00 कार्यालय व्यय में 40 तथा मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद में 50, की वृद्धि, वास्तविक मांग के आधार पर अनुमानित है। इसके विपरीत महंगाई भत्ते में 15,32 टेलीफोन पर व्यय में 15 मोटर गाड़ियों का क्रय में 2,05, किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व में 50 तथा अन्तरिम सहायता में 16,00 की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर परिलक्षित है। इस प्रकार कुल 22,88 की वृद्धि अनुमानित है।

2801--विद्युत- 06-ग्रामीण विद्युतीकरण- 800-अन्य व्यय (- 1,11)—ग्रामीण विद्युतीकरण की समीक्षा हेतु गठित समन्वय समिति का कार्यकाल दिनांक 31- 3- 90 को समाप्त हो गया है जिस कारण समिति के लिये स्वीकृत कर्मचारियों के वेतन, भत्तों आदि पर चालू वित्तीय वर्ष में कोई व्यय नहीं किया जायेगा। अतएव व्यय में कुल 1,11 की कमी अनुमानित है।

आयोजनागत—

पूंजी लेखा—

4801--विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय (+4,35,89)--उत्तर प्रदेश, राज्य विद्युत उत्पादन निगम, लखनऊ को अतिरिक्त अंशपूंजी के रूप में दिये जाने के कारण 4,35,89 की वृद्धि अनुमानित है।

6801--विद्युत परियोजनाओं के लिये ऋण (+4,24,89,00)-- प्रदेश को विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, लघु जल विद्युत निगम तथा विद्युत उत्पादन निगम को चालू वित्तीय वर्ष के लिये ऋण पक्ष में 4,24,89,00 की वृद्धि अनुमानित है।

2--इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में वेतन आदि के लिये कुल व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है:--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	धनराशि
राजस्व लेखा--		
	2045—	
01	वेतन	1,02,00
02	मजदूरी	20
03	महंगाई भत्ता	34,68
04	यात्रा व्यय	4,00
05	अन्य भत्ते	15,00
06	कार्यालय व्यय	4,40
07	टेलीफोन पर व्यय	90
08	मोटर गाड़ियों का क्रय	2,75
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00
11	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	6,00
20	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,20
33	अन्य व्यय	1
	योग ..	1,74,14
	2235 33—अन्य व्यय	[illegible]
	2801 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राजस्व सहायता	[illegible]

इस प्रकार इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 हेतु निम्न प्राविधान किया गया है।

	योग राजस्व लेखा ..	1,74,46
पूंजी लेखा	4801 24—निवेश / ऋण	24,65,39
	6801 24—निवेश / ऋण	7,34,39,50
	कुल योग ..	7,60,79,05

अनुदान संख्या—11

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

गत वर्ष 1989-90 के अनुमान 23,68,34 (मतदेय 23,60,48 तथा भारित 7,86) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के अनुमान 23,22,94 (मतदेय 23,14,38 तथा भारित 8,56) रखे जाने के कारण 45,40 (मतदेय-46,10 तथा भारित +70) की कमी परिलक्षित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है।

आयोजनेतर—

राजस्व लेखा-(मतदेय +4,12,78 तथा भारित+70)

2401—कृषि कार्य-(मतदेय+3,43,92 तथा भारित +70)—

सप्तम पंचवर्षीय योजनावधि की ऐसी आयोजनागत योजनाओं के, जो कि वर्ष 1989-90 के अन्त तक पूर्ण हो चुकी तथा जिन्हें चालू रखना उपयोगी समझा गया। आयोजनेतर पक्ष में सामान्यीकरण तथा समता समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वर्ष 1989-90 के अनुरूप 10,50,91 के समक्ष 3,43,92 की वृद्धि प्रदर्शित है।

भारित पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 70 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2406—वानिकी और वन्य जीवन (+39,46)—

आयोजनागत पक्ष को सामान्यीकृत योजनाओं के व्यय का सम्मिलित करने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गत वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक अनुमान 1,63,01 के समक्ष 39,46 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा (+34,08)—

पर्वतीय क्षेत्र की आयोजनागत पक्ष की योजना के सामान्यीकरण तथा समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गत वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक अनुमान 1,17,77 के समक्ष 34,08 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2435—अन्य कृषि कार्यक्रम (+4)—

समता समिति की संस्तुतियां लागू किये जाने के परिणाम स्वरूप गत वर्ष 1989-90 के अनुमान 2,19 के समक्ष 4 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (-4,72)—

जीरो बेस्ड बजटिंग प्रणाली के आधार पर योजना का परीक्षण एवं वास्तविक आवश्यकता के आंकलन के परिणाम-स्वरूप गत वर्ष 1989-90 के अनुमान 14,38 के समक्ष 4,72 का कमी प्रदर्शित है।

4401—कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय (-1,09,37)—

आय-व्ययक वर्ष में 1,09,37 की कमी अनुमानित है। इसके विपरीत 4 घटाइये-पूंजी लेखे पर प्राप्तियां और वसूलियों के अन्तर्गत समतुल्य धनराशि प्राप्त होने के अनुमान है अतएव इस मद में कोई व्यय प्रदर्शित नहीं है।

आयोजनागत (-3,49,51)—

गत वर्ष 1989-90 के अनुमान 6,13,91 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर 2,64,40 का प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप 3,49,51 की कमी परिलक्षित है। इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों के अन्तर्गत आय-व्ययक में की गई व्यवस्था निम्नवत है :— (हजार रुपयों में)

मानक मद				आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	..	..	..	21,35	9,13,21	9,34,56
02—मजदूरी	..	..	..	39,90	1,11,21	1,51,11
03—महंगाई भत्ता	..	..	..	7,86	3,1190	3,19,76
04—यात्रा व्यय	..	..	..	1,90	61,71	63,61
05—अन्य भत्ते	..	..	..	1,60	74,23	75,83
06—कार्यालय व्यय	..	..	..	5,01	29,67	34,68
07—टेलीफोन पर व्यय	..		..	..	3,23	3,23
08—मोटर गाड़ी का क्रय	..	..	..	..	..	..
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद			..	2,45	17,98	20,43
11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व		..	..	10	15,31	15,41
12—प्रकाशन	..	..	..	1,10	1,85	2,95
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता		..	..	28,00	3,00	31,00
15—छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन	..	..	..	2,78	64	3,42
16—अतिथ्य व्यय, व्यय/विषयक भत्ता आदि		..	..	..	5	5

(हजार रुपयों में)

मानक मद				आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
18--वृहत् निर्माण कार्य	..	..	..	71,79	18,00	89,79
19--लघु निर्माण कार्य	..	..	..	1,56	1,70	3,26
20--मशीनें और उपकरण/उपस्कर और संयंत्र	..	..	..	6,80	12,24	19,04
23--अनुरक्षण	..	..	..	90	5,60	6,50
25--सामग्री और सम्पूर्ति	..	..	..	57,10	1,31,52	1,88,62
33--अन्य व्यय	मतदेय	..	..	14,20	48,00	62,20
	भारित	..	..	..	8,56	8,56
योग राजस्व	मतदेय	..		2,64,40	17,61,05	20,25,45
	भारित			..	*8,56*	*8,56*
पूंजी लेखा--						
4401--कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय--						
103--बीज		..	..	..	2,00,36	2,00,36
119--बागवानी और सब्जी की फसलें		..	..	..	88,57	88,57
योग, पूंजी लेखा			..	..	2,88,93	2,88,93
कुल योग	..	मतदेय	..	2,64,40	20,49,98	23,14,38
		भारित	..	..	*8,56*	*8,56*

अनुदान संख्या—12

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

गत वर्ष के मतदेय 2,65,14,40 तथा भारित *2,62* की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिए मतदेय 3,13,33,61 तथा भारित *3,62* की व्यवस्था की गई है, फलस्वरूप 48,19,21 मतदेय तथा *1,00* भारित की वृद्धि प्रदर्शित है। जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है।

राजस्व लेखा (+55,62,77)—

आयोजनेतर (+15,45,49)—

आयोजनागत (+40,17,28)—

2245—दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत (−5,00,00)—गत वर्ष के 5,00,00 के अनुमान की तुलना में बजट वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस प्रकार 5,00,00 की कमी प्रदर्शित है।

2401—कृषि कार्य (+7,96,97)—

समता समिति की संस्तुतियों के लागू होने तथा कतिपय आयोजनागत योजनाओं को सामान्यीकरण के उपरान्त आयोजनेतर पक्ष में लाने के फलस्वरूप वेतन, भत्तों आदि में अतिरिक्त व्यवस्था किए जाने के कारण विगत वर्ष के मूल अनुमान 35,02,61 मतदेय तथा *2,00* भारित की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 41,02,97 मतदेय तथा *3,00* भारित की व्यवस्था की गई है। फलस्वरूप 6,00,36 मतदेय तथा *1,00* भारित की वृद्धि प्रदर्शित है। भारित मद में वृद्धि आवश्यकता पर आधारित है।

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर गत वर्ष के मूल अनुमान 61,77,93 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 63,74,54 की व्यवस्था किए जाने के फलस्वरूप 1,90,61 की वृद्धि अपेक्षित है। इसमें नई मदों से सम्बन्धित 3,50,50 की धनराशि भी सम्मिलित है जिसका विवरण बजट साहित्य खण्ड-3 में द्रष्टव्य है।

2402—भूमि और जल संरक्षण (+41,66,20)—

राज्य कर्मचारियों के लिए समता समिति की संस्तुतियों को लागू करने तथा कतिपय आयोजनागत योजनाओं को सामान्यीकरण के फलस्वरूप आयोजनेतर पक्ष में लाने के कारण आयोजनेतर योजनाओं में मुख्यतः वेतन, भत्तों आदि की मदों में वृद्धि के फलस्वरूप गत वर्ष के मूल अनुमान 3,27,14 मतदेय व *10* भारित के सापेक्ष बजट वर्ष में 5,31,04 मतदेय तथा *10* भारित की व्यवस्था की गई है। फलस्वरूप 2,03,90 की वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार विगत वर्ष के मूल अनुमान 39,02,07 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 78,64,37 की व्यवस्था के फलस्वरूप 39,62,30 की वृद्धि प्रदर्शित है। इसमें 35,50,00 की धनराशि नई मदों से सम्बन्धित योजनाओं के लिए रखी गई है जिसका विवरण आय-व्ययक साहित्य खण्ड-3 में द्रष्टव्य है।

2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा (+10,57,40)—

समता समिति की संस्तुतियों को लागू करने तथा कतिपय आयोजनागत योजनाओं के सामान्यीकरण के उपरान्त उन्हें आयोजनेतर पक्ष में लाने के फलस्वरूप आयोजनेतर पक्ष की योजनाओं के अन्तर्गत वेतन, भत्तों व अन्य मदों में प्रत्याशित वृद्धियों के लिए गत वर्ष के मूल अनुमान 13,57,30 के सापेक्ष आय-व्ययक वर्ष में 25,59,12 की व्यवस्था किए जाने के फलस्वरूप 12,01,82 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय तथा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार गत वर्ष के अनुमान 5,64,20 के सापेक्ष बजट वर्ष में 4,19,78 की व्यवस्था किए जाने के फलस्वरूप 1,44,42 की कमी प्रदर्शित है।

2435—अन्य कृषि कार्यक्रम—(+41,20)—

समता समिति की संस्तुतियों के लागू करने तथा कतिपय योजनाओं के सामान्यीकरण के उपरान्त आयोजनेतर पक्ष में लाने के फलस्वरूप आयोजनेतर पक्ष में वेतन, भत्तों व अन्य मदों में प्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप गत वर्ष के 1,65,66 मतदेय व 2, भारित सापेक्ष बजट वर्ष में 2,04,07 मतदेय व 2, भारित की व्यवस्था किए जाने के कारण 38,41 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार गत वर्ष के अनुमान 1,07,21 के सापेक्ष बजट वर्ष में 1,10,00 की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार 2,79 की वृद्धि प्रत्याशित है। इसमें 10,00 की धनराशि नई मदों से सम्बन्धित है जिनका विवरण बजट साहित्य के खण्ड-3 में देखा जा सकता है।

पंजी लेखा (-7,42,56)—

4401—कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय (-6,50,40)—

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गत वर्ष के मूल अनुमान 70 58 10 मतदेय व भारित 50, के सापेक्ष बजट वर्ष में 67,42,00 मतदेय व भारित 50, की व्यवस्था रखने के फलस्वरूप 6,50,40 की कमी प्रत्याशित है।

इस लेखा शीर्षक में बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधियां तथा औजारों के क्रय हेतु व्यवस्था की जाती है जिसकी बिक्री के उपरान्त वसूली होती है, जिन्हें लेखे में व्यय में से घटा दिया गया है।

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार गत वर्ष के अनुमान 3,34,90 के सापेक्ष आय-व्ययक वर्ष में 60, की व्यवस्था रखे जाने के फलस्वरूप 3,34,30 की कमी हुई है। इसमें से 50 की धनराशि नई मदों से सम्बन्धित है जिसका विवरण बजट साहित्य के खण्ड-3 में द्रष्टव्य है।

4408—खाद्य भंडारण और भंडागारण पर पूंजी परिव्यय (-33,33)—

आयोजनागत पक्ष में गोदाम भवनों के निर्माण हेतु आवंटित परिव्यय के अनुसार विगत वर्ष के अनुमान 58 33 की तुलना में बजट वर्ष में आवश्यकतानुसार 25,00 की व्यवस्था करने के फलस्वरूप 33,33 की कमी प्रदर्शित है।

4415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजी परिव्यय (+41,18)—

विश्व बैंक पोषित कृषि प्रसार की योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार गत वर्ष के अनुमान 2,58,82 के सापेक्ष बजट वर्ष में 3,00,00 की व्यवस्था किए जाने के कारण 41,18 की वृद्धि प्रत्याशित है।

, 6401—कृषि कार्य के लिये उधार (- 1,00,001)—

105—खाद्य और उर्वरक—

03—किसानों को तकावी—

इस मद में पूर्व वर्ष में मूलानुमान के प्रतीक प्राविधान के विरुद्ध वर्ष 1990-91 में कोई प्राविधान न कराये जाने के कारण आय-व्ययक में 1, की कमी अनुमानित है।

190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार (- 1,00,00)—

01—केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

0101—उ0प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम के कृषि निवेश के लिये ऋण (केन्द्र पोषित) (+9,50,00)—

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1990-91 में योजनान्तर्गत भारत सरकार से अपेक्षाकृत अधिक अल्पकालीन ऋण की सहायता प्राप्त होने की प्रत्याशा में 9,50,00 की वृद्धि होने के अनुमान है।

102—उ0प्र0 राज्य कृषि औद्योगिक निगम एवं अन्य शीर्ष संस्थाओं को उर्वरक व्यापार हेतु ऋण (- 10,50,00)—

गत वर्ष के मूलानुमान के विपरीत वर्ष 1990-91 में योजनान्तर्गत भारत सरकार से कम अल्पकालीन ऋण सहायता प्राप्त होने की प्रत्याशा में आय-व्ययक में 10,50,00 की कमी अनुमानित है।

आय-व्ययक में विभिन्न मदों के अन्तर्गत की गई व्यवस्था निम्नवत् है :-- (हजार रुपयों में)

मानक	मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन		18,87,25	29,97,82	48,85,07
02	मजदूरी		1,41,33	74,90	2,16,23
03	महंगाई भत्ता		6,61,86	9,98,06	16,59,92
04	यात्रा व्यय		2,90,75	1,73,64	4,64,39
05	अन्य भत्ते		1,40,68	1,99,30	3,39,98
06	कार्यालय व्यय		1,06,77	84,19	1,90,96
07	टेलीफोन पर व्यय		12,79	5,28	18,07
08	मोटर गाड़ियों का क्रय		2,31,50	..	2,31,50
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..		1,28,65	48,33	1,76,98
11	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व		49,86	47,70	97,56
12	प्रकाशन		20	..	20
14	सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता ..		98,07,62	25,22,47	1,23,30,09
16	आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि		100	10	1,10
17	लघु निर्माण-कार्य		2,00	2,25	4,25
20	मशीनें और सज्जा/और उपकरण और संयंत्र ..		1,27,90	28,16	1,56,06
23	अनुरक्षण		22,49	48,62	71,11
25	सामग्री--सम्पूर्ति		2,17,20	1,40,43	3,57,63
33	अन्य व्यय	मतदेय ..	9,38,84	26,07	9,64,91
		भारित ..	..	*3,12*	*3,12*
	योग, राजस्व	मतदेय ..	1,47,68,69	73,97,32	2,21,66,01
		भारित ..	..	*3,12*	*3,12*
	पूंजी लेखा--				
	4401--कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय	मतदेय ..	60	67,42,00	67,42,60
		भारित ..	..	*50*	*50*
	4408--खाद्य भण्डारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय ..		25,00	..	25,00
	4415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजी परिव्यय ..		3,00,00	..	3,00,00
	6401--कृषि कार्य के लिए उधार		..	21,00,00	21,00,00
	योग, पूंजी लेखा	मतदेय ..	3,25,60	88,42,00	91,67,60
		भारित ..	..	*50*	*50*
	कुल योग (राजस्व व पूंजी लेखा)	मतदेय ..	1,50,94,29	1,62,39,32	3,13,33,61
		भारित ..	..	*3,62*	*3,62*

अनुदान संख्या--13

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के मूल अनुमान 5,95,22,42 (मतदेय 5,95,21,92 तथा भारित *50*) की तुलना में वर्ष 1990-91 के लिए मूल अनुमान 8,44,35,22 (मतदेय 8,44,34,72 तथा भारित *50*) रखे जाने के कारण कुल 2,49,12,80 की वृद्धि प्रत्याशित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा--

2501--ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम (--70,14,24) --

आयोजनागत पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों हेतु प्राविधान कराए जाने के कारण कुल 70,14,24 की कमी प्रत्याशित है।

2505--ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (+2,20,11,28)

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराए जाने के कारण कुल 2,20,11,28 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (+4,27,69)--

आयोजनागत पक्ष में आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर निर्धारित कार्यक्रमों हेतु प्राविधान कराए जाने के कारण कुल 18,04,97 की कमी प्रत्याशित है। आयोजनेतर पक्ष में समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान लागू किए जाने तथा पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति के कारण आयोजनागत पक्ष की कतिपय योजनाओं का सामान्यीकरण किए जाने के कारण कुल 22,32,66 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2702--लघु सिंचाई (+98,86,24)--

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्राविधान कराए जाने के कारण कुल 94,67,16 की वृद्धि प्रत्याशित है। आयोजनेतर पक्ष में समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने तथा आयोजनागत पक्ष की कतिपय योजनाओं का सामान्यीकरण होने के कारण कुल 4,19,08 की वृद्धि प्रत्याशित है।

पूंजी लेखा--

4515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजी परिव्यय (-3,97,50)--

आयोजनागत पक्ष की विभिन्न योजनाओं हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्राविधान कराए जाने के कारण कुल 3,97,50 की कमी प्रत्याशित है।

4702--लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय (-67)--

आयोजनागत पक्ष की योजनाओं हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्राविधान कराए जाने के कारण कुल 67 की कमी प्रत्याशित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि मदों हेतु की गयी कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--				
01--वेतन		3,15,49	69,52,12	72,67,61
03--महंगाई भत्ता		98,53	23,62,69	24,61,22
04--यात्रा व्यय		40,68	4,25,71	4,66,39
05--अन्य भत्ते		42,40	2,45,26	2,87,66
06--कार्यालय व्यय		4,50	1,81,13	1,85,63
07--टेलीफोन पर व्यय		1,00	10,06	11,06
08--मोटर गाड़ियों का क्रय		62,10	97,41	1,59,51
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		3,20	1,04,22	1,07,42
11--किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व		24	28,72	28,96
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता		1,89,06,74	1,66,15	1,90,72,89
15--छात्रवृत्तियां / छात्रवेतन		8,25	13,02	21,27
19--लघु निर्माण-कार्य		..	90	90
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र		3,16,00	2,11	3,18,11
23--अनुरक्षण		..	30,00	30,00
25--सामग्री और सम्पूर्ति		..	2,85	2,85
33--अन्य व्यय	मतदेय	5,27,69,80	1,65,44	5,29,35,24
	भारित	..	*50*	*50*
योग, राजस्व लेखा	मतदेय	7,25,68,93	1,07,87,79	8,33,56,72
	भारित	..	*50*	*50*
योग, पूंजी लेखा	मतदेय	10,74,00	4,00	10,78,00
	भारित	..	..	..
कुल योग, राजस्व तथा पूंजी	मतदेय	7,36,42,93	1,07,91,79	8,44,34,72
	भारित	..	*50*	*50*

अनुदान संख्या--14

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विकास (पंचायती राज)

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के मूल अनुमानों 42,59,32 (मतदेय 42,59,11 तथा भारित *21*) की तुलना में वर्ष 1990-91 के अनुमान 82,75,43 (मतदेय 82,75,22 तथा भारित *21*) रखे जाने के कारण मतदेय 40,16,11 की वृद्धि प्रदर्शित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा (+12,85,02)--

2070--**अन्य प्रशासनिक सेवायें** (+82,19)--

आयोजनेतर पक्ष में "प्रादेशिक विकास दल" के लिए स्वीकृत कर्मचारियों के वेतन और भत्ते समता समिति की संस्तुति के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने तथा अन्य मदों में मूल्य वृद्धि के कारण कुल 84,71 की वृद्धि है।

आयोजनागत पक्ष में विभिन्न अनुमानित कार्यक्रमों के आधार पर प्राविधान कराए जाने के कारण 2,52 की कमी है।

2235--**सामाजिक सुरक्षा और कल्याण** (+12,00)--

आयोजनागत पक्ष में "'युवा कल्याण कार्यक्रम" के अन्तर्गत युवा कल्याण परिषद् के गत वर्ष की तुलना में अधिक व्यवस्था किए जाने के कारण 12,00 की वृद्धि है।

2515--**अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम** (+17,00,83)--

आयोजनेतर पक्ष में पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत कर्मचारिवर्ग के वेतन तथा भत्तों का समिति की संस्तुति के आधार पर पुनरीक्षण किए जाने के कारण वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त भाड़े की दरों में वृद्धि के कारण "यात्रा व्यय" में, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण "कार्यालय व्यय" एवं "अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" में वृद्धि हुई है। इस प्रकार कुल 24,22,36 की वृद्धि हुई है।

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुसार गत वर्ष 1989-90 के 7,51,25 के अनुमान की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के अनुमान केवल 29,72 रखे जाने के कारण 7,21,53 की कमी हुई है।

इस प्रकार आयोजनेतर तथा आयोजनागत पक्षों की न्यूनाधिकताओं को समायोजित करके कुल 17,00,83 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3054--**सड़कें और पुल** (-5,00,00)--

आयोजनेतर पक्ष में "ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय निकायों की सड़कों के अनुरक्षण हेतु ग्राम सभाओं को अनुदान" के लिए व्यवस्था "शून्य" रखे जाने के कारण 5,00,00 की कमी प्रदर्शित है।

राजस्व लेखा में कुल वृद्धि 12,95,02 की है।

पूंजी लेखा (+27,21,09)--

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित नए कार्यक्रमों में समुचित व्यवस्था किए जाने के कारण गत वर्ष 1989-90 के अनुमान 1,00 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के अनुमान 27,22,09 रखे जाने के कारण 27,21,09 की वृद्धि प्रत्याशित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन महंगाई भत्ता आदि के लिए की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है:--

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--				
01--वेतन	..	..	14,14,10	14,14,10
02--मजदूरी	..	..	50,15	50,15
03--महंगाई भत्ता	..	..	4,80,78	4,80,78
04--यात्रा व्यय	..	36	58,16	58,52
05--अन्य भत्ते	..	..	53,93	53,93
06--कार्यालय व्यय	..	3,63	11,24	14,87
07--टेलीफोन पर व्यय	..	..	55	55
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	..	1,35	1,35
11--किराया, उप-शुल्क और कर-स्वामिस्व	..	..	1,57	1,57
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	60,50	30,17,12	30,77,62
18--वृहत् निर्माण-कार्य	..	50,00	..	50,00
19--लघु निर्माण-कार्य	..	1,80	..	1,80
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	..	..	10	10
23--अनुरक्षण	..	..	40	40
33--अन्य व्यय	..	3,47,28	11	3,47,39
योग, राजस्व	मतदेय ..	4,63,57	50,89,56	55,53,13
	भारित ..	..	*21*	*21*
योग, पूंजी	..	27,22,09	..	27,22,09
कुल, योग	मतदेय ..	31,85,66	50,89,56	82,75,22
	भारित ..	..	*21*	21

अनुदान संख्या-15

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के मूल अनुमानों में 43,48,43 (मतदेय 43,48,33 तथा भारित *10*,) की तुलना में वर्ष 1990-91 हेतु 53,44,70 (मतदेय 53,44,60 तथा भारित *10*) के आय-व्ययक अनुमान रखे जाने के कारण 9,96,27 की वृद्धि प्रत्याशित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा--

2245--दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत (- 50,00)--

आयोजनेतर पक्ष में भारत सरकार से दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत 1990-91 में शून्य अनुमान रखे जाने के कारण 50,00 की कमी प्रत्याशित है।

2403--पशुपालन (+9,29,77)--

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों के लिये आवश्यता के अनुसार प्राविधान कराए जाने के कारण कुल 1,66,97 की कमी प्रत्याशित है। आयोजनेतर पक्ष में समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान लागू किए जाने के कारण तथा पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर आयोजनागत पक्ष की कतिपय योजनाओं को सामान्यीकरण करने के कारण कुल 10,96,74 की वृद्धि प्रत्याशित है।

पूंजी लेखा--

4403--पशुपालन पर पूंजी परिव्यय (+1,16,50)--

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों हेतु आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर प्राविधान कराए जाने के कारण कुल 1,16,50 की वृद्धि प्रत्याशित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिए की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन		37,46	26,28,81	26,66,27
02--मजदूरी		5,26	5,54	10,80
03--महंगाई भत्ता		13,40	8,95,55	9,08,95
04--यात्रा व्यय		2,61	71,34	73,95
05--अन्य भत्ते		2,53	83,02	85,55
06--कार्यालय व्यय		95	38,59	39,54
07--टेलीफोन पर व्यय		..	3,87	3,87
08--मोटर गाड़ियों का क्रय		5,00	..	5,00
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		47	27,34	27,81
12--किराया, उपशुल्क एवं कर--स्वामित्व		3,72	15,78	19,50
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता		1,75,08	..	1,75,08
16--छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन		60	4,70	5,30
19--लघु निर्माण-कार्य		2,00	50	2,50
20--मशीनें, और-सज्जा / उपकरण और संयंत्र		1,95,21	3,80	1,99,01
23--अनुरक्षण		10,30	16,25	26,55
25--सामग्री और सम्पूर्ति		1,08,01	3,99,97	5,07,98
33--अन्य व्यय	मतदेय	2,29,05	64,78	2,93,83
	भारित	..	*10*	*10*
योग, राजस्व लेखा	मतदेय	7,91,65	42,59,84	50,51,49
	भारित	..	*10*	*10*
योग, पूंजी लेखा	मतदेय	2,93,11	..	2,93,11
	भारित	..	..	..
कुल योग राजस्व एवं पूंजी	मतदेय	10,84,76	42,59,84	53,44,60
	भारित	..	*10*	*10*

अनुदान संख्या 16

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग

(दुग्धशाला विकास)

गत वर्ष 4, 15,51 (मतदेय 4,07,10 तथा भारित *8,41*) के आय-व्ययक प्राविधान के विपरीत चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6,32,72 (मतदेय 6,24,91 तथा भारित *7,81*) रखे जाने के कारण शुद्ध वृद्धि 2,17,21 (मतदेय 2,17,81 की वृद्धि तथा भारित *60*) की कमी प्रत्याशित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

राजस्व लेखा (मतदेय)--1,36,77,तथा भारित (*-60*)--

2049--बयाज संदाय-(भारित-*60*)--

राष्ट्रीय डेरी विकास से प्राप्त ऋण पर व्याज का भुगतान करने हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर धन की व्यवस्था किए जाने के कारण *60*, की कमी प्रदर्शित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+9)--

जमा से संबद्ध बीमा योजना सरकारी भविष्य निधि के लिए गत वर्ष 1,000 रु0 की प्रतीक व्यवस्था कराये जाने के फलस्वरूप 9, की वृद्धि है ।

2404--डेरी विकास (मतदेय +1,36,68)--

आयोजनेतर पक्ष में समता समिति की सस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वेतन तथा अन्य भत्तों में वृद्धि होने, यात्रा भाड़े में वृद्धि होने तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के कारण "यात्रा व्यय", "कार्यालय व्यय", "गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" में वृद्धि होने के कारण और साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होने के फलस्वरूप गत पंचवर्षीय योजना के मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र के बचनबद्ध आयोजनागत व्यय को आयोजनेतर पक्ष में सामान्यीकरण किए जाने के कारण कुल 44,69 की वृद्धि प्रत्याशित है ।

आयोजनागत पक्ष में गत वर्ष 1989-90 के अनुमान 1,57,95 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990-91 में अधिक आवंटित प्लान परिव्यय तथा अनुमोदित कार्यक्रमों के आधार पर 2,49,94 के अनुमान रखे जाने के कारण 91,99, की वृद्धि प्रत्याशित है।

पूंजी लेखा (मतदेय+ 81,04,)--

4404--डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय--

गत वर्ष 1989-90 में 85,01 के अनुमानों की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990-91 में आवंटित आयोजनागत परिव्यय तथा अनुमोदित कार्यक्रमों के आधार पर 1,66,05 के अनुमान रखे जाने के कारण 81,04 की वृद्धि प्रत्याशित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, भत्ते आदि विभिन्न मदों में की गई व्यवस्था-निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--					
2049--ब्याज संदाय--(भारित)			..	*1,80*	*1,80*
26--ब्याज/लाभांश					
2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--					
33--अन्य व्यय			..	10	10
2404--डेरी विकास--					
01--वेतन			..	1,34,86	1,34,86
02--मजदूरी			..	4	4
03--महंगाई भत्ता			..	45,99	45,99
04--यात्रा-व्यय			..	8,08	8,08
05--अन्य भत्ते			..	12,10	12,10
06--कार्यालय व्यय			..	3,12	3,12
07--टेलीफोन पर व्यय			..	78	78
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद			..	1,47	1,47
11--किराया, उप-शुल्क और कर/स्वामित्व			..	2,30	2,30
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता			2,45,94	..	2,45,94
33--अन्य व्यय	मतदेय		4,00	8	4,08
	भारित		..	*1*	*1*
कुल योग, राजस्व	मतदेय		2,49,94	2,08,92	4,58,86
	भारित		..	*1,81*	*1,81*

(हजार रुपयों में)

पूंजी लेखा—					
4404--डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय		..	166 05	..	1,66,00
6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित)		..	..	*6,00*	*6,00*
योग, पूंजी लेखा	मतदेय	..	166,05	..	1,66,05
	भारित	..	..	*6,00*	*6,00*
कुल योग	मतदेय	..	4,15,99	2,08,92	6,24,91
	भारित	..	..	*7,81*	*7,81*

अनुदान संख्या—17

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के मूल अनुमानों 6,74,09 (मतदेय 6,74,07 तथा भारित *2*) की तुलना में वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुमान 7,18,45 (मतदेय 7,18,43 तथा भारित *2*) रखे जाने के कारण कुल 44,36 की वृद्धि प्रत्याशित है।

राजस्व लेखा--

2405—मीन उद्योग—(+44,36)--

आयोजनेतर पक्ष में मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत कर्मचारिवर्ग के वेतन, महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता आदि मदों हेतु आवश्यकतानुसार अनुमान रखे जाने के कारण कुल 46,41 की वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों तथा आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर कुल 2,05 की कमी प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिए की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--				
01--वेतन	..	1,95	1,97,05	1,99,00
03--महंगाई भत्ता	..	68	66,99	67,67
04--यात्रा व्यय	..	50	7,25	7,57
05--अन्य भत्ते	..	34	10,95	11,29
06--कार्यालय व्यय	..	37	3,90	4,27
07--टेलीफोन पर व्यय	..	..	1,20	1,20
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	..	5,60	5,60
11--किराया, उप शुल्क और कर-स्वामित्व	..	66	..	66
12--प्रकाशन	..	..	10	10
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	3,81,25	..	3,81,25
20--मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	..	..	10	10
33--अन्य व्यय	..	33,26	6,28	39,54
योग, राजस्व लेखा — मतदेय	..	4,19,01	2,99,42	7,18,43
योग, राजस्व लेखा — भारित	..	..	*2*	*2*

अनुदान संख्या—18

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

गत वर्ष 1989-90 के 86,03,53 (मतदेय 68,14,15 तथा भारित *17,89,38*) के अनुमानों की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990-91 में 4,36,27,49 (मतदेय 4,16,22,53 तथा भारित *20,04,96*) के अनुमान रखे जाने के कारण 3,50,23,96 (मतदेय 3,48,08,38 तथा भारित *1,15,58*) की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा--(मतदेय+ 3,48,67,69 तथा भारित+*74,80*)--

2049--ब्याज संदाय (भारित) (+*74,80*)--

आयोजनेतर पक्ष में ब्याज के भुगतान हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 74,80 की वृद्धि है।

2230--श्रम और रोजगार (+4)--

"समता समिति" की संस्तुति के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वेतन तथा भत्तों में अपेक्षित वृद्धि के कारण 4, की वृद्धि है।

2401--कृषि कार्य (+3,48,43,99)--

आयोजनेतर पक्ष में "समता समिति" की संस्तुति के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वेतन तथा भत्तों में अपेक्षित वृद्धि के कारण 95, की वृद्धि है।

आयोजनागत पक्ष में भारत सरकार ऋण राहत योजना के अन्तर्गत किसानों तथा अन्य वर्गों के सदस्यों को बांटे गए ऋण की माफी से सरकारी ऋण संस्थाओं के होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए 3,50,00,00 के प्राविधान किए जाने के कारण गत वर्ष के प्राविधान की तुलना में इतनी ही धनराशि की वृद्धि है।

इसके विपरीत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के पुनर्स्थापना योजना के अन्तर्गत दिनांक 30 जून, 1984 तथा अशोध्य धनराशि में से अवशेष 15,11 करोड़ रुपये में से आय-व्ययक वर्ष 1990-91 में 1,70,00 की व्यवस्था की गई है। गत वर्ष के अनुमान 3,26,96 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के कुल अनुमान 3,51,70,00 रखे जाने के कारण 3,48,43,04 की वृद्धि है।

2425--सहकारिता (+23,66)--

आयोजनेतर पक्ष में "समता समिति" की सस्तुति के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हुए वेतन पुनरीक्षण के आधार पर वेतन तथा भत्तों में वृद्धि हुई है। मितव्ययता की मदें "यात्रा व्यय" में यात्रा भाड़े की दरों में वृद्धि के कारण है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण "कार्यालय व्यय" तथा "अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" में भी वृद्धि हुई है। इसके विपरीत "महंगाई भत्ता" का अंश वेतन में समायोजित हो जाने के कारण इस मद में कमी हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने के उपरान्त शुद्ध वृद्धि 1,80,83 की हुई है।

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर गत वर्ष की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 1,57,17 की कमी हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने के उपरान्त शुद्ध वृद्धि 2366 की है।

पूंजी लेखा--

4425--सहकारिता पर पूंजी परिव्यय (-1,02,29)--

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रमों के आधार पर गत वर्ष 1989-90 के अनुमान 2,44,59 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के अनुमान 1,42,30 रखे जाने के कारण 1,02,29 की कमी हुई है।

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित)+*1,40,78*)--

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,40,78 की वृद्धि है।

6401--कृषि कार्य के लिए उधार (+17,37)--

विभिन्न सहकारी कृषि ऋण कार्यक्रमों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किए जाने के कारण गत वर्ष की तुलना में आयोजनेतर पक्ष में 1,49,99 की वृद्धि हुई है तथा आयोजनागत पक्ष में 1,32,62 की कमी हुई है। इसप्रकार इस योजना में शुद्ध वृद्धि 17,37 की है।

6408--खाद्य भण्डारण और भण्डागारण के लिए उधार (-5,40)--

आयोजनागत पक्ष में गत वर्ष की व्यवस्था की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990-91 के अनुमान "शून्य" रखे जाने के कारण 5,40 की कमी प्रदर्शित है।

6425--सहकारिता के लिए उधार (+31,01)--

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रमों के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं में व्यवस्था किए जाने के कारण गत वर्ष की तुलना में 31,01 की वृद्धि है।

इस प्रकार पूंजी लेखा में मतदेय में 59,31 तथा भारित में *1,40,78* की वृद्धि प्रत्याशित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक 1990-91 में वेतन, महंगाई भत्ता आदि मदों के लिए की गई कुल धन व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद			आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--					
2049--ब्याज संदाय					
2230--श्रम और रोजगार					
2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण					
2401--कृषि कार्य तथा					
2425--सहकारिता					
01--वेतन		..	..	5,59,06	5,59,06
03--महंगाई भत्ता		..	..	1,83,91	1,83,61
04--यात्रा व्यय		...	..	64,27	64,27
05--अन्य भत्ते		..	..	64,73	64,73
06--कार्यालय व्यय		..	..	19,88	19,88
07--टेलीफोन पर व्यय		..	..	5,08	5,08
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एव पेट्रोल की खरीद		..	..	3,80	3,80
11--किराया, उप शुल्क एवं कर-स्वामित्व		..	..	9,43	9,43
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता		..	3,52,55,60	4	3,52,55,64
15--छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन		..	..	11	11
17--गुप्त सेवा व्यय		..	..	12	12
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र		..	..	5	5
23--अनुरक्षण		..	..	60	60
25--सामग्री और सम्पूर्ति		..	..	32	32
26--ब्याज/लाभांश		..	..	*10,52,39*	*10,52,39*
33--अन्य व्यय	मतदेय	..	..	4,22	4,22
	भारित	..	..	*2*	*2*
राजस्व, योग	मतदेय	..	3,52,55,60	9,15,62	3,61,71,22
	भारित	..	..	*10,52,41*	*10,52,41*
पूंजी लेखा	मतदेय	..	20,01,31	34,50,00	54,51,31
	भारित	..	..	*9,52,55*	*9,52,55*
योग अनुदान	मतदेय	..	3,72,56,91	43,65,62	4,16,22,53
	भारित	..	..	*20,04,96*	*20,04,96*

अनुदान संख्या--19

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विकास (क्षेत्रीय विकास)

गत वर्ष के अनुमान 53,60,39 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के अनुमान 32,41,04 रखे जाने के कारण 21,19,35 की कमी निम्नलिखित कारणों से प्रदर्शित है :--

राजस्व लेखा--

आयोजनागत--

2705--कमान क्षेत्र विकास (-19,72,12)--

आवंटित परिव्यय के सन्दर्भ में अनुमोदित कार्यक्रम एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गत वर्ष के अनुमान 42,97,12 के समक्ष आय-व्ययक वर्ष में 23,25,00 की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 19,72,12 की कमी प्रदर्शित है ।

पूंजी लेखा

6705--कमान क्षेत्र विकास के लिए उधार (-1,47,23)

गण्डक, रामगंगा तथा शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिये वर्ष 1990-91 में कोई ऋण सहायता उपलब्ध न होने की सम्भावना के फलस्वरूप आय-व्ययक में 1,47,23 की कमी प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में विभिन्न मदों में की गयी व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपये में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन	1,00,00	..	1,00,00
03--महंगाई भत्ता	50,00	..	50,00
04--यात्रा व्यय	20,00	..	20,00
05--अन्य भत्ते	30,00	..	30,00
06--कार्यालय व्यय	2,00	..	2,00
07--टेलीफोन पर व्यय	1,00	..	1,00
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	2,00	..	2,00
11--किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	5,00	..	5,00
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	29,76,00	..	29,76,00
33--अन्य व्यय	55,00	4	55,04
योग, राजस्व लेखा ..	32,41,00	4	32,41,04
कुल योग ..	32,41,00	4	32,41,04

अनुदान संख्या--20

कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

गत वर्ष के 97,47 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष का कुल अनुमान 1,20,07 का है। इस प्रकार 22,60 की वृद्धि हुई है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा (मतदेय)

आयोजनेतर (+22,60)

समता समिति की संतुतियों को लागू किये जाने के फलस्वरूप वेतन, अन्य भत्ते आदि में वृद्धि के कारण लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन" में 13,55 की लेखाशीर्षक "2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें" के अन्तर्गत उ0 प्र0 प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में 7,56 तथा इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट डेवलपमेन्ट को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं अधिष्ठान व्यय में 1,50 की वृद्धि है। इसके विपरीत प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक, में 1 की कमी है इस प्रकार कुल 22,60 की वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुमान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते आदि के लिए की गयी व्यवस्था निम्नवत् है :-- (हजार रुपयों में)

मानक मद	धनराशि
राजस्व लेखा--	
01--वेतन	51,50
02--महंगाई भत्ता	17,50
04--यात्रा व्यय	1,78
05--अन्य भत्ते	7,95
06--कार्यालय व्यय	13,45
07--टेलीफोन पर व्यय	2,00
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,22
21--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	1,10
11--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	8,80
19--लघु निर्माण कार्य	35
30--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	15
23--अनुरक्षण	55
43--अन्य व्यय	13,72
योग, राजस्व लेखा (मतदेय) ..	1,20,07

अनुदान संख्या–21

कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिए कुल मांग 3,58,03 (1,12,06 मतदेय तथा 2,45,97 भारित) की है जबकि गत वर्ष की मूल मांग 2,83,30 (64,25 मतदेय एवं 2,18,05 भारित) की थी। इस प्रकार यहां पर 75,73 की वृद्धि प्रदर्शित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :—

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर (+83,73)—

2051—लोकसेवा आयोग–102—राज्य लोक सेवा आयोग (भारित) (+28,02,)—

नये वेतनमान में वेतन निर्धारण वार्षिक वेतन वृद्धि अवकाश नगदीकरण एवं बोनस के लिए वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर व्यवस्था किये जाने से "वेतन" में 40,00 एवं "अन्य भत्ते" में 7,00 की वृद्धि तथा "महंगाई भत्ते" में 17,70 एवं "अन्तरिम सहायता" में 13,25 की कमी हुई है। परीक्षाओं के विकेन्द्रीकरण के कारण यात्राओं में वृद्धि होने से "यात्रा व्यय" में 1,50 की, परीक्षा सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण "कार्यालय व्यय" में 9,00 की एवं दूरभाष के अधिक प्रयोग के कारण "टेलीफोन पर व्यय" में 20 की वृद्धि प्रदर्शित है। आयोग कार्यालय स्थित अनावासीय एवं आवासीय परिसर को तार बाड़ लगाकार पृथक करने (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड–3 आयोजनेतर में उल्लिखित है) से "लघु निर्माण कार्य" में 1,27 की वृद्धि हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने पर कुल 28,02 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

103—कर्मचारी चयन आयोग–01—उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड– (मतदेय) (+55,71)—

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एक नवगठित विकासशील संस्था है। बजट वर्ष के अन्तर्गत इसके भावी कार्यक्रमों को देखते हुए वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर व्यवस्था किए जाने तथा न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर कुल 55,71 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

पूंजी लेखा– (—8,00)

4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (+2,00,)—

वास्तविक आवश्यकतानुसार चालू निर्माण-कार्यों के लिए व्यवस्था किए जाने से 2,00 की वृद्धि हुई है।

4216—आवास पर पूंजी परिव्यय (—10,00)—

वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था किए जाने से यहां पर 10,00 की कमी हुई है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि विभिन्न मदों में आय-व्ययक वर्ष के लिए की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है:—

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	..	1,15,00	1,15,00
02—मजदूरी	..	50	50
03—महंगाई भत्ता	..	46,30	46,30
04—यात्रा व्यय	..	9,50	9,50
05—अन्य भत्ते	..	22,25	22,25
06—कार्यालय व्यय	..	1,40,11	1,40,11
07—टेलीफोन पर व्यय	..	2,20	2,20
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	2,00	2,00
11—किराया, उपशुल्क और कर–स्वामिस्व	..	3,60	3,60
18—वृहत् निर्माण-कार्य	10 00	..	10,00
19—लघु निर्माण-कार्य	..	1 77	1,77
30—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	..	3,50	3,50
33—अन्य व्यय	..	1,30	1,30
योग	10,00	3,48,03	3,58,03

अनुदान संख्या—22

खाद्य तथा रसद विभाग

गत वर्ष के 11,31,66,12 जिसमें 51,84 मतदेय आयोजनागत तथा 11,31,14,28 आयोजनेतर (10,89,03,66 मतदेय तथा *42,10,62* भारित की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 12,02,85,63 जिसमें 50,00 मतदेय आयोजनागत तथा आयोजनेतर 12,02,35,63 (11,43,34,23 मतदेय तथा *59,01,40* भारित) के अनुमान सम्मिलित किये गये हैं। इस प्रकार बजट वर्ष में राजस्व पक्ष में शुद्ध 3,93,01 की वृद्धि प्रत्याशित है। पूंजी लेखा पक्ष के अन्तर्गत 67,26,00 की वृद्धि परिलक्षित है परन्तु इतनी ही वसूलियां अधिक अनुमानित होने के फलस्वरूप कोई वास्तविक वृद्धि नहीं है। राजस्व पक्ष पूंजी गत पक्ष और वसूलियों के समायोजन के उपरान्त अनुदान के अन्तर्गत शुद्ध 3,93,01 की वृद्धि अनुमानित है जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :-

खाद्य तथा रसद विभाग—

राजस्व लेखा (3,93,01)

आयोजनेतर मतदेय (+2,04,07)

भारित (+*1,90,78*)

2049—ब्याज संदाय (भारित) (+*1,90,78*)

केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर किये गये खाद्यान्नों के मूल्य शीघ्रता से प्राप्त होने की प्रत्याशा में स्टेट बैंक आफ इंडिया से अधिक ऋण लेना अनुमानित है। इसलिये ब्याज के रूप में 1,90,78 की अधिक धनराशि का भुगतान अनुमानित है।

2408—खाद्य भण्डारण और भाण्डागारण (+1,22,71)

समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते आदि में 1,22,71 की वृद्धि परिलक्षित है।

3456—नागरिक आपूर्ति (+49,53)

समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते आदि में 49,53 की वृद्धि परिलक्षित है।

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (+31,83)

समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर एवं आयोजनागत पक्ष का व्यय आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के कारण 31,83 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा (शून्य)

4408—खाद्य भंडारण और भांडागारण पर पूंजी परिव्यय (शून्य) (मतदेय)

गत वर्ष की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 52,26,50 की वृद्धि परिलक्षित है परन्तु इतनी ही वसूलियां अधिक होने के कारण कोई भी न्यूनाधिकता नहीं है।

6003—राज्य सरकार से आन्तरिक ऋण (भारित) (—) (शून्य)

गत वर्ष की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 15,00,00 की कमी परिलक्षित है परन्तु इतनी ही वसूलियां अधिक होने के कारण कोई भी न्यूनाधिक्य नहीं है।

आयोजनागत (—1,84)

राजस्व लेखा—

2075—विविध सामान्य सेवायें (—2,00)

के अन्तर्गत कोई आय-व्ययक व्यवस्था न किये जाने के कारण 2,00 की कमी है।

3456—नागरिक पूर्ति (+36,64)

समता समिति की संस्तुतियों को लागू किये जाने तथा वेतन, अन्य भत्ते आदि मदों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 36,64 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (—36,49)

आयोजनागत पक्ष का व्यय आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के कारण 36,48 की कमी प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन एवं भत्ते आदि के लिये कुल व्यवस्था का विवरण निम्नवत् है :

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन	10,60	15,07,35	15,17,95
03--महंगाई भत्ता	3,72	5,12,53	5,16,25
04--यात्रा व्यय	1,80	35,39	37,19
05--अन्य भत्ते	2,29	1,67,58	1,69,87
06--कार्यालय व्यय	2,88	37,38	40,26
07--टेलीफोन पर व्यय	6	6,31	6,37
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	..	20,88	20,88
09--मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	..	16,46	16,46
11--किराया, उपशुल्क और कर--स्वामित्व	4,75	17,24	21,99
12--प्रकाशन	..	1,25	1,25
13--विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	..	..	..
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	17,50	17,50
16--आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	2,15	..	2,15
17--गुप्त सेवा व्यय	..	10	10
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	1,75	1,75
23--अनुरक्षण	..	50	50
25--माल तथा सम्पूर्ति	..	8,93,55,90	8,93,55,90
(क) खाण्डसारी की विक्रय से आय	..	1	1
(ख) खण्डसारी शक्कर योजना	..	2,24,01,10	2,24,01,10
26--ब्याज/लाभांश (भारित)	..	*4,00,00*	*4,00,00*
32--अन्तरिम सहायता	..	..	..
33--अन्य व्यय (मतदेय)	21,75	2,35,01	12,56,76
(भारित)	..	*55,01,40*	*55,01,40*
कुल योग राजस्व लेखा .. (मतदेय) ..	50,00	25,77,23	26,27,23
(भारित) ..	..	*4,00,90*	*4,00,90*
पूंजी लेखा .. (मतदेय) ..	..	11,17,57,00	11,17,57,00
(भारित) ..	..	*55,00,50*	*55,00,50*
कुल योग .. (मतदेय) ..	50,00	11,43,34,23	11,43,84,23
(भारित) ..	..	*59,01,40*	*59,01,40*

अनुदान संख्या--23

खेल विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग 4,71,18 की है जबकि गत वर्ष यह मांग 5,06,26 की थी। इस प्रकार 35,08 की कम व्यवस्था हुई है। न्यूनाधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :-

आयोजनेतर--(+45,18)

आयोजनागत--(- 80,26)

आयोजनेतर--(+45,18)--

राजस्व लेखा--

2204--खेल और युवा कल्याण-- (+45,18)--

001--निदेशन और प्रशासन--

01--प्रदेश में खेलकूद निदेशालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण-- (+25,30)--

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र के वचनबद्ध व्यय को यहां सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर कर्मचारियों को नये वेतनमान स्वीकृत करने के फलस्वरूप वेतन में 36,75

की अधिक व्यवस्था की गयी है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 75 यात्रा व्यय में, 5,50 अन्य भत्ते मे, 75 कार्यालय व्यय में, 20 टेलीफोन पर व्यय में, 70 पी0 ओ0 एल0 में 1,20 किराया, उपशुल्क और कर/स्वामित्व में, 2 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि में एवं 2 ही अन्य व्यय हेतु अधिक प्राविधान सम्मिलित किया गया है। दूसरी ओर नये वेतनमानों के साथ अनुमन्य दर पर महंगाई भत्ता देने हेतु 9,95 की कमी महंगाई भत्ते नामक प्राथमिक इकाई में की गई है। नये वेतनमानों के साथ अन्तरिम सहायता अनुमन्य न होने के कारण यहां से 10,64 के प्राविधान को हटा दिया गया है।

104—खेलकूद—

02—प्रदेशीय क्रीड़ा संघों के सहायक अनुदान—(+25)—

संघों द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन करने से संबंधित व्यय में हो रही वृद्धि को देखते हुए यहां 25 का अधिक प्राविधान किया गया है।

03—क्लबों एवं क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं का आयोजन करने एवं खेलकूद उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान—(+30)—

खेलकूद उपकरणों के मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुये यहां 30 की अधिक व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

04—ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद केन्द्रों का विकास तथा शासकीय/अशासकीय स्कूलों में खेलकूद केन्द्रों की स्थापना—(−5,62)—

भारत सरकार द्वारा अनुदानित यह योजना अब समाप्त हो जाने के कारण यहां हो रहे प्राविधान में 5,62 की कमी हो गई है।

05—मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा उन पर व्यय—(+25)—

प्रशिक्षण से सम्बन्धित खेल उपकरणों के मूल्यों में हुई वृद्धि के आधार पर यहां 25 का अधिक प्राविधान किया गया है।

06—भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता—(+20)—

वित्तीय सहायता की दरों में की गई वृद्धि के कारण यहां 20 की अधिक व्यवस्था आवश्यकतानुसार की गई है।

08—क्रीड़ांगनों का विकास—(+13,00)—

क्रीड़ांगनों की संख्या एवं विकास मदों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण यहां 13,00 का अधिक प्राविधान किया गया है।

09—स्पोर्टस कालेज, लखनऊ को अनुदान—(+9,75)—

स्पोर्टस कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने, छात्र खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु क्रय किये जाने वाले खेल उपकरणों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण अधिक व्यवस्था करने एवं छात्रों की आहार दरों में वृद्धि किये जाने के कारण कालेज के अनुदान धनराशि में 9,75 की वृद्धि की गई है।

10—म्योहाल, इलाहाबाद में क्रीड़ा स्थल की स्थापना—(+82)—

इस स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों को समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर नये वेतनमानों का लाभ देने हेतु 82 की अधिक व्यवस्था की गई है।

11—प्रदेश में ग्रामीण खेलकूद योजना का कार्यान्वयन—(−3,00)—

भारत सरकार द्वारा अब यह योजना सीधे प्रादेशिक विकास दल से चलवाई जा रही है। अतः खेल विभाग के बजट में हो रहे इस 3,00 के प्राविधान को हटा दिया गया है।

18—नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान— (+3,88)

इस संस्थान के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ देने एवं पर्वतारोहण से संबंधित नवीन उपकरणों को क्रय करने हेतु उनकी अनुदान राशि में 3,88 की अधिक व्यवस्था की गई है।

19—पर्वतारोही दलों को अनुदान— (+5)—

पर्वतारोही दलों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उनके इस अनुदान के प्राविधान में भी 5 की वृद्धि की गयी है।

आयोजनागत—(−80,26)—

आठवीं पंचवर्षीय योजना काल के प्रथम वर्ष में राजस्व पक्ष में जहां एक ओर "2204—खेल और युवा कल्याण" नामक उप शीर्षक में 37,87 की अधिक व्यवस्था हुई है वहीं दूसरी ओर पूंजीगत पक्ष में "4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय" नामक उपशीर्षक में 1,18,13 की कमी की गई है। इस प्रकार सम्पूर्ण अनुदान के आयोजनागत पक्ष में शुद्ध 80,26 की कमी हुई है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते व यात्रा व्यय जैसी विभिन्न इकाईयों के लिये की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा—			
01—वेतन	7,53	72,05	79,58
03—महंगाई भत्ता	2,89	24,49	27,38
04—यात्रा व्यय	40	2,87	3,27
05—अन्य भत्ते	1,48	10,20	11,68
06—कार्यालय व्यय	40	4,16	4,56
07—टेलीफोन पर व्यय	..	65	65
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	4,50	..	4,50
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15	1,30	1,45
11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व	..	3,15	3,15
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	27,75	1,01,53	1,29,28
16—आतिथ्य व्यय/ व्यय विषयक भत्ता आदि	..	8	8
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	65	..	65
25—सामग्री और सम्पूर्ति	19,60	20	19,80
33—अन्य व्यय	93,40	57,25	1,50,65
योग–(राजस्व)	1,58,75	2,77,93	4,36,68
पूंजी–लेखा—			
18—वृहत् निर्माण कार्य	34,50	..	34,50
योग (पूंजी)	34,50	..	34,50
कुल योग (राजस्व एवं पूंजी)	1,93,25	2,77,93	4,71,18

अनुदान संख्या—24

गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

गत वर्ष 1989–90 के अनुमान 21,17,07 (मतदेय–21,12,35 तथा भारित –*4,72*) की तुलना में आय-व्यय वर्ष के अनुमान 21,19,87 (मतदेय–21,17,83 तथा भारित–*2,04*) रखे जाने के फलस्वरूप 2,80, (मतदेय+5,48 तथा भारित–*2,68*) की वृद्धि परिलक्षित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

आयोजनेतर—

राजस्व लेखा (मतदेय–15,32 तथा भारित–*44*)

2049—ब्याज संदाय (भारित–*44*)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गतवर्ष 1989–90 के आय-व्ययक अनुमान 70 के समक्ष 44 की कमी प्रदर्शित है।

2401—कृषि कार्य (–21,52)

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गतवर्ष 1989–90 के आय-व्यय अनुमान 11,26,91 के समक्ष 21,52 की कमी प्रदर्शित है।

2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा (+6,20)

समता समिति की संस्तुतियों के क्रियान्वयन तथा अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर गतवर्ष 1989–90 के आय-व्यय अनुमान 87,54 के समक्ष 6,20 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा—

6003—राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित–*2,24*)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गतवर्ष 1989–90 के आय-व्ययक अनुमान 4,02 के समक्ष 2,24 की कमी प्रदर्शित है।

6425—सहकारिता के लिए उधार (—50,00)

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ को कृषि निवेशों/उर्वरक हेतु आय-व्ययक वर्ष में अपेक्षाकृत कम अल्पकालीन ऋण सहायता प्राप्त होने की संभावना के फलस्वरूप 50,00 की कमी प्रदर्शित है।

आयोजनागत (+70,80)

गत वर्ष में 1989-90 के अनुमान 3,96,40 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में कार्य क्रम के आधार पर 4,67,20 का प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप 70,80 की वृद्धि परिलक्षित होती है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में आय-व्ययक में की गयी व्यवस्था निम्नवत् है :

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा—				
01—वेतन		..	6,82,11	6,82,11
03—महंगाई भत्ता		..	2,84,39	2,84,39
04—यात्रा व्यय		..	38,16	38,16
05—अन्य भत्ते		..	38,71	38,71
06—कार्यालय व्यय		..	8,54	8,54
07—टेलीफोन पर व्यय		..	2,08	2,08
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		..	7,12	7,12
11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व		..	4,15	4,15
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता		4,67,20	1,32,87	6,00,07
25—माल और सम्पूर्ति		..	1,00	1,00
33—अन्य व्यय	मतदेय	..	1,50	1,50
	भारित	..	*26*	*26*
योग राजस्व	मतदेय	4,67,20	12,00,63	16,67,83
	भारित	..	*26*	*26*
पूंजी लेखा—				
6003—राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित)		..	*1,78*	*1,78*
6425—सहकारिता के लिए उधार-मतदेय 24—निवेश/ऋण		..	4,50,00	4,50,00
कुल योग	मतदेय	4,67,20	16,50,63	21,17,83
	भारित	..	*2,04*	*2,04*

अनुदान संख्या—25

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष 1,10,91,65 (86,40,71 मतदेय तथा *24,50,94* भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिए 1,35,33,02 (1,13,76,29 मतदेय तथा *21,56,73* भारित) की मांग की गई है। इस प्रकार 24,41,37 मतदेय 27,35,58 (वृद्धि) तथा भारित *2,94,21* (कमी) की वृद्धि सम्भावित है। जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :—

राजस्व लेखा (मतदेय) (—3,14,41)
(भारित) (—*3,04,88*)

आयोजनेतर—

2040—बिक्रीकर (भारित) (—*3,52,21*)

797—रक्षित निधियों तथा निक्षेप लेखों को संक्रमण के अन्तर्गत गन्ना क्रय कर की वसूली के आधार पर—02—उ0प्र0 शक्कर फैक्ट्रियां पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि को संक्रमण—29—अन्तर्लेखा संक्रमण (भारित) में *2,71,79* की कमी तथा 03—उ0प्र0 गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए ऋण सहायता निधि को संक्रमण—29—अन्तर्लेखा संक्रमण (भारित) में *80,42* की कमी अर्थात् कुल 3,52,21 की कमी अनुमानित है।

2049—ब्याज संदाय (भारित) (+*47,33*)

01—आन्तरिक ऋणों पर ब्याज—200—अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज—01—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम प्राप्त ऋणों पर ब्याज (भारित) के अन्तर्गत निगम के ब्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर *47,33* की वृद्धि अनुमानित है।

2852---उद्योग

08---उपभोक्ता उद्योग--

001---निदेशन और प्रशासन---

(+37,80)---चीनी आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत समता समिति की संस्तुतियों को लागू किए जाने के कारण 37,80 की वृद्धि प्रत्याशित है।

201---चीनी (-3,52,21)

01---उ0 प्र0 शक्कर फैक्ट्रियां पुन: स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0 प्र0 शक्कर विशेष समिति भुगतान---33---अन्य व्यय तथा 02---उ0 प्र0 अभाव ग्रस्त शक्कर फैक्ट्रियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0 प्र0 शक्कर विशेष समिति को भुगतान---33---अन्य व्यय के अन्तर्गत क्रमश: 2,71,79 एवं 80,42 की कमी गन्ना क्रय कर की वसूली के आधार पर अनुमानित है।

पूंजी लेखा---

आयोजनेतर---

मतदेय (+67,49,99)

भारित (+10,67)

4860---उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय---

04---चीनी---

190---सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम तथा सहकारी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य के भुगतान, आफ सीजन रिपेयर तथा कर्मचारियों को देयों के भुगतान हेतु आयोजनेतर पक्ष से 67,50,00 अंश पूंजी उपलब्ध कराने के लिए इतनी ही राशि की वृद्धि प्रदर्शित है।

6003---राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण भारित (+10,67)

108---राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से उधार--- 01---ऋणों का प्रतिदान (भारित) के अन्तर्गत निगम को मूलधन के प्रतिदान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 10,67 की वृद्धि परिलक्षित है।

6860---उपभोक्ता उद्योगों के लिये उधार (-1)

02---चीनी मिलों को ऋण---24---निवेश/ऋण के अन्तर्गत आवश्यकता न होने के कारण 1, की कमी है।

आयोजनागत (-37,00,00)

4860---उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम तथा उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ के अन्तर्गत नई चीनी मिलों की स्थापना तथा आधुनिकीकरण / पुनर्वासन आदि कार्यों हेतु कम अंश पूंजी के कारण विनियोजन 37,00,00 की कमी अनुमानित है।

भाग-4-उन वसूलियों के व्योरे जिन्हें लेखे में व्यय में से घटा दिया गया है।

इसके अन्तर्गत उ0 प्र0 शक्कर फैक्ट्रियां पुन: स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के अन्तर्गत 2,71,79 की कमी सम्भावित है तथा उ0 प्र0 गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ऋण सहायता निधि के अन्तर्गत 80,42 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार कुल 3,52,21 कम वसूलियों का अनुमानित अनुमान है। तदनुसार इस सीमा तक व्यय में कमी होने की सम्भावना है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय आदि तथा पूंजी व्यय के लिए की गई व्यवस्था निम्नवत् है।

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा---				
01---वेतन		..	1,10,00	1,10,00
02---महंगाई भत्ता		..	38,88	38,88
03---यात्रा व्यय		..	6,60	6,60
04---अन्य भत्ते		..	8,50	8,50
05---कार्यालय व्यय		..	3,20	3,20
06- टेलीफोन पर व्यय		..	50	50
09- मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		..	2,50	2,50
11---किराया, उपशुल्क और कर---स्वामिस्व		..	2,60	2,60
14---सहायक अनुदान /अंशदान/राज-सहायता		..	6,96,75	6,96,75
20---मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र		..	25	25
33---अन्य व्यय	(मतदेय)	..	12,55,51	12,55,51
	(भारित)	..	*19,66,23*	*19,66,23*
योग	(मतदेय)	..	21,26,29	21,26,29
	(भारित)	..	*19,66,23*	*19,66,23*

पूंजी लेखा—

4860—उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय

24—निवेश / ऋण	..	25,00,00	67,50,00	92,50,00
6003—राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित)	..	..	*1,90,50*	*1,90,50*
मतदेय	..	25,00,00	67,50,00	92,50,00
भारित	..	..	*1,90,50*	*1,90,50*
कुल योग — मतदेय	..	25,00,00	88,76,29	1,13,76,29
कुल योग — भारित	..	..	*21,56,73*	*21,56,73*

अनुदान संख्या—26

गृह विभाग (कारागार)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के अनुमान 28,05,41 के समक्ष आय-व्ययक वर्ष के अनुमान 30,51,19 के हैं इस प्रकार 2,45,78 की वृद्धि हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :—

राजस्व लेखा—आयोजनेतर—

2056—जेलें (+50,40)—

इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन मानों के पुनरीक्षण तथा मूल्य वृद्धि आदि कारणों से जहां वेतन में 6,00,46, मजदूरी में 1,60, यात्रा व्यय में 1,48, अन्य भत्ते में 24,38, टेलीफोन में 9,8, पेट्रोल के क्रय में 3,94, सहायक अनुदान में 10, अनुरक्षण में 18,00 तथा सामग्री व सम्पूर्ति में 4,87 की वृद्धि अनुमानित है वहां आवश्यकता न होने के कारण महंगाई भत्ते में 2,08,03, कार्यालय व्यय में 8,03, गाडियों के क्रय में 30,77, छात्रवृत्ति में 25, लघु निर्माण-कार्य में 4, मशीनों में 74,16, अन्तरिम सहायता में 2,07,76 तथा अन्य व्यय में 76,37 की कमी परिलक्षित है।

पूंजी लेखा—आयोजनागत—

4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय—(+1,95,38)

इस शीर्षक के अन्तर्गत कारागारों के नये भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था के कारण वृहत् निर्माण-कार्यों में 1,95,38 की वृद्धि अनुमानित है।

अनुदान के अन्तर्गत वेतन भत्तों हेतु कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	..	..	11,42,79	11,42,79
02—मजदूरी	..	..	10,85	10,85
03—महंगाई भत्ता	..	..	3,88,50	3,88,50
04—यात्रा व्यय	..	..	15,96	15,96
05—अन्य भत्ते	..	..	74,18	74,18
06—कार्यालय व्यय	..	..	13,41	13,41
07—टेलीफोन पर व्यय	..	..	4,10	4,10
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	..	..	1	1
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	..	9,40	9,40
10—व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	..	..	1,00	1,00
11—किराया, उप शुल्क और कर-स्वामित्व	..	..	35	35
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	..	4,00	4,00
15—छात्रवृत्तियां / छात्र वेतन	..	..	6	6
18—वृहत् निर्माण-कार्य	..	2,00,00	..	2,00,00
19—लघु निर्माण-कार्य	..	..	15,47	15,47
20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	..	..	11,75	11,75
23—अनुरक्षण	..	..	90,00	90,00
25—सामग्री और सम्पूर्ति	..	..	2,74,35	2,74,35
33—अन्य व्यय	मतदेय ..	..	7,94,99	7,94,99
	भारित ..	..	*2*	*2*
योग ..	मतदेय ..	2,00,00	28,51,17	30,51,17
	भारित ..	..	*2*	*2*

अनुदान संख्या-27

गृह विभाग (पुलिस)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक 1990-91 के लिए कुल 5,06,90,18 (मतदेय 5,05,44,35 तथा भारित *1,45,83*) की मांग है जबकि गत वर्ष 1989-90 की कुल मांग 4,34,89,23 (मतदेय 4,33,88,98 तथा भारित *1,00,25*) की थी। इस प्रकार 72,00,95 की वृद्धि है जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :---

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर-- मतदेय (+75,24,05)
भारित (+*12,58*)

2049--ब्याज संदाय भारित (+ *28,08*)

इस शीर्षक के अन्तर्गत भारतीय साधारण बीमा निगम से अग्रिम प्राप्त ऋण के साधारण ब्याज भुगतान के कारण ब्याज में 28,08 की वृद्धि अनुमानित है।

2055--पुलिस-मतदेय (+72,85,84)
भारित--(- *6,50*)

इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतनमानों के पुनरीक्षण मूल्य वृद्धि आदि कारणों से जहां वेतन में 1,38,46,72, मजदूरी में 27, यात्रा व्यय में 3,50,14, अन्य भत्ते में 10,04,15, कार्यालय व्यय में 1,9736, टेलीफोन व्यय में 19,76, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण में 2,28, किराया में 13, छात्रवृत्ति में 200, गुप्त सेवा व्यय में 40,00, मशीन, साज-सज्जा में 1,34,32, अनुरक्षण में 1,62,85, तथा अन्य व्यय में 1,77 की वृद्धि अनुमानित है, महगाई भत्ते में 39,49,11, मोटर गाड़ियों के क्रय में 8,23, सहायक अनुदान में 32,00, लघु निर्माण मे 1,40,30 तथा अन्तरिम सहायता में 43,46,27 की कमी परिलक्षित है। भारित में अन्य व्यय में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर *6,50* की कमी परिलक्षित है।

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें (+2,10,45)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि वास्तविक आवश्यकता तथा वेतन मानों के पुनरीक्षण के कारण जहां वेतन में 3,97,42, मजदूरी में 78, यात्रा व्यय में 2,25, अन्य भत्ते में 15,17, कार्यालय व्यय में 2,51, टेलीफोन में 1,20, मोटर गाड़ियों के क्रय में 1,40, पेट्रोल के क्रय में 5, तथा अन्य व्यय में 15 की वृद्धि अनुमानित है वहां महंगाई भत्ते में 99,63 तथा अन्तरिम सहायता में 1,10,85 की कमी परिलक्षित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण(+18,98)

इस शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अन्य व्यय में 18,98 की वृद्धि अनुमानित है।

2251--सचिवालय सामाजिक सेवायें-- (+8,78)

इस शीर्षक के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि तथा वेतन पुनरीक्षण के कारण जहां वेतन में 16,21, यात्रा व्यय में 7, अन्य भत्ते में 1,45, टेलीफोन में 6, तथा पेट्रोल के क्रय में 10 की वृद्धि अनुमानित है वहां महंगाई भत्ते में 4,22, मोटर गाड़ियों के क्रय में 1; भवन किराया में 1, अनुरक्षण में 1 तथा अन्तरिम सहायता में 4,86 की कमी परिलक्षित है।

पूंजी लेखा--

आयोजनागत--(--4,16,17)

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (--1,05,30))--

इस शीर्षक के अन्तर्गत कुछ योजनाएं पूर्ण हो जाने के कारण वृहत् निर्माण-कार्य में 1,05,30 की कमी, परिलक्षित है।

4070--अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय (-29,77)

इस शीर्षक के अन्तर्गत योजनाएं पूर्ण हो जाने के कारण लघु निर्माण कार्य में 29,77 की कमी परिलक्षित है।

4216--आवास पर पूंजी परिव्यय--(--2,81,10)

इस शीर्षक में योजनाएं पूर्ण हो जाने के कारण वृहत् निर्माण-कार्य में 2,81,10 की कमी परिलक्षित है।

आयोजनेतर--मतदेय (+47,49)
भारित (+*24,00*)

4215--जलपूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय (+47,49)

इस शीर्षक के अन्तर्गत मतदेय में कुछ नई योजनाएं शुरू हो जाने के कारण वृहत् निर्माण-कार्य में 44,90 तथा लघु निर्माण-कार्य में 2,59 की वृद्धि अनुमानित है।

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण-भारित (+*24,00*)

इस शीर्षक के अन्तर्गत भारित में भारतीय साधारण बीमा निगम के अधिक ऋणों की वापसी हेतु अन्य व्यय में 24,00 की वृद्धि अनुमानित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन व भत्तों आदि के लिए मदवार कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हज़ार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन		..	2,79,55,27	2,79,55,27
02--मजदूरी		..	15,78	15,78
03--महंगाई भत्ता		.	95,05,81	95,05,81
04--यात्रा व्यय		..	24,72,19	24,72,19
05--अन्य भत्ते		..	40,44,31	40,44,31
06--कार्यालय व्यय		..	16,39,79	16,39,79
07--टेलीफोन पर व्यय		..	1,20,64	1,20,64
08--मोटर गाड़ियों का क्रय		..	4,83,86	4,83,86
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		..	8,53,15	8,53,15
10--व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		..	1,01	1,01
11--किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व		..	99,29	99,29
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता		..	27,46	27,46
15--छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन		..	60,63	60,63
17--गुप्त सेवा व्यय		..	41,06	41,06
18--बृहत् निर्माण-कार्य		2,91,24	4,74,75	7,65,99
19--लघु निर्माण-कार्य		..	1,42,08	1,42,08
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		..	13,33,37	13,33,37
23--अनुरक्षण		..	5,08,88	5,08,88
25--सामग्री और सम्पूर्ति		..	46,00	46,00
26--ब्याज / लाभांश (भारित)			*74,62*	*74,62*
33--अन्य व्यय	मतदेय		4,27,78	4,27,78
	भारित	..	*71,21*	*71,21*
योग ..	मतदेय ..	2,91,24	5,02,53,11	5,05,44,35
	भारित ..	..	*1,45,83*	*1,45,83*

अनुदान संख्या--28

गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

गत वर्ष के 16,12,99 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष का मूल अनुदान 19,52,66 का है। इस प्रकार 3,39,67 की वृद्धि है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :

आयोजनेतर (+3,39,67)

2014--न्याय प्रशासन (+1,39,80)

समता समिति की संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप वेतन, अन्य भत्ते आदि मदों में वृद्धि के कारण 1,39,80 की वृद्धि परिलक्षित है।

2052--सचिवालय-सामान्य सेवायें (+24)

बीमा पर व्यय में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 24 की वृद्धि परिलक्षित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+2,11,00)

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप 2,10,00 की तथा स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों के प्रमुख प्रतिष्ठित सेनानियों के जीवनियों के प्रकाशन हेतु आय-व्ययक व्यवस्था कराये जाने के कारण 1,00 की अर्थात् कुल 2,11,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

2251--सचिवालय-सामाजिक सेवायें (+1,37)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् में 58, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन में 115 तथा उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान में 20 की वृद्धि है। इसके विपरीत स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों के स्मारकों/स्तम्भों के निर्माण में 5,30 की कमी है। इन न्यूनाधिक्यों को समायोजित करने पर कुल 1,37 की वृद्धि परिलक्षित है।

3055—सड़क परिवहन (—10,00)

के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 10,00 की कमी है

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ते आदि के लिये आय-व्ययक में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :

(हजार रुपये में)

मानक मद	धनाराशि
राजस्व लेखा—	
01—वेतन	4,04,44
03—महंगाई भत्ता	1,58,09
04—यात्रा व्यय	12,08
05—अन्य भत्ते	61,68
06—कार्यालय व्यय	18,61
07—टेलीफोन पर व्यय	2,76
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	71
11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	3,82
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	57,00
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1
27—पेंशन तथा आनुतोषिक	12,10,00
33—अन्य व्यय	23,46
योग, मतदेय	19,52,66

अनुदान संख्या—29

गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष की मांग 35,02,30 की है जबकि गत वर्ष यह मांग 33,73,06 की थी। इस प्रकार 1,29,24 की वृद्धि हुई जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है।

राजस्व लेखा—

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें (+1,35,24)—

इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतनमानों/पुनरीक्षण के कारण वेतन में 2,96,08, यात्रा व्यय में 1,01, अन्य भत्ते में 52,99, कार्यालय व्यय में 1,09, टेलीफ़ोन पर व्यय में 64, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण में 49, किराया उप शुल्क कर स्वामिस्व 90, मशीनें तथा सज्जा/उपकरण एवं सयंत्र में 5, अनुरक्षण में 6 तथा माल तथा सम्पूर्ति में 2 की वृद्धि प्रदर्शित है जबकि मजदूरी में 1,74, महंगाई भत्ता में 1,06,45, मोटर गाड़ियों के क्रय में 1,51, लघु निर्माण कार्य में 3,54, अन्तरिम सहायता में 1,03,84 तथा अन्य व्यय में 96 की कमी परिलक्षित है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—(—6,00)—

इस शीर्षक के अन्तर्गत एक योजना समाप्त कर दिये जाने के कारण अन्य व्यय में 6,00 की कमी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, भत्तों आदि में कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है—

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनेतर
राजस्व लेखा—	
01—वेतन	5,78,22
02—मजदूरी	20,02,33
03—महंगाई भत्ता	2,02,29
04—यात्रा व्यय	30,07
05—अन्य भत्ते	1,25,51
06—कार्यालय व्यय	15,57
07—टेलीफ़ोन पर व्यय	3,53
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	4,50
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10,52
11—किराया, उप शुल्क और कर स्वामिस्व	9,50
15—छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	4,43,01
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	14,53
23 अनुरक्षण	1,56
25—माल और सम्पूर्ति	55,08
32—अन्तरिम सहायता	1,18
33—अन्य व्यय	4,90
कुल योग	35,02,30

अनुदान संख्या–30

गोपन विभाग

(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष 49,21 की मांग के विपरीत **55,05 की मांग है। इस प्रकार कुल 5,84 की वृद्धि हुई है।** जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--(+5,84)--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--

800--अन्य व्यय--

01--राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय (+5,84)--

नये वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर "वेतन" में 7, 44 की वृद्धि तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण राशि वेतन में समायोजित हो जाने से अन्तरिम सहायता में 1,80 की कमी हुई है। अवशेष भुगतान के लिये आवश्यक व्यवस्था करने से "महंगाई भत्ता" में 10 की वृद्धि प्रदर्शित है। कार्यालय सामग्री की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप वास्तविक व्यय के आधार पर "कार्यालय व्यय" में 10 की बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर 5,84 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

मानक मद	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा		
01--वेतन	13,44	13,44
03--महंगाई भत्ता	6,00	6,00
04--यात्रा व्यय	50	50
05--अन्य-भत्ते	1,50	1,50
06--कार्यालय व्यय	1,10	1,10
07--टेलीफोन पर व्यय	1,00	1,00
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	75	75
17--गुप्त सेवा व्यय	30,75	30,75
33--अन्य व्यय	1	1
योग	55,05	55,05

क्रम संख्या–31

गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की मूल मांग *70,80* (भारित) के विपरीत बजट वर्ष के लिये *80,31* (भारित) की मांग की गई है। इस प्रकार कुल 9,51 की वृद्धि हुई है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--(भारित) (+*8,31*)--

2012:--राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्य/संघ/ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (भारित) (+*9,51*)--

090--सचिवालय--(–9,85)--

नये वेतनमान में वेतन निर्धारण महंगाई भत्ते का अधिकांश भाग तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण राशि वेतन में समायोजित हो जाने के कारण "वेतन" में 14,00 की "अन्य भत्ते" मे 3,70 की, तथा वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर "टेलीफोन पर व्यय" में 1,00 वृद्धि एवं "महंगाई भत्ता" में 5,50 की तथा "अन्तरिम सहायता" में 3,35 की कमी हुई। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित किये जाने के उपरान्त 9,85 की शुद्ध कमी परिलक्षित है।

103--गृह स्थापना (भारित)--

01--कर्मचारी वर्ग-- (--*1,48*)--

उपर्युक्त कारणों से ही यहां पर "वेतन" में 1,42 की तथा "अन्य भत्ते" में 72 की वृद्धि तथा "महंगाई भत्ते" में 2,05 की एवं "अन्तरिम सहायता" को मद में 1,57 की कमी की गई है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने के उपरान्त यहां पर 1,48 की कमी प्रदर्शित है।

105--चिकित्सा सुविधायें (भारित)--

01--चिकित्सा संबंधी व्यय-- (+27)--

ऊपर वर्णित कारणों से यहां पर भी "वेतन" में 65 की "अन्य भत्ते" में 5 की एवं "कार्यालय व्यय" में 20 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ते में 38 की तथा अन्तरिम सहायता में 25 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार न्यूनाधिक्ताओं को समायोजित करते हुए यहां पर कुल 27 की वृद्धि प्रदर्शित है।

800--अन्य व्यय--

02--राज भवन में स्वच्छता (भारित) (+87)--

नये वेतनमान में "वेतन" निर्धारण, महंगाई का अधिकांश भाग तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण राशि "वेतन" में समायोजित हो जाने और भत्तों की पुनरीक्षित दरों के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक गणना के आधार पर "वेतन" में 1,10 की, "अन्य भत्तों" में 50 की वृद्धि तथा "महगाई भत्ते" में 30 की तथा अन्तरिम सहायता में 43 की कमी प्रदर्शित है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर 87 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है। (हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनेतर (भारित)	योग
राजस्व लेखा--		
01--वेतन	35,92	35,92
03--महंगाई भत्ता	8,42	8,42
04--यात्रा व्यय	1,72	1;72
05--अन्य भत्ते	7,20	7,20
06--कार्यालय व्यय	7,45	7,45
07--टेलीफोन पर व्यय	4,50	4,50
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	1	1
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00	2,00
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,12	1,12
16--आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1,44	1,44
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1	1
33--अन्य व्यय	10,52	10,52
800--अन्य व्यय	..	..
योग (भारित)	80,31	80,31

अनुदान संख्या-32

चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग 2,12,87,57 (2,12,86,57 मतदेय एवं *1,00* भारित) की है, जबकि गत वर्ष यह मांग कुल 1,49,08,14 (1,49,07,14 मतदेय एवं *1,00* भारित) की थी। इस प्रकार इस अनुदान के अन्तर्गत 63,79,43 की वृद्धि हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--

आयोजनेतर--(+48,89,69)--

आयोजनेतर--(+48,89,69)--

राजस्व लेखा--(+48,89,69)--

01--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--एलोपैथी (+16,32,07)--

001--निदेशन और प्रशासन (+54,05)--

01--निदेशन और प्रशासन (+47,40)--

समता समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वियन तथा आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरण के फलस्वरूप वेतन के लिये 56,00, यात्रा व्यय में 80, अन्य भत्ते के लिये 10,10 की, "कार्यालय व्यय के लिये 80 की, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण के लिये 10 की वृद्धि स्वीकार की गई है। दूसरी ओर महंगाई भत्ते में तथा अन्तरिम सहायता में 9,00 की तथा 11,40 की कमी प्रदर्शित है।

02--स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश में क्षय रोग इकाई (सेल) की स्थापना--(+80)--

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वियन के फलस्वरूप वेतन में 16 की, अन्य भत्ते में 10 की, अतिरिक्त प्राविधान किया गया है। पर दूसरी ओर महंगाई भत्ते में 50, अन्तरिम सहायता में 40 की कमी हुई है।

03--स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ0 प्र0 में विद्युत् एवं यांत्रिक अनुरक्षण कोष्ठक की स्थापना (+5,85)--

उक्त शीर्षक के अन्तर्गत वेतन की मद में 6,35 की, यात्रा व्यय में 20 "अन्य भत्ते में 1,10, "कार्यालय व्यय" में 15 की, अन्य व्यय में 30 की वृद्धि प्रदर्शित है, जबकि वेतन में समायोजित होने के कारण महंगाई भत्ते में 1,05 की तथा अन्तरिम सहायता में 1,20 की कमी हुयी है।

104--चिकित्सा भण्डार डिपो (+1,51)--

समता समिति की रिपोर्ट लागू होने के कारण वेतन में 2,60 की, अन्य भत्ते में 30 की, तथा मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण में तथा पी0 ओ0 एल0 में 1 की बढ़ोतरी की गई है। वहीं दूसरी ओर महंगाई भत्ते में 70 तथा अन्तरिम सहायता में 70 की कमी की गई है।

110--अस्पताल और औषधालय (+12,42,22)--

समता समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वियन तथा आयोजनागत पक्ष की अनेक योजनाओं के बचन बद्ध व्यय को आयोजनेतर पक्ष में सामान्यीकृत किये जाने के फलस्वरूप "01--जिला चिकित्साधिकारियों" के लिये 1,85,40 की, "02--एलोपैथी एकीकृत चिकित्सा और औषधालय" के लिये 6,95,29 की, "03--उपचारिका सेवायें" के लिये 1,84,68 की, "04--क्षय रोग रुजालय" के लिए 1,34,00 की, "05-कुष्ठ रोगियों की व्यवस्था" के लिये 31,55 "06--मस्तिष्क रोग चिकित्सालय" के लिये 1,10 "20--यू0 पी0 निवास नई दिल्ली में डिस्पेन्सरी के विस्तार के लिये 3,60 "24--अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चिकित्सालय सचल दल की स्थापना के लिये 4,50 "26--मण्डलीय मुख्यालयों पर अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिये रोगी वाहनों की व्यवस्था के लिए 3,50, की वृद्धि की गई, दूसरी तरफ 07--अन्तर्प्रान्तीय मस्तिष्क रोग चिकित्सालय रांची के व्यय में राज्य के भाग के लिये 1,40 की कमी प्रदर्शित है।

200--अन्य स्वास्थ्य योजना-- (+2,47,19)--

0109--सीतापुर में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना--(-1,00)--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र प्रायोजित योजनायें--

इस शीर्षक में 1,00 की कमी प्रदर्शित की गई है।

04--सीतापुर के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना--

इस शीर्षक में 1,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

05--राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण प्रोग्राम-- (+2,24,00)--

सप्तम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात आयोजनागत पक्ष की इस योजना के आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित, किये जाने के फलस्वरूप वेतन में 1,20,00, मंहगाई भत्ते में 35,00 , यात्रा व्यय में 10,00 अन्य भत्ते में 25,00, कार्यालय व्यय में 12,00, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण में तथा पेट्रोल की खरीद आदि में 7,00 की, तथा अन्य व्यय में 15,00, का प्राविधान किया गया है।

06--प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम (+20,45)--

आयोजनागत पक्ष से आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तारण के फलस्वरूप वेतनादि की विभिन्न मदों के अधीन कुल 20,45 का प्राविधान किया गया है।

07--प्रदेश में आध्यात्मिक सेल की स्थापना-- (+ 2,15)--

आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरण के कारण 2,15 की व्यवस्था की गई है।

08--राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम-- (+59)--

आयोजनागत पक्ष से आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरण के कारण इस योजनान्तर्गत 59 की, व्यवस्था की गई है।

800--अन्य व्यय (+ 87,10)--

"0102--श्रीब्रज सेवा समिति क्षय रोग आश्रम (वृन्दावन) मथुरा के लिये 5,52 की, "0104--कमला नेहरू स्मारक चिकित्सालय इलाहाबाद के लिये 14,06 की, 0130--जनहितकारी चिकित्सालय, कानपुर को आवर्तक अनुदान हेतु 40 की, "0132 सीतापुर नेत्र चिकित्सालय को अतिरिक्त आवर्तक/अनावर्तक अनुदान हेतु 45,12 की, "0410--सेन्ट्रल हास्पिटल फण्ड कमेटी के लिये 30,35 की, 07--उत्तर प्रदेश लाटरी की शुद्ध प्राप्तियों में से व्यय के लिये 30,35 की, तथा 09--नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिये डा0 एम0 पी0 मेहरे पुरस्कार हेतु 1,30 की, अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर "08--राजकीय चिकित्सालयों व औषधालयों के निबन्धन फीस में से व्यय" के प्राविधान में 40,00 की कमी प्रदर्शित है।

03--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें--(+ 32,57,62)--

110--अस्पताल और औषधालय (+ 32,12,52)--

01--जिला चिकित्साधिकारी (+ 12,50)--

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वियन के फलस्वरुप वेतन के लिये 19,55 की, अन्य भत्ते के लिये 2,50 की, वृद्धि स्वीकार की गई है। वहीं दूसरी ओर महंगाई भत्ता में 4,95 तथा अन्तरिम सहायता में 4,60 की कमी हुई है।

02--एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय-- (+30,20,22)--

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वियन तथा अनेक आयोजनागत योजनाओं के आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के कारण इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन में 25,72,50 की, मंहगाई भत्ता में 1,20,30 की, यात्रा व्यय में 11,52 की, अन्य भत्ते में 3,05,55 की, टेलीफोन पर व्यय में 6,08 की; किराया, उप शुल्क एवं कर में 22 की, लघु निर्माण कार्य (अनुरक्षण) में 13,50 की मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद आदि पर 11,62 की, सामग्री और सम्पूर्ति-औषधि में 2,29,10 तथा आहार में 4,00 तथा अन्य व्यय में 85,83 की वृद्धि की गई है। अन्तरिम सहायता को वेतन में समायोजित कर दिये जाने के कारण 3,30,00 की कमी प्रदर्शित है।

03—कुष्ठ रोगियों की सहायता (+84,00)—

समता समिति की संस्तुतियों के कारण वेतन में 1,35,000 की, अन्य भत्ते में 30,00 की वृद्धि स्वीकार की गई है। वहीं दूसरी ओर महंगाई भत्ता में 42,00 एवं अन्तरिम सहायता की मद में 39,00 की कमी हुयी है।

11—क्षय रोग रुजालय— (+52,40)—

इस शीर्ष में वेतन की मद में 44,00 महंगाई भत्ते की मद में में 6,50, अन्य भत्ते में 5,50 की वृद्धि प्रदर्शित की गई है। दूसरी ओर अन्तरिम सहायता की मद में 3,60 की कमी हुई है।

12—उपचारिका सेवायें—(+43,40)—

इस शीर्ष में वेतन की मद में 53,80 की, अन्य भत्ते में 13,800 की अतिरिक्त प्राविधान किया गया है जबकि महंगाई भत्ते में तथा अन्तरिम सहायता में क्रमश: 11,20 एवं 13,00 की कम व्यवस्था की गई है।

200—अन्य स्वास्थ्य योजना (+45,10)—

02—पैरा मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण की व्यवस्था (+14,90)—

आयोजनागत पक्ष से आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरण के फलस्वरूप वेतन की मद में 6,00 की, महंगाई भत्ते में 1,90 की; अन्य भत्ते में 50 की, छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन में 3,00 तथा अन्य व्यय में 3,50 का प्राविधान किया गया है।

04—प्रदेश में अन्धेपन की रोक थाम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास(+30,20)—

आयोजनागत पक्ष से आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरण के कारण वेतन की मद में 18,00 की, महंगाई भत्ते में 6,00, यात्रा व्यय में 70 की, अन्य भत्ते में 2,50 की एवं अन्य व्यय में 3,00 का प्राविधान किया गया है।

आयोजनागत (+ 14,89,74)—

राजस्व लेखा—(−13,63,79)—

गत वर्ष 26,03,85 के प्राविधान की तुलना में इस वर्ष आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के लिये आवश्यकतानुसार 12,40,06 की व्यवस्था की गई है, जो 13,63,79 कम है। 12,400,06 के प्राविधान में 6,37,23 की धनराशि नई योजनाओं हेतु सम्मिलित है।

पूंजी लेखा— (+28,53,53)—

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में भवनों के निर्माण एवं भूमि आदि के क्रय हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 28,53,53 की वृद्धि प्रदर्शित है। 37,46,37 के प्राविधान में नये निर्माण कार्यों हेतु 20,71,23 सम्मिलित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, भत्तों आदि के लिये आय-व्ययक में की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है:—

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	4,75,15	72,99,73	77,74,88
03—महंगाई भत्ता	1,66,82	24,01,74	25,68,56
04—यात्रा व्यय	14,44	96,25	1,10,69
05—अन्य भत्ते	99,18	12,69,64	13,68,82
06—कार्यालय व्यय	2,20	1,68,55	1,70,75
07—टेलीफोन पर व्यय	15	11,67	11,82
11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	5	48,72	48,77
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	10,00	8,98,92	9,08,92
15—छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	4,50	14,35	18,85
18—वृहत् निर्माण कार्य	36,46,37	..	37,46,37
19—लघु निर्माण कार्य	4,00	4,70,00	4,74,00
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,86,42	..	1,86,42
21—मोटर गाड़ियों की खरीद	4,16	12,00	16,16
22—मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,02	87,94	90,96
23—अनुरक्षण (उपकरण)	..	3,00,00	3,00,00
25—सामग्री और संपूर्ति—औषधि	2,90	20,22,10	20,25,00
आहार	35	4,61,10	4,61,45
33—अन्य व्यय— मतदेय	2,66,72	7,36,43	10,04,15
भारित	..	*1,00*	*1,00*
योग मतदेय	49,86,43	1,63,00,14	2,12,86,57
योग भारित	..	*1,00*	*1,00*

अनुदान संख्या---33

चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के 22,66,09 (22,66,07 मतदेय तथा 2 भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिये 33,07,39 (33,07,37 मतदेय तथा 2 भारित) के अनुमान निर्धारित किए गये हैं। तदनुसार इस अनुभाग के अन्तर्गत शुद्ध 10,41,30 की वृद्धि परिलक्षित है। जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (+ 10,41,30).

राजस्व लेखा--(+8,12,17)

आयोजनतर--(+10,45,82)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (+10,45,82)

02--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--अन्य चिकित्सा पद्धतियां--(+3,16,12)

101--आयुर्वेद (+3,05,29)

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत गत वर्ष के 3,34,59 की तुलना में बजट वर्ष के लिए 6,39,88 की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार शुद्ध 3,05,29 की वृद्धि परिलक्षित है जिसमें 2,18,75 का आधिक्य आयोजनागत योजनाओं के आयोजनेतर पक्ष में सामान्यीकरण के फलस्वरूप तथा शेष 86,54 की वृद्धि आयोजनेतर पक्ष की चालू योजनाओं की सामान्य आवश्यकता के फलस्वरूप प्रदर्शित है।

103--यूनानी (+8,39)

उक्त इंगित 8,39 के आधिक्य में 2,44 का आधिक्य आयोजनागत योजनाओं के सामान्यीकरण के फलस्वरूप प्रदर्शित है तथा शेष 5,95 की अतिरिक्त व्यवस्था आयोजनेतर पक्ष की चालू योजनाओं के निमित्त की गई है।

796--आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना (+2,44)

आयोजनागत पक्ष की योजनाओं को आयोजनेतर पक्ष में व्यावर्तित किए जाने के फलस्वरूप 2,44 की वृद्धि परिलक्षित है।

04--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें--(+6,27,68)

101--आयुर्वेद (+5,77,17)

उक्त इंगित 5,77,17 की कुल वृद्धि में 2,21,91 की वृद्धि आयोजनागत योजनाओं के आयोजनेतर पक्ष में सामान्यीकरण के फलस्वरूप प्रत्याशित है। तथा शेष 3,55,26 की वृद्धि आयोजनेतर पक्ष की चालू योजनाओं की वास्तविक आवश्यकता से सम्बन्धित है।

103--यूनानी (+50,51)

उक्त शीर्षक के अन्तर्गत कुल 50,51 की प्रदर्शित वृद्धि में 13,01 की वृद्धि आयोजनागत योजनाओं के सामान्यीकरण से संबन्धित है तथा शेष 37,50 की वृद्धि आयोजनेतर पक्ष की चालू योजनाओं से सम्बन्धित है।

05--चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान (- 1,02,02)

101--आयुर्वेद--(+ 88,84)

उक्त इंगित वृद्धि में 34,39 की वृद्धि आयोजनागत योजनाओं के सामान्यीकरण से संबंधित है तथा शेष 54,45 की वृद्धि चालू आयोजनेतर योजनाओं की वास्तविक आवश्यकता से सम्बन्धित है।

03--यूनानी (+13,18)

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वियन के फलस्वरूप उक्त शीर्ष में शुद्ध 13,18 की वृद्धि अनुमानित है जो आयोजनेतर पक्ष की चालू योजनाओं से सम्बन्धित है।

आयोजनागत (-4,52)

गत वर्ष के 4,55,42 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिए 4,50,90 के अनुमान निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार गत वर्ष की अपेक्षाकृत बजट वर्ष में शुद्ध 4,52 की कमी प्रदर्शित है जिसका मुख्य कारण चालू वर्ष में आयोजनागत योजनाओं का आयोजनेतर पक्ष में सामान्यीकरण है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिए की गयी कुल व्यवस्था निम्नवत् है :---

(हजार रुपयों में)

मानक	मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	..		90,62	18,26,66	19,17,28
03--महंगाई भत्ता	..		31,68	5,41,72	5,73,40
04—यात्रा व्यय	..		1,09	18,97	20,06
05--अन्य भत्ते	..		7,57	1,03,37	1,10,94
06—कार्यालय व्यय	..		8,28	78,79	87,07
07—टेलीफोन पर व्यय	..		..	1,58	1,58
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	..		13,20	..	13,20
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद			40	2,54	2,94
11--किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व ..	..		9,68	50,84	60,52
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..		50	3,31	3,81
15—छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	..		..	1,96	1,96
19—निर्माण कार्य	..		2,29,13	87,87	3,17,00
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	..		44,97	..	44,97
25--सामग्री और सम्पूर्ति-औषधि	..		10,28	1,00,20	1,10,48
	आहार		..	9,65	9,65
33--अन्य व्यय	..	(मतदेय) ..	3,50	29,01	32,51
		(भारित) ..	..	2	2
योग	..	(मतदेय) ..	4,50,90	28,56,47	33,07,37
		(भारित) ..	..	2	2

अनुदान संख्या—34

चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग 9,29,52 (मतदेय) की है, जबकि गत वर्ष यह मांग 7,42,43 (मतदेय) की थी। इस प्रकार इस अनुदान के अन्तर्गत 1,87,09 की वृद्धि हुई है जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है।

चिकित्सा बिभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (+ 1,87,09)

2210—चिकित्सा और लोक सवास्थ-अन्य चिकित्सा पद्धतियों-होम्योपैथी—

राजस्व लेखा-(+1,69,07)--

आयोजनेतर--(+2,23,08)--

02--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--102-होम्योपैथी--(+18,47)--

01--निदेशन और प्रशासन (+4,07)--

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वियन तथा आयोजनागत पाक्ष की योजनाओं के आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरण के फलस्वरूप वेतन के लिये 3,25, मंहगाई भत्ते में 5 की, यात्रा भत्ता के लिये 2 की अन्य भत्ते के लिये 60 की कार्यालय व्यय के लिये 15 की, तथा अन्य व्यय के लिये 20 अतिरिक्त की व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर अन्तरिम सहायता में 40 की कमी प्रदर्शित है।

02--अस्पताल और औषधालय (+14,40)--

0201—होम्योपैथिक चिकित्सालय (+14,40)---

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वियन तथा आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के आयोजनागत पक्ष में सामान्यीकृत किये जाने के फ़लस्वरूप वेतन में 22,80 की, यात्रा व्यय 10 की, अन्य भत्ते 5,60 की, कार्यालय व्यय 20 की, किराया, में उपशुल्क एवं कर में 20 की मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 20 की, सामग्री और सम्पूर्ति औषधि में 60 तथा अन्य व्यय में 20 की अतिरिक्त प्राविधान किया गया है दूसरी ओर महगाई भत्ते म 8,50 तथा अन्तरिम सहायता में 7,00 की कमी प्रदर्शित है।

04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—अन्य चिकित्सा पद्धतियां—

102—होम्योपैथी—(+1,71,95)—

01—अस्पताल और औषधालय—0101—होम्योपैथिक चिकित्सालय (+1,71,95)—

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन तथा आयोजनागत पक्ष की आयोजनाओं को आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरण के फलस्वरूप वेतन में 1,99,90 के, यात्रा व्यय में 1,25 की, अन्य भत्ते में 33,60 की, कार्यालय व्यय में 3,15 की, किराया, उपशुल्क व करस्वामित्व में 1,30 की, लघु निर्माण कार्य में 20, सामग्री और सम्पूर्ति औषधि में 3,30 तथा अन्य व्यय में 6,20 की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर महंगाई भत्ते में 33,70 तथा अन्तरिम सहायता में 43,25 की कमी प्रदर्शित है।

05—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान—

102—होम्योपैथी (+32,66)—

01—शिक्षा—

0102—राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल (+20,06)—

समता समिति की सस्तुतियों के कार्यान्वियन के फलस्वरूप वेतन में 35,03; अन्य भत्ते में 6,00 की वृद्धि प्रदर्शित है। दूसरी ओर महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमशः 11,97 एवं 9,00 की कमी प्रदर्शित है।

0201—होम्योपैथिक क्षेत्रीय शोध संस्थान—(+60)—

किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व के लिये 60 का प्राविधान किया गया है। यह व्यवस्था पहले आयोजनागत पक्ष में थी।

0301—होम्योपैथिक छात्रों के लिए अनिवार्य इन्टर्नशिप की व्यवस्था—(+12,00)—

आयोजनागत पक्ष में आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरण के कारण छात्रवेतन के लिये 12,00 का प्राविधान किया गया है।

आयोजनागत—(—35,99)—

राजस्व लेखा—(—54,01)—

वर्ष 1990-91 में होम्योपैथिक चिकित्सा की आयोजनागत योजनाओं के लिये आवश्यकता के अनुरूप गत वर्ष के लिये 1,66,18 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में कुल 1,12,17 का प्राविधान किया गया है इस प्रकार 54,01 की कमी प्रदर्शित है। 1,12,17 के प्राविधान में नई योजनाओं के लिये 68,38 सम्मिलित है।

पूंजी लेखा—(+18,02)—

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण के लिये पूंजीगत पक्ष में आवश्यकता के अनुरूप 18,02 का प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन भत्तों आदि के लिये की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है:—

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	52,92	4,65,50	5,18,42
03—महंगाई भत्ता	16,66	1,50,10	1,66,76
04—यात्रा व्यय	64	5,42	6,06
05—अन्य भत्ते	9,54	74,40	83,94
06—कार्यालय व्यय	2,23	22,00	24,23
07—टेलीफ़ोन पर व्यय	5	55	60
11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व ..	66	6,40	7,06
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	1,38	1,38
15—छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	..	72	72
18—वृहत् निर्माण कार्य	18,02	..	18,02
19—लघु निर्माण कार्य	..	8,90	8,90
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	5,83	1,75	7,58
22—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	..	20	20
25—सामग्री और सम्पूर्ति (औषधि	21,45	30,85	52,30
(आहार	..	2,00	2,00
33—अन्य व्यय	2,19	29,16	31,35
योग ..	1,30,19	7,99,33	9,29,52

अनुदान संख्या—35

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग 61,80,02 (61,79,77 मतदेय एवं 25 भारित) की है। जबकि गत वर्ष यह मांग कुल 59,00,26 (59,00,01 मतदेय एवं 25 भारित) की थी। इस प्रकार 2,79,76 की वृद्धि हुयी है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है—

200—अन्य प्रशासनिक सेवायें (−1)—

आयोजनेतर (−1)—

राजस्व लेखा (−1)—

एक सदस्यीय जांच आयोग के लिये आय-व्ययक वर्ष में कोई व्यवस्था न किये जाने के फलस्वरूप 1 की कमी प्रदर्शित है।

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (+2,79,77)—

आयोजनेतर (+10,85,01)—

राजस्व लेखा (+10,85,01)—

01—शहरी स्वास्थ्य सेवायें—एलोपैथी (+86,88)—

108—विभागीय औषधि विनिर्माण (+90)—

इस शीर्ष के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 90 की वृद्धि हुयी है।

110—अस्पताल और औषधालय (+85,98)—

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वेतन आदि की मदों के अन्तर्गत "01—सरोजनी नाइडू चिकित्सालय आगरा" के लिये 10,90, "02—लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर" के लिये 13,50, "03—स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय इलाहाबाद" के लिये 7,80, "04—वक्ष चिकित्सालय कानपुर" के लिये 2,25, "07—महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी" सम्बद्ध चिकित्सालय के लिये 15,90, "08—सरदार बल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय मेरठ के लिये 15,90 "09—नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर" के लिये 11,10, "11—संक्रामक रोग चिकित्सालय कानपुर के लिये 65 एवं "12—फिजिकल मेडिसिन पुनर्स्थापना विभाग एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र लखनऊ" के लिये 15,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

दूसरी ओर वास्तविक आवश्यकतानुसार "05—अपर इण्डिया शुगर एक्सचेंज प्रसूति चिकित्सालय कानपुर" के लिये 6,02 एवं "10—गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय लखनऊ" के लिये 1,00 की कमी की गयी है।

05—चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसन्धान (+9,98,13)—

001—निदेशन और प्रशासन (+3,83)—नवीन वेतनमानों में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वेतनादि की मदों के अन्तर्गत 3,83 की वृद्धि परिलक्षित है।

105—एलोपैथी (+9,64,30)—

01—शिक्षा—(+9,57,18)—

मुख्यतया समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वेतनादि की मदों के अन्तर्गत "101—मेडिकल कालेज लखनऊ" के लिये 81,70, "102—मेडिकल कालेज आगरा" के लिये 15,40, "103—मेडिकल कालेज कानपुर" के 10,80, "104 मेडिकल कालेज इलाहाबाद" के लिये 11,20 "105 मेडिकल कालेज मेरठ" के लिये 33,65 "106—मेडिकल कालेज झांसी" के के लिये 6,40 "107—मेडिकल कालेज गोरखपुर" के 20,20 एवं "110—कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट कानपुर के लिये 12,30 की वृद्धि की गयी है। सप्तम पंचवर्षीय योजना में आयोजनागत योजनाओं के बचनबन्द्ध व्यय को आयोजनेत्तर पक्ष में सामान्यीकृत किये जाने के फलस्वरूप "0112—के0जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ के मेडिसिन विभाग में डायालिसिस यूनिट के विस्तार हेतु 2,95 "0118—के0जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ मेडिसिन विभाग की नेफ्रोलोजी इकाई के लिये 3,53, "0120—संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ को सहायक अनुदान देने हेतु 6,00,00 "0122 मेडिकल कालेज आगरा कानपुर इलाहाबाद मेरठ झांसी तथा गोरखपुर की न्यूरोलोजी इकाई हेतु 7,05, "0123—के0जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ के कार्डियोलीजी विभाग के लिये 9,52, "0127—मेडिकल कालेज लखनऊ के सर्जरी विभाग में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के उपचार हेतु 50, "0141—के0जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ के होल बाडी कैट स्कैन इकाई हेतु 7,70 "0142—के0जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ के न्यूरोलोजी विभाग की दो नव स्थापित इकाइयों के लिये 1,09 "1043 के0जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ में स्थापित थोरेसिक एण्ड कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी इकाई के लिये 11,03, "0144—राजकीय मेडिकल कालेजों में रेडियो डायगनोसिस एवं रेडियोथेरेपी विभाग की स्थापना हेतु 12,20 "1047—प्रदेश के कतिपय मेडिकल कालेजों और जिला अस्पतालों में कृत्रिम अवयव केन्द्र की स्थापना हेतु 6,00 "0158 के0जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ के डेन्टल कालेज हेतु 11,90 एव "0160—मेडिकल कालेज इलाहाबाद के गैस्ट्रोइन्ट्रोलोजी विभाग के लिये 1,80 की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार प्रदेश के मेडिकल कालेजों में नवीन रेजीडेन्सी योजना के कार्यान्वयन हेतु 2,00,00 की व्यवस्था की गयी है।

दूसरी ओर वास्तविक आश्यकतानुसार "0111—नर्सिंग कालेज कानपुर के लिये 1,50 "0117—स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन के अन्तर्गत 87,60, "0128—चिकित्सा स्नातकों के लिये अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप के अधीन 20,64 की कमी परिलक्षित है।

02—प्रशिक्षण—(+5,58)—न सातिकी स्स्तुतियों के हेतु कार्यान्वयन के फलस्वरूप वेतनादि की मदों के अधीन "0201—मेडिकल कालेजों में फ़ार्मेसी डिप्लोमा पाठ्य क्रम के लिये ,0,0, "0202—उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु 5,11 "0205—मेडिकल कालेजों में प्रयोगशाला एवं परिचारिकाओं के प्रशिक्षण के लिये 37 एवं "0206—मेडिकल कालेजों में लैब टैक्नीशियन एवं डेन्टल हाईजीनिस्ट के प्रशिक्षण हेतु 90 अधिक व्यवस्था की गयी है।।

दूसरी ओर वास्तविक आवश्यकता 0203—क्षय रोग प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र आगरा के सम्बन्ध में 1,80 की कमी प्रदर्शित है।

03—अनुसंधान (+1,50)—

0303—जे० के० इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर के लिये समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु 1,50 का अधिक प्राविधान किया गया।

04—अन्य व्यय (+4)—

0401—मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में बिजली, पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में 4 की वृद्धि प्रदर्शित है।

00—अन्य व्यय (+30,0)—राजकीय मेडिकल कालेजों तथा सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिये 30,0 की अधिक व्यवस्था की गयी।

आयोजनागत (+8,05,24)—
राजस्व लेखा (+9,12,07)—

आय-व्ययक वर्ष के लिये निर्धारित वर्ष के मौलिक आयोजनागत पक्ष के राजस्व लेखा में 13,67,29 का प्राविधान किया गया है। जो गत वर्ष की अपेक्षा 9,12,07 है। इसमें से 3,00,000 की कमी का कारण यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ को आयोजनागत अनुदान देने हेतु गत वर्ष के 2,20,00,00 की अपेक्षा इस वर्ष 12,00,00 का प्राविधान किया गया है। शेष कमी का कारण गत वर्ष के आय-व्ययक में अवशेष वर्षों के लिये कम परिव्यय उपलब्ध कराया जाना है। इस वर्ष के 13,67,29 के कुल प्राविधान में 113 मेडिकल कालेजों की निर्बाधित नयी योजनाओं हेतु सम्मिलित है। साथ ही 9,9 की व्यवस्था नये पदों के सृजन के लिये की है।

पूंजी लेखा (+1,06,83)—कालेजों में चालू एवं नये कार्य के लिये 1,25,67 की व्यवस्था की जो गत वर्ष की अपेक्षा 1,06,83 अधिक है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन आदि के लिये आय-व्ययक में की गयी व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

(हजार रुपयों में)

मानक	मद		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
01	वेतन	. . .	16,00	16,53,70	16,69,70
02	मजदूरी	. . .	. .	26	26
03	महंगाई भत्ता	. . .	5,07	5,20,34	5,25,41
04	यात्रा व्यय	. . .	5	7,19	7,24
05	अन्य भत्ते	. . .	2,57	2,77,75	2,80,32
06	कार्यालय व्यय	. . .	30	95,55	05,85
07	टेलीफ़ोन पर व्यय	. . .	8	4,77	4,85
08	मोटर गाड़ी का क्रय	. . .	2,50	. .	2,50
09	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	. . .	40	7,96	8,36
11	किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	. . .	. .	32,55	32,55
14	सहायक अनुदान/अंशदान/सहायता	. . .	12,00,00	6,12,66	18,12,66
15	छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन	. . .	. .	3,03,25	3,03,25
18	बृहत् निर्माण कार्य	. . .	1,00,00	. .	1,00,00
19	लघु निर्माण कार्य	. . .	. .	1,36,30	1,36,30
20	मशीनें और सज्जा/उपकरण संयंत्र	. . .	1,22,59	4	1,22,63
25	माल और सम्पूर्ति ैर्षात्र	. . .	. .	3,82,00	3,82,00
	ाहर	. . .	. .	92,47	92,47
33	अन्य व्यय	. . .	43,30	5,60,02	16,03,42
			14,92,96	46,86,81	61,79,77
	योग मतदेय	. . .	. .	25	25
	भारित	. . .	. .		

अनुदान संख्या--36

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के 73,24,54 (73,24,15 मतदेय तथा 39) के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिए 74,32,41 (74,32,02 मतदेय तथा 39, भारित) के आय-व्ययक अनुमान निर्धारित किए हैं तदनुसार गत वर्ष की तुलना में बजट के लिए 1,07,87 की वृद्धि परिलक्षित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है --

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (+1,07,87)--

राजस्व लेखा-- (+2,12,57)--

आयोजनागत (+2,12,57)--

मुख्य समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप "निदेशन तथा प्रशासन" में 51,76 "ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं" में 2,76,05 "शहरी परिवार कल्याण सेवाएं" के अन्तर्गत 86 की तथा "परिवहन" के अन्तर्गत न्यूनाधिक्य 10 की वृद्धि अनुमानित है। "अन्य सेवाएं और पूर्तियां" में 13,[illegible] के कारण से एक और वृद्धि परिलक्षित है। इसके विपरीत भारत सरकार के आवंटन तथा व्यय की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं" में 16,55 की "मातृ और शिशु स्वास्थ्य" में 12,92 की तथा "[illegible] के [illegible] 0,00 की बजट अनुमानित है। "जन शिक्षा" के अन्तर्गत 85,76 की एक और कमी इसी कारण से प्रत्याशित है।

पूंजी लेखा--(+ 1,04,70)--

आयोजनागत (+ 1,04,70)--

उप केन्द्रों के भवनों के निर्माण-कार्य को पूरा हो जाने के फलस्वरूप पूंजीगत मद में 1,04,70 की बचत प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ते, आदि के लिए की गई कुल व्यवस्था है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद		योग	आयोजनेत्तर	योग
01--वेतन				
02--मजदूरी		407		10,07,10
03--महंगाई भत्ता		1		1,50
04--यात्रा व्यय		104		14,04,74
05--अन्य भत्ते		17,		1,47,25
06--कार्यालय व्यय		30,		3,30,90
07--टेलीफोन पर व्यय		63,		1,63,31
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		1,		1,09
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व		24,		24,90
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता		58,		58,77
15--छात्रवृतियां और छात्र वेतन		10,		40,51
[illegible]-निर्माण-कार्य		3,9,2		3,29,24
[illegible]--सामग्री और सम्पूर्ति				3
		,0		1,03
[illegible]3--अन्य व्यय	मतदेय	9,1,6	1	9,21,66
	भारित	3		39
योग..	मतदेय	74,1,0	1	74,32,02
	भारित	39		39

अनुदान संख्या--37

चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

गत वर्ष के 76,25,08 (76,24,58 मतदेय तथा 50 भारित) की तुलना में चालू वर्ष के आय-व्ययक अनुमान 91,88,04 (91,87,54 मतदेय तथा 50 भारित) पर निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के अनुमानों में शुद्ध 15,62,96 वृद्धि परिलक्षित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा (+ 15,62,96)--

आयोजनेतर (+ 28,10,64)--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (+ 29,45,64)--

06--लोक स्वास्थ्य (+ 29,47,34)--

"निदेशन तथा प्रशासन" में 7,49 तथा "प्रशिक्षण" में 2,01 को, इंगित वृद्धि समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अनुमानित है। "रोगों का रोकथाम और नियंत्रण" के अन्तर्गत प्रदर्शित 29,21,81 की कुल वृद्धि में 14,15,82 का व्यय भार आयोजनागत पक्ष का सामान्यीकरण योजनाओं से सम्बन्धित है तथा शेष 15,05,99 आयोजनेतर पक्ष की चालू योजनाओं से संबंधित है। "खाने वाली चीजों में मिलावट की रोकथाम" में प्रदर्शित शुद्ध 4,16 की वृद्धि में सामान्यीकृत योजनाओं का व्यय भार 2,16 है तथा शेष 2,00 आयोजनेतर पक्ष की चालू योजनाओं के व्यय भार से संबंधित है।, "औषधि नियंत्रण" में 3,03 "सीरप और वैकसीन का निर्माण" में 9,90 तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में 2,28 प्रदर्शित वृद्धि का मुख्य कारण समता समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन है। इसके विपरीत कतिपय पदों के रिक्त रहने के फलस्वरूप "अन्य व्यय" में 5,59 की कमी प्रदर्शित है।

80--सामान्य--(-70)--

800--अन्य व्यय (- 1,70)--

मुख्यत: अन्तरिम सहायता की कमी तथा व्यय को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उक्त शीर्ष के अन्तर्गत शुद्ध 1,70 की कमी अनुमानित है।

2245--दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत (-1,35,00)--

सूखा तथा बाढ़ चक्रवात आदि से राहत के लिए नई व्यवस्था लागू हो जाने के परिप्रेक्ष्य में मार्जिन मनी के रूप में किसी की व्यवस्था को सम्मिलित न किए जाने के फलस्वरूप 1,35,00 की कमी परिलक्षित है।

आयोजनागत (-12,47,68)--

गत वर्ष के मूल 21,92,91 की तुलना में चालू वर्ष के अनुमान 9,45,23 पर निर्धारित किये गये हैं। तदनुसार व्यय में शुद्ध 12,47,68 की कमी प्रदर्शित है जिसका मुख्य कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना की लगभग समस्त आयोजनागत योजनाओं का आयोजनेतर पक्ष में सामान्यीकरण है।

इस अनुमान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिए की गई कुल व्यवस्था निम्नवत् है :--

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन	..	6,30	48,70,49	48,76,79
02--मजदूरी	..	..	7,38	7,38
03--महंगाई भत्ता	..	2,13	14,45,40	14,47,53
04--यात्रा व्यय	..	55	1,80,08	1,80,63
05--अन्य भत्ते	..	1,16	7,75,02	7,76,18
06--कार्यालय व्यय	..	91	89,65	90,56
07--टेलीफोन पर व्यय	..	..	1,93	1,93
09--गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		7	46,25	46,32
11--किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व	..	10,20	9,59	19,79
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	..	2,02	2,02
15--छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन	..	5,40	6,25	11,65
19--लघु निर्माण कार्य	..	54,00	1,00	55,00
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	25	25	50
23--अनुरक्षण	..	9,00	75,72	84,72
26--सामग्री और सम्पूर्ति	..	8,55,25	2,57,15	11,12,40
33--अन्य व्यय	मतदेय ..	1	4,74,13	4,74,14
	भारित ..	..	*50*	*50*
योग..	मतदेय ..	9,45,23	82,42,31	91,87,54
	भारित ..	..	*50*	*50*

अनुदान संख्या—38

नागरिक उड्डयन विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की कुल धनराशि 2,64,43 (मतदेय) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990-91 के लिए 2,65,92 (मतदेय) की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कुल 1,49 की वृद्धि प्रस्तावित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :—

राजस्व लेखा (+10,49)

आयोजनेतर (+34,05)

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—(+24,72)

114—परिवहन की खरीद और अनुरक्षण (+24,72)

समता समिति तथा वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन, वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि आदि के कारण—01--वायुयानों का क्रय में 24,72 का आधिक्य प्रदर्शित है।

3053—नागर विमानन (+9,33)

कतिपय हवाई पट्टियों का अनुरक्षण कराने एवं समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन करने तथा वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर 02--हवाई पत्तन में 9,00 तथा 01--नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण में 33 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत (-23,56)

चालू योजनाओं का स्थानान्तरण आयोजनेतर पक्ष में हो जाने तथा कतिपय नई योजनाओं के कार्यान्वयन किए जाने के कारण 23,56 की कमी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि के लिए की गई व्यवस्था निम्नवत् है :—

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा—			
01—वेतन	2,40	37,50	39,90
03—महंगाई भत्ता	90	12,55	13,45
04—यात्रा व्यय	10	5,10	5,20
05—अन्य भत्ते	15	5,10	5,25
06—कार्यालय व्यय	1,00	5,45	6,45
07—टेलीफोन पर व्यय	30	5,35	5,65
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	2,30	1,30	3,60
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	10	3,38	3,48
11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व ..	..	56	56
15—छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन ..	..	2,00	2,00
13—अनुरक्षण	..	11,00	11,00
33—अन्य व्यय	6,51	1,62,87	1,69,38
योग, राजस्व लेखा (मतदेय) ..	13,76	2,52,16	2,65,92

अनुदान संख्या--39

नियुक्ति विभाग

गत वर्ष के 26,67 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में कुल अनुमान 52,30 का है। इस प्रकार 25,63 की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है।

राजस्व लेखा (मतदेय) आयोजनेतर (+31,12) --

2058--लेखन सामग्री और मुद्रण (+18,27)--

विभागीय मैनुअलों नियमों आदि के संकलन आदि के प्रकाशन योजना पर होने वाले व्यय को आयोजनागत पक्ष से आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 18,27 की वृद्धि है।

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें (+1,44)--

के अन्तर्गत "भारतीय प्रशासनिक सेवा" के परिवीक्षाधीन व्यक्तियों का प्रशिक्षण" में 50 तथा मैदानी जिला मुख्यालयों में हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण योजना का आयोजनागत पक्ष में हो रहा व्यय आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 94 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2202--सामान्य शिक्षा (+11,41)--

उ0 प्र0 भाषा निधि से होने वाले व्यय में 6,41 तथा उ0 प्र0 हिन्दी साहित्य अावर्ड कमेटी, लखनऊ को फिराक गोरखपुरी इन्टरनेशनल एवं सेमिनार के आयोजन के लिये आय-व्ययक व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 5,00 की वृद्धि है।

आयोजनागत (-5,49)--

2058--लेखन सामग्री और मुद्रण (-5,00)--

के अन्तर्गत विभागीय मैनुअलों/नियमों आदि के संकलन आदि के प्रकाशन योजना पर होने वाले व्यय को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के कारण 5,00 की कमी है।

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें (-49)--

के अन्तर्गत प्रदेश के मैदानी जिला मुख्यालयों में हिन्दी आशुलिपिक का प्रशिक्षण योजना का आयोजनागत पक्ष में होने वाला व्यय आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के कारण 49 की कमी है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिये निम्नवत् व्यवस्था की गई है:--

(हजार रुपयों में)

मानक मद	धनराशि
01--वेतन	2,30
03--महंगाई भत्ता	1,01
04--यात्रा व्यय	12
05--अन्य भत्ते	37
06--कार्यालय व्यय	38
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20
12--प्रकाशन	16,00
33--अन्य व्यय	31,92
योग	52,30

अनुदान संख्या--40

नियोजन विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की मूल मांग 9,95,90 के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिए 37,51,52 की मांग की गई है। इस प्रकार यहां पर 27,55,62 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर (+3,95,97)

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (+25,42)

नए वेतनमान में वेतन निर्धारण वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश नगदीकरण, बोनस, महंगाई भत्ता का अधिकांश भाग तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण धनराशि वेतन में समायोजित हो जाने, कार्यालय सामग्री के मूल्यों में वृद्धि, पुनरीक्षित दरों पर भत्तों की देयता को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर तथा दो अभिकरणों के लिए प्लान पक्ष के स्थान पर नान-प्लान पक्ष में व्यवस्था किए जाने से विभिन्न मदों में न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए 25,42 की वृद्धि परिलक्षित है।

3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें—(+2,46,10)

उपर्युक्त कारणों तथा सातवीं योजनाकाल के योजनाओं के सामान्यीकरण तथा वचनबद्ध, व्यय के आयोजनेतर पक्ष में व्यावर्तन के फलस्वरूप "092—अन्य कार्यालय" में 1,31,78 की, "101—योजना आयोग/आयोजना बोर्ड" में 67,25 की वृद्धि हुई है। "800—अन्य व्यय" में 47,07 की वृद्धि का कारण नई मांग के माध्यम से (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड-3, आयोजनेतर में उल्लिखित है) तीन नए शिक्षा संस्थानों के लिए सहायक अनुदान की व्यवस्था किया जाना है।

3454—जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी (+1,24,45)

उपर्युक्त कारणों तथा योजनाओं में सामान्यीकरण के फलस्वरूप वचनबद्ध व्यय के आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने से विभिन्न मदों की न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर 1,24,45 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत—(+23,59,65)

2402—भू और जल संरक्षण (+10,00)—

स्वीकृत स्टाफ़ के लिए वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणन के आधार पर नई मांग के माध्यम से व्यवस्था किए जाने (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड-3 आयोजनागत में उल्लिखित है)। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए 10,00 की वृद्धि प्रदर्शित है। प्लान पार्टव्यर उपलब्ध है।

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (—32,14)

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर व्यवस्था किए जाने से "003—प्रशिक्षण" में 1,43 का, "004—अनुसन्धान" में 1,53, की "102—सामुदायिक विकास" में 4,90 की वृद्धि तथा "800—"अन्य व्यय" में 40,00 की कमी हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने पर 32,14 की कमी प्रदर्शित है।

2575—अन्य विशेष कार्यक्रम—(+25,00,00)

पूर्वांचल के त्वरित विकास के लिए पूर्वांचल विकास निधि हेतु 20,00,00 तथा बुन्देलखण्ड के विकास के लिए बुन्देलखण्ड विकास निधि की स्थापना में 5,00,00 की (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड-3 आयोजनागत में उल्लिखित है) अर्थात् कुल 25,00,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+2,20)

स्वीकृत स्टाफ़ के लिए वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणन के आधार पर व्यवस्था किये जाने से 2,20 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें (—1,22,55)

नई मांग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रभाग के कम्प्यूटर कक्ष के वातानुकूलन एवं गांधी विद्या संस्थान वाराणसी को स्टाफ़ कार एवं भवन निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने से (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड-3 आयोजनागत में उल्लिखित है) यहां पर विभिन्न मदों में 29,50 की वृद्धि तथा योजनाओं के सामान्यीकरण के कारण वचनबद्ध को आयोजनेतर पक्ष में व्यायावर्तित हो जाने से 1,52,05 की कमी हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर 1,22,55 की कमी प्रदर्शित है।

3454—जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी (+2,14)

योजनाओं के सामान्यीकरण और वचनबद्ध के आयोजनेतर पक्ष में व्यायवर्तन के कारण 27,85 की कमी तथा कम्प्यूटर योजना में 16,13 की तथा नई मांग के माध्यम से जिला संख्याधिकारी कार्यालयों के लिए मशीन/संयंत्र की व्यवस्था (जैसे कि बजट साहित्य खण्ड-3 आयोजनागत में उल्लिखित है) किए जाने से 13,86 की वृद्धि प्रदर्शित है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने पर कुल 2,14 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि विभिन्न मदों में की गई व्यवस्था निम्नवत् है:—

(हजार रुपयों)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	60,10	5,27,90	5,88,00
02—मजदूरी	2,36	45	2,81
03—महंगाई भत्ता	24,10	1,79,16	2,03,26
04—यात्रा व्यय	5,00	30,20	35,20
05—अन्य भत्ते	10,80	62,80	73,60
06—कार्यालय व्यय	62,46	39,65	1,02,11
07—टेलीफोन पर व्यय	2,01	3,98	5,99
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	2,54	15,95	18,49
10—व्यावसायिक तथा विशेष सेवा के लिए भुगतान ..	..	2,10	2,10
11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	2,18	12,10	14,28

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
12--प्रकाशन	9	5,98	6,07
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	10,56	68,07	78,63
16--आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	5	..	5
19--लघु निर्माण-कार्य	1,43	55	1,98
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	57,29	2,32	59,61
23--अनुरक्षण	..	70	70
25--माल और सम्पूर्ति	1,13	..	1,13
29--अन्तर्लेखा संक्रमण	25,00,00	..	25,00,00
32--अन्तरिम सहायता	..	73	73
33--अन्य व्यय	56,72	6	56,78
योग ..	27,98,82	9,52,70	37,51,52

अनुदान संख्या--41

निर्वाचन विभाग

राजस्व लेखा-आयोजनेतर--

2015--**निर्वाचन**--(+2,36,30)--

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की मूल मांग 11,11,09,000 रु० के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिये 13,47,39,000 रु० की मांग की गई है। इस प्रकार 2,36,30,000 रु० की वृद्धि है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है।

इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण व मूल्य वृद्धि के कारण जहां वेतन में 35,95, यात्रा व्यय में 1,19,87, अन्य भत्ते में 17,99, कार्यालय व्यय में 13,89, पेट्रोल का क्रय में 2, अन्य व्यय में 2, की वृद्धि अनुमानित है वहां आवश्यकता न होने व कम होने के कारण महगाई भत्ते में 48,15, टेलीफोन में 1,07, प्रकाशन में 9, तथा अन्तरिम सहायता में 27,18 की कमी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन व भत्तों आदि के लिये कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है:

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनेतर
01--वेतन	1,15,95
03--महंगाई भत्ता	39,38
04--यात्रा व्यय	1,65,73
05--अन्य व्यय	35,15
06--कार्यालय व्यय	9,85,79
07--टेलीफोन पर व्यय	3,70
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	14
11--किराया उपशुल्क व कर स्वामित्व	1,28
12--प्रकाशन	1
23--अनुरक्षण	15
33--अन्य व्यय	11
योग ..	13,47,39

अनुदान संख्या--42

न्याय विभाग

गत वर्ष के राजस्व व्यय 47,08,57 (40,18,23 मतदेय) (6,83,34 भारित) तथा पूंजीगत 80,17 की मांग की तुलना में आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग राजस्व 57,59,81 (48,97,12 मतदेय तथा 8,62,69 भारित) तथा पूंजीगत 2,74,71 की है।

इस प्रकार यहां पर राजस्व में कुल 10,51,24 (8,78,89 मतदेय तथा 1,79,35 भारित) की वृद्धि है तथा पूंजीगत व्यय में 1,94,54 की वृद्धि है जिसे स्पष्ट किया जाता है।

राजस्व लेखा--

2014--न्याय प्रशासन--आयोजनेतर--

102--**उच्च न्यायालय** (भारित--1,79,35 मतदेय- 6) माननीय उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित होने के कारण "वेतन" (+2,44,40), "मजदूरी" (-14,50), "अन्य भत्ते" (+20,50) तथा आवश्यकता के आधार पर "कार्यालय व्यय" (+7,00), "मोटर गाड़ियों का क्रय" (+4,14), "आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि" (+10), "लघु निर्माण कार्य" (+1,50), "अनुरक्षण" (+9,48) तथा "अनुरक्षण" (+90) की वृद्धि परिलक्षित है। दूसरी ओर महंगाई भत्ता (-52,75) तथा अन्तरिम सहायता में (-72,99) की कमी है जिसे समायोजित करते हुये 1,79,29 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

105--सिविल और सत्र न्यायालय--

01--**जिला तथा सेशन न्यायाधीश**--(+4,00,34)--वेतनमान पुनरीक्षित होने के कारण तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+6,84,90), "मजदूरी" (+5), "यात्रा व्यय" (+1,82), "अन्य भत्ते" (+9,86), "कार्यालय व्यय" (+66,00), "टैलीफोन पर व्यय" (+5,10), "मोटर गाड़ियों का क्रय" (+16,15), "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद" (+4,75) (अनुरक्षण) भवनों का अनुरक्षण (+10,00), अहातों का सुधार (+5,00) इस प्रकार कुल 8,05,18 की वृद्धि प्रदर्शित है। दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण महंगाई भत्ता (-1,83,64) तथा अन्तरिम सहायता के लिये प्राविधान सम्मिलित न किये जाने के कारण (-2,21,20) की कमी हुई है जिसे समायोजित करते हुये 4,00,34 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

02--**दीवानी न्यायाधीश**--(+4,80)--वेतनमान पुनरीक्षित होने के कारण "वेतन" (+87,00), "यात्रा व्यय" (+20) तथा "अन्य भत्ते" (+2,00) इस प्रकार कुल 89,20 की वृद्धि प्रदर्शित है दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण "मजदूरी" (-10), "महंगाई भत्ता" (-40,80), "कार्यालय व्यय" (-3,50) तथा अन्तरिम सहायता के अन्तर्गत प्राविधान सम्मिलित न किए जाने के कारण (-40,00) इस प्रकार कुल 84,40 की कमी हुई है जिसे समायोजित करते हुये 4,80, की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

03--**भ्रष्टाचार उन्मूलन न्यायाधीश**--(+1,00)--वेतनमान पुनरीक्षित होने के कारण "वेतन" (+2,03) "कार्यालय व्यय" (+1) तथा "अन्य व्यय" (+5) इस प्रकार कुल 2,14 की वृद्धि प्रदर्शित है दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण-महंगाई भत्ता (-49) तथा अन्तरिम सहायता (-65) इस प्रकार कुल 1,14 की कमी हुई है जिसे समायोजित करते हुए 1,00 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

04--**मुन्सिफ** (--1,87,01), "महंगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर महंगाई भत्ता" (-1,67,24), "यात्रा व्यय" (-1,00) "कार्यालय व्यय" (-2,75), "टेलीफोन पर व्यय" (-85) तथा अन्तरिम सहायता (-1,19,45), इस प्रकार कुल 2,91,29 की कमी हुई है। दूसरी ओर वेतनमानों के पुनरीक्षण के कारण "वेतन" (+94,02) तथा "अन्य भत्ते" (+10,26) इस प्रकार कुल 1,04,28 की वृद्धि प्रदर्शित है जिसे समायोजित करते हुए 1,87,01 की शुद्ध कमी परिलक्षित है।

05--**आदेशिका वाहन का व्यय (अदालती)** (+42,93)--वेतनमान पुनरीक्षित होने के कारण "वेतन" (+93,71), "यात्रा व्यय" (+6 तथा "अन्यभत्ते") (+3,00) इस प्रकार कुल 96,77 की वृद्धि प्रदर्शित है। दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण "महंगाई भत्ता" (-22,59) तथा "अन्तरिम सहायता" के अन्तर्गत प्राविधान सम्मिलित न किये जाने के कारण (-31,25) अर्थात् कुल 53,84 की कमी हुई है जिसे समायोजित करते हुये 42,93 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

06--**अभिलेखागार और प्रतिलिपिकरण के व्यय**-(+36,62)--वेतनमान पुनरीक्षित होने के कारण "वेतन" (+79,80), "यात्रा व्यय" (+10), "अन्य भत्ते" (+2,25) तथा "कार्यालय व्यय" (+1,00) इस प्रकार कुल 83,15 की वृद्धि परिलक्षित है दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण महंगाई भत्ता (-19,53) तथा अन्तरिम सहायता के अन्तर्गत प्राविधान सम्मिलित न किये जाने के कारण (-27,00) अर्थात् कुल 46,53 की कमी है जिसे समायोजित करते हुये 36,62 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

07--**पारिवारिक न्यायालय** (+29,32)--वेतनमान संशोधित होने तथा कुछ पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होने के कारण "वेतन" (+17,36), "महंगाई भत्ता" (+3,54), "यात्रा व्यय" (+30,) "अन्य भत्ते" (+3,90), "कार्यालय व्यय" (+1,94), टेलीफोन पर व्यय" (+1,17), "किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व" (+2,48), तथा "अन्य व्यय" (+13) इस प्रकार कुल 30,82 की वृद्धि प्रदर्शित है दूसरी ओर अन्तरिम सहायता की मद में (-1,50) की कमी है जिसे समायोजित करते हुए 29,32 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

106--लघुवाद न्यायालय--

01--अधिष्ठान-(+45,28) वेतनमान पुनरीक्षित होने तथा कुछ नये न्यायालयों की स्थापना के कारण "वेतन" (+38,70) "महंगाई भत्ता" (+4,50) "अन्य भत्ते" (+2,50) "कार्यालय व्यय" (2,17) "टेलीफोन पर व्यय" (+92) तथा अन्य व्यय (+24) इस प्रकार कुल 50,10 की वृद्धि प्रदर्शित है दूसरी ओर अन्तरिम सहायता की मद में (-4,82) की कमी हुई है जिसे समायोजित करते हुये 45,28 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

108—दण्ड न्यायालय—

01—नियमित अधिष्ठान—(+3,88,12) वेतनमान पुनरीक्षित होने के कारण "वेतन" (+3,10,00), "महंगाई भत्ता" (50,50), "यात्रा व्यय" (+1,25), "अन्य भत्ते" (+44,00), "कार्यालय व्यय" (+7,50, टेलीफोन पर व्यय (+5,82) तथा मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद (5,) इस प्रकार कुल 4,19,12 के वृद्धि प्रदर्शित है। दूसरी ओर अन्तरिम सहायता की मद में (-31,00) की कमी हुई है जिसे समायोजित करते हुये 3,88,12 की शुद्धवृद्धि परिलक्षित है।

02—अवैतनिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय—(—10,27) वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (—3,00) महंगाई भत्ता (—4,80), अन्य भत्ते (—40) और अन्तरिम सहायता की मद में (—2,20) इस प्रकार कुल 1,40 की कमी हुई है। दूसरी ओर "कार्यालय व्यय" की मद में (+13) की वृद्धि परिलक्षित है जिसे समायोजित करते हु 10,27 की शुद्ध कमी हुई है।

03—रेलवे मजिस्ट्रेटों का अधिष्ठान—(+70) वेतनमान पुरोक्षित होने के कारण "वेतन" (—6,10), "यात्रा व्यय (+30), अन्य भत्ते (+75), कार्यालय व्यय" (+5 तथा अन्य व्यय (+5) इस प्रकार कुल 7,25 की वृद्धि प्रदर्शित है दूसरी ओर महंगाई भत्ते क कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किय जान के कारण महंगाई भत्ता (3,35) तथा अन्तरिम सहायत (—3,20) अर्थात् 6,55 की कमी हुई है जिसे समायोजित करते हुये 70 की शुद्ध परिलक्षित है।

110—महाप्रशासक और शासकीय न्यासी —

01—अधिष्ठान—(+66) वेतनमान संशोधन होने के कारण "वेतन" (+1,18), "यात्रा व्यय" (+1) "अन्य भत्ते" (+4), "कार्यालय व्यय" (+2(तथा टेलीफोन पर व्यय" (+1) इस प्रकार कुल 1,26 की वृद्धि परिलक्षित है दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण महंगाई भत्ता (—25) तथा अन्तरिम सहायता—(35) अर्थात् कुल 60 की कमी है। जिसे समायोजित करते हुये 66 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

114—कानूनी सलाहकार परिषदें—

01—महा अधिवक्ता—(+1,45) वेतनमान संशोधित होने के कारण "वेतन" (+1,80) "यात्रा व्यय" (+10), "अन्य भत्ते" (+45), "कार्यालय व्यय" (+25) तथा टेलीफोन पर व्यय (+25) इस प्रकार कुल 2,85 की वृद्धि प्रदर्शित है दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किय जान केकारण महंगाई भत्ता (—65) तथा अन्तरिम सहायता (—75) इस प्रकार कुल 1,40 की कमी है जिसे समायोजित करते हुए 1,45 की शुद्ध वृद्धि पलिक्षित है।

02—विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता—(+1,01,54) वेतनमान पुनरीक्षित होने के कारण "वेतन (+29,60), 'यात्रा व्यय" (+30), अन्य भत्ते (+3,56) "कार्यालय व्यय" (+2,72), टेलीफोन पर व्यय" (+20), "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद" (+50) तथा व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान (+890,00) इस प्रकार कुल 1,26,68 की वृद्धि प्रदर्शित है दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण महंगाई भत्ता (—12,64(तथा अन्तरिम सहायता (—12,50(अर्थात् कुल 25,14 की कमी है जिसे समायोजित करते हुए 1,26,68 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

03—हिन्दी विधि पत्रिका के प्रकाशन पर व्यय—हिन्दी विधि पत्रिका के प्रकाशन हेतु 2,20 का प्राविधान सम्मिलित किये जाने के कारण 2,20 की शुद्ध वृद्धि है।

800—अन्य व्यय—

01—न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान (+10,21)—संशोधित वेतनमान लागू किये जाने के कारण "वेतन" (+6,60), "यात्रा व्यय" (+3), "अन्य भत्ते" (+69), "कार्यालय व्यय" (+6,34), "टेलीफोन पर व्यय" (+6) तथा "अन्य व्यय (+2) इस प्रकार कुल 13,74 की वृद्धि प्रदर्शित है दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किये जान के कारण महंगाई भत्ता (-1,43) तथा अन्तरिम सहायता (-21,0) इस प्रकार कुल 3,53 की कमी है जिसे समायोजित करते हुए 10,21 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

02—पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त की स्मृति में शोध पीठ की स्थापना तथा शोध ग्रन्थ का प्रकाशन—(+47)—संशोधित वेतनमान लागू होने के कारण "वेतन" (+35), "यात्रा व्यय (+2), "अन्य भत्ते", (+25) "कार्यालय व्यय (+5) तथा "टेलीफोन पर व्यय" (+5) इस प्रकार कुल 72 की वृद्धि प्रदर्शित है दूसरी ओर "महंगाई भत्ता" के कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण "महंगाई भत्ते" (-10), "अन्तरिम सहायता" (-15) इस प्रकार कुल 25 की कमी है जिसे समायोजित करते हुए 47 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें—

091—सम्बद्ध कार्यालय—

01—विधि कोष्ठक उ0प्र0 भवन, नई दिल्ली पर होने वाला व्यय (+1,04)—संशोधित वेतनमान लागू किये जाने के कारण वेतन "(+95), "यात्रा व्यय" (+3), "अन्य भत्ते" (+12), "कार्यालय व्यय" (+10), "टेलीफोन पर व्यय" (10) तथा मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद" (+20) इस प्रकार कुल 1,50 की वृद्धि प्रदर्शित है दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग का वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण महंगाई भत्ता—(—16) तथा अन्तरिम सहायता (-30) इस प्रकार कुल 46 की कमी हैजिसे समायोजित करते हुए 1,04 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—

60—अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम—

104—जमा से संबद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि—
01—न्याय विभाग (+9)

जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत 9 की वृद्धि प्रदर्शित है।

200—अन्य सेवायें—

01—उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता तथा परामर्श बोर्ड— (+9,22) वेतनमान संशोधित होने के कारण "वेतन" (+8,60), "यात्रा व्यय" (+25), "अन्य भत्ते" (+82), "कार्यालय व्यय" (+60), "मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद" (+20) "अन्य व्यय" (+3,50) इस प्रकार कुल 13,97 की वृद्धि प्रदर्शित है दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण महंगाई भत्ता (-1,95) तथा अन्तरिम सहायता (-2,80) इस प्रकार कुल 4,75 की कमी है जिसे समायोजित करते हुए 9,22 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

पूंजी लेखा (+1,94,54)

आयोजनागत—

4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (+2,72,72)
01—कार्यालयों की इमारतें—
101—निर्माण सामान्य पूल आवास—

03—जनपद कानपुर, इलाहाबाद तथा गाजियाबाद में न्यायालय भवनों का निर्माण— (+2,69,16) चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु (+2,69,16) की व्यवस्था किये जाने तथा उच्च न्यायालय के परिसार में ट्यूबवेल के निर्माण हेतु प्राविधान सम्मिलित किये जाने के कारण 3,56 की वृद्धि, इस प्रकार कुल 2,72,72 की वृद्धि परिलक्षित है।

4216—आवास पर पूंजी परिव्यय (-78,18)—

आयोजनागत—

कतिपय निर्माण कार्यों जिनके गत वर्ष पूरा होने की सम्भावना थी के लिये प्राविधान सम्मिलित न किये जाने के कारण 80,17 की कमी हुई। दूसरी ओर फैजाबाद के न्यायिक अधिकारियों के आवासों में जल की आपूर्ति के लिये नलकूप का निर्माण कराने हेतु 1,99 की व्यवस्था सम्मिति की गई है। इस प्रकार 78,18 की शुद्ध कमी हुई।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु निम्न प्रकार व्यवस्था सम्मिलित की गई है:

(हज़ार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	..	33,70,05	33,70,05
02—मजदूरी	..	33,30	33,20
03—महंगाई भत्ता	..	10,16,35	10,16,35
04—यात्रा व्यय	..	46,81	46,81
05—अन्य भत्ते	..	4,03,44	4,03,44
06—कार्यालय व्यय	..	3,20,63	3,20,63
07—टेलीफोन पर व्यय	..	38,80	38,80
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	..	24,29	24,29
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	23,10	23,10
10—व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	..	1,75,00	1,75,00
11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	..	12,45	12 45
12—प्रकाशन	..	5,90	5,90
16—अतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	..	1,35	1,35
19—लघु निर्माण कार्य	..	7,50	7,50
23—अनुरक्षण	..	1,25,48	1,25,48
33—अन्य व्यय	..	33,89	33,89
पूंजी लेखा—			
18—बृहत् निर्माण कार्य	2,74,71	..	2,74,71
योग	2,74,71	57,59,81	60,34,52

अनुदान संख्या—43

परिवहन विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष 58,18,01 (58,17,89 मतदेय तथा *12* भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990-91 में 20,63,10 (20,62,98 मतदेय तथा *12* भारित) की व्यवस्था की गई है इसमें आयोजनेतर तथा आयोजनागत

पक्ष में क्रमश: 6,36,91 तथा 14,26,19 की व्यवस्था है और आयोजनेतर पक्ष में 36,21,20 की तथा आयोजनागत पक्ष में 1,33,71 की कमी प्रदर्शित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :—

राजस्व लेखा—(−36,67,83)

आयोजनेतर (−36,21,19)

2041—वाहनों पर कर (−36,34,63)

समता समिति तथा वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन एवं आयोजनागत योजनाओं की आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरण किए जाने के फलस्वरूप 001—निदेशन और प्रशासन में 9,69 की, 101—संग्रह प्रभार में 16,31 की तथा 800—अन्य व्यय में 6 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 102—मोटर गाड़ियों का निरीक्षण में 2,69 तथा अष्टम् वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन सड़क अनुदान निधि समाप्त कर दिए जाने के कारण 36,58,00 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार शुद्ध 36,34,63 की कमी सम्भावित है।

2045—वस्तुओं और सेवाओं अन्य पर कर और शुल्क (+12,95)

उपर्युक्त कारणों एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 01—माल पर कर में 3,00 की कमी तथा 02—यात्रियों पर कर में 15,95 की वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार न्यूनाधिक्य के समायोजन के उपरान्त 15,95 का आधिक्य प्रदर्शित है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (−75)

हिट एण्ड रन दुर्घटनाओं में मुआवजा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित तोषण निधि में राज्य सरकार का अंशदान समाप्त कर दिए जाने के कारण 1,50 की कमी तथा आटो-रिक्शा चालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बीमा योजना प्रारम्भ किए जाने के फलस्वरूप 75 का आधिक्य प्रदर्शित है। इस प्रकार शुद्ध 75 की कमी सम्भावित है।

3055—सड़क परिवहन (+1,24)

उपर्युक्त एवं वास्तविक आवश्यकता तथा मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप 001—निदेशन और प्रशासन में 1,24 का आधिक्य अनुमानित है।

आयोजनागत (−46,64)

गत वर्ष की चालू योजनाओं का स्थानान्तरण आयोजनेतर पक्ष में हो जाने एवं कतिपय नई योजनाओं को प्रारम्भ किए जाने के फलस्वरूप 46,64 की कमी सम्भावित है।

पूंजी लेखा—(−87,08)

आयोजनेतर (−1)

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में इस पक्ष से पूंजी विनियोजित न किए जाने के कारण 1 की कमी अनुमानित है।

आयोजनागत (−87,07)

कतिपय योजनाओं के पूर्ण हो जाने तथा कतिपय नई योजनाओं को प्रारम्भ किए जाने एवं उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम अंश पूंजी विनियोजित करने के कारण 87,07 की कमी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	..	3,38,40	3,38,40
03—महंगाई भत्ता	..	1,30,98	1,30,98
04—यात्रा व्यय	..	5,37	5,37
05—अन्य भत्ते	..	41,07	41,07
06—कार्यालय व्यय	2,56	13,18	15,74
07—टेलीफोन पर व्यय	..	3,06	3,06
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	..	12,90	12,90
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	..	15,32	15,32
11—किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	..	11,63	11,63
14—सहायक अनुदान/ अंशदान / राज सहायता ..	..	61,75	61,75
17—गुप्त सेवा व्यय	..	10	10
18—बृहत् निर्माण-कार्य	71,50	1	71,51
19—लघु निर्माण-कार्य	13,43	..	13,43
20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र ..	10,70	..	10,70
23—अनुरक्षण	..	1,25	1,25
24—निवेश / ऋण	13,28,00	..	13,28,00
33—अन्य व्यय (मतदेय)	..	1,77	1,77
योग { मतदेय ..	14,26,19	6,36,79	20,62,98
योग { भारित ..	..	*12*	*12*

अनुदान संख्या—44

पर्यटन विभाग

गत वर्ष 2,94,29 (1,78,15 आयोजनागत तथा 1,16,14 आयोजनेतर) के विपरीत आय-व्ययक वर्ष 1990-91 में 4,80,36 (2,97,68 आयोजनागत तथा 1,82,68 आयोजनेतर) की मांग की गई है। इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा आय-व्ययक में 1,86,07 की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

पर्यटन विभाग (+1,86,07)--

राजस्व लेखा (+92,01)--

आयोजनेतर (+66,54)--

3452--पर्यटन--

80--सामान्य (+66,54)--

समता समिति तथा वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वियन, आयोजनागत योजनाओं का आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरण तथा वस्तुओं एवं पेट्रोल आदि के मूल्यों में वृद्धि तथा वास्तविक परिगणना के आधार पर 001--निदेशन और प्रशासन में 32,44 की 104 -सम्वर्द्धन और प्रचार में 34,42 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त 800--अन्य व्यय में 32, की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार न्यूनाधिक्यों के समायोजन के उपरान्त इस शीर्षक में 66,54 का अधिक्य अनुमानित है।

आयोजनागत (+27,49) –

कतिपय योजनाओं के पूर्ण हो जाने तथा कतिपय नई योजनाओं को प्रारम्भ किये जाने के फलस्वरूप गत वर्ष 37,33 के विपरीत-आय-व्ययक वर्ष में 64,82 का प्राविधान है। इस प्रकार 27,49 का आधिक्य प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा (+92,04)--

आयोजनागत--

5452--पर्यटन पर पूंजी परिव्यय (+92,04)--

कतिपय चालू तथा नए आवासगृहों, पर्यटन स्थलों आदि के निर्माण करने एवं भूमि की अध्याप्ति किए जाने हेतु 92,04 का आधिक्य सम्भावित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय आदि में की गई व्यवस्था निम्नवत् है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--			
01--वेतन	7	1,01,41	1,01,48
02--मजदूरी	..	1,00	1,00
03--महंगाई भत्ता	2	34,06	34,08
04--यात्रा व्यय	..	3,31	3,31
05--अन्य भत्ते	1	12,44	12,45
06--कार्यालय व्यय	40	6,79	7,19
07--टेलीफोन पर व्यय	..	2,36	2,36
08- मोटर गाड़ियों का क्रय	1,25	..	1,25
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	7	2,45	2,52
11--किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व ..	..	8,60	8,60
12--प्रकाशन	..	50	50
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता ..	55,00	7,20	62,20
23--अनुरक्षण	..	20	20
25--सामग्री और सम्पूर्ति ..	..	60	60
33--अन्य व्यय	8,00	1,76	9,76
योग, राजस्व लेखा-- ..	64,82	1,82,68	2,47,50
पूंजी लेखा-- ..	2,32,86	..	2,32,86
कुल योग-- ..	2,97,68	1,82,68	4,80,36

अनुदान संख्या--45

प्रशासनिक सुधार निदेशालय

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की मूल मांग 41,63 के विपरीत आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग 46,31 की है। इस प्रकार यहां पर 4,68 की वृद्धि हुई है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :

राजस्व लेखा--

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--

091--सम्बद्ध कार्यालय--

01--कार्यालय निरीक्षणालय (+3,78)

नये वेतनमान में वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ते का अधिकांश भाग तथा अन्तरिम सहायता की संपूर्ण राशि वेतन में समायोजित हो जाने और भत्तों की पुनरीक्षित दरों के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक गणना के आधार पर "वेतन" में 9,33 की, "यात्रा व्यय" में 50 की, अन्य भत्ते में 27 की, वृद्धि तथा "महंगाई भत्तों" में 5,13 एवं 'अन्तरिम सहायता' में 3,04 की कमी परिलक्षित है। कार्यालय सामग्री की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप वास्तविक व्यय के आधार पर "कार्यालय व्यय" में 25 की, व्यय की प्रगति वास्तविक गणना के आधार पर "टेलीफोन पर व्यय" में 4 की, नई गाड़ी के क्रय किये जाने के फलस्वरूप जैसा कि बजट साहित्य खण्ड-3 आयोजनेतर में उल्लिखित है) "मोटर गाड़ियों के क्रय" में 1,45 की, मूल्यों में वृद्धि एवं वास्तविक व्यय की प्रगति के आधार पर "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" में 15 की वृद्धि हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए इस प्रकार कुल 3,78 की, शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

02--प्रशासनिक सुधार निदेशालय (+85)

उपर्युक्त कारणों से यहां पर भी "वेतन" में 2,90 तथा अन्य भत्ते में 85 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ते में 1,70 की तथा अन्तरिम सहायता की मद में, 1,20 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए कुल 85 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

2202--सामान्य शिक्षा--

80--सामान्य--

004--अनुसंधान--

01--इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश की रीजनल शाखा लखनऊ को अनुदान (+5)--

सदस्यता शुल्क ग्रहण करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण राज्य सरकार द्वारा सदस्यता शुल्क में 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने के कारण 5 की वृद्धि (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड- 3 आयोजनतर में उल्लिखित है) परिलक्षित है।

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन	..	25,91	25,91
03--महंगाई भत्ता	..	8,33	8,33
04--यात्रा व्यय	..	3,80	3,80
05--अन्य भत्ते	..	2,72	2,72
06--कार्यालय व्यय	..	3,25	3,25
07--टेलीफोन पर व्यय	..	4	4
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	..	1,45	1,45
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	..	35	35
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता ..	..	45	45
32--अन्तरिम सहायता	..	..	..
33--अन्य व्यय	..	1	1
योग ..	..	46,31	46,31

अनुदान संख्या–46

प्राविधिक शिक्षा विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में मतदेय में 60,74,38 तथा भारित में *85,02* का प्राविधान किया गया है। जबकि गत वर्ष यही मांग क्रमश: 35,33,08 तथा 60,02 की थी। इस प्रकार मतदेय में 25,41,30 तथा भारित में *25,00* की अधिक व्यवस्था की गई है। न्यूनाधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया गया है :—

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—(+7,88,81)—

001—निदेशन और प्रशासन (+21,19)—

01—तकनीकी शिक्षा निदेशालय (+6,23)—

सातवीं योजना के व्यय के सामान्यीकरण एवं वेतन पुनरीक्षण के कारण वेतन में 15,63 यात्रा व्यय में 50, अन्य भत्ते में 55 की वृद्धि की गई है। मूल्य वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय में 20 तथा अन्य व्यय में 20 की अधिक व्यवस्था की गयी है। निदेशालय के लिये एक अतिरिक्त गाड़ी स्वीकृत होने के कारण 5 की अधिक व्यवस्था की गई है। महंगाई भत्ते का अंश वेतन में संविलीन होने के कारण महंगाई भत्ते में 5,90 एवं अन्तरिम सहायता में 5,00 की कमी परिलक्षित है।

02—क्षेत्रीय कार्यालय (+6,66)—

01--मद में उल्लिखित कारणों से यहां विभिन्न मदों में कुल 6,66 की वृद्धि हुई है।

03—शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान—

सातवीं योजना के व्यय के सामान्यीकरण के फलस्वरूप यहां 8,30 की व्यवस्था प्रदर्शित है।

102—तकनीकी शिक्षा के लिये विश्वविद्यालयों को सहायता—

01—रुड़की विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान (+2,28,88)—

सातवीं योजना के व्यय के सामान्यीकरण तथा दिनांक 1-1-1986 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के कारण यहां 2,28,88 की अधिक व्यवस्था की गई है।

103—तकनीकी विद्यालय (+11,80)—

वेतन पुनरीक्षण, समय समय पर बढ़े महंगाई भत्ते एवं मूल्य वृद्धि के कारण यहां विभिन्न मदों में कुल 11,80 की वृद्धि प्रदर्शित हो रही है।

104—गैर-सरकारी तकनीकी कालेजों एवं संस्थाओं को सहायता (+56,69)—

वेतन पुनरीक्षण समय-समय पर बढ़े महंगाई भत्ते एवं सातवी योजना के व्यय के सामान्यीकरण के कारण इस मद में कुल 56,69 की वृद्धि प्रदर्शित हो रही है।

105—पालीटेकनिक (+1,78,36)—

उक्त मद 104 में उल्लिखित कारणों से यहां भी कुल 1,78,36 की वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

112—इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थायें (+2,80,97)—

सातवीं योजना के व्यय के सामान्यीकरण जिसमें इन्जीनियरिंग कालेज लखनऊ एवं बुन्देलखण्ड इन्जीनियरिंग कालेज, झांसी सम्मिलित हैं, के व्यय के आयोजनेतर पक्ष में आने तथा दिनांक 1-1-1986 से वेतनमानों के पुनरीक्षण के कारण यहां कुल 2,80,97 की अधिक व्यवस्था प्रदर्शित हो रही है।

800—अन्य व्यय (+11,02)—

सातवीं योजना के व्यय के सामान्यीकरण, समय-समय पर बढ़े महंगाई भत्ते एवं वेतन पुनरीक्षण के कारण यहां विभिन्न मदों में 11,02 की वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

6202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिये उधार (–10)—

यहां वास्तविक व्यय के कारणो से 10 की कमी प्रदर्शित हो रही है।

2049—ब्याज संदाय (भारित)—

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की गई मांग के दृष्टिगत यहां *25,00* की अधिक व्यवस्था की गई है।

आयोजनागत (+17,52,49)—

आठवीं योजना के लिए विश्व बैंक परियोजना से प्राप्त होने वाली सहायता के आधार पर आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के लिए 17,52,49 की अधिक व्यवस्था की गई है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन आदि में की गई व्यवस्था इस प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद			आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
2049--ब्याज संदाय (भारित)	..	..	..	*85,00*	*85,00*
26--ब्याज/लाभांश					
01--वेतन	..	..	1,19,65	8,40,30	9,59,95
03--महंगाई भत्ता	..	..	1,11,92	86,59	1,98,51
04--यात्रा व्यय	..	..	4,01	13,71	17,72
05--अन्य भत्ते	..	..	16,99	67,67	84,66
06--कार्यालय व्यय	..	..	16,41	28,35	44,76
07--टेलीफ़ोन पर व्यय	..	..	78	1,67	2,45
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		..	45	1,65	2,10
11--किराया, उपशुल्क तथा कर स्वामिस्व	..	..	1,25	11,31	12,56
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता		..	9,45,87	21,04,25	30,50,12
15--छात्रवृत्तियां / छात्र वेतन	..	..	25	1,89	2,14
19--लघु और निर्माण-कार्य	..	..	60	4,28	4,88
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र		..	4,83,67	4,45	4,88,12
33--अन्य व्यय	मतदेय	..	1,22,91	25,42	2,08,33
	भारित	..	..	*2*	*2*
योग 2203--तकनीकी शिक्षा	मतदेय	..	18,24,76	32,51,54	50,76,30
	भारित	..	..	*2*	*2*
2235--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		..	..	1	1
33--अन्य व्यय--					
पूंजी लेखा					
4202--शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय		..	9,98,07	..	9,98,07
18--वृहद् निर्माण कार्य					
कुल योग	मतदेय	..	28,22,83	32,51,55	60,74,38
	भारित	..	..	*85,02*	*85,02*

अनुदान संख्या--47

पर्वतीय विकास विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिए कुल मांग 2,47,47,18 (2,47,05,82 आयोजनागत तथा 41,36 आयोजनेतर) की है, जबकि गत वर्ष की कुल मांग 2,39,19,29 (2,38,79,93 आयोजनागत तथा 39,36 आयोजनेतर) की थी। इस प्रकार यहां पर कुल 8,27,89 (8,25,89 आयोजनागत तथा 2,00 आयोजनेतर) की वृद्धि प्रदर्शित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जाता है :--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

2049--ब्याज संदाय--

200-अन्य आन्तरिक दायित्वों पर ब्याज (भारित) (-1,00)-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ब्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,00 की कमी प्रदर्शित है।

आयोजनागत--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र (+ 5,51,66)--

102--सामान्य शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा (- 5,41,67)--

आठवीं पंचवर्षीय योजना में चालू योजनाओं को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप 5,41,67 की कमी प्रदर्शित है। पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा सुविधा तथा विद्यालयों को खोलने हेतु 6,09,59 का नयी योजनाओं हेतु प्राविधान (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) किया गया है।

103--सामान्य शिक्षा--माध्यमिक शिक्षा-(- 4,75,54)--

आठवी योजनावधि में चालू योजनाओं को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप 4,75,54 की कमी हुई इसके अतिरिक्त वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अधिनीत योजना हेतु 8 का प्राविधान तथा नयी योजनाओं हेतु 2,80,13 का प्राविधान (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) किया गया है।

104--सामान्य शिक्षा-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--(-89,70)--

नयी योजनाओं हेतु 1,07,90 का प्राविधान किया गया है। (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) इसके अतिरिक्त आठवीं योजनावधि में चालू स्कीमों को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप 89,70 की कमी हुयी है।

105--सामान्य शिक्षा--प्रौढ़ शिक्षा (- 55,14)--

आठवीं योजनावधि में चालू योजनाओं को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप 55,14 की कमी हुई है।

106--सामान्य शिक्षा--भाषा विकास (+ 62)--

नयी योजनाओं हेतु 3,16 का प्राविधान है। (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) आठवी योजनावधि में चालू योजनाओं को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार यहां पर 62 की वृद्धि हुई है।

107--तकनीकी शिक्षा--(- 2,93,71)--

आठवी योजना वधि में कतिपय योजनाओं के आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने तथा अधिनीत (स्पिलओवर) योजनाओं हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप 2,93,71 की कमी प्रदर्शित है।

108--खेल और युवा कल्याण (- 28,94)--

आठवीं योजनावधि में चालू योजनाओं के आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 28,94 की कमी प्रदर्शित है।

109--कला एवं संस्कृति (- 24,59)--

आठवीं योजनावधि में चालू योजनाओं को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किया गया है। इसके अतिरिक्त नयी योजनाओं को 3,15 का प्राविधान (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) किया गया है। इस प्रकार वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 24,59 की कमी प्रदर्शित है।

110--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-(+ 20,01)--

नयी योजनाओं हेतु 39,62 का प्राविधान किया गया है। (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) इसके अतिरिक्त कतिपय योजनाएं आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने तथा अधिनीत योजनाओं के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,73,47 की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कुल 20,01 की वृद्धि प्रदर्शित है।

111--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-चिकित्सा की अन्य पद्धतियां--(- 18,18)--

नयी योजनाओं हेतु 10,49, का प्राविधान (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) किया है। आठवीं योजनावधि में कतिपय योजनायें आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने, वास्तविक आवश्यकता एवं अधिनीत योजनाओं हेतु 5,56 की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कुल 18,18 की शुद्ध कमी प्रदर्शित है।

116--जलपूर्ति और सफाई-(जलपूर्ति) (-2,37,00)--

पर्वतीय क्षेत्र में जलपूर्ति हेतु 5,00,00 का प्राविधान नयी मद में किया गया है। (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अधिनीत योजनाओं हेतु 24,05,00 का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 2,37,00 की कमी प्रदर्शित है।

117--जलपूर्ति और सफाई-मल निकासी और सफाई (- 60,00)--

पर्वतीय क्षेत्र में शुष्क शौचालयों का फ्लश शौचालयों में परिवर्तन, मृत (डिफेक्ट) पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का पुनर्जीवन तथा सुलभ शौचालयों का निर्माण हेतु एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अधिनीत योजनाओं के प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप 60,00 की कमी प्रदर्शित है।

121--शहरी विकास-छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का एकीकृत विकास (- 24,10)--

पर्वतीय क्षेत्र में शहरी विकास सेक्टर के अन्तर्गत 40,85 को नयी मद में प्राविधान किया गया है। (बजट साहित्य खण्ड-3 में दृष्टव्य) आठवीं योजनावधि में नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग के अन्तर्गत स्थापित खण्ड आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 81,00 का प्राविधान अधिनीत योजनाओं में किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 24,10 की कमी प्रदर्शित है।

125—सूचना तथा प्रचार (– 6,56)—

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप 6,56 की कमी प्रदर्शित है ।

126—अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण अनुसूचित जातियों का कल्याण (–1,60,66)—

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 4,25 की व्यवस्था की गयी है तथा 2,50 की ओर से नयी मद के अन्तर्गत की गयी इस प्रकार कुल मिलाकर 6,75 की व्यवस्था है और इस आधार पर 1,60,66 की कमी प्रदर्शित है ।

127—अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (– 31,31)—

पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु 24,24 की नई मद में व्यवस्था की गयी है, (बजट साहित्य के खण्ड–13 में दृष्टव्य) इसके अतिरिक्त वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,00,91 की व्यवस्था की गयी है । इस प्रकार कुल मिलाकर 31,31 की कमी हुई है ।

128—अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण (– 15,40)—

पर्वतीय क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु 8,00 नई मद में प्राविधान किया गया है । (बजट साहित्य के खण्ड–3 में दृष्टव्य) वास्तविक आवश्यकता के आधार पर चालू योजनाओं हेतु 16,00 की व्यवस्था की गई, इस प्रकार कुल मिलाकर 15,40 की कमी प्रदर्शित है ।

130—श्रम और रोजगार (–25,28)—

आठवीं योजना अवधि में चालू योजनाओं को आयोजनेतर पक्ष मे स्थानान्तरित करने के कारण 25,28 की कमी प्रदर्शित है ।

131—श्रम और रोजगार–रोजगार सेवा (+1,79)—

पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार सेवा के लिये 5,00 लाख नयी मांग में प्राविधान किया गया है । (बजट साहित्य के खण्ड–2 में दृष्टव्य) इसके अतिरिक्त चालू अधिनीत योजनाओं हेतु 1,79 का प्राविधान वास्तविक व्यवस्था के आधार पर किया गया है । इस प्रकार कुल मिलाकर 1,79 की वृद्धि प्रदर्शित है ।

132—श्रम और रोजगार–व्यवसायिक प्रशिक्षण (+34,59)—

पर्वतीय क्षेत्र में व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु 49,57 की नई मद में प्राविधान किया गया है । (बजट साहित्य के खण्ड–3 में दृष्टव्य) आठवी योजनावधि में कतिपय योजनायें आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 50,00 का प्राविधान अधिनीत योजनाओं में किया गया है । इस प्रकार कुल मिलाकर 34,59 की वृद्धि प्रदर्शित है ।

134—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–सामाजिक कल्याण (+4,65,97)—

पर्वतीय क्षेत्र की सामाजिक कल्याण योजनाओं हेतु 5,84,77 का प्राविधान नई मद में किया गया है । (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) आठवीं योजनाओं अवधि में कतिपय योजनाओं आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात् भी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अधिनीत योजनाओं हेतु 2,29,00 का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 4,65,97 की वृद्धि प्रदर्शित है ।

140—भू और जल संरक्षण (+ 11,84,24)—

पर्वतीय क्षेत्र भूमि संरक्षण योजनाओं हेतु 13,00,00 का प्राविधान नई मद में किया गया है । (बजट साहित्य के खण्ड–3 में दृष्टव्य) आठवीं योजनावधि में कतिपय योजनाओं आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात् भी अधिनीत योजनायें हेतु 1,89,10 का प्राविधान कर लिया गया है इस प्रकार कुल मिलाकर 11,84,24 की वृद्धि प्रदर्शित है ।

141—कृषि कार्य (+ 36,85)—

पर्वतीय क्षेत्र में कृषि आदि कार्यों हेतु 10,40,65 का नई मद में प्राविधान है । (बजट साहित्य के खण्ड–3 में दृष्टव्य) आठवीं योजना अवधि में कतिपय योजनाओं आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अधीनीत योजनाओं हेतु 50 का प्राविधान वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया है । इस प्रकार कुल मिलाकर 36,85 की वृद्धि प्रदर्शित है ।

142—पशुपालन (+ 23,44)—

पर्वतीय क्षेत्र की पशुपालन योजनाओं हेतु 2,14,45 का नई मद में प्राविधान किया गया है । (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) चालू अधीनीत योजनायें हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 96,24 का प्राविधान किया गया है इस प्रकार कुल मिलाकर 23,44 की वृद्धि प्रदर्शित है ।

143—डेरी विकास (+ 1,44,95)—

पर्वतीय क्षेत्र में डेरी विकास योजनाओं हेतु 1,88,95 का नई मद में प्राविधान किया गया है ।(बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अधीनीत योजनाओं हेतु 1,36,98 का प्राविधान किया गया है । इस प्रकार कुल मिलाकर 1,44,95 की वृद्धि हुई है ।

144—मीन उद्योग (– 6,75)—

पर्वतीय क्षेत्र में मीन उद्योग के सम्बन्ध में आठवीं योजना अवधि में कतिपय योजनाओं आयोजनेत्तर पक्ष में हस्तान्तरित की गई है। नई मद हेतु 6,00 का प्राविधान किया गया है (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) इस प्रकार 6,75 की कमी प्रदर्शित है।

145—वानिकी और वन्य जीवन—वन (+ 1,40,87)—

वन विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु गत वित्तीय वर्ष 1989-90 की बजट व्यवस्था 32,98,05 के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में 34,38,92 की व्यवस्था है, जो वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर है। इस प्रकार 1,40,87 की वृद्धि हुई है।

151—सहकारिता (+ 1,01,02)—

आठवीं योजनावधि में चालू कतिपय योजनाओं को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित किया गया है। सहकारिता विभाग की योजनाओं हेतु 2,19,30 की व्यवस्था नयी मद में गई है। (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) इस प्रकार कुल मिलाकर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,01,02 की वृद्धि है।

152—ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (+ 3,16,40)—

आठवीं योजनावधि में कतिपय योजनायें आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित की गई हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु 15,57,00 का प्राविधान नई मद में किया गया है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अधिनीत योजनायें हेतु 4,23,87 का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 3,16,40 की वृद्धि प्रदर्शित है।

153—भूमि सुधार (+ 4,81)—

पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी योजना लागू किये जाने हेतु 4,81 की, नई मद में व्यवस्था की गई है। (बजट साहित्य की खण्ड-3 में दृष्टव्य है)।

154—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम—पंचायतीराज (+ 7,07)—

पर्वतीय क्षेत्र में पंचायतीराज कार्यक्रमों हेतु नई मद में 38,50 की व्यवस्था की गई है (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) इस प्रकार यहां पर 7,07 की वृद्धि प्रदर्शित है।

161—विद्युत-ताप विद्युत उत्पादन (+ 2,00,00)—

पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप 2,00,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

163—ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत (– 1,25,00)—

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप 1,25,00 की कमी हुई है।

164—उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग—(– 6,74)—

पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग विभाग की कतिपय योजनायेंआयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित की गई है। चालू अधीनीत योजनान्तर्गत 3,15,63 का प्राविधान किया गया है। नई मदों हेतु 1,37,65 का प्राविधान है। (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) इस प्रकार कुल मिलाकर नई मदों पर 6,74 की कमी हुई है।

167—अलौह धातु खनन तथा धातु कर्म उद्योग खानों का विनिमय और विकास (– 33,30)—

पर्वतीय क्षेत्र में खनि- कर्म योजनाओं हेतु 8,20 का नई मदों में प्राविधान किया गया है। (बजट साहित्य के खण्ड 3 में दृष्टव्य) आठवीं योजना अवधि में कतिपय योजनायें आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित होने के फलस्वरूप चालू अधीनीत योजनाओं के हेतु 34,39 का प्राविधान वास्तविक आवश्यकता आधार पर किया गया है इस प्रकार कुल मिलाकर 33,30 कीकमी प्रदर्शित है।

172—परिस्थितिकीय और पर्यावरण—प्रदूषण निवारण और नियंत्रण (+87,56)—पर्वतीय क्षेत्र में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु 1,23,60 का नई मद में प्राविधान है। (बजट साहित्य के खण्ड 3 में दृष्टव्य) चालू अधीनीत योजनाओं हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,91 की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर 87,56 की वृद्धि हुई है।

173—सचिवालय-आर्थिक सेवायें (+16,87)—पर्वतीय क्षेत्र में नियोजन विभाग के कार्यक्रमों हेतु 13,00 का नई मद में प्राविधान किया गया है। (बजट साहित्य के खण्ड- 3 में दृष्टव्य) आठवीं योजना अवधि में कतिपय योजनायें आयोजनेत्तर पक्ष में हस्तान्तरित किया जाने के फलस्वरूप चालू अधीनीत योजनाओं हेतु 2,09,26 का प्राविधान वास्तविक आवश्यकता के आधा पर किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 16,87 की वृद्धि हुई है।

175—पर्यटन-सामान्य (+40,81)—पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय विकास कार्यक्रमों हेतु 37,90 का नई मद में प्राविधान किया गया है। (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) आठवीं योजनावधि में कतिपय योजनायें आयोजनतर पक्ष में हस्तान्तरि किये जाने के फलस्वरूप चालू अधीनीत योजनाओं हेतु 48,75 की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर 40,81 की वृद्धि प्रदर्शित है।

177—सामान्य आर्थिक सेवायें (– 7,56)—पर्वतीय क्षेत्र में बाट तथा माप की योजनायें आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के फलस्वरूप 7,56 की कमी प्रदर्शित है।

पंजी लेखा—

4551—पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय—

107—प्राविधिक शिक्षा (– 30,00)–वास्तविक आवश्यकता के आधार "शून्य" की व्यवस्था किये जाने के कारण 30,00 की कमी है।

129—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण (+ 48,00)—

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 48,00 की व्यवस्था नई मद में की गई है। (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य)।

140—कृषि कार्य (–49,55)—पर्वतीय क्षेत्र में कृषि भाग में निर्माण कार्यों हेतु 45,19 की वृद्धि/व्यवस्था नई मद में की गई है (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) इस आधार पर वर्ष 1989-90 में 94,74 के प्राविधान के समक्ष 49,55 की कमी हुई।

142—पशुपालन (– 1,22,90)–आवश्यकता न होने के कारण "शून्य" की व्यवस्था किये जाने के कारण-1,22,90 की कमी हुई है।

143—डेरी विकास (–10,00)—आवश्यकता न होने के कारण "शून्य को व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 10,00 की कमी हुयी है।

152—ग्रामोण विकास के विशेष कार्यक्रम—एकोकृत विकास कार्यक्रम (– 64,24)—आवश्यकता न होने के कारण शून्य' की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 64,24 की कमी प्रदर्शित है।

155—वृहत एवं मध्यम सिंचाई (–56,00)—निर्माण कार्यों की आवश्यकता के आधार पर 96,37 की उपस्कर एवं मशीनों हेतु वास्तविक आधार पर 1,01 की कमी परिलक्षित है। इसके विपरीत आवश्यकता के आधार पर निदेशन और प्रशासन के अन्तर्गत 41,38 की वृद्धि सम्भावित है।

161—उद्योग–ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+2,86,72)—

पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग विभाग के निर्माण कार्यक्रमों हेतु 3,47,14 की व्यवस्था नई मद में की गई है (बजट साहित्य के खण्ड 3 में दृष्टव्य) इसके अतिरिक्त वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 7,92 की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कुल प्राविधान के सापेक्ष 2,86,72 की वृद्धि प्रदर्शित है।

178—नागरिक उड्डयन (+50,00)—वास्तविक आवश्यकता आधार पर अधोनीत योजनाओं हेतु 50,00 की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप वृद्धि प्रदर्शित है।

169—सड़क तथा पुल (– 5,94,45)—

प्रदेश की सड़कों तथा पुलों के निर्माणार्थ गत वर्ष 1989-90 में 34,76,00 की धन व्यवस्था के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में 28,81,55 का प्राविधान किया गया है, चालू निर्माण कार्यों हेतु आवश्यकता के आधार पर है। इस प्रकार 5,94,45 की कमी हुई है।

175—पर्यटन–सामान्य (+4,84,37)—पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन आवास गृहों के निर्माण हेतु 3,71,53 की व्यवस्था नई मद से की गई है। (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य है) इसके अतिरिक्त 1,76,13 की व्यवस्था सीधे बजट से की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर 4,84,37 की वृद्धि प्रदर्शित है।

203—लोक निर्माण–सामान्य—

01—भवन (+5,00,61)—

विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों हेतु गत वित्तीय वर्ष के 10,95,77 के बजट प्राविधान के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में 15,96,38 की व्यवस्था की गयी है, जो निर्माण कार्यों के लिए आवश्यकता के आधार पर है। इस प्रकार 5,00,61 की वृद्धि हुई है।

6003—राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (+3,00) आयोजनेतर—

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भुगतान के प्रतिदान को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 3,00 की अनुमानित है।

6551--पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार—

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

119—शहरी आवास (−50,50)--

02--अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजनान्तर्गत विकास प्राधिकरणों को आधारिक पूंजी हेतु आवश्यकता के आधार पर वर्ष 1990-91 में अपेक्षाकृत कम ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 1,99,99 की कमी प्रदर्शित है।

03--विकास प्राधिकरणों को आधारिक पूंजी हेतु आवश्यकता के आधार पर वर्ष 1990-91 में अपेक्षाकृत कम ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 52 की कमी प्रदर्शित है।

04--आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के गृह निर्माण हेतु विकास प्राधिकरण को अपेक्षाकृत कम ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 29,99 की कमी प्रदर्शित है।

123—शहरी विकास अन्य शहरी विकास योजनाएं (+1,02,00)—

02--सीमा क्षेत्र के विकास के लिये गढवाल मण्डल विकास निगम को मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में ऋण सहायता दिये जाने की संभावना के कारण 1,02,00 की बृद्धि प्रदर्शित है।

141—कृषि कार्य—(−14,50)—

03--यू0 पी0 हार्टिको को सेवों के क्रय हेतु वर्ष 1990-91 में कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध न कर कराये जाने की संभावना के कारण 7,00 की कमी प्रदर्शित है।

05--लघु एवं सामान्य उद्यान पतियों को दून मोटर होटिग के अन्तर्गत कोई ऋण सहायता न दिये जाने की संभावना के कारण 7,50 की कमी प्रदर्शित है।

151—सहकारिता (−4,40)—

03—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—

0201--हरिजन एवं कमजोर वर्ग की विशेष औद्योगिक समितियों को वर्ष 1990-91 में अपेक्षाकृत अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की सामान्य के कारण 25 की बृद्धि प्रदर्शित है।

0202--सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में समितियों के सदस्य बनाने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आवश्यकता के आधार पर ब्याज रहित ऋण स्वीकृत करने की संभावना के कारण 1990-91 के आय-व्ययक में 1,30 की बृद्धि प्रदर्शित है।

06--सहकारी क्रय-विक्रय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में क्रय-विक्रय समिति को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु आवश्यकता के आधार पर ऋण सहायता स्वीकृत किये जाने की संभावना के कारण 60 प्रतिशत की बृद्धि प्रदर्शित है।

08--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-सहकारी ऋण वेंकिग योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु ब्याज रहित ऋण सहायता कम उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 1,08 की कमी प्रदर्शित है।

11--सहकारी क्रय-विक्रय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु अपेक्षाकृत कम ऋण सहायकता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 3,92 की कमी प्रदर्शित है।

13--उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय हेतु वर्ष 1990-91 में प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के अपेक्षाकृत कम ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 6,20 की कमी प्रदर्शित है।

17--सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में सहकारी बैंकों की शाखाओं के भवन निर्माण हेतु अपेक्षाकृत अधिक ऋण सहायता स्वीकृत किये जाने की संभावना के कारण 4,25 की बृद्धि प्रदर्शित है।

18--सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजनान्तर्गत नगरीय बैंकों को साज-सज्जा हेतु आवश्यकता के आधार पर अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 40 की कमी प्रदर्शित है।

217—लघु सिंचाई (−14,02)—

01--निजी लघुसिंचाई निर्माण कार्यों के लिये वर्ष 1990-91 में अपेक्षाकृत कम ऋण सहायता स्वीकृत किये जाने की संभावना के कारग 14,02 की कमी प्रदर्शित है।

161—विद्युत-ताप विद्युत--(−35,00)—

01--पर्वतीय क्षेत्र की विद्युत् योजनाओं के वित्त परीक्षण के लिये उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद्, उ0 प्र0 अल्पार्थक निगम की अपेक्षाकृत कम ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 35,00 की कमी प्रदर्शित है।

164—उद्योग—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (−15,19)—

02--पर्वतीय क्षेत्र की लघु स्तरीय एवं लघुतर बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्स्थापन हेतु वर्ष 1990-91 में अपेक्षाकृत कम ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 4,99 की कमी प्रदर्शित है।

04--एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना हेतु वर्ष 1990-91 में अपेक्षाकृत अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 4,17 की वृद्धि प्रदर्शित है।

05--ऊनी हथकरघा विकास परियोजना हेतु 50% केन्द्र द्वारा पुरोधानित वर्ष 1090-91 में ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना के कारण 1,50,00 कमी प्रदर्शित है।

07--खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को वर्ष 1990-91 में कोई ऋण सहायता स्वीकृत न किये जाने की संभावना के कारण 1,09 की कमी प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए की गयी आय-व्ययक व्यवस्था निम्न प्रकार है:—

(हजार रुपयों में)

मानक पद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	..	8,18,29	..	8,18,29
02—मजदूरी	..	2,56,43	..	2,56,43
03—महंगाई भत्ता	..	3,08,01	..	3,08,01
04—यात्रा व्यय	..	74,58	..	74,58
05—अन्य भत्ते	..	1,65,85	1	1,65,86
06—कार्यालय व्यय	..	2,38,41	..	2,38,41
07—टेलीफोन पर व्यय	..	10,16	..	10,16
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	..	45,50	..	45,50
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		67,74	..	67,74
11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	..	20,00	..	20,00
12—प्रकाशन	..	2,25	..	2,25
13—विज्ञापन बिक्री और स्थापन व्यय	..	35	..	35
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	85,69,13	35	85,69,48
15—छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन	..	42,42	..	42,42
18—वृहत् निर्माण कार्य	..	62,82,09	..	62,82,09
19—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	4,78,93	..	4,78,93
21—लघु निर्माण कार्य	..	15,34,53	..	15,34,53
23—अनुरक्षण	..	6,63	..	6,63
24—निवेश/ऋण	(मतदेय) ..	20,76,86	..	20,76,86
	(भारित) ..	..	..	..
25—माल और सम्पूर्ति	..	1,33,29	..	1,33,29
33—अन्य व्यय	(मतदेय) ..	35,74,37	..	35,74,37
	(भारित) ..	..	*41,00*	*41,00*
योग	मतदेय ..	2,47,05,82	36	2,47,06,18
	भारित ..	..	*41,00*	*41,00*

अनुदान संख्या—48

मुस्लिम वक्फ विभाग

गत वर्ष 39,66 (मतदेय) तथा *2,73* (भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990-91 में कुल मांग 52,26 (मतदेय) तथा *2,73* (भारित) की है। इस प्रकार कुल 12,60 की वृद्धि प्रत्याशित है जिसे नीचे स्पष्ट किया जाता है:—

2075—विविध—सामान्य सेवायें—

800—अन्य व्यय—

01—वसीका कार्यालय, लखनऊ—(+1,04)—वेतनमान तथा अन्य भत्तों के पुनरीक्षण के कारण "वेतन" (+1,30) "यात्रा व्यय" (+1), "अन्य भत्ते" (+25), "कार्यालय व्यय" (+2), तथा टेलीफोन पर व्यय (+1), इस प्रकार कुल 1,59 की वृद्धि प्रदर्शित है। दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को पुनरीक्षित वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण "महगाई भत्ता" (−20) तथा "अन्तरिम सहायता" (−35) इस प्रकार कुल 55 की कमी है जिसे समायोजित करते हुये यहां 1,04 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

02—एजेन्सी कार्यालय, वाराणसी—

33—अन्य व्यय—(+1) वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यहां 1 की व्यवस्था सम्मिलित करने पर वृद्धि परिलक्षित है।

2252—अन्य सामाजिक सेवायें—

102—धार्मिक और पूर्त विन्यास का प्रशासन—

01--अधिष्ठान- (+11,54) वेतनमान तथा अन्य भत्तों के पुनरीक्षण के करण "वेतन (+15,00), "यात्रा व्यय" (+50), "अन्य भत्ते" (+2,25), "कार्यालय व्यय" (+50), टेलीफोन पर व्यय (+3), एवं मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद (+4) इस प्रकार कुल 18,32 की वृद्धि प्रदर्शित है दूसरी ओर महंगाई भत्ते के कुछ भाग को पुनरीक्षित वेतन में सम्मिलित किये जाने के कारण महंगाई भत्ता (-2,40) तथा अन्तरिम सहायता (-4,38) इस प्रकार 6,78 की कमी है जिसे समायोजित करते हुये यहां पर 11,54 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

इस प्रकार अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु धन की व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनेतर
01--वेतन		29,80
03--महंगाई भत्ता		10,25
04--यात्रा व्यय		2,06
05--अन्य भत्ते		6,00
06--कार्यालय व्यय		2,14
07--टेलीफोन पर व्यय		18
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद		12
11--किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व		2
26--ब्याज / लाभांश		*2,73*
33--अन्य व्यय		1,69
कुल योग	मतदेय	52,26
	भारित	*2,73*

अनुदान संख्या--49

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के शून्य के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिये 57,92,38 का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार 57,92,38 की वृद्धि हुयी जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है।

राजस्व लेखा--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--(+57,03,17)--
आयोजनागत (+17,94,78)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत नयी योजनाओं के शुरू किये जाने के कारण वेतन में 54,36 महंगाई भत्ते में 21,74 यात्रा व्यय में 1,02 अन्य भत्ते में 2,05,62 कार्यालय व्यय में 11,56 मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण में 3,40, भवन किराया में 3,40, सहायक अनुदान में 3,22,00, मशीन साज-सज्जा में 1,24,79, सामग्री व सम्पूर्ति में 71,06 तथा अन्य व्यय में 9,75,83 की वृद्धि अनुमानित है।

आयोजनेतर (+39,08,39)--

इस शीर्षक में समाज कल्याण के बजट से योजनाओं के अन्तरण के कारण वेतन में 4,29,90, मजदूरी में 75, महगाई भत्त में 1,71,04, यात्रा व्यय में 18,87, अन्य भत्ते में 13,23,22, कार्यालय व्यय में 29,36, टेलीफोन पर व्यय में 57, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण में 32,96, भवन किराया में 26,42, प्रकाश में 3,09, अनुदान में 55,60, छात्रवृत्ति में 9, मशीनों में 61,96, अनुरक्षण में 7,29, माल व सम्पूर्ति में 1,53 तथा अन्य व्यय में 17,45,74 की वृद्धि अनुमानित है।

पूंजी लेखा--

आयोजनागत--

4235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय--(+89,21)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत नयी योजनाओं के शुरू किये जाने के कारण वृहत निर्माण कार्य में 50,00 तथा निवेश में 39,21 की वृद्धि अनुमानित है।

अनुदान के अन्तर्गत वेतन व भत्तों में कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है—

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	54,36	4,29,90	4,84,26
02—मजदूरी	..	75	75
03—महंगाई भत्ता	21,74	1,71,04	1,92,78
04—यात्रा व्यय	1,02	18,87	19,89
05—अन्य भत्ते	2,05,62	13,23,22	15,28,84
06—कार्यालय व्यय	11,56	29,36	40,92
07—टेलीफोन पर व्यय	..	57	57
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,40	32,96	36,36
11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	3,40	26,42	29,82
12—प्रकाशन	..	3,09	3,09
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3,22,00	55,60	3,77,60
15—छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन	..	9	9
18—वृहत् निर्माण कार्य	50,00	..	50,00
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,24,79	61,96	1,86,75
23—अनुरक्षण	..	7,29	7,29
24—निवेश/ऋण	39,21	..	39,21
25—सामग्री व सम्पूर्ति	71,06	1,53	72,59
33—अन्य व्यय	9,75,83	17,45,74	27,21,57
योग	18,83,99	39,08,39	57,92,38

अनुदान संख्या—50

राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक के वर्ष के लिए कुल मांग 65,66,89 (65,66,54 मतदेय तथा 35 भारित) की है। जबकि गत वर्ष यह मांग 60,39,61 (मतदेय 60,39,26 तथा 35, भारित) की थी। इस प्रकार 5,87,28 की वृद्धि हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :--

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—

2053—जिला प्रशासन (+6,27,27)—

093—जिला स्थापना—

01—कलेक्टरी स्थापना—(+2,73,98)—

पुनरीक्षित वेतनमानों "वेतन" निर्धारण वार्षिक वेतन, अवकाश नगदीकरण, महंगाई भत्ते के अधिकांश भाग तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण धनराशि वेतन में समायोजित हो जाने एवं भत्ते की नई दरों के कारण एवं वास्तविक आवश्यकता तथा परिगणना के आधार पर वेतन में 6,03,85 की, यात्रा व्यय में 2,32 की, अन्य भत्ते में 1, की, वृद्धि हुई है। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप कार्यालय व्यय में 1,37 की, टेलीफोन की दरों में वृद्धि के कारण टेलीफोन पर व्यय में 4,46 की वृद्धि हुई है पुरानी गाड़ियों के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण उनके स्थान पर नई गाड़ियों के क्रय किए जाने पर मोटर गाड़ियों के क्रय की मद में 18,47 की वृद्धि परिलक्षित है। पेट्रोल / डीजल के मूल्यों में वृद्धि के कारण "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" की मद में 3,95 की "निर्माण सामग्री" के मूल्यों में वृद्धि के कारण अनुरक्षण की मद में 8,28 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ता में 1,62,42 तथा अन्तरिम सहायता की मद में 1,69,37 की कमी प्रदर्शित है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए 2,73,98 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

02—अभिलेखागार की स्थापना (+44,76)—

पुनरीक्षित वेतनमानों "वेतन" निर्धारण, वार्षिक वेतन, अवकाश नगदीकरण, महंगाई भत्ता के अधिकांश भाग तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण धनराशि वेतन में समायोजित हो जाने एवं भत्तों की नई दरों के कारण एवं वास्तविक आवश्यकता तथा परिगणना के आधार पर वेतन में 1,35,91 की, यात्रा व्यय में 3 की, अन्य भत्ते में 1,13 की तथा लेखन सामग्री के मूल्यों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कार्यालय व्यय की मद में 11, की, वृद्धि हुई है। तथा महंगाई भत्ता में 49,51 तथा अन्तरिम सहायता में 42,91 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने के उपरान्त 44,76 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

094—अन्य स्थापना—

01—उप मण्डल स्थापना (+2,94,88)—

उपर्युक्त उप लेखा शीर्षक में उल्लिखित कारणों से ही यहां पर वेतन में 7,80,70 की, मजदूरी में 65 की, "यात्रा व्यय" में 5,18 की "अन्य भत्ते" में 26,53 की, "कार्यालय व्यय" में 3,70 की, "कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए तथा टेलीफोन का अधिक उपयोग किये जाने के कारण "टेलीफोन पर व्यय" की मद में 45 की, निष्प्रयोज्य गाड़ियों के बदले नई गाड़ियों को खरीद किये जाने के कारण 4,12 की, इन्जिन मरम्मत तथा कल पुरजे के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" की मद में 3,60 की, भवन स्वामियों द्वारा मकानों के किराये में वृद्धि के कारण "किराया, उप-शुल्क एवं कर स्वामित्व" की मद में 1,00 की, निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण अनुरक्षण की मद में 1,68 की तथा महंगाई भत्ते 2,83,73 तथा अन्तरिम सहायता में 2,50,00 की कमी हुई है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित किए जाने के पश्चात् 2,94,88 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

101—आयुक्त—

01—मुख्य कार्यालय (+12,93)—

उपर्युक्त उप लेखा शीर्षक में उल्लिखित कारणों से ही यहां पर भी वेतन में 50,35 की, मजदूरी में 3, की, यात्रा व्यय में 35 की, अन्य भत्ते में 1,20 की, कार्यालय व्यय में 83 की, टेलीफोन पर व्यय की मद में 46 की, पी0 ओ0 एल0 में 73 की, निर्माण सामग्री की मूल्यों में वृद्धि के कारण, लघु निर्माण-कार्य की मद में 61 की, मूल्यों में वृद्धि एवं वास्तविक व्यय की प्रगति के आधार पर मशीनें और साज-सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र की मद में 70 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ता में 24,16 की एवं अन्तरिम सहायता की मद में 18,17 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने के उपरान्त 12,93 की वृद्धि परिलक्षित है।

02—अभिलेखागार के व्यय (+72)—

समता समिति की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप नये वेतन निर्धारण के कारण वेतन में 1,92 की, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अन्य भत्ते में 6 की, स्टेशनरी की दरों में वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय की मद में 3 की, वृद्धि तथा महंगाई भत्ता में-70 की एवं अन्तरिम सहायता की मद में 59, की कमी की गई है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं की समायोजित किए जाने के उपरान्त 72 की शुद्ध वृद्धि हुई है।

पूंजी लेखा—

आयोजनागत—

4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (−1,00,00−)—

01—कार्यालय की इमारतें—

201—भूमि का अधिग्रहण (−13,00,00)—

प्रदेश की कतिपय तहसीलों के आवासीय / अनावासीय भवनों की निर्माण भूमि अर्जन के प्रतिकर के भुगतान हेतु गत वर्ष की 15,00,00 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में आवश्यकता की देखते हुए केवल 2,00,00 की व्यवस्था किए जाने से यहां पर 13,00,00 की कमी परिलक्षित है।

00—अन्य व्यय (+3,40,00)—

नई मांग के माध्यम जिला सेक्टर के अन्तर्गत आवासीय भवनों के निर्माणार्थ 1 00,00 एवं 8 तहसीलों में आवासीय भवनों के निर्माणार्थ 2,40,00 (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड- 3 आयोजनागत में उल्लिखित है) की बजट व्यवस्था बजट वर्ष में किए जाने से यहां पर 3,40,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

60—अन्य इमारतें—

051—निर्माण (+8,60,00)—

नई मांग के माध्यम से (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड- 3 में उल्लिखित है) जिला सेक्टर के अन्तर्गत आवासीय भवनों के निर्माणार्थ 3,00,00 तथा आठ तहसीलों के भवनों के निर्माणार्थ 5,60,00 की व्यवस्था किए जाने से यहां पर 8,60,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01-वेतन	..	30,83,16	30,83,16
02--मजदूरी	..	20,32	20,32
03-महंगाई भत्ता	..	10,78,16	10,78,16
04-यात्रा व्यय	..	1,11,04	1,11,04
05-अन्य भत्ते	..	2,31,17	2,31,17
06-कार्यालय व्यय	..	1,89,53	1,89,53
07-टेलीफोन पर व्यय	..	47,05	47,05
08-मोटर गाड़ियों का क्रय	..	51,95	51,95
09-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	..	1,74,72	1,74,72
11-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	..	9,83	9,83
18-वृहत् निर्माण-कार्य	14,00,00	..	14,00,00
19-लघु निर्माण-कार्य	..	70,02	70,02
23-अनुरक्षण	..	98,22	98,22
32-अन्तरिम सहायता	..	..	..
33-अन्य व्यय (मतदेय) ..	..	1,37	1,37
(भारित) ..	..	*35*	*35*
योग (मतदेय) ..	14,00,00	51,66,54	65,66,54
(भारित) ..	..	*35*	*35*

अनुदान संख्या—51

राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिए कुल मांग 1,36,93,43 (46,53,00 मतदेय एवं *90,40,43* भारित) की है जबकि गत वर्ष की मूल मांग 40,82,54 (10,80,62 मतदेय एवं *29,01,92* भारित) की थी। इस प्रकार यहां पर 96,10,89 की कमी प्रदर्शित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

2049--ब्याज संदाय (भारित) (*-1,95*)--

ब्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,95 की कमी हुई है।

2052--सचिवालय सामान्य सेवाएं (-12)--

दैवी आपदा अधिष्ठान में कार्यरत् कर्मचारियों के भुगतान हेतु वास्तविक परिगणना के आधार पर 12 की कमी है।

2245--दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत--

01--सूखा--(+9,80,00)

800--अन्य व्यय (+9,80,00) प्रदेश के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 9,80,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

02--बाढ़ चक्रवात आदि--

101--निःशुल्क राहत (+6,00,00)

प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क राहत बांटने हेतु वास्तविक अवश्यकता के आधार पर 6,00,00 की वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

111--शोक सतप्त परिवारों को निःशुल्क अदायगियां (+4,82)--
वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 4,82 की वृद्धि परिलक्षित है।

112--जनसंख्या का विकास (+12,85,18)--

प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु नावों के किराये/क्षति ग्रस्त मकानों की मरम्मत और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 12,85,18 की वृद्धि परिलक्षित है।

113--मकानों की मरम्मत और पुर्ननिर्माण के लिये सहायता (+6,02,50)--

प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क राहत तथा मकानों की मरम्मत और निर्माण सहायता पहुंचाने हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "113--मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए सहायता" की मद में 6,02,50 की वृद्धि हुई है।

04--अकाल राहत निधि--

101--आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं में अंतरण-अकाल राहत निधि--

01--अकाल राहत निधि के संक्रमण--

29--अन्तर्लेखा संक्रमण (लेखा शीर्षक 8223- (भारित) (*-28,62,50*)--

नवम् वित्त आयोग द्वारा राहत व्यय के वित्त पोषण के लिए प्रचलित प्रणाली को पूर्णतया बदल कर एक नई प्रणाली चालू कर प्रत्येक राज्य में एक "आपदा राहत निधि" गठित की गई है अतः इस मद में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस प्रकार इस मद में 28,62,50 की कमी हुई है।

04--अकाल राहत निधि--

80--सामान्य--

800--अन्य व्यय (मतदेय) --

02--आपदा राहत निधि में राज्य सरकार का अंशदान (+90,00,00)--

नवम् वित्त आयोग द्वारा राहत व्यय के वित्त पोषण के लिए प्रचलित प्रणाली को पूर्णतः बदलकर एक नई प्रणाली लागू कर प्रत्येक राज्य में एक "आपदा राहत निधि" स्थापित की जायगी जिसमें इस प्रदेश हेतु 90,00 करोड़ रुपये जमा किए जायेंगे। उक्त धनराशि में से 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेतर अनुदान के रूप में और शेष 25 प्रतिशत अर्थात् (22.50 करोड़ रुपये) प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से अंशदान के रूप में जमा करेगी। इस निधि में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार त्रैमासिक किश्तें जमा करेगी। चूंकि वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में नई प्रणाली के अनुसार 90,00 करोड़ रुपये का प्राविधान नई मांगों से (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड-3 आयोजनेतर में उल्लिखित है) किया गया है। अतः उपरोक्त लेखा शीर्ष के अन्तर्गत 90,00,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित) (*+2,96*)--

भारतीय जीवन बीमा निगम को मूलधन के प्रतिदान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,96 की वृद्धि परिलक्षित है।

2--इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में वेतन आदि के लिये कुल व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है:--

(हजार रुपयों में)

मानक मद	(धनराशि)
राजस्व लेखा--	
01--वेतन	50
03--महंगाई भत्ता	20
04--यात्रा व्यय	2
05--अन्य भत्ते	5
06--कार्यालय व्यय	70,00
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पट्रोल आदि की खरीद	7,00
14--सहायता अनुदान/अंशदान/राज सहायता	20,53,00
18--वृहत् निर्माण कार्य	1

(हजार रुपयों में)

मानक मद						धनराशि
19—लघु निर्माण कार्य	..	..	..		..	1
26—ब्याज/लाभांश (भारित)	..	..	..		..	*10,58*
29—अन्तर लेखा संक्रमण (भारित)	..	..	..		..	*90,00,00*
33—अन्य व्यय	..	..		मतदेय	.	23,79,98
				भारित	..	*1*
योग, राजस्व लेखा				मतदेय	..	45,10,77
				भारित	..	*90,10,59*
पूंजी लेखा—						
24—निवेश/ऋण	..	..	..	मतदेय	..	1,42,23
				भारित	..	*29,84*
			कुल योग	मतदेय	..	46,53,00
				भारित	..	*90,40,43*

अनुदान संख्या—52

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

आय व्ययक—

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की मूल मांग 1,47,61,11 ((1,44,02,54 मतदेय एवं *3,58,57* भारित) के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिए 1,69,44,25 (1,65,85,48 मतदेय तथा *3,58,77* भारित) की है। इस प्रकार यहां पर 21,83,14 की वृद्धि परिलक्षित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :—

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर (+18,71,92)—

2029—भू-राजस्व (+16,03,56)—

नये वेतनमान वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश नगदीकरण एवं बोनस हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने, महंगाई का अधिकांश भाग तथा अन्तरिम सहायता को सम्पूर्ण धनराशि वेतन में समायोजित हो जाने, कार्यालय सामग्री के मूल्यों में वृद्धि, दूरभाष की दरों में वृद्धि, भत्तों की पुनरीक्षित दरों, गाड़ियों के अनुरक्षण व्यय तथा पेट्रोल की दरों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आवश्यकता, परिगणना एवं व्यय की प्रगति के आधार पर विभिन्न मदों के लिए बजट वर्ष में व्यवस्था किये जाने तथा न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुये यहां पर कुल 16,03,56 की शुद्ध वृद्धि प्रत्याशित है।

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें (+62,57)—

उपर्युक्त कारणों से यहां पर भी "वेतन" में 30,54 की, "यात्रा व्यय" में 14 की, "अन्य भत्ते" में 1,60 की, "कार्यालय व्यय" में 1,76 की, "टेलीफोन पर व्यय" में 6 की, "पी0 ओ0 एल0" में 16 की, "लघु निर्माण कार्य" में 21 की, "अनुरक्षण" में 7 की, तथा नई मांग के माध्यम से राजस्व परिषद् में "माइक्रोफिलम" "मोदी जीरोक्स" इन्जीनियरिंग प्लेन प्रिन्टर मशीन विद्युत् स्टेशन की स्थापना तथा आडिटोरियम भवन के वातानुकूलन की व्यवस्था (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड-3 आयोजनेतर में उल्लिखित है) के फलस्वरूप "मशीनें तथा सज्जा में 42,24 की वृद्धि एवं "महंगाई भत्ता" में 6,47 एवं "अन्तरिम सहायता" में 7,76 की कमी प्रत्याशित है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर कुल 62,57 की शुद्ध वृद्धि हुई है।

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें (+5)—

वास्तविक व्यय की प्रगति के आधार पर "यात्रा व्यय" में 3 एवं "अन्य व्यय" में 2 की वृद्धि हुई है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+2,01,88)—

उपर्युक्त कारणों से वेतन में 3,38 की, यात्रा व्यय में 3 की, अन्य भत्ते में 37 की, कार्यालय व्यय में 5 की, एवं व्यावसायिक सेवायें में 2 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ते में 1,08 तथा अन्तरिम सहायता में 89 की कमी हुई है। निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न और वस्त्र वितरण योजना हेतु व्यवस्था किये जाने से सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में 2,00,00 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने पर यहां पर 2,01,88 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

3454—जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी (+2,38)

उपर्युक्त कारणों से यहां पर भी वेतन में 6,05 की, "यात्रा व्यय" में 1 की, अन्य भत्ते में 39 की कार्यालय व्यय में 3 की टेलीफोन पर व्यय में 1 एवं पी0 ओ0 एस0 में 1 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ते में 2,42 और अन्तरिम सहायता में 1,70, की कमी हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने पर 2,38 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (+1,48)

उपर्युक्त कारणों इस शीर्षक में भी वेतन में 3,,94 की, "यात्रा व्यय" में 1 की, एवं अन्य भत्ते में 7 की, वृद्धि तथा महंगाई भत्ते में 1,13 की और अन्तरिम सहायता में 1,41 की कमी हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजन के उपरान्त 1,48 की शुद्ध वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनागत—

2029—भू-राजस्व (+3,47,02)

चकबन्दी योजना को आठवीं योजनाकाल में स्पिल्ल ओवर स्कीम के रूप में आयोजनागत पक्ष में चलाये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान स्टाफ के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में बचनबद्ध व्यय की मदों के लिए वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर व्यवस्था किये जाने, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, दूरभाष की दरों में वृद्धि, रेल किराये में वृद्धि, गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पी0 ओ0 एल0 की दरों में हुई वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में मितव्ययता की मदों में सामान्य वृद्धि स्वीकार करते हुये धन की व्यवस्था करने पर तथा नई मांग के माध्यम से भूमि प्रबन्ध संस्थान की स्थापना (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड-3 आयोजनागत में उल्लिखित है) के फलस्वरूप न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए इस शीर्षक में मतदेय पक्ष में 3,46,82 एवं भारित में *20* अर्थात कुल 3,47,02 की वृद्धि परिलक्षित है।

2216—आवास—(+5,00)

भूमिहीनों के लिए स्थान की व्यवस्था सम्बन्धी इस योजना में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 5,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

2506—भूमि सुधार (+26,20)

"अधिशेष भूमि के एलाटियों को सहायता" नामक योजना के लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था किये जाने से यहां पर 26,20 की कमी हुई है।

पूंजी लेखा—(–14,60)

आयोजनागत—(–14,60)

"उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई के भवन निर्माण" नामक चालू योजना के लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था किये जाने से 14,60 की कमी प्रत्याशित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि मदों में की गई व्यवस्था निम्नवत् हैं:--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	21,81,17	92,08,69	1,13,89,86
02	मजदूरी	..	3,15	3,15
03	महंगाई भत्ता	7,41,58	30,69,28	38,10,86
04	यात्रा व्यय	33,97	1,76,91	2,10,88
05	अन्य भत्ते	1,56,07	3,58,12	5,14,19
06	कार्यालय व्यय	27,85	88,65	1,16,50
07	टेलीफोन पर व्यय	80	4,14	4,94
08	मोटर गाड़ियों का क्रय	..	..	..
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	9,08	11,08	20,16
10	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान ..	..	1,01	1,01
11	किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	..	2,20	2,20
12	प्रकाशन	..	6,70	6,70
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	95,00	2,01,00	2,96,00
15	छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन	..	5,01	5,01

मानक	मद			आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
18	वृहत् निर्माण कार्य ..	..	..	47,40	..	47,40
19	लघु निर्माण कार्य- (मतदेय)	..	..	..	3,12	3,12
	(भारित)	..	..	..	*1*	*1*
20	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		..	..	56,69	56,69
23	अनुरक्षण ..	..	..	9	10,95	11,04
26	ब्याज/लाभांश (भारित)	..	..	..	*1,01,76*	*1,01,76*
29	अंतर्लेखा संक्रमण- (भारित)	..	..	..	*4,71*	*4,71*
30	बट्टाखाता तथा हानियां	..	..	..	20	20
33	अन्य व्यय- (मतदेय)	..	..	11,10	74,47	85,57
	(भारित)	..	..	*50*	*2,51,79*	*2,52,29*
	योग (मतदेय)		..	33,04,11	1,32,81,37	1,65,85,48
	(भारित)		..	*50*	*3,58,27*	*3,58,77*

अनुदान संख्या—53

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग 1,35,90 की है जबकि गत वर्ष यह मांग 78,84 की थी। इस प्रकार 57,06 की अधिक व्यवस्था की गई है। न्यूनाधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :—

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर (+7,06)—

आयोजनागत (+50,00):-

आयोजनेतर—(+7,06)—

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें (+2,91)—

105—विशेष जांच आयोग—

01—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग क अधीन अल्प संख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय —(+1,57)—

समता समिति की सस्तुतियों के आधार पर नये वेतनमान लागू करने के फलस्वरूप वेतन में 2,78 की व्यवस्था है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 5 की वृद्धि यात्रा व्यय में, 20 की वृद्धि, अन्य भत्ते में 3 की वृद्धि कार्यालय व्यय में 1 की वृद्धि पी0 ओ0 एल0 में की गई है। दूसरी ओर नये वेतनमान के साथ अनुमन्य दर पर महगाई भत्ता देने हेतु मंहगाई भत्ता की इकाई में 80 का कम प्राविधान सम्मिलित है। नये वेतनमान के साथ अन्तरिम सहायता न अनुमन्य होने के कारण इस इकाई को हटाते हुये 70 की कमी की गई है।

800—अन्य व्यय—

01—मौलाना आजाद स्मारक अकादमी को अनुदान (+1,00)—

इस अकादमी के आवर्तक अनुदान में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप 1,00 का अधिक प्राविधान सम्मिलित किया गया है।

07—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में सलाहकार की नियुक्ति के फलस्वरूप व्यवस्था (- 97)—

गत वित्तीय वर्ष में सलाहकार का यह पद समाप्त हो चुका है। अतः पुराने देयकों, यदि कोई हो, के भगतान हेतु 1 की प्रतीक व्यवस्था बनाये रखते हुये यहां 97 की कमी की गई है।

08—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधीन गठित राज्य एकीकरण परिषद के उपाध्यक्ष की देय सुविधा में (+15)—

परिषद् की बैठकों में आने वाले सभी गैर सरकारी सदस्यो को यात्रा व्यय देने हेतु यहां 14 का अधिक प्राविधान सम्मिलित किया गया है। "ईद मिलन" का कार्ड छपवाने हेतु "कार्यालय व्यय" में 2 की वृद्धि की गई है। अन्तरिम सहायता अब न अनुमन्य होने के कारण 1 के हो रहे प्राविधान को हटा दिया गया है।

09—प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आयुक्त उ0प्र0 के कार्यालय की स्थापना—(+1,11)—

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर नये वेतनमान लागू करने के फलस्वरूप वेतन में 3,08 का अधिक प्राविधान किया गया है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अन्य भत्ते में 15 एवं टेलीफ़ोन पर व्यय में 1 की अधिक व्यवस्था सम्मिलित की गई है। नये वेतनमान के साथ स्वीकृत दर पर महंगाई भत्ता देने हेतु महंगाई भत्ते में 1,25 को कम व्यवस्था की गई है। नये वेतनमान के साथ अन्तरिम सहायता न अनुमन्य होने के कारण यहां 80 का प्राविधान हटाया गया है।

10—कौमी एकता सप्ताह के आयोजन पर व्यय—(+5)—

प्रदेश के जिलों की संख्या में वृद्धि होने के कारण व्यय की इस धनराशि में 5 का अधिक प्राविधान किया गया है।

2202—सामान्य शिक्षा—(+4,05)—

अंजुमन तरक्की, उर्दू, उत्तर प्रदेश के आवर्तक अनुदान में 4,05 की वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप यहां हो रहे प्राविधान में 4,05 की अधिक व्यवस्था की गई है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1)—

कर्मचारियों को उ.मा से सम्बद्ध बीमा योजना का लाभ देने हेतु यहां 1 की व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

2251—सचिवालय सामाजिक सेवायें—(+9)—

091—सम्बद्ध कार्यालय—

01:-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत एक विशेष सेल की स्थापना—(+9)—

नये वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप वेतन में 23 की वृद्धि की गई है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अन्य भत्ते 2 का अधिक प्राविधान किया गया है। दूसरी ओर नये वेतनमान के साथ अनुमन्य दर से महंगाई भत्ता देने हेतु महंगाई भत्ते की इकाई में 9 की कमी की गई है। नये वेतनमान के साथ अन्तरिम सहायता अनुमन्य न होने के कारण यहां हो रहे 7 के प्राविधान को हटा दिया गया है।

आयोजनागत—(+50,00)—

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित आगणन के समक्ष धनराशि स्वीकृत करने के लिये 50,00 का यह प्राविधान सम्मिलित किया गया है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय एवं अन्य भत्तों आदि जैसी प्राथमिक इकाइयों के लिए की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखाः--			
01--वेतन	..	11,66	11,66
03--महंगाई भत्ते	..	3,91	3,91
04--यात्रा व्यय	..	1,08	1,08
05--अन्य भत्ते	..	1,36	1,36
06--कार्यालय व्यय	..	52	52
07--टेलीफोन पर व्यय	..	28	28
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	..	38	38
11--किराया, उप शुल्क और कर-स्वामित्व	..	38	38
12--प्रकाशन	..	4	4
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..	50,00	65,05	1,15,05
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..	..	10	10
33--अन्य व्यय	..	14	14
राजस्व योग (मतदेय) ..	50,00	84,90	1,34,90
पूंजी लेखा—			
24--निवेश/ऋण	..	1,00	1,00
कुल योग	50,00	84,90	1,35,90

——ज

अनुदान संख्या—54

वन विभाग

आयोजनागत आयोजनेतर

विगत वर्ष के 74,87,91 (74,87,71 मतदेय तथा *20* भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990-91 का अनुमान 98,36,03 (98,15,19 मतदेय तथा *20,84* भारित) रखा गया है। इस प्रकार 23,48,12 की वृद्धि हुई है जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है—

आयोजनागत (11,05,15)—

2235—अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (1,00)—

इस योजना के अन्तर्गत वन विभाग के श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू किए जाने के कारण (1,00) की वृद्धि हुई है।

2406—वानिकी और वन्य जीवन—01—वानिकी—

005—वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग (—1,00)—

इस योजना के अन्तर्गत लघु निर्माण हेतु (1,00) की कम व्यवस्था की गई है।

070—संचार और इमारतें—01—सड़क तथा टेलीफोन लाइन (जिला योजना) (—37,99)—

इस योजना के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, किराया, उप शुल्क, वृहत् निर्माण-कार्य आदि मदों में व्यवस्था आयोजनेतर पक्ष में किए जाने के कारण (37,99) की कमी प्रदर्शित है।

101—वन संरक्षण विकास और पुनर्जनन (—30,00) 01—वनों की सुरक्षा—02-निम्न वर्गीय वनों की पुनरुद्धार योजना (राज्ययोजना)—

इस योजना के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद, व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, वृहत् निर्माण-कार्य, मदों की आयोजनेतर पक्ष में व्यवस्था किए जाने के कारण (30,00) की कमी प्रदर्शित है।

102—सामाजिक और फार्म वानिकी—(विश्व बैंक पोषित) (+8,67,15)—

0201—शिल्पी पाश्चोरल योजना, अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, सामाजिक वानिकी राज्य सेक्टर—(जिला सेक्टर) इस योजना के अन्तर्गत वेतन, कार्यालय व्यय, अन्य भत्ते, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का क्रय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद, प्रकाशन, विज्ञापन, वृहत् निर्माण आदि मदों में वृद्धि के कारण 8,67,15 की वृद्धि प्रदर्शित है।

109—विस्तार एवं प्रशिक्षण—01—कर्मचारी वर्ग का प्रशिक्षण (+50,34)—

इस योजना के अन्तर्गत नई मांगों के माध्यम से व्यवस्था आय-व्ययक में सम्मिलित किए जाने के कारण (50,34) की वृद्धि हुई है।

800—अन्य व्यय—(—59,50)—

01—(केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें)

0101—माताटीला डैम के जलागम क्षेत्रों में बदीधारी प्रायोजना (भूमि संरक्षण)—

04—अग्नि से सुरक्षा—

वन विभाग के कर्मचारियों के लिए पीने के पानी व बिजली की व्यवस्था तथा कृषक मजदूरों की सुविधा जिला योजना में वेतन महंगाई भत्ता आदि मदों की वृद्धि कमी को समायोजित करते हुए 59,50 की कमी प्रदर्शित है।

02—प्रत्यर्वाणक वानिकी और वन्य जीवन—110—वन्य जीवन संरक्षण—(—27,35)—

वन विभाग के कर्मचारियों के लिए पीने का पानी व बिजली की व्यवस्था तथा कृषक मजदूरों की सुविधाएं, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में रास्ट्रीय चम्बल पशु विहार योजना या फारेस्ट पत्रिका विकास, कार्बेट पार्क व्याघ्र परिरक्षण (टाइगर रिजर्व) घड़ियाल विस्थापन एवं प्रजनन की योजना, उ० प्र० में कछुआ पुनर्वास योजना, वन्य जन्तु पशु विहारों का सघन प्रबन्ध, टाइगर वाच का गठन, कुकरैल में लुप्त प्राय प्राणियों का प्रजनन एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, नवावगंज झील पक्षी विहार (जनपद उन्नाव) का विकास, राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना, योजनाओं के वेतन, महंगाई भत्ते, यात्रा भत्ते, अन्य भत्ते, आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित हो जाने तथा योजनाओं की वृद्धि कमी को समायोजित करते हुए 27,35 की शुद्ध कमी प्रदर्शित है।

111—चिड़ियाघर (—5,00)—02—कानपुर प्राणि उद्यान का विकास—

इस योजना के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते आदि आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित हो जाने के कारण (5,00) की कमी प्रदर्शित है।

190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों की सहायता—(+15) वन विकास निगम की स्थापना के अन्तर्गत अन्य व्यय में नई मांग के माध्यम से व्यवस्था किए जाने के कारण +15 की वृद्धि प्रदर्शित है।

800—अन्य व्यय (—17,00)—

01—मूसा बाग, रसूलपुर में पर्यावरण सुधार योजना।

03--रामगढ़ झील का विकास, राय बरेली में समसपुर झील का विकास योजना में लघु निर्माण मद में कम व्यवस्था किए जाने के कारण तथा सारनाथ कुशी नगर बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास की योजना नई मांगों के माध्यम से आय-व्ययक में सम्मिलित किए जाने के कारण लघु निर्माण की मद में वृद्धि है। इस प्रकार वृद्धि को समायोजित करते हुए (17,00) की शुद्ध कमी प्रदर्शित है।

2407--बागान (+32,35)--

0101--ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण योजना (जिला सेक्टर), अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधनप्रजातियों का वृक्षारोपण, औद्योगिक पल्प वुड वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत वेतन, महंगाई, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल को खरीद लघु निर्माण आदि मदों में कमी और वृद्धि को समायोजित करते हुए (32,35) को वृद्धि हुई है।

2415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा (-7,00)--

01--वन सम्बन्धी शोध कार्य को योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से अन्य व्यय के अन्तर्गत 11,15 के समक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 55, को धन व्यवस्था हुई है जिसके कारण (7,00) की शुद्ध कमी प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा--

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय--

01--कार्यालय को इमारतें (+1,38,00)--

01--कार्यालय की इमारतें (+1,38,00)--इस योजना के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 1989-90 में शून्य व्यवस्था के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष में 1,38,00 की व्यवस्था है इस प्रकार 1,38,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

4216--आवास पर पूंजी परिव्यय (+20,000,)--

01--सरकारी रिहायशी इमारतें--700--अन्य आवास--01--वन विभाग में कर्मचारियों के लिए भवन--18--वृहत् निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1989-90 में शून्य व्यवस्था के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष में (2,00,00) व्यवस्था की गई है। इस प्रकार (2,00,00) की वृद्धि प्रदर्शित है।

4406--वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय (+1,00)--

01--वानिकी--190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश--01--भवन विकास निगम के बैंकों, अंश पूंजी निवेश--24--निवेश ऋण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में शून्य व्यवस्था के समक्ष 1,00 को व्यवस्था की गई है। इस प्रकार 1,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2406--वानिकी और सवन्य जीवन-01-वानिकी आयोजनेतर--(6,16,22)-001--निदेशक और प्रशासन (+2,92,02)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद, किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व, अन्य व्यय की मदों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (2,92,82) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

013--सांख्यकीय (+4,20) (आयोजनेतर)--

013--सांख्यकी (+4,20) आयोजनेतर--वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते की मदों में (4,20) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

070--संचार और इमारतें--

(+22,73) वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, किराया, उप शुल्क, वृहत् निर्माण, मशीन, उपकरण संयंत्र, अन्य व्यय की मदों में (22,73) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

101--वन संरक्षण और विकास--

(+70,10) 01--वनों की सुरक्षा (राज्य सेक्टर) (+70,10)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद तथा अन्य व्यय की मदों को आयोजनेतर पक्ष में धन व्यवस्था के कारण (70,10) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

102--सामाजिक और फार्म वानिकी--

(+1,55) --05--शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी योजना (जिला योजना)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते तथा कार्यालय व्यय की मदों में आयोजनेतर पक्ष में धन व्यवस्था के कारण (1,55) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

105--वन उत्पाद--

(+1,81,25)--01--सरकारी अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज--इस शीर्षक के अन्तर्गत लीसा तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली हुई वन उपज आदि मदों को समायोजित करते हुए (1,81,25) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

800--अन्य व्यय

(+44,37) इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, टेलीफोन पर व्यय, मशीन और उपकरण संयंत्र की मदों में धन व्यवस्था कराए जाने के कारण (44,37) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

02--पर्यावरणिक वानिकी और वन्य जीवन--

110--वन्य जीवन और संरक्षण--

(+3,73,12) इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय का टेलीफोन पर व्यय मशीन, उपकरण और संयंत्र, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद आदि मदों के आयोजनेतर पक्ष में धन व्यवस्था के कारण (3,73,12) की शुद्ध वृद्धि हुई।

111--चिड़ियाघर--

02--कानपुर प्राणि उद्यान का विकास (+7,25)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय आदि मदों के अन्तर्गत आयोजनेतर पक्ष में धन व्यवस्था के कारण (7,25) की वृद्धि हुई है।

800--अन्य व्यय--

(+2,80) इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद तथा मशीन, उपकरण, संयंत्र के अन्तर्गत आयोजनेतर पक्ष में धन व्यवस्था के कारण (2,80) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

2407--बागान-60-अन्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं. जिला (योजनाएं)--

(+2,22,42)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल की खरीद, मशीन, उपकरण, संयंत्र तथा अन्य व्यय की मदों में आयोजनेतर पक्ष में धन व्यवस्था के कारण (2,22,42) की वृद्धि है।

4406--वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय-01-वानिकी-800 अन्य व्यय (+51)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन तथा टेलीफोन पर व्यय की मदों में कमी और वृद्धि को समायोजित करते हुए (51) की वृद्धि हुई है।

इस शीर्षक के इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता व यात्रा भत्ता व्यय जैसी विभिन्न इकाइयों के लिए की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन		7,41,39	18,72,85	26,14,24
02--मजदूरी		..	58	58
03--महंगाई भत्ता		3,52,45	6,39,56	9,92,01
04--यात्रा व्यय		1,15,36	94,83	2,10,19
05--अन्य भत्ते		71,56	2,03,38	2,74,94
06--कार्यालय व्यय		78,81	41,38	1,20,29
07--टेलीफोन पर व्यय		16,56	8,33	24,89
08--गाड़ियों का क्रय		20,22	1,00	21,22
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		63,65	34,40	97,82
10--व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		..	50,00	50,00
11--किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व		28,58	4,50	33,08
12--प्रकाशन		19,80	20	20,00
13--विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय		4,00	25	4,25
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता		..	16,51	16,51
15--छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन		57,00	..	57,00
16--आतिथ्य व्यय /व्यय विषयक भत्ता आदि		5	..	5
18--बृहत् निर्माण कार्य		29,52,00	1,70,00	31,22,00
19--लघु निर्माण कार्य		4,43,95	50	4,42,65
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र		62,98	9,58	72,56
23--अनुरक्षण		3,08,91	50	3,09,41
24--निवेश/ऋण		1,00	1,05	2,05
33--अन्य व्यय	मतदेय	3,08,23	10,19,29	13,28,52
	भारित	..	*20,84*	*20,84*
योग	मतदेय	56,46,50	41,68,69	98,15,19
	भारित	..	*20,84*	*20,84*

अनुदान संख्या—55

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग 39,12,97,48 (11,21,12,83 मतदेय तथा *27,91,84,65* भारित) की है जबकि गत वर्ष 46,62,28,23 (20,22,25,55 मतदेय तथा *26,40,02,68* भारित) की थी। इस प्रकार 7,49,30,75 की कमी हुई है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है।

राजस्व लेखा (-20,34,52,82)

2048--ऋण में कमी अथवा इससे बचाव के लिये विनियोग (+26,24,10) बाजार ऋण अथवा वह ऋण जो अपनी अवधि पूर्ण होने पर एक मुश्त में देय होते हैं, आदि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संहत ऋण शोधननिधि बनाई गई है। 1989-90 में जारी बाजार ऋण के निमित शोधन निधि को संक्रमण हेतु प्राविधान सम्मिलित करने के फलस्वरूप वृद्धि परिलक्षित है।

2049--ब्याज संदाय-(+1,94,62,35)—गत वर्ष के 9,85,65,41 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिये 11,80,27,76 की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार इस मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत 1,94,62,35 की शुद्ध वृद्धि हुई है। इसे नीचे स्पष्ट किया गया है—

01--आन्तरिक ऋणों पर ब्याज (+59,70,01) मुख्यत: इस वर्ष जारी किये गए तथा बजट वर्ष में जारी किए जाने वाले बाजार उधारों पर ब्याज को अनुमानों को सम्मिलित कर लिए जाने के कारण बाजार उधारों पर ब्याज में 62,15,08 की वृद्धि अनुमानित है। ऋण प्रबन्ध में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 5,00 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके विपरीत रिजर्व बैंक को अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवर ड्राफ्ट पर कम ब्याज दिये जाने के अनुमान के कारण 2,50,00 की कमी परिलक्षित है। इसके विषय में स्थिति निम्नवत है :

101--बाजार उधारों पर ब्याज--(+62,15,08) मुख्यत: वृद्धि इस वर्ष में जारी किये बाजार उधारों पर ब्याज भुगतान हेतु बजट वर्ष में पूरे वर्ष के लिए 28,06,45 का अतिरिक्त प्राविधान कराने तथा बजट वर्ष में जारी किये जाने वाले नये बाजार ऋण के संबंध में ब्याज भुगतान हेतु 34,94,50 की व्यवस्था सम्मिलित किये जाने के कारण है।

03--अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज (-6,29,00)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर राज्य भविष्य निधियों पर देय ब्याज में (6,29,00) की कमी परिलक्षित है।

04-केन्द्रीय सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज (+1,40,45,13)-वास्तविक आवश्यकता के आधार पर राज्यों/संघो राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज में 42,83,77 केन्द्र प्रायोजित आयोजना गत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज के अन्तर्गत 1,64,40 तथा आयोजना भिन्न योजनाओं के लिए ब्याज के अन्तर्गत 1,02,67,07 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके विपरीत केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज के अन्तर्गत 10,57 तथा 1984-85 से पहले के ऋणों पर ब्याज में 6,59,54 की कमी परिलक्षित है।

05--आरक्षित निधियों पर ब्याज (+76,14) आवश्यकता के आधार पर मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधियों पर ब्याज में 76,09 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों के अन्तर्गत 5 की वृद्धि परिलक्षित है।

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें (-8,99,97,73)--कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण तथा महंगाई भत्ते में वृद्धियों आदि के लिए इस वर्ष एक मुश्त प्राविधान के समक्ष कम व्यवस्था किये जाने के कारण 8,99,97,73 की कमी परिलक्षित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण --(+5,01)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 5,01 की वृद्धि अनुमानित है।

पूंजी लेखा (--69,04,48)

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (-40,87,50) गैर ब्याजू बाजार उधार के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 12,50 की वृद्धि परिलक्षित है इसके विपरीत बाजार उधार के अन्तर्गत 41,00,00 की कमी परिलक्षित है।

6004--केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम (-28,16,98)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आयोजना भिन्न उधार में 65,99,43 तथा केन्द्र आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार में 45,17 की कमी परिलक्षित है। इसके विपरीत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत योजनाओं के लिए उधार में 36,00,55, केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए उधार में 1,87,25 एवं 1984-85 से पहले के उधार में 39,82 की वृद्धि अनुमानित है।

7610—**सरकारी सेवकों आदि को** उधार (+3,80,00)

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम (आयोजनेतर) में 5,00 की वृद्धि, राज्य कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम (आयोजनागत) के मद में 2,00,00 की वृद्धि भवन मरम्मत/विस्तार व मोटर वाहन अग्रिम (आयोजनेतर) के मद में कुल 1,50,00 की वृद्धि तथा राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय करने के लिये अग्रिम (आयोजनेतर) के मद में 25,00 की वृद्धि को सम्मिलित करते हुए कुल 3,80,00 की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में विभिन्न मदों के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयजनेतर
राजस्व लेखा--			
2048--ऋण में कमी अथवा उससे बचाव के लिए विनियोग--			
33--अन्य व्यय (भारित)		..	*1,63,05,65*
2049--ब्याज संदाय			
26--ब्याज/लाभांश (भारित)		..	*11,80,27,76*
2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--			
01--वेतन		..	4,10
03--महंगाई भत्ता		..	1,40
04--यात्रा व्यय		..	10
05--अन्य भत्ते		..	85
06--कार्यालय व्यय		..	60
07--टेलीफोन पर व्यय		..	10
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद		..	50
33--अन्य व्यय		82,00,00	10,18,00,15
	योग, 2052 ..	82,00,00	10,18,07,80
2075--विविध सामान्य सेवाएं--			
33--बट्टे खाते हानियां		..	1
26--ब्याज/लाभांश		..	1
	योग, 2075 ..	..	2
2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
33--अन्य व्यय		..	10,01
योग, राजस्व लेखा	मतदेय ..	82,00,00	10,18,17,83
	भारित ..	..	*13,43,33,41*
पूंजी लेखा--			
6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित)			
101--बाजार उधार		..	*3,70,00*
110--भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम		..	*10,00,00,00*
	योग, 6003 ..	..	*10,03,70,00*
6004--केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम (भारित)		..	*4,44,81,24*
7610--सरकारी सेवकों आदि को उधार		12,00,00	8,95,00
योग, पूंजी लेखा	मतदेय ..	12,00,00	8,95,00
	भारित ..	..	*14,48,51,24*
कुल योग	मतदेय ..	94,00,00	10,27,12,83
	भारित ..	..	*27,91,84,65*

अनुदान संख्या—56

वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

राजस्व लेखा

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की कुल मांग 1,81,96,44 (1,81,81,07 मतदेय तथा *15,37* भारित) के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिए कुल 2,28,56,74 (2,28,41,37 मतदेय तथा *15,37* भारित) का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार कुल 46,60,30 की वृद्धि हुई है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

2071—पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ (+46,60,30)—

01—सिविल—

पुनरीक्षित वेतन के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन की राशिकृत मूल्य के भुगतान हेतु 101--अधिवर्ष और सेवा निवृत्ति भत्ते में 16,89,00 की, 102--पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य में 7,25,00 की, व्ययाधिक्य की पूर्ति हेतु अनुकम्पा पूर्ण भत्ते में 39,55 की, "उपादान" की मद में 2,65,00 की, परिवार पेंशनों की मद में 8,33,85 की वृद्धि परिलक्षित है। वेतन पुनरीक्षित के कारण उपादान की धनराशि में वृद्धि के फलस्वरूप अनुमानित व्ययाधिक्य की पूर्ति हेतु, 107--पेंशनों और उपादानों के लिए अंशदान में 8,80,93 की, व्ययाधिक्य की पूर्ति के लिए भविष्य निधियों के लिए अंशदान में 44,38 की, विधायक पेंशनों की संख्या में वृद्धि होने से, 111--विधायकों की पेंशनें -- राज्य विधान मण्डल के सदस्य" के मद में 76,24 की, व्ययाधिक्य की पूर्ति हेतु राज्य संघ / राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा भारत सरकार को स्टर्लिंग पेंशनों की पूंजी परिव्यय के सम्बन्ध में समीकृत अदायगी की मद में 7 की तथा 200--अन्य पेंशनों में 1,06,28 की वृद्धि परिलक्षित है—

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु धन की व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है।

(हजार रुपयों में)

मानक मद		धनराशि
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता		1
26—व्याज/लाभांश (भारित)		*1,00*
27—पेंशन/अनुतोषिक	मतदेय	2,28,41,36
	भारित	*14,37*
कुल योग	मतदेय	2,28,41,37
	भारित	*15,37*

अनुदान संख्या—57

वित्त विभाग (राजकोष और लेखा प्रशासन)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष 1990-91 में कुल मांग 10,97,76 की है जब कि गत वर्ष 1989-90 में यह मांग 8,74,79 थी। इस प्रकार कुल 2,22,97 की वृद्धि अनुमानित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :

राजस्व लेखा—आयोजनेतर—2054— राजकोष और लेखा प्रशासन— (+2,49,03)—

003—प्रशिक्षण—01—वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान (+7,71)--

इस उपशीर्षक में वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय और मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद की मदों में क्रमशः 7, 52, 58, 2, 90 एवं 5 की वृद्धि अनुमानित है तथा महंगाई भत्ता किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व एवं मशीन और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र तथा अन्तरिम सहायता की मद में क्रमशः 97,2,55,180 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार इस उपशीर्षक के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से 7,71 की वृद्धि अनुमानित है।

095—लेखा और राजकीय निदेशालय (+10,51)—

01--कोषागार निदेशालय— (+5,66)--

इस कार्यक्रम में वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद पर व्यय की मद में क्रमशः 805,4,210, 10, 4 एवं 5 की वृद्धि अनुमानित है तथा महंगाई भत्ता एवं मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र और अन्तरिम सहायता की मद में क्रमशः 236, 11, 225 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार इस उपशीर्षक के अन्तर्गत समग्र रूप से +5,66 की वृद्धि अनुमानित है।

02—विभागीय लेखा निदेशालय—(+4,85)—

इस कार्यक्रम में वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा मशीन तथा सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र की मदों में क्रमशः 595, 10, 145, 8, 5, 20, एवं 5 की वृद्धि अनुमानित है तथा महंगाई भत्ता, लघु निर्माण कार्य, अनुरक्षण तथा अन्तरिम सहायता की मद में क्रमशः 90, 40, 20 एवं 1,53 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार इस उपशीर्षक के अन्तर्गत समग्र रूप से 4,85 की वृद्धि अनुमानित है।

097--राजकोष स्थापना--(+2,3081)--

01-मुख्य (+2,23,15)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद, किराया उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व, अनुरक्षण एवं अन्य (कम्प्यूटराइजेशन) पर क्रमश: 3,1793, 428, 3355, 683, 22, 92, 100, 50 एवं 9 की वृद्धि अनुमानित है तथा महंगाई भत्ते, मोटर गाड़ियों का क्रम एवं अन्तरिम सहायता की मद में 4290, 905, 9222 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार इस उपशीर्षक के अन्तर्गत समग्र रूप से 2,23,15 की वृद्धि अनुमानित है।

02-अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश के उपकोषागारों की स्थापना (+7,66)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते तथा कार्यालय व्यय की मद में क्रमश: 1218, 2, 75 एवं 7 की वृद्धि अनुमानित है तथा महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता की मद में क्रमश: 2,06 एवं 3,30 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार इस उपशीर्षक के अन्तर्गत समग्र रूप से 7,66 की वृद्धि अनुमानित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कयणाण--(+1)--

इस उपशीर्षक के अन्तर्गत सरकारी भविष्य निधि हेतु व्यवस्था के कारण अन्य व्यय में 1 की वृद्धि अनुमानित है।

पूंजी लेखा--

4059--सरकारी निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय (-26,07)--

आयोजनागत--(-28,07)

इस शीर्षक के अन्तर्गत नियोजन विभाग से परिव्यय न मिलने के कारण वृहत निर्माण कार्य में 28,07 की कमी परिलक्षित है।

आयोजनेतर--(+2,00)--

इस शीर्षक में कोषागार भवनों के निर्माण के लिये भूमि हेतु वृहत् निर्माण कार्य में 2,00 की वृद्धि अपेक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में व्यय की विभिन्न मदों हेतु व्यवस्था निम्न प्रकार की गयी है:

आयोजनेतर (धनराशि हजार रुपयों में)

मानक मद	पूंजी लेखा	राजस्व लेखा	योग
01--वेतन	..	6,78,06	6,78,06
03--महंगाई भत्ता	..	2,30,27	2,30,27
04--यात्रा व्यय	..	20,90	20,93
05--अन्य भत्ते	..	69,54	69,54
06--कार्यालय व्यय	..	61,70	61,70
07--टेलीफोन पर व्यय	..	4,67	4,67
09--गाड़ियां का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	.	4,50	4,50
11--किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	..	5,47	5,47
18--वृहत् निर्माण कार्य	5,50	..	5,00
19--लघु निर्माण कार्य	..	20	20
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	40	40
23--अनुरक्षण	..	4,70	4,70
32--अन्तरिम सहायता	..	15	15
33--अन्य व्यय	..	12,17	12,17
योग ..	5,00	10,92,76	10,97,76

अनुदान संख्या—58

वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग 1,39,60,82 (मतदेय) की है, जो विगत वर्ष के कुल प्राविधान 1,26,82,11 से 12,78,71 अधिक है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :—

लेखा शीर्षक "2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–800–अन्य व्यय–01–लाटरी निदेशालय" पर कुल मिलाकर 14,94 की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः महंगाई भत्ते की मद में 2,51 की कमी होने, अन्तरिम सहायता की मद में कोई प्राविधान न होने व वेतन, अन्य भत्ते तथा मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों में कुल 21,72 की वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्याशित है।

लेखाशीर्षक "2075–विविध सामान्य सेवायें–103 राज्य लाटरियां" में कुल मिलाकर (+12,33,42) की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः विज्ञापन, बिक्री तथा प्रख्यापन व्यय, अन्य व्यय (इनाम व बोनस) की मदों में वृद्धि तथा लाटरी की सकल आय में अनुमानित वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्याशित है।

लेखाशीर्षक "2075–विधि सामान्य सेवायें–797–आरक्षित निधियों और निक्षेप लेखा को अन्तरण–01 स्टेट लाटरी की शुद्ध प्राप्ति से चिकित्सा निधि को संक्रमण" में (+30,35) की वृद्धि लाटरी की सकल आय में अनुमानित वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्याशित है।

इस प्रकार कुल मिलाकर इस अनुदान के अन्तर्गत (+12,78,71) की वृद्धि प्रदर्शित है। अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय व अन्य व्यय आदि मदों के लिए निम्नांकित के अनुसार व्यवस्था की गयी है :—

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	धनराशि
01	वेतन	29,92
03	महंगाई भत्ता	9,95
04	यात्रा व्यय	1,00
05	अन्य भत्ते	4,85
06	कार्यालय व्यय	12,00
07	टेलीफोन पर व्यय	60
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,00
13	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	29,78,26
29	अन्तर्लेखा संक्रमण	6,67,66
33	अन्य व्यय	1,02,55,58
	योग	1,39,60,82

अनुदान संख्या—59

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि)

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के मूल अनुमान 18,24,12 (मतदेय 18,24,08, भारित 4) की तुलना में वर्ष 1990-91 में 22,35,24 (22,35,21 मतदेय तथा भारित-3) के अनुमान रखे जाने के कारण कुल 4,11,12 मतदेय 4,11,63 की वृद्धि तथा भारित में 12 की कमी प्रत्याशित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :—

राजस्व लेखा—

(मतदेय +4,62,80 तथा भारित-1)--

आयोजनेतर पक्ष में वित्त विभाग के अधीन विभिन्न सेवाओं से सम्बद्ध कर्मचारिवर्ग के लिये वेतन, महंगाई भत्ता, आदि में वेतन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के फलस्वरूप दिनांक 1-1-86 से बकाया का भुगतान तथा वास्तविक व्यय के आधार पर निम्नलिखित शीर्षक में कुल 5,22,51 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2047--अन्य राजकोषीय सेवायें	(+1,63,25)
2052--सचिवालय सामान्य सेवायें	(+10,77)
2054--राजकोष और लेखा प्रशासन	(+1,47,54)
2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें	(+2,50)
2235--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	(+18)
2425:-सहकारिता	(+1,74,73)
3475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	(+23,63)
योग	(+5,22,51)

आयोजनागत पक्ष में आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित लेखा शीर्षक के अधीन कुल 1,19,71 की कमी है।

2047--अन्य राजकोषीय सेवायें	(-31,09)
2425--सहकारिता	(-88,62)
योग	(-1,19,71)

पूंजी लेखा (+8,33)—

4059—**सरकारी निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय** (+8,33)--

आवश्यकता के आधार पर निर्धारित कार्यक्रमों हेतु प्राविधान कराने के कारण कुल 8,33 की वृद्धि है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिये की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा—				
01--वेतन		2,25	11,22,66	11,24,91
02--मजदूरी		..	25	25
03--महंगाई भत्ता		99	3,76,67	3,77,66
04--यात्रा व्यय		21	86,25	86,46
05--अन्य भत्ते		31	1,35,83	1,36,14
06--कार्यालय व्यय		4,90	77,62	82,52
07--टेलीफोन पर व्यय		67	8,39	9,06
08--मोटर गाड़ियों का क्रय		22,10	1,34	23,44
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		..	22,13	22,13
10--व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान		..	9,00	9,00
11--किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व		..	18,60	18,60
13--विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय		6,67	36,00	42,67
19--लघु निर्माण कार्य		..	1,50	1,50
20--मशीनें और-सज्जा/उपकरण और संयंत्र		..	17	17
22--अनुरक्षण		..	6,50	6,50
33--अन्य व्यय	मतदेय	2,50,00	35,87	2,85,87
	भारित	..	3	3
योग, राजस्व लेखा	मतदेय	2,88,10	19,38,78	22,26,88
	भारित	..	3	3
योग, पूंजी लेखा	मतदेय	8,33	..	8,33
	भारित	..	..	..
योग, राजस्व तथा पूंजी लेखा	मतदेय	2,96,43	19,38,78	22,35,21
	भारित	..	3	3

अनुदान संख्या—60

वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

इस अनुदान के अन्तर्गत 1989–90 के आय-व्ययक में कुल 17,03,76 (मतदेय 14,07 व भारित *16,89,89* की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990–91 में कुल 19,88,86 (मतदेय 18,05 व भारित *19,70,81*) की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार कुल 2,85,10 की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:—

2049—ब्याज संदाय (भारित) (+*2,81,12*)—
आयोजनेतर—

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा तथा बचत योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की बचत निधि में जमा धनराशि में वृद्धि तथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण 2,81,12 की वृद्धि अनुमानित है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (मतदेय) (+3,98)—
आयोजनेतर—

इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन में 3,02, अन्य भत्ते में 82 तथा टेलीफोन में 1 की वृद्धि परिलक्षित है जो वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है। मूल्यों में वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय में 10 तथा मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में 2 की वृद्धि प्रत्याशित है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय की कार्यपद्धति में और सुधार लाये जाने हेतु इसी आय-व्ययक वर्ष में एक पी0 सी0 ए0टी0 कम्प्यूटर को क्रय करने हेतु 3,45 की व्यवस्था किये जाने के कारण इतनी ही धनराशि की वृद्धि है।

इसी आय-व्ययक वर्ष में उक्त लेखा शीर्षक के उप शीर्षक "60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–104–जमा से सम्बद्ध बीमा योजना–सरकारी भविष्य निधि" के अन्तर्गत 1 का प्रतीक प्राविधान किये जाने के कारण इतनी ही धनराशि की वृद्धि परिलक्षित है।

इसके विपरीत महंगाई भत्ता में 1,24, अन्य व्यय में 1 तथा सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में 1,00 में आवश्यकतानुसार कम प्राविधान कराने तथा अन्तरिम सहायता की मद में कोई प्राविधान न कराये जाने के कारण 3,45 की कमी हुई है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन तथा भत्ते आदि में कुल व्यवस्था इस प्रकार है :—

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनेतर
01—वेतन	6,58
03—महंगाई भत्ता	2,65
04—यात्रा व्यय	12
05—अन्य भत्ते	1,37
06—कार्यालय व्यय	2,55
07—टेलीफोन पर व्यय	9
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	22
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,00
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3,45
26—ब्याज/लाभांश	19,70,81
33—अन्य व्यय	2
योग	19,88,86

अनुदान संख्या—61

विधान परिषद् सचिवालय

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की मूल मांग 1,74,28 (1,70,61 मतदेय एवं *3,67* भारित) के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिये 1,98,91 (1,94,53 मतदेय एवं *4,38* भारित) की है। इस प्रकार यहां पर 24,63 की शुद्ध वृद्धि प्रत्याशित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:—

राजस्व लेखा—
आयोजनेतर (+24,63)—
2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल—102—विधान परिषद्—
01—विधान परिषद् (+1,56)—

माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा जनहित में अधिक यात्रा किये जाने से "यात्रा व्यय" (भारित) में *50* की वृद्धि वास्तविक व्यय की प्रगति के आधार पर हुई है। सदन की समितियों एवं माननीय सभापति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या में वृद्धि

तथा जलपान की वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के कारण 'कार्यालय व्यय" (मतदेय) में 35 एवं (भारित) में *1* की वृद्धि संभावित है। वास्तविक व्यय के आधार पर "टेलीफोन पर व्यय" (मतदेय) में 50 की और (भारित) में *10* की तथा "गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" (भारित) में *10* की वृद्धि हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर 1,56 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

103—विधान मण्डल सचिवालय–01—विधान परिषद् सचिवालय—(+23,07)—

नये वेतनमान में "वेतन" निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश नगदीकरण, बोनस की व्यवस्था, महंगाई भत्ते का अधिकांश भाग और अन्तरिम सहायता की समग्र राशि वेतन में समायोजित हो जाने, भत्तों की पुनरीक्षित दरों के परिप्रेक्ष्य में "वेतन" में 26,50 की, "यात्रा व्यय" में 20 की, "अन्य भत्ते" में 5,50 की वृद्धि तथा "महंगाई भत्ते" में 4,18 और "अन्तरिम सहायता" में 6,80 की कमी हुई है। कार्यालय सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप "कार्यालय व्यय" में 80 की तथा वास्तविक व्यय के आधार पर "टेलीफोन पर व्यय" में 5 की वृद्धि हुई है। न्यूनधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर कुल 23,07 की वृद्धि प्रत्याशित है।

इस प्रकार अनुदान के अन्तर्गत वेतन, मंहगाई भत्ते आदि विभिन्न मदों में की गई व्यवस्था निम्नवत है :—

मानक मद		मतदेय	भारित	योग
01—वेतन	..	58,81	*24*	59,05
03—महंगाई भत्ता	..	15,82	..	15,82
04—यात्रा व्यय	..	63,50	*2,00*	65,50
05—अन्य भत्ते	..	39,00	*77*	39,77
06—कार्यालय व्यय	..	8,10	*7*	8,17
07—टेलीफोन पर व्यय	..	5,15	*60*	5,75
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	1,35	*70*	2,05
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	2,05	..	2,05
33—अन्य व्यय	..	75	..	75
योग	..	1,94,53	*4,38*	1,98,91

अनुदान संख्या—62

विधाम सभा सचिवालय

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की मूल मांग 6,58,06 (6,49,48 मतदेय एवं *8,58* भारित) के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिये 7,52,09 (7,44,81 मतदेय एवं *7,28* भारित) की है। इस तरह यहां पर 94,03 की वृद्धि, हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:—

राजस्व लेखा—
आयोजनेतर (+94,03)—
2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल–101 विधान सभा
01 विधान सभा–(+64,94)—

वास्तविक गणना के आधार पर वेतन (मतदेय) में 20 की कमी हुई है। अधिनियम में संशोधन करके जनसेवा कार्य के लिए जाने सेवा भत्ता की देयता का प्राविधान होने से "यात्रा व्यय" के (मतदेय) में 59,78 की, वृद्धि हुई है। वर्तमान तथा भूतपूर्व माननीय सदस्यों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण अन्य भत्ते (मतदेय) में 1,73 की वृद्धि हुई है सी०पी०ए०की सदस्यता शुल्क में वृद्धि तथा समितियों की बैठकें अधिक होने और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण "कार्यालय व्यय" (मतदेय) में 18 की वृद्धि हुई है। तीन निष्प्रयोज्य स्टाफ़ कार के प्रतिस्थापन हेतु व्यवस्था किये जाने मोटर गाड़ियों के क्रय (मतदेय) में 4,50 की वृद्धि तथा भारित में *1,30* की कमी का कारण बजट वर्ष में कोई नई गाड़ी क्रय न किया जाना है। वास्तविक व्यय के आधार पर "अन्य व्यय" (मतदेय) में 25 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर 64,94 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

103—विधान मण्डल सचिवालय—01—विधान सभा सचिवालय (मतदेय) (+29,09)—

पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन, अवकाश नकदीकरण एवं बोनस की व्यवस्था, महंगाई भत्ते की अधिकांश धनराशि तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण धनराशि वेतन में समायोजित हो जाने एवं भत्तों की नई दरों के कारण वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर "वेतन" में 60,53 की "यात्रा व्यय" में 25 की, "अन्य भत्ते" में 11,08 की वृद्धि तथा "महंगाई भत्ते" में 13,71 एवं "अन्तरिम सहायता" में 15,00 की कमी हुई है। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण "कार्यालय व्यय" में 2,17 वृद्धि

एवं बजट वर्ष में आवश्यकता न होने पर कोई धनराशि न रखने से "अनुरक्षण" में 16,23 की कमी हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर 29,09 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनेतर मतदेय	आयोजनेतर भारित	योग
01--वेतन	1,47,38	*28*	1,47,66
03--महंगाई भत्ता	26,40	..	26,40
04--यात्रा व्यय	3,31,72	*2,35*	3,34,07
05--अन्य भत्ते	1,73,17	*1,45*	1,74,62
06--कार्यालय व्यय	17,72	*60*	18,32
07--टेलीफोन पर व्यय	40,27	*2,00*	42,27
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	4,50	..	4,50
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	1,40	*60*	2,00
14--सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता ..	76	..	76
23--अनुरक्षण	1	..	1
33--अन्य व्यय	1,48	..	1,48
योग ..	7,44,81	*7,28*	7,52,09

अनुदान संख्या--63

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

7610--सरकारी सेवकों आदि को उधार (+80,00)--

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम की आयोजनागत मद में 30,00 तथा मोटर गाड़ियों की खरीद की आयोजनेतर मद में 50,00 अर्थात् कुल 80,00 की वृद्धि वास्तविकता के आधार पर प्रदर्शित है।

अनुदान संख्या--64

विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग 8,68,50 की है जबकि गत वर्ष यह मांग 6,81,55 की थी। इस प्रकार 1,86,95 की अधिक व्यवस्था हुई है। न्यूनाधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:--

आयोजनेतर (+2,97,71)--

आयोजनागत (+1,10,76)--

आयोजनेतर (+2,97,71)--

2215--जलपूर्ति और सफाई (+12,95)--

02--मल निकासी और सफाई--001--निदेशन और प्रशासन (+12,95)--

01--पर्यावरण एवं परिस्थिति की विज्ञान निदेशालय (+6,48)--

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर नये वेतनमान लागू करने के फलस्वरूप एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के बचन बद्ध व्यय को यहां सम्मिलित करते हुए वेतन में 650 की अधिक व्यवस्था सम्मिलित है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यात्रा व्यय में 15 अन्य भत्ते में 1,00 कार्यालय व्यय में 40 टेलीफोन पर व्यय में 15 पी0 ओ0 एल0 में 17 मशीन और सज्जा उपकरण और संयंत्र में 15 व आय व्यय में 20 का अधिक प्राविधान किया गया है। सातवी पंचवर्षीय योजना के बचनबद्ध व्यय को आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित करने के फलस्वरूप यहां प्रकाशन में 25 एवं आतिथ्य व्यय में व्यय विषयक भत्ता आदि में 7 की व्यवस्था सम्मिलित की गई है। दूसरी ओर नये वेतनमान के साथ मंहगाई भत्ते को वर्तमान मदों के आधार पर महंगाई भत्ता में 1,21 की कमी हुई है तथा अन्तरिम सहायता समाप्त हो जाने के कारण यहां 1,35 की व्यवस्था को हटा दिया गया है।

02--क्षेत्रीय कार्यालय--(+6,47)--

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के बचनबद्ध व्यय को आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित करने के फलस्वरूप इस उप शीर्षक की विभिन्न 11 प्राथमिक इकाइयों के लिये यहां आयोजनेतर पक्ष में 6,47 की व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

3425--अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (+66,26)--

60--अन्य--004--अनुसंधान और विकास--

03--उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल तथा उसका सुदृढ़ीकरण (+8,90)--

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर नये वेतनमान लागू करने के फलस्वरूप वेतन में 17,14 की अधिक व्यवस्था की गई है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यात्रा व्यय में 6, अन्य भत्ते में 67, कार्यालय व्यय में 15, टेलीफोन पर व्यय

में 1 पी0 ओ0 एल0 में 5 अनुरक्षण में 10 तथा अन्य व्यय में 5 का अधिक प्राविधान किया गया है। दूसरी ओर नये वेतनमान के साथ महंगाई भत्ते की वर्तमान दरों के आधार पर व्यवस्था करने के फलस्वरूप महंगाई भत्ता में 4,71 की कमी परिलक्षित है व नये वेतनमान के साथ अन्तरिम सहायता समाप्त हो जाने के फलस्वरूप यहां से 4,62 का प्राविधान हटा दिया गया है।

04—अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय कार्यक्रम (−10)—

जीरो बेस बजट समीक्षा के आधार पर यहां हो रहे 10 के प्राविधान को समाप्त कर दिया गया है।

200—अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता (+57,46)—

04—उत्तर प्रदेश राज्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद् को अनुदान (+7,96)—

परिषद् के कर्मचारियों को दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतनमान व अवशेष देने हेतु 5,99 की अधिक व्यवस्था की गई है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, भवन किराया, पी0 ओ0 एल0, प्रकाशन, विज्ञापन, व्यय, मशीन और सज्जा, उपकरण और संयंत्र एवं अन्य व्यय नामक इकाइयों में सम्मिलित रूप से 1,97 का अधिक प्राविधान किया गया है।

05—रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी को अनुदान (+ 49,50)—

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल के वचनबद्ध व्यय को आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित करने के फलस्वरूप यहां 45,00 का अधिक प्राविधान सम्मिलित है। अन्य इकाइयों हेतु 4,50 की अधिक व्यवस्था वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है।

3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें—090—सचिवालय (+2,18,50)—

0301—नान-कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी को सहायक अनुदान (+1,51,50)—

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल के मैदानी व पर्वतीय-क्षेत्र के वचनबद्ध व्यय को यहां आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के फलस्वरूप एवं संस्थान के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने एवं दिनांक 1-1-86 से अवशेष देने के आधार पर यहां 1,51,50 की व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

0302—केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम—(+24,00)—

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र के वचनबद्ध व्यय को यहां आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित करने के फलस्वरूप 24,00 का यह प्राविधान किया गया है।

0303—भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्रदेश में राज्य, जिला/ब्लाक स्तर की ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सेल की स्थापना—(+43,00)—

यहां 43,00 का यह प्राविधान भी सातवीं पचवर्षीय योजना काल के मैदानी क्षेत्र से संबंधित वचनबद्ध व्यय को आयोजनेतर पक्ष में हस्तान्तरित करने के फलस्वरूप किया गया है।

आयोजनागत (− 1,10,76)—

सातवीं पंचवर्षीय काल के वचनबद्ध को आयोजनेतर पक्ष में सामान्यीकरण किये जाने के फलस्वरूप एवं आठवीं योजना काल के प्रथम वर्ष में आवश्यकता के आधार पर "2216 जलपूर्ति और सफाई" नामक उपशीर्षक में 30,50 "3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान" नामक उप शीर्षक में 26 एवं "3451—सचिवालय-आर्थिक सेवायें" नामक उप शीर्षक में 80,00 की कम व्यवस्था हुई है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय व अन्य भत्ता आदि इकाइयों में की गई कुल व्यवस्था निम्नप्रकार है:—

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	4,45	44,10	48,55
03—मंहगाई भत्ता	1,35	14,98	16,33
04—यात्रा व्यय	32	1,85	2,17
05—अन्य भत्ते	78	6,87	7,65
06—कार्यालय व्यय	65	5,30	5,95
07—टेलीफोन पर व्यय	..	59	59
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	50	1,35	1,85
10—व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान ..	40	..	40
11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व ..	..	60	60
12—प्रकाशन	..	35	35
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..	2,37,00	2,54,10	4,91,10
15—छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन	..	43	43
16—आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि ..	..	7	7
19—लघु निर्माण कार्य	80	..	80
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..	50,00	1,50	51,50
23—अनुरक्षण	2,40	1,10	3,50
33—अन्य व्यय	1,67,35	69,31	2,36,66
योग ..	4,66,00	4,02,50	8,68,50

अनुदान संख्या–65

शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष हेतु कुल मांग 8,81,67,90 (मतदेय 8,43,34,89 तथा भारित *38,33,01*) है। इसके विपरीत गत वर्ष कुल मांग 7,28,58,93 (मतदेय 6,90,25,92 तथा भारित *38,33,01* थी। इस प्रकार 1,53,08,97 की अधिक व्यवस्था की गयी है। न्यूनाधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :—

आयोजनेतर—

2202—सामान्य शिक्षा (+1,79,90,98)—

01—प्राथमिक शिक्षा—

001—निदेशन और प्रशासन (+2,61,17)—देय मान्य वेतन वृद्धियों तथा वेतन मद में बोनस हेतु व्यवस्था किये जाने, वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने, सातवीं पंचवर्षीय योजना के सामान्यीकरण, मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद, प्रकाशन, लघु निर्माण-कार्य, मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र एवं अनुरक्षण मद में क्रमश: 36,10: 10 : 625 :2511 : 2:2:7 :1 2 की वृद्धि दिखाई गयी है। साथ ही वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप महंगाई भत्ते एवं अंतरिम सहायता में क्रमश: 7,03, : 9,78 की कमी हुयी है। इस प्रकार कुल 25,94 की वृद्धि परिलक्षित है।

02—प्राथमिक शिक्षा विभाग का लेखा संगठन (+2,34,64)—

इस उपशीर्षक में ऊपर निदेशालय अधिष्ठान उपशीर्षक के समक्ष अंकित कारणों से वेतन, महंगाई भत्ते, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय में क्रमश: 175,00 : 38,05 : 3,75 : 18,35 : 5,60 की वृद्धि दर्शाई गयी है। साथ ही अंतरिम सहायता मद में वेतन पुनरीक्षण के कारण 5,93 की कमी हुयी है। इस प्रकार कुल 2,34,64 रु० की वृद्धि हुयी है।

03—जनसंख्या शिक्षा हेतु सम्भागीय कार्यालय की स्थापना (+59)—

इस हेतु भी उपरोक्त निदेशालय अधिष्ठान उपशीर्षक के समक्ष अंकित कारणों से वेतन एवं अन्य भत्ते में क्रमश: 1,87 एवं 8 की वृद्धि एवं वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप मंहगाई भत्ता, अंतरिम सहायता मद में क्रमश: 55 एवं 78 की कमी परिलक्षित है। इस प्रकार कुल 59 की सामान्य वृद्धि दर्शायी गयी है।

101—सरकारी प्राथमिक विद्यालय— (+55,35)—वेतन पुनरीक्षण, किराया एवं मूल्यों में वृद्धि के कारण वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व, लघु निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण में क्रमश: 91,83: 1 : 51 : 5 : 40:3 : 3 की वृद्धि तथा वेतन पुनरीक्षण के कारण ही मंहगाई भत्ते एव अंतरिम सहायता में क्रमश: 14,40 एव 23,08 की कमी प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार कुल 55,35 की सामान्य वृद्धि परिलक्षित है।

102—गर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (+1,68,73,20)—

0801—बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों को सहायता (+1,30,18,58)—

वेतन पुनरीक्षण, किराया, मूल्यों में वृद्धि एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के व्यय के सामान्यीकरण एव आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के निर्धारित परिव्यय के आधार पर व्यवस्था कराये जाने के कारण कुल 1,30,18,58 की वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

0802—बेसिक शिक्षा परिषदीय कार्यालयों के लिये सहायता (+1,90,21)—

वेतन पुनरीक्षण, मूल्यों में वृद्धि एवं सातवीं पचवर्षीय योजना के व्यय के सामान्यीकरण एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के निर्धारित परिव्यय के आधार पर व्यवस्था कराये जाने के फलस्वरूप 1,90,21 की वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

2—गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के पेंशन/ग्रेच्युटी की सुविधा हेतु अनुदान (+36,64,41)—

पेंशनरों की संख्या में वृद्धि तथा राहत की अतिरिक्त देय किस्तों के परिप्रेक्ष्य में 36,64,41 की वृद्धि परिलक्षित है।

104—निरीक्षण (+3,36,42)—

01—क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारि वर्ग (पुरुष) (+2,82,47)—

वेतनमान पुनरीक्षण, मूल्यों, किराये में वृद्धि के कारण वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद, किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व, लघु निर्माण कार्य, मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र एव अनुरक्षण में क्रमश: 4,3,83: 53 :4,65 : 90 : 1,42 : 17 : 25 : 8 : 3 एवं 3 की वृद्धि तथा वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप महगाई भत्ता एव अन्तरिम सहायता 56,22 एवं 1,03,20 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार कुल 2,82,47 की सामान्य वृद्धि परिलक्षित है।

02—क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारीवर्ग (महिलायें) (+53,95)—

वेतन पुनरीक्षण, मूल्यों में वृद्धि के कारण वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते में क्रमश: 97,31,3 एवं 1,38 की वृद्धि एवं वेतन पुनरीक्षण के कारण महंगाई भत्ते एवं अन्तरिम सहायता मद में क्रमश: 18,50 एवं 26,13 तथा मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में 14 की कमी दर्शायी गई है। इस प्रकार कुल 53,95 की सामान्य वृद्धि परिलक्षित है।

106—शिक्षक और अन्य सेवायें (+9,01)—

03—प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, दीक्षा विद्यालयों, प्रायमिक शिक्षा के प्रसार में कार्यानुभव की अध्यापकों की नियुक्ति (+9,01)—

वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते एवं कार्यालय व्यय में क्रमश: 16,19: 1:23 एवं 1, की वृद्धि वेतनमान पुनरीक्षण एवं मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है। वेतन पुनरीक्षण के कारण ही महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता मद में क्रमश: 3,08 एवं 4,35 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार कुल 9,01 की वृद्धि परिलक्षित है।

107—शिक्षकों का प्रशिक्षण—

03—पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (+1,29)—

मुख्यतया वेतनमान पुनरीक्षण एवं मूल्य वृद्धि के कारण ही वेतन एवं अन्य भत्ते में क्रमश: 2,60 एवं 5 की वृद्धि दिखायी गई है। वेतन पुनरीक्षण के कारण ही महंगाई भत्ते एवं अन्तरिम सहायता में क्रमश: 47 एवं 69 तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर छात्रवृत्तियां एवं छात्रवेतन मद में 20 की कमी परिलक्षित है। इस प्रकार कुल 1,29 की सामान्य वृद्धि प्रदर्शित की गई है।

05—राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (पुरुष) (+1,96,48)—

मुख्यतया वेतन निर्धारण एवं मूल्य वृद्धि के कारण वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, लघु निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण के मद में क्रमश: 3,53,68 : 25 : 5,30 :6: 10 एवं 23 की वृद्धि हुई है। वेतन पुनरीक्षण के कारण ही महंगाई भत्ते एवं अन्तरिम सहायता मद में क्रमश: 67,21 एवं 94,96 एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद एवं अन्य व्यय मद में क्रमश: 17 एवं 80 की कमी परिलक्षित है। इस प्रकार कुल 1,96,48 की वृद्धि प्रदर्शित की गई है।

06—राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (महिला) (+76,35)—

वेतन निर्धारण, किराया वृद्धि, मूल्य वृद्धि के कारण वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद, किराया, उप शुल्क तथा कर-स्वामिस्व, लघु निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण मदों में क्रमश: 1,31,42 : 21 : 3,22 : 25:2: 5: 1,34:5 एवं 5, की वृद्धि तथा महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता में क्रमश: 24,98 एवं 35,28 की कमी वेतन पुनरीक्षण के कारण ही परिलक्षित है। इस प्रकार कुल 76,35 की सामान्य वृद्धि परिलक्षित है।

07—अवर उच्च विद्यालयों तथा दीक्षा विद्यालयों में कृषि तथा शिल्पकारी को अनिवार्य विषय बनाकर उनके नवीकरण की योजना (+79,36)—

वेतन निर्धारण, एवं मूल्य वृद्धि के परिपेक्ष्य में वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते एवं कार्यालय व्यय में क्रमश: 1,45,96: 5:25 एवं 2, की वृद्धि हुई है। साथ ही महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता में क्रमश: 27,73, एवं 39,19 की कमी प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार कुल 79,36 की वृद्धि परिलक्षित है।

109—छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन (—13,60)—

11—प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा–6 से 8 में 5 रुपये प्रतिमास की दर से तीन वर्ष के लिये योग्यता छात्र वृत्तियां (—13,60)—

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यहां 13,60 की कमी परिलक्षित है।

800—अन्य व्यय (+1,15,95)—

05—प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर के भोजन की व्यवस्था–(–6,81)—

वेतन निर्धारण, मूल्य वृद्धि के कारण वेतन एवं अन्य भत्ते में क्रमश: 1,00 एवं 10, की वृद्धि तथा महंगाई भत्ते एवं अन्तरिम सहायता मदों में क्रमश: 4,71 एवं 3,20 की कमी दर्शायी गई है। इस प्रकार कुल 6,81 की कमी परिलक्षित है।

09—पूर्व विद्यालयी बच्चों एवं गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार की व्यवस्था (+12)—

वेतन निर्धारण एवं मूल्य वृद्धि के कारण वेतन, अन्य भत्ते एवं अन्य व्यय में क्रमश: 1,16:5: एवं 20, की वृद्धि हुई है। साथ ही वेतन पुनरीक्षण के कारण ही महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता में क्रमश: 79, एवं 50, की कमी हुई है। इस प्रकार कुल 12, की वृद्धि परिलक्षित है।

10—अरेबिक पाठशालाओं को अनुदान(+1,22,74)—

वेतन निर्धारण, मूल्य वृद्धि एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कुल 1,22,74 की वृद्धि परिलक्षित है।

80—सामान्य—

800—अन्य व्यय—

01—विभागीय परीक्षा निबन्धक, उत्तर प्रदेश—(+3,70)—

मुख्यतया वेतन निर्धारण, मूल्य वृद्धि एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन, अन्य भत्ते एवं प्रकाशन मद में क्रमश: 6,20:35 एवं 75, की वृद्धि हुई है। साथ ही महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता मद में क्रमश: 1,68 एवं 1,92 की कमी वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप परिलक्षित हुई है।

आयोजनागत (—2,66,37)—

आवश्यकता के आधार पर आय-व्ययक में गत वर्ष की अपेक्षा 2,66,37 की कमी हुई है। यह कमी सातवीं पंचवर्षीय योजना के व्यय के सामान्यीकरण एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था कराए जाने के कारण प्रदर्शित हो रही है।

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा				
2049--ब्याज संदाय		..		
26--ब्याज / लाभांश (भारित)		..	*38,33,00*	*38,33,00*
2202--सामान्य शिक्षा--				
01--वेतन		10,58	26,75,27	26,85,85
03--महंगाई भत्ता		4,81	8,99,79	9,04,60
04--यात्रा व्यय		10	62,95	63,05
05--अन्य भत्ते		2,00	1,18,11	1,20,11
06--कार्यालय व्यय		2,30	52,60	54,90
07--टेलीफोन पर व्यय		1,75	2,71	4,46
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..		..	5,61	5,61
11--किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व ..		11	10,95	11,06
12--प्रकाशन		..	5,37	5,37
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता ..		92,75,10	7,03,06,37	7,95,81,47
15--छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन ..		1,05	23,84	24,89
19--लघु निर्माण-कार्य		..	2,90	2,90
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र ..		10	3,75	3,85
23--अनुरक्षण		..	29,77	29,77
33--अन्य व्यय	मतदेय ..	3,50	8,32,95	8,36,45
	भारित ..	..	*1*	*1*
योग, 2202--सामान्य शिक्षा	मतदेय ..	93,01,40	7,50,32,94	8,43,34,34
	भारित ..	..	*1*	*1*
2204--खेल एवं युवा कल्याण--				
101--शारीरिक शिक्षा--				
33--अन्य व्यय		29	25	54
योग--2204--खेल एवं युवा कल्याण ..		29	25	54
2235--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण--				
60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण ..				
33--अन्य व्यय		..	1	1
योग--2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण ..		..	1	1
कुल योग--राजस्व लेखा	मतदेय ..	93,01,69	7,50,33,20	8,43,34,89
	भारित ..	..	*38,33,01*	*38,33,01*

अनुदान संख्या--66

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान के अन्तर्गत वर्ष की कुल मांग 6,08,00,80 (5,58,00,25 मतदेय तथा *50,00,55* भारित) है। इसके विपरीत गत वर्ष इस अनुदान के अन्तर्गत 4,85,47,52 (4,58,36,97 मतदेय तथा *27,10,55* भारित) की मांग सम्मिलित थी। इस प्रकार कुल 1,22,53,28 की अधिक व्यवस्था की गयी है, न्यूनाधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:---

आयोजनेतर--

राजस्व लेखा--

2202--सामान्य शिक्षा--02--माध्यमिक शिक्षा--

001--निदेशन और प्रशासन (+27,84)--

03--माध्यमिक शिक्षा--निदेशालय का अधिष्ठान (+20,01)--

कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किये जाने तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि की आयोजनागत पक्ष की योजनाओं को समायोजित किये जाने के फलस्वरुप जहां वेतन, अन्य भत्ते में क्रमश: 55,76 तथा 5 की वृद्धि हुई है वहीं महंगाई भत्ते एवं अन्तरिम सहायता में क्रमश: 18,73 तथा 17,54 की कमी हुयी है। यात्रा/व्यय कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद लघु निर्माण कार्य तथा मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में क्रमश: 13,5,2,5,20 तथा 2 की वृद्धि मूल्यों में वृद्धि, आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के समायोजन आदि के कारण हुई है। इस प्रकार यहां कुल 20,01 की वृद्धि दिखायी दे रही है।

04--माध्यमिक शिक्षा विभाग का लेखा संगठन--(+7,83)--मुख्यत: विद्यमान पदों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरुप वेतन में 21,37 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ते व अन्तरिम सहायता में क्रमश: 7,58 तथा 6,01 की कमी हुई है। मूल्यों आदि में वृद्धि को देखते हुये यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय तथा मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में क्रमश: 2, 2, तथा 1 की वृद्धि की गयी है। इस प्रकार कुल 7,83 की वृद्धि हुयी है।

101--निरीक्षण (+18,16)--

03--क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारिवर्ग (पुरुष) (+20,92)--मुख्यत: वेतनमानों के पुनरीक्षण आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के समायोजन तथा मूल्यों में वृद्धि आदि को देखते हुये वेतन में 1,22,58, यात्रा व्यय में 56, अन्य भत्ते में 74 कार्यालय व्यय में 85 टेलीफोन में 5 गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 50 किराया उपशुल्क कर स्वामिस्व में 50 छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन में लघु निर्माण में 2 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में 2 तथा अन्य व्यय में 5 की वृद्धि की गयी है और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमश: 55,65 तथा 49,35 की कमी हुयी है। इस प्रकार यहां शुद्ध 20,92 का अधिक प्राविधान किया गया है।

04--क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारिवर्ग (महिलायें)--(-2,76)--उपर्युक्त कारणों से वेतन में 14,87 यात्रा व्यय में 6 अन्य भत्ते में 27 कार्यालय व्यय में 10 टेलीफोन पर व्यय में 5 गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 10 किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व में 6 लघु निर्माण कार्य में 1 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मे 1 अनुरक्षण में तथा अन्य में 1 की वृद्धि और महंगाई भत्ता में 10,12 व अन्तरिम सहायता में 8,19 की कमी की गयी है। इस प्रकार 2,76 की शुद्ध कमी है।

104--शिक्षक और अन्य सेवायें (+6,24)--

01--अध्यापक शिक्षा सेवा आयोग तथा चयन बोर्डो की स्थापना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता--(+3,12)--मुख्यत: कर्मचारियों वार्षिक वेतन वृद्धि अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तों के परिप्रेक्ष्य में 3,12 की वृद्धि की गयी है।

03--शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना तथा माध्यमिक शिक्षा का प्रचार योजना के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यानुभवी अध्यापकों की नियुक्ति (+3,12)--वृद्धि का मुख्य कारण वेतनमानों का पुनरीक्षण, कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि तथा मूल्यों में वृद्धि को देखते हुय वेतन, कार्यालय व्यय में क्रमश: 6,86 तथा 1 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता में क्रमश: 1,83 तथा 1,92 की कमी की गयी है। इस प्रकार कुल 3,12 की वृद्धि दिखायी दे रही है।

105--शिक्षकों का प्रशिक्षण (+74,40)--

03--राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (पुरुष) (+8,18)--वेतनमानों का पुनरीक्षण, कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के कारण वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते कार्यालय व्यय, लघु निर्माण कार्य तथा अनुरक्षण मदों में क्रमश: 16,80 की, 2 की 50 की 1 की 2 तथा 2 की वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमश: 4,47 एवं 4,72 की कमी हो रही है। इस प्रकार कुल 8,18 की वृद्धि प्रदर्शित है।

04--राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (महिलायें) (+6,41)--उपर्युक्त मद में उल्लिखित कारणों से वेतन में 13,97 कार्यालय व्यय में 2 लघु निर्माण कार्य में 2 मशीने और/उपकरण और संयत्र में 2 अनुरक्षण में 2 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ता और अन्तरिम सहायता की मद में क्रमश: 3,72, व 3,92 की कमी हुयी है। इस प्रकार यहां 6,41 की वृद्धि दिखायी दे रही है।--

03—पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के लिये सहायक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (+4,76,21)—पेन्शनरों की संख्या में वृद्धि तथा स्वीकृत अतिरिक्त राहत किस्तों के परिप्रेक्ष्य में 4,76,21 की वृद्धि हो रही है।

800—अन्य व्यय (+15,35)—

06—भारत स्काउट्स और गाइड्स को अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (+4,70)—आयोजनागत पक्ष की धनराशि को समायोजित किये जाने के फलस्वरूप 4,70 की वृद्धि हुयी है।

14—राजाराम मोहन राय पुस्तकालय संस्थान, कलकत्ता को सहायक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (+3,00)—उपर्युक्त उल्लिखित मद में अंकित कारणों से यहां 3,00 की वृद्धि दिखायी दे रही है।

17—उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल समिति को सहायक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (+5,32)—मुख्यतः कर्मचारियों को देय अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तें तथा देय वार्षिक वेतन बृद्धि आदि के कारण 5,32 की वृद्धि की गयी है।

18—सैनिक स्कूल सोसाइटी को उनके स्कूलों के अनुरक्षण तथा संचालन निधि के लिये अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (+9)—आवश्यकतानुसार 9 की वृद्धि दिखायी गयी है।

19—सैनिक स्कूल घोड़ा खाल नैनीताल को जल सम्पूर्ति व्यवस्था के रख रखाव हेतु अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (+4)—मूल्यों में वृद्धि को देखते हुये 4 की वृद्धि कर दी गयी है।

20—उत्तर प्रदेश हिन्दी उर्दू साहित्य एवार्ड कमेटी लखनऊ को अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (+95)—संस्था को स्वीकृत आवर्तक अनुदान में इस सीमा तक, वृद्धि की गयी है, जिसकी व्यवस्था कर ली गयी है।

21—विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (+1,25)—आयोजनागत पक्ष की योजना को समायोजित किये जाने के कारण 1,25 की वृद्धि दिखायी दे रही है।

05—भाषा विकास—

001—निदेशन और प्रशासन (+4,87)—

01—उर्दू निदेशालय की स्थापना (+4,87)—आयोजनागत पक्ष की योजना को सामान्यीकरण के फलस्वरूप संगत प्राथमिक के समक्ष आवश्यकतानुसार कुल 4,87 की व्यवस्था की गयी है, जो अधिक दिखायी दे रही है।

103—संस्कृत शिक्षा (+1,03,32)—

03—राजकीय संस्कृत पाठशाला (+1,69)—मुख्यतः वेतन मानों के पुनरीक्षण तथा कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि आदि देखते हुये वेतन में 3,48 यात्रा व्यय में 1 अन्य भत्ते में 10 तथा कार्यालय व्यय में 1 की वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमशः 93 तथा 98 की कमी दिखायी दे रही है।

04—संस्कृत पाठशालाओं को सहायक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (+1,01,63)—वेतनमानों के पुनरीक्षण कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि आदि को देखते हुये 1,01,63 की अधिक व्यवस्था की गयी है।

2204—खेल और युवा कल्याण (+2,20,76)—

102—विद्यार्थियों के लिये युवक कल्याण कार्यक्रम (+2,16,33)—

0101—नेशनल फिटनेस कोर योजना (+88,32)—सम्प्रति विद्यमान कर्मचारियों का वेतनमान अभी तक पुनरीक्षित नही हो सका है। कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तों आदि को दृष्टिगत् रखते हुए वेतन में 35,82 की महंगाई भत्ते में 38,43 की अन्य भत्ते में 2,60 कार्यालय व्यय में 1 तथा अन्तरिम सहायता में 11,46 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार यहां 88,32 की अधिक व्यवस्था हुई है।

03—विद्यार्थियों के लिये सैन्य प्रशिक्षण (+1,01)—वेतनमानों के पुनरीक्षण कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि एवं मूल्यों में वृद्धि को देखते हुये वेतन में 1,95 यात्रा व्यय में 1 अन्य भत्ते में 9 कार्यालय व्यय में 1 की वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमशः 60 तथा 45 की कमी की गयी है। इस प्रकार यहां 1,01 की शुद्ध वृद्धि हो रही है।

05—राष्ट्रीय सेना छात्र दल (+1,24,37)—उपरोक्त मद में उल्लिखित कारणों से यहां भी वेतन में 1,82,19 यात्रा व्यय में 1,00 कार्यालय व्यय में 88 गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 10 किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व में 4,17 तथा अन्य व्यय में 36,99 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ते अन्य भत्ते अन्तरिम सहायता में क्रमशः 48,10 को 1,82 तथा 51,04 की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की गयी है। इस प्रकार यहां 1,24,37 की शुद्ध वृद्धि दिखायी दे रही है।

06—माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का विस्तार (+2,63)—आयोजनागत पक्ष की योजना को समायोजित किये जाने के कारण 2,63 की वृद्धि दिखायी दे रही है।

104—खेलकूद (+4,43)—

03—खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु व्यवस्था (माध्यमिक) (+5,30)—वेतनमानों के पुनरीक्षण कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि व मूल्यों में वृद्धि को देखते हुये वेतन में 22 यात्रा व्यय में 1 अन्य भत्ते में 2 कार्यालय व्यय में 1 छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन में 5,02 तथा अन्य व्यय में 10 की वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमशः 2 व 6 को कमी की गयी है। अतः शुद्ध वृद्धि 5,30 की है।

07--राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान, फैजाबाद की स्थापना--(-87)--उपर्युक्त मद में अंकित कारणों से यहां भी वेतन में 23, यात्रा व्यय में 1 तथा कार्यालय व्यय में 1 की वृद्धि और महंगाई भत्तों में 73 तथा अन्तरिम सहायता में 39 की कमी की गयी है। इस प्रकार 87 की कमी हो रही है।

2205--कला और संस्कृति (+29,91)--
105--सार्वजनिक पुस्तकालय (+29,25)--

03--केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय--(-91)--वेतनमानों के पुनरीक्षण कर्मचारियों की देय वार्षिक वेतन वृद्धि आदि को देखते हुये वेतन में 3,06, कार्यालय व्यय में 2 की, लघु निर्माण कार्य में 1 तथा अनुरक्षण में 1 की वृद्धि की गयी है और महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता की मद में क्रमश: 2,31 तथा 1,70 की कमी की गयी है। इस प्रकार 91 की कमी दिखायी दे रही है।

04--स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की स्रोत सामग्रियों का संकलन एवं प्रकाशन--(+33)--उपरोक्त मद में उल्लिखित करणों से यहां भी वेतन में 1,06, कार्यालय व्यय में 1, प्रकाशन में 1, की वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमश: 40 तथा 35 की कमी हुई है। इस प्रकार शुद्ध 33 की वृद्धि दिखायी दे रही है।

05--पुस्तकालय नीति एवं पद्धति का विकास (+39)--उपरोक्त अंकित कारणों से वेतन में 79, अन्य भत्ते में 5, कार्यालय व्यय में 1 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता में क्रमश: 25 व 21 की कमी हो रही है। इस प्रकार शुद्ध वृद्धि 39 की है।

06--अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ का विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (+1,51)--संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप 1,51 की अधिक व्यवस्था की गयी है।

09--वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना (जिला योजना) (+20,66)-- वेतनमानों के पुनरीक्षण, कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि तथा आयोजनागत पक्ष की योजना के सामान्यीकरण आदि के कारण वेतन में 10,04, महंगाई भत्ता में 1,46, यात्रा व्यय में, 29 अन्य भत्ते में 1,25, कार्यालय व्यय में 4,35, किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व में 2,10 लघु निर्माण कार्य में 2, मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में 2 तथा अन्य व्यय में 1,94 की वृद्धि तथा अन्तरिम सहायता में 81 की कमी की गयी है।

10--राजकीय जिला शाखा पुस्तकालयों की स्थापना (+7,27)--आयोजनागत पक्ष की योजना सामान्यीकरण किये जाने के कारण आवश्यकतानुसार संगत प्राथमिक इकाइयों में की गयी व्यवस्थानुसार कुल 7,27 अधिक दिखायी दे रही है।

107--संग्रहालय (+66)--

01--शैक्षिक संग्रहालय (+66)--वेतनमानों के पुनरीक्षण, कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि आदि को देखते हुये वेतन में 1,31, यात्रा व्यय में 1, अन्य-भत्ते में 2, कार्यालय व्यय में 1 की वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमश: 34 तथा 35 की कमी कर दी गयी है। इस प्रकार 66 की वृद्धि हो रही है।

2049--ब्याज संदाय (भारित) (*+22,90,00*)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कुल *22,90,00* की अधिक व्यवस्था की जा रही है।

आयोजनागत (+14,26,75)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यहां 14,26,75 की व्यवस्था अधिक की गयी है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते आदि के लिये की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
	2202--सामान्य शिक्षा--			
	2013--मंत्री परिषद्	..	1,00	1,00
	33--अन्य व्यय			
	2049--ब्याज संदाय (भारित)	..	*50,00,00*	*50,00,00*
	26--ब्याज/लाभांश-- ..			
01	वेतन	1,80,01	67,53,02	69,33,03
02	मजदूरी	..	21,02	21,02
03	महंगाई भत्ता	80,01	22,16,43	22,96,44
04	यात्रा व्यय	6,05	1,63,45	1,69,50
05	अन्य भत्ते	13,88	1,88,33	2,02,21

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
06	कार्यालय व्यय	40,43	2,09,13	2,49,56
07	टेलीफोन पर व्यय	..	7,70	7,70
08	गाड़ियों का क्रय	2,42	..	2,42
09	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	..	42,55	42,55
11	किराया; उप शुल्क एवं कर स्वामित्व	..	32,20	32,20
12	प्रकाशन	..	1,80,96	1,80,96
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..	22 13,27	4,17,45,11	4,39,58,38
15	छात्र वृत्तियां/छात्रवेतन	77	2,20,17	2,20,94
19	लघु निर्माण कार्य	20,00	9,84	29,84
20	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..	51,24	78,63	1,29,87
23	अनुरक्षण	..	1,00,62	1,00,62
32	अन्तरिम सहायता	..	23,19	23,19
33	अन्य व्यय (मतदेय) ..	87,12	9,97,83	10,84,95
	(भारित) ..	..	55	55
	योग (मतदेय) ..	26,95,20	5,29,90,18	5,66,85,38
	योग (भारित) ..	..	55	55
	योग-राजस्व लेखा (मतदेय) ..	26,95,20	5,29,91,18	5,56,86,38
	योग-राजस्व लेखा (भारित) ..	..	*50,00,55*	*50,00,55*
	पूंजी लेखा--			
	4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय			
	'8--वृहत् निर्माण कार्य ..	80,87	..	80,87
	6202 --शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिये उधार			
	24--निवेश/ऋण ..	..	33,00	33,00
	कुल योग (मतदेय) ..	27,76,07	5,30,24,18	5,58,00,25
	कुल योग (भारित) ..	..	*50,00,45*	*50,00,55*

अनुदान संख्या--67

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

गत वर्ष के 1,15,75,56,000 रु0 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष का अनुदान 1,48,70,76,000 रु0 का है। इस प्रकार 32,95,20,000 रु0 की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर (+34-28-42)--

2202--सामान्य शिक्षा--

03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

001--निदेशन और प्रशासन (--7,22))-

01--उच्च शिक्षा निदेशालय (+15,44)--

01-उच्च शिक्षा निदेशालय--(+15,44)--उच्च शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व, मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र एवं अन्य व्यय में क्रमश: 25,21 : 1,17 : 91 : 1,20 : 6 : 41 : 10 : 15 की वृद्धि मुख्यत: वेतन पुनरीक्षण, मूल्यों में वृद्धि एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना एवं उच्च शिक्षा विभाग का लेखा संगठन का समायोजन किये जाने के कारण हुयी है। साथ ही महंगाई भत्ता एवं अंतरिम सहायता में क्रमश: 7,07 एवं 6,70 की कमी की भी वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप हुयी है। इस प्रकार कुल 15,44 की वृद्धि हुयी है।

02--उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना (--10,74)--

इस मानक मद के लिये वर्तमान वर्ष में आयोजनेतर पक्ष के 10,74 का समायोजन 01--उच्च शिक्षा निदेशालय नामक मद में किये जाने के कारण इस मद में कुल 10,74 की कमी हुई है।

03—उच्च शिक्षा विभाग का लेखा संगठन (—11,92)—

इस मद के लिये वर्तमान वर्ष में आयोजनेतर पक्ष के लिये 11,92 के समायोजन- 01-उच्च शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत किये जाने के कारण इसमें कुल 11,92 की कमी हुयी है।

102—विश्वविद्यालयों को सहायता (+6,35,33)—

इसके अन्तर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ आगरा, संपूर्णानन्द संस्कृत मेरठ, काशी विद्यापीठ, कुमायूं, गढ़वाल बुन्देलखण्ड, अवध, रुहेलखण्ड, दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा (इंजीनियरिंग कालेज) लखनऊ विश्वविद्यालय को कला एवं शिल्प महाविद्यालय हेतु अनुदान, लखनऊ विश्वविद्यालय की उर्दू सोसाइटी को अनुदान, दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा प्राविधिक शिक्षा संस्थान को अनुदान, आदि संस्थाओं के मानक मदों में क्रमश: 1,29,71 : 2,66,17 : 15,28 : 12,20 : 23,68 : 43,34 : 57,77 : 94,82 : 9,41 : 1,62 : 4,52,1,31 की वृद्धि हुयी है। साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय में गत वर्ष की अनियमितता के कारण की गयी कटौती को ध्यान में रखते हुये 20,85 की कमी हुयी है। प्रदेश के कतिपय अप्राविधिक विश्वविद्यालयों को सामूहिक बीमा योजना के लिये शासकीय सहायता समाप्त कर दी गयी है, इसलिये 3,65 की कमी हुयी है। इस प्रकार इस मद हेतु कुल 6,35,33 की सामान्य वृद्धि हुयी है।

103—सरकारी महाविद्यालय और संस्थायें—(+2,10,35)—

इस मद में वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, लघु निर्माण कार्य, मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र एवं अन्य व्यय में क्रमश: 3,73,88 : 44 : 5,00 : 1,17 : 51 : 4 : 50 : 45 की वृद्धि मुख्यत: वेतन पुनरीक्षण, मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप हुयी है। साथ ही महंगाई भत्ते एवं अंतरिम सहायता मद में क्रमश: 79, 80 : 91,84 की कमी हुयी है। इस प्रकार कुल 2,10,35 की वृद्धि प्रदर्शित की गई है।

104—गैर-सरकारी कालेजों और संस्थाओं को सहायता (+25,10,30)—

गैर-सरकारी कालेजों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, बोनस, पेंशन एवं ग्रेच्यूटी में वृद्धि एवं महंगाई भत्ता तथा अंतरिम सहायता में कमी के कारण कुल 25,10,30 की वृद्धि दर्शायी गयी है। यहां उक्त वृद्धि सामान्य तथा वेतन पुनरीक्षण के कारण हुयी है।

800—अन्य व्यय (+2,76)—

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के प्राविधान में 1,50 एवं पब्लिक लाइब्रेरी इलाहाबाद के व्यय में 75 की वृद्धि तथा राज्य विश्वविद्यालय में शिकायतों तथा अनियमितताओं की जांच के मद में 2,99 की कमी दर्शायी गयी है। इस प्रकार कुल 2,76 की सामान्य वृद्धि हुयी है।

आयोजनागत (—1,33,22)—

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आय-व्ययक में गत वर्ष की अपेक्षा 1,33,22 की कमी हुयी। यह कमी सातवीं पंचवर्षीय योजना के व्यय के सामान्यीकरण एवं आठवीं योजना के प्रथम वर्ष की आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था कराये जाने के कारण प्रदर्शित हो रही है।

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	1,46	7,35,29	7,36,75
03—महंगाई भत्ता	91	2,37,32	2,38,23
04—यात्रा व्यय	32	8,00	8,32
05—अन्य भत्ते	31	40,26	40,57
06—कार्यालय व्यय	2,12	20,06	22,18
07—टेलीफोन पर व्यय	..	1,65	1,65
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	1,60	..	1,60
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	32	30	62
11—किराया, उपशुक और कर-स्वामित्व	20	3,95	4,15
12—प्रकाशन	..	40	40
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	7,51,48	1,25,01,26	1,32,52,74
15—छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	9,70	73,59	83,29
18—बृहत् निर्माण-कार्य	5,00	..	5,00
19—लघु निर्माण कार्य	..	6,07	6,07
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10	9,12	9,22
23—अनुरक्षण	..	5,25	5,25
33—अन्य व्यय	20,10	3,23	23,33
योग-2202-सामान्य शिक्षा — मतदेय ..	7,93,62	1,36,45,75	1,44,39,37
योग-2202-सामान्य शिक्षा — भारित ..	..	1	1

मानक			आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
2013--मंत्रि परिषद					
105--मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान..					
33--अन्य व्यय	..	..	..	50	50
2049--ब्याज संदाय					
60--अन्य देन-दारियों पर ब्याज					
101--जमा राशियों पर ब्याज (भारित)..	..	..	..	*55,84*	*55,84*
26--ब्याज/लाभांश					
2204--खेल और युवा कल्याण					
102--विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम	..	..	68,14	1,70,50	2,38,64
2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--					
60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम					
104--जमा से सम्बद्ध बीमा योजना सरकारी भविष्य निधि--		..			
33--अन्य व्यय		..	..	1	1
योग, राजस्व लेखा ..	मतदेय	..	8,61,76	1,38,16,76	1,46,78,52
	भारित	..	..	*55,85*	*55,85*
पूंजी लेखा--					
4202--शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृत पर पूंजी परिव्यय--					
203--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--	..	..	1,06,39	..	1,06,39
18--वृहत् निर्माण कार्य					
6202--शिक्षा खेल, कला और संस्कृति के लिये उधार					
01--सामान्य शिक्षा--					
203--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा	..	..	..	30,00	30,00
24--निवेश/ऋण					
योग पूंजी लेखा		..	1,06,39	30,00	1,36,39
कुल योग ..	मतदेय		9,68,15	1,38,46,76	1,48,14,91
	भारित		..	*55,85*	*55,85*

अनुदान संख्या-68

शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में मतदेय का प्राविधान 11,23,82 किया गया है जबकि गत वर्ष यही भाग 17,48,91 की थी। इस प्रकार कुल 6,25,09 की कम व्यवस्था की गयी है। न्यूनधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया गया है:--

आयोजनेतर--

2202--सामान्य शिक्षा--

04--प्रौढ़ शिक्षा (+5,21,66)--

001--निदेशन और प्रशासन में 35,50; 103--ग्रामीण व्यावहारिकता साक्षरता कार्यक्रम में 5,00,200--अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 4,72,10 तथा 800--अन्य व्यय में 9,06 की वृद्धि प्रौढ़ शिक्षा की परियोजनाओं के सातवीं योजना के व्यय के सामान्यीकरण के फलस्वरूप प्रदर्शित हो रही है--

आयोजनागत

04--प्रौढ़ शिक्षा (--11,46,75)--

वर्ष 1990-91 के लिए प्रौढ़ शिक्षा विभाग के लिए निर्धारित आयोजनागत कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्था कराये जाने तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होने के कारण यहां 11,46,75 की कमी प्रदर्शित हो रही है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ते एवं अन्य मदों के लिए की गयी व्यवस्था इस प्रकार है:--

(हजार रुपयों में)

मानक मद				आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन	..	..	..	1,12,04	53,61	1,65,65
03--महंगाई भत्ता	..	..	..	64,48	25,30	89,79
04--यात्रा व्यय	..	..	..	7,39	16,60	23,99
05--अन्य भत्ते	..	..	..	23,74	17,55	41,29
06--कार्यालय व्यय	..	..	..	10,55	11,95	22,50

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
07--टेलीफोन पर व्यय	..	50	50
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	25,20	2,85	28,05
11--किराया, उप शुल्क और कर-स्वामित्व ..	1,63	7,30	8,93
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..	..	5,60	5,60
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..	28,64	1,61	30,25
33--अन्य व्यय	3,28,47	3,78,80	7,07,27
योग ..	6,02,15	5,21,67	11,23,82

अनुदान संख्या--69

शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान के अन्तर्गत बजट वर्ष में कुल मांग 9,96,06 है। जबकि इसके विपरीत गत वर्ष इस अनुदान के लिये 6,02,75 की व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार यहां कुल 3,93,31 की अधिक व्यवस्था की जा रही है। न्यूनाधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:--

आयोजनेतर--

राजस्व लेखा--

2202--सामान्य शिक्षा-80-सामान्य--

001--निदेशन और प्रशासन (+1,03)--

01--राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना (+1,03)----वेतनमानों के पुनरीक्षण, कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि मूल्यों में वृद्धि आदि को देखते हुये वेतन में 2,02, यात्रा व्यय में 1, अन्य भत्ते में 1, कार्यालय व्यय में प्रकाशन में 5 तथा अन्य व्यय में 2 की वृद्धि और महंगाई भत्ता में 54 व अन्तरिम सहायता में 57 की कमी की गयी है। इस प्रकार शुद्ध वृद्धि 1,03 की है।

003--प्रशिक्षण (+22,59)--

02--परिषद् का प्रारम्भिक शिक्षा विभाग-राज्य शिक्षा संगठन इलाहाबाद (+6,24)--उपरोक्त में उल्लिखित कारणों से यहां भी वेतन में 13,54 कार्यालय व्यय में 5, प्रकाशन में 2 तथा अन्य व्यय में 4 की वृद्धि और महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता में क्रमश: 3,60 तथा 3,81 की कमी हो रही है। इस प्रकार 6,24 की व्यवस्था अधिक हुई है।

03--परिषद् का हिन्दी भाषा विभाग-राज्य हिन्दी संस्थान वाराणसी (+1,44)--उपरोक्त मद में अंकित कारणों से यहां भी वेतन में 3,13, कार्यालय व्यय में 2 की वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमश: 83 एवं 88 की कमी हुई है। इस प्रकार 1,44 की शुद्ध वृद्धि दिखायी दे रही है।

04--परिषद् का अंग्रेजी विभाग--आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (+1,36)--उपर्युक्त उल्लिखित कारणों से यहां भी वेतन में 2,95 व कार्यालय व्यय में 2 की वृद्धि एवं महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता में क्रमश: 78 व 83 की कमी हुई है। इस प्रकार शुद्ध वृद्धि 1,36 की है।

05--परिषद् का मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग--राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद (+6,30)--मुख्यत: वेतनमानों के पुनरीक्षण कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण वेतन में 13,94 की वृद्धि एवं महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमश: 3,72 व 3,92 की कम व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार शुद्ध वृद्धि 6,30 की है।

06--परिषद् का विज्ञान तथा गणित विभाग--राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद (+3,20)--वेतनमानों के पुनरीक्षण कार्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के कारण वेतन तथा कार्यालय व्यय में क्रमश: 8,55 तथा 6 की वृद्धि और मंहगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमश: 2,77 व 2,64 की कमी है। इस प्रकार शुद्ध वृद्धि 3,20 की है।

07--परिषद् का दृश्य श्रव्य शिक्षा अनुभाग--शिक्षा प्रसार कार्यालय, इलाहाबाद (+4,05)--उपरोक्त अंकित कारणों से यहां भी वेतन में 8,67, यात्रा व्यय में 5, कार्यालय व्यय में 8 की वृद्धि तथा महंगाई भत्ता और अन्तरिम सहायता में क्रमश: 2,31 की तथा 2,44 की कमी हो रही है। शुद्ध वृद्धि 4,05 की है।

004--अनुसंधान (+3,34)--

03--परिषद् का मनोविज्ञान तथा शैक्षिक निदेशन विभाग--मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद (+3,27)--मुख्यत: वेतनमानों के पुनरीक्षण कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि व मूल्यों में वृद्धि को देखते हुये वेतन में 12,21, यात्रा व्यय में 7, कार्यालय व्यय में 6 तथा टेलीफोन पर व्यय में 1 की वृद्धि और महंगाई भत्ता में 4,86 तथा अन्तरिम सहायता में 4,22 की कमी हुयी है। इस प्रकार शुद्ध वृद्धि 3,27 की है।

04—परिषद् का शैक्षिक तकनीकी विभाग—राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ (+7)—उपरोक्त अंकित कारणों से [illegible] न में 84, कार्यालय व्यय में 1 तथा अन्य व्यय में 6 की वृद्धि और आवश्यकतानुसार महंगाई भत्ता में 39, यात्रा व्यय में 13 व अन्त रम सहायता [illegible] की कमी की गयी है। अतः शुद्ध वृद्धि 7 की दिखायी दे रही है।

800—अन्य व्यय (+ 99)—

01—परिषद् के प्रकाशन विभाग के अन्तर्गत पाठ्य-पुस्तक अधिकारी कार्यालय, लखनऊ (+99)—मुख्यतः वेतनमानों के पुनरीक्षण कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि तथा मूल्यों सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुये वेतन में 4,19, यात्रा व्यय में 2, अन्य भत्ते में 3, की वृद्धि और महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमशः 1,76, एवं 1,49 की कमी की गयी है। इस प्रकार शुद्ध वृद्धि 9 9 ? 0 की है आयोजनागत (+3,65,36) आवश्यक आवश्यकता को देखते हुये जनहित में 3,65,36 की अधिक व्यवस्था की गयी है।

अनुदान के अन्तर्गत संगत प्राथमिक इकाइयों के अन्तर्गत की गई व्यवस्था इस प्रकार है:— (हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
2202—सामान्य शिक्षा—			
01—वेतन	33	1,41,57	1,41,90
03—महंगाई भत्ता	14	44 46	4460
04—यात्रा व्यय	10	5 16	5,26
05—अन्य भत्ते	8	12,67	12,75
06—कार्यालय व्यय	20	9,13	9,33
07—टेलीफ़ोन पर व्यय	..	51	51
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	..	1,54	1,54
11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व ..	10	56	66
12—प्रकाशन	..	12,00	12,00
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..	7,50,00	..	7,50,00
15—छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन	..	27	27
19—लघु निर्माण कार्य	..	2,46	2,46
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..	85	..	85
23—अनुरक्षण	..	87	87
33—अन्य व्यय	2,20	10,85	13,05
योग { मतदेय ..	7,54,00	2,42,05	9,96,05
योग { भारित ..	..	..	..
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
33—अन्य व्यय	..	1	1
कुल योग { मतदेय ..	7,54,00	2,42,06	9,96,06
कुल योग { भारित ..	..	..	..

अनुदान संख्या—70

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

गतवर्ष 37,45,21 (37,45,18 मतदेय तथा *3* भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990-91 के लिये 77,92,55 (77,92,53 मतदेय तथा *2* भारित) की व्यवस्था है जिसमें आयोजनेतर पक्ष में गत वर्ष के 35,86,74 (35,86,71 मतदेय तथा *3* भारित) तथा आयोजनागत पक्ष में 1,58,47 मतदेय के विपरीत आय-व्ययक वर्ष में क्रमशः 46,79,16 (46,79,14 मतदेय तथा *2* भारित) तथा 31,13,39 मतदेय के अनुमान सम्मिलित हैं। इस प्रकार आय-व्ययक वर्ष में शुद्ध 40,47,34 (10,92,42 आयोजनेतर पक्ष में तथा 29,54,92 आयोजनागत में) की परिलक्षित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:

आयोजनेतर (+10,92,42)--
2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--
01--शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी--
102--कर्मचारी राज्य बीमा योजना (+1,55,15)--

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन एवं आयोजनागत योजनाओं का आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित होने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 01-अधिष्ठान संबंधी व्यय में 7,79 की, 02-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना में 6,35 की, 04-चिकित्सालय में 97,94 की, 05-औषधालय में 39,08 की एवं 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत 01-कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय में 2 की तथा 02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियों में 3,97 की वृद्धि सम्भावित है।

2230--श्रम और रोजगार-01-श्रम (+87,67)--

समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन, आयोजनागत योजनाओं का स्थानान्तरण आयोजनेतर पक्ष में होने तथा वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि आदि के फलस्वरूप 101--औद्योगिक संबंध में 74,74 (74,75 मतदेय में वृद्धि तथा *1* की भारित में कमी) की 103--सामान्य श्रमिक कल्याण में 19,65 की वृद्धि तथा इसके अतिरिक्त वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 001--निदेशन और प्रशासन में 8 की, 004--अनुसंधान और सांख्यिकी में 4,65 की 102-काम की, स्थितियां और सुरक्षा में 15 की तथा 800--अन्य व्यय में 1,84 की कमी परिलक्षित है। इस प्रकार न्यूनाधिक्य के समायोजनोपरान्त 87,67 की वृद्धि संभावित है।

2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--
60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (+8,49,60)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर एवं वृद्धावस्था पेंशनरों की वृद्धि के फलस्वरूप 102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशनों में 8,49,60 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत (+29,54,92)--

चालू आयोजनागत योजनाओं को आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरित करने तथा कतिपय नई योजनाओं को प्रारम्भ करने के फलस्वरूप 2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य में 42,05 की तथा 2230--श्रम और रोजगार में 27,03 की कमी परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों की आयु सीमा 65 वर्ष से 60 वर्ष करने एवं आयु सीमा बढ़ाने तथा पेंशन की राशि 60 रु० से 100 रु० प्रतिमाह करने के फलस्वरूप 30,24,00 की वृद्धि सम्भावित है। इस प्रकार न्यूनाधिक्यों के समायोजनोपरान्त 29,54,92 का आधिक्य प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिये की गई व्यवस्था निम्नलिखित है :--

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन	39,42	11,02,20	11,41,62
03--महंगाई भत्ता	13,90	3,74,71	3,88,61
04--यात्रा व्यय	1,59	18,87	20,46
05--अन्य भत्ते	5,53	1,32,25	1,37,78
06--कार्यालय व्यय	3,74	42,20	45,94
07--टेलीफोन पर व्यय	55	4,40	4,95
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	4,86	4,86
10--व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान ..	..	1	1
11--किराया, उप शुल्क और कर-स्वामित्व ..	55	63,30	63,85
12--प्रकाशन	..	5	5
19--लघु निर्माण कार्य	..	1,00	1,00
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..	43,55	..	43,55
23--अनुरक्षण	..	25,00	25,00
25--सामग्री और सम्पूर्ति	..	29,63	29,63
33--अन्य व्यय	30,04,56	28,80,66	58,85,22
भारित	..	*2*	*2*
योग { मतदेय ..	31,13,39	46,79,14	77,92,53
योग { भारित ..	..	*2*	*2*

अनुदान संख्या—71

श्रम विभाग (सेवायोजन)

इस अनुदान के अन्तर्गतगत 29,19,94 (29,19,74 मतदेय तथा 20 भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1990–91 के लिये कुल 35,66,92 (35,66,72 मतदेय तथा 20 भारित) की व्यवस्था की गयी है। इसमें आयोजनेतर तथा आयोजनागत पक्ष में क्रमशः 26,20,48 (26,20,28 मतदेय तथा 20 भारित) तथा 9,46,44 की व्यवस्था है। इस प्रकार आयोजनेतर पक्ष में 4,70,48 तथा आयोजनागत पक्ष में 1,76,50 की वृद्धियां प्रदर्शित हैं, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है।

राजस्व लेखा (+6,68,02)—

आयोजनेतर (+4,70,48)—

2230—श्रम और रोजगार (+4,70,48)—

02—रोजगार (+78,85)—

वेतन आयोग तथा समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वास्तविक आवश्यकताओं, महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि तथा मूल्यों में वृद्धि एवं आयोजनागत योजनाओं का आयोजनेतर पक्ष में स्थानान्तरण किये जाने के कारण 001—निदेशन और प्रशासन के अन्तर्गत रोजगार निदेशालय में 24,51 की तथा जिला रोजगार कार्यालय में 39,79 की 101—रोजगार सेवायें के अन्तर्गत शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये कानपुर में विशेष केन्द्र में 49 की 800—अन्य व्यय के अन्तर्गत दुद्धी (मिर्जापुर) में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशिष्ट रोजगार केन्द्र के स्थापना में 25 की एवं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना में 13,81 का आधिक्य परिलक्षित है।

03—प्रशिक्षण (+3,91,63)—

वेतन आयोग तथा समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन तथा आयोजनागत योजनाओं का हस्तान्तरण आयोजनेतर पक्ष में किये जाने के कारण एवं वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप 003—शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण के अन्तर्गत दस्तकार प्रशिक्षण योजना में 3,77,64 की प्रमाण पत्र स्तर के अन्य प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी वर्ग में 9,86 की तथा शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना में 4,13 की वृद्धि सम्भावित है।

आयोजनागत (+1,97,54)—

कतिपय नई योजनाओं को प्रारम्भ किए जाने तथा चालू योजनाओं का स्थानान्तरण आयोजनेतर पक्ष में किये जाने के फलस्वरूप गत वर्ष 6,46,19 के विपरीत आय-व्ययक वर्ष में 8,43,73 का प्राविधान है। इस प्रकार 1,97,54 का शुद्ध आधिक्य प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा (–21,04)—

4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय–201–श्रम (–21,04)—

आयोजनागत (–21,04) —

कतिपय निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा चालू एवं नये सेवायोजन कार्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों, चहारदीवारी तथा स्टाफ क्वार्टर व थ्योरी कक्षों के निर्माण एवं मरम्मत कराये जाने के फलस्वरूप 21,04 की कमी प्रदर्शित है।

इस प्रकार अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिये की गई कुल व्यवस्था निम्नलिखित है :

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा—			
01—वेतन	20,80	15,64,05	15,84,85
03—महंगाई भत्ता	7,94	5,31,75	5,39,69
04—यात्रा व्यय	37	14,13	14,50
05—अन्य भत्ते	14,07	1,87,68	2,01,75
06—कार्यालय व्यय	11,03	30,16	41,19
07—टेलीफोन पर व्यय	..	4,42	4,42
08—मोटर गाडियों का क्रय	1,50	..	1,50

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	10	30	40
11--किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	..	1,64	29,49	31,13
12--प्रकाशन	..	..	45	45
15--छात्र वृत्तियां/छात्र वेतन	..	41	31,26	31,67
19--लघु निर्माण कार्य	..	..	7,65	7,65
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	7,81,76	..	7,81,76
23--अनुरक्षण	..	..	1,50	1,50
33--अन्य व्यय	..	4,11	2,17,44	2,21,55
	भारित ..	..	*20*	*20*
पूंजी लेखा	..	1,02,71	..	1,02,71
योग	मतदेय ..	9,46,44	26,20,28	35,66,72
	भारित ..	..	*20*	*20*

अनुदान संख्या—72

सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिष्ठान पर होने वाला व्यय कुल कार्य भार पर आधारित होता है। इस मद में प्राविधान कुल आवश्यकता के आधार पर किया जाता है तथा प्राविधानित धनराशि राजस्व तथा पूंजीगत लेखों के आयोजनागत तथा आयोजनेतर पक्षों में सम्मिलित कार्य पर उनके अनुपात में वितरित की जाती है।

प्रश्नगत अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के 81,66,55 की तुलना में इस वर्ष 1,11,50,28 की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार इस वर्ष इस अनुदान के अन्तर्गत 29,83,73 की वृद्धि हुई है।

आयोजनागत (+8,69)—

सार्वजनिक निर्माण विभाग की शोध संस्थान के लिए गत वर्ष के 9,88 की तुलना में इस वर्ष 18,57 की व्यवस्था की गई है। तदनुसार आयोजनागत पक्ष में 8,69 की वृद्धि हुई है।

आयोजनेतर (+29,75,04)—

इसके अन्तर्गत विभाग के सामान्य अधिष्ठान के लिए प्राविधान किया जाता है। इसमें कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं कार्यालय व्यय आदि सम्मिलित होते हैं। विभाग के सामान्य अधिष्ठान के लिए गत वर्ष के 81,56,67 की तुलना में इस वर्ष 1,11,31,71 की व्यवस्था की गई है जिसके फलस्वरूप आयोजनेतर पक्ष में इस वर्ष 29,75,04 की वृद्धि हुई है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु धन की व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है:—

(हजार रुपये में)

मानक मद	धनराशि	
	आयोजनागत	आयोजनेतर
01—वेतन	11,10	68,88,02
03—महंगाई भत्ता	3,77	23,41,92
04—यात्रा व्यय	25	2,80,00
05—अन्य भत्ते	3,10	10,75,00
06—कार्यालय व्यय	35	1,85,00

(हजार रुपयों में)

मानक मद			धनराशि	
			आयोजनागत	आयोजनेतर
07--टेलीफोन पर व्यय	..	..	..	68,00
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	..	..	..	14,70
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि का खरीद	..	..	..	1,88,00
11--क्रय, उप शुल्क और कर-स्वामित्व	..	..	..	22,00
12--प्रकाशन	..	..	..	2,51
33--अन्य व्यय				
	मतदेय	..	..	66,505
	भारित	..	..	
योग, राजस्व लेखा	मतदेय	..	18,57	1,11,31,65
	भारित	..	..	5

अनुदान संख्या--73

सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

इस अनुदान के अन्तर्गत अनावासिक भवनों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर होने वाले राजस्व एवं पूंजीगत व्यय प्रदर्शित किए जाते हैं। इन मदों के अन्तर्गत गत वर्ष 32,42,01 के समक्ष इस वर्ष 19,24,23 का प्राविधान किया गया है। जो गत वर्ष से (--) 13, 17,78 कम है। इस कमी का विवरण निम्न प्रकार है :--

राजस्व लेखा--इस मद में गत वर्ष के 5,27,04 के समक्ष इस वर्ष 5,25,88 का प्राविधान किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में (--) 1,16 कम है। यह कमी पुलिस, लोक निर्माण, मशीन एवं उपकरण तथा अन्य व्यय के अन्तर्गत क्रमशः 1,37,38, 7, 1,10 कुल-- 2,92 तथा न्याय प्रशासन जिला प्रशासन में क्रमशः 5, 1,71, कुल-- 1,76 की वृद्धि के समायोजन के फलस्वरूप है।

पूंजी लेखा--इस मद में गत वर्ष के 27,14,97 के समक्ष 13,98,35 का प्राविधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 13,16,62 कम है। यह कमी सचिवालय सामान्य सेवायें (--) 4,83, जिला प्रशासन (--) 10,47,95, पुलिस (--) 39,85, लेखन सामग्री (--) 26 लोक निर्माण (--) 1,25,33, नियोजन (--) 42,00, न्याय प्रशासन (--) 47,56, उद्योग (--) 28, श्रम (--) 1 तथा उपकरण एवं संयंत्र 13,03, कुल (--) 13,21,10 की हुई कमी तथा आबकारी (+) 4,46 और कोषागार (+) कुल 4,48 की हुई वृद्धि के समायोजन के उपरान्त हुई है।

अनुदान संख्या--74

सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

इस अनुदान के अन्तर्गत आवासिक भवनों के निर्माण और अनुरक्षण पर राजस्व और पूंजीगत लेखों के अन्तर्गत होने वाले व्यय दिखाए जाते हैं। इस मद में गत वर्ष 8,40,83 की तुलना में इस वर्ष 12,78,16 का प्राविधान किया गया है, जो 4,37,33 अधिक है। यह वृद्धि राजस्व तथा पूंजी लेखे में क्रमशः (+) 6,13 तथा (+) 4,31,20 की वृद्धि के फलस्वरूप हुई। इसका विवरण निम्नवत् है:--

राजस्व लेखा (+) 6,13--इस मद में गत वर्ष 3,89,28 के समक्ष इस वर्ष 3,95,41 का प्राविधान किया गया जो (+) 6,13 अधिक है। यह वृद्धि पुलिस, न्याय प्रशासन, जिला प्रशासन, राज भवन तथा उपकरण एवं संयंत्रों (प्रोराटा) के अन्तर्गत क्रमशः 3,88, 56, 94, 69 तथा 6 की वृद्धि के फलस्वरूप हुई।

पूंजी लेखा (+) 4,31,20--इस मद में गत वर्ष 4,51,55 के समक्ष इस वर्ष 8,82,75 का प्राविधान किया गया जो (+) 4,31,20 अधिक है। यह वृद्धि लोक0 नि0 वि0 (पूल्ड आवास, सचिवालय सामान्य सेवायें) जिला प्रशासन, लोक0नि0वि0 एवं उपकरण एवं संयंत्र (प्रोराटा) के अन्तर्गत क्रमशः 1,35, 03, 9,10, 2,49,98, 1,05,09 तथा 4,27 कुल 5,03,47 की वृद्धि तथा पुलिस न्याय प्रशासन, कारागार तथा विज्ञान एवं पर्यावरण के अन्तर्गत क्रमशः 43,53, 8,99, 18,75 तथा 1,00 कुल 72,27 की कमी के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हो रही है।

अनुदान संख्या—75
सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

प्रश्नगत अनुदान के अन्तर्गत कार्यात्मक भवनों के निर्माण पर राजस्व तथा पूंजी लेखे के अन्तर्गत होने वाले व्यय को प्रदर्शित किया जाता है।

प्रश्नगत अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष प्राविधानित 15,09,70 की तुलना में इस वर्ष 17,91,56 का प्राविधान किया गया है, जो गत वर्ष से 2,81,86, अधिक है। यह वृद्धि राजस्व लेखे में 93,72, की कमी तथा पूंजी लेखे के विभिन्न शीर्षकों में हुई वृद्धि एवं कमी के समायोजन के उपरान्त होने वाले आधिक्य में समायोजन के उपरान्त है, जिसका विवरण निम्नवत् है--

राजस्व लेखा

इस मद में गत वर्ष के किये गए प्राविधान 1,25,26, की तुलना में इस वर्ष केवल 31,54, का प्राविधान किया गया है, जो गत वर्ष से 93,72, कम है। यह कमी मुख्यत: लेखाशीर्षक "2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य" तथा लेखा शीर्षक "2211--परिवार कल्याण" में हुई कमी (9,47+84,25,93,72) के फलस्वरूप है।

पूंजी लेखा –

इस मद में गत गर्ष किए गए प्राविधान 13,80,99, की तुलना में इस वर्ष 17,56,57, का प्राविधान किया गया है जो गत गर्ष से 3,75,58 अधिक है। यह वृद्धि, मुख्यत: लेखाशीर्षक "4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय" "4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय", "4225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय" में हुई वृद्धि (1,56,54 (+) 2,40,57) +62–3,97,73, (तथा लेखाशीर्षक "4211–परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय", "4235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय", "4408 खाद्य भण्डारण और भंडागारण पर पूंजी परिव्यय" तथा "5452 पर्यटन पर पूंजी परिव्यय" में हुई (1,02(+) 3,04(+) 1,62(--) 16,47 22,15(को समायोजित करने), 3,97,73 (--) 22,15-3,75,58) के फलस्वरूप हुई है।

अनुदान संख्या—76
सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

इस अनुदान के अन्तर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण तथा अनुरक्षण एवं हवाई पट्टियों निर्माण, पुर्ननिर्माण के लिए राजस्व एवं पूंजीगत लेखौ के अन्तर्गत होने वाले व्यय प्रदर्शित किये जाते हैं। इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष (2,66,39,75) की तुलना में इस वर्ष (3,95,43,01) का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार (+) 1,29,03,26) की वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है :

राजस्व लेखा (+) 52,91,26)--इस लेखे के अन्तर्गत गत वर्ष (94,16,87) तथा इस वर्ष 1,47,08,13) का प्राविधान है। इस प्रकार (+52,91,26) की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि शोध एवं विकास, रेलवे सुरक्षा कार्य, अनुरक्षण एवं मरम्मत, राज्य पूल निधि की संक्रम तथा उपकरण एवं संयंत्र –(प्रोराटा) के अन्तर्गत क्रमश: (1,97), 2,63,10) (52,75,27), (3,20,87) तथा (2,15) की वृद्धि एवं दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत, राज्य पुल निधि, मे केन्द्रीय सड़क निधि, अन्य व्यय सड़क निधि को संक्रम के अन्तर्गत क्रमश: (4,50,00), (80,33), (13,85,) (2), तथा (27,90) की कमी के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हो रही है।

पूंजी लेखा (+76,12,00)--इस लेखे के अन्तर्गत गत वर्ष (1,72,22,88) तथा इस वर्ष 2,48,34,88) का प्राविधान है। इस प्रकार (+76,12,00) की वृद्धि हुई है। उक्त वृद्धि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर व्यय नागर विमान, मशीनरी एवं संयंत्र, सड़कों का निर्माण, डाकूग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों तथा पुलों का निर्माण तथा सड़कों और पुलों का विकास एवं पुर्ननिर्माण के अन्तर्गत क्रमश: (21,41,81), (6,09), (67,10), (16,55,40), (26,98) तथा 52,38,00) की वृद्धि एवं अन्य व्यय, पुलों का निर्माण, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना तथा अन्य विभागों की योजनाओं के अन्तर्गत क्रमश: (9,80), (13,33,70), (1,40,00) तथा (39,88) की कमी के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हो रही है।

अनुदान संख्या—77
सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की मूल मांग 5,71 के विपरीत बजट वर्ष के लिये 8,17 की मांग की गई है। इस प्रकार 2,46 की वृद्धि परिलक्षित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

राजस्व लेखा—

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें—

091—सम्बद्ध कार्यालय--

01—राज्य सम्पत्ति निदेशालय—

आयोजनेतर—(+2,46)—

नये वेतनमान में वेतन निर्धारण महंगाई भत्ते का अधिकांश भाग तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण राशि "वेतन" में समायोजित हो जाने और भत्तों को पुनरीक्षित दरों के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक गणना के आधार पर "वेतन" में 2,70 की, "अन्य भत्ते" में

33, की वृद्धि एवं महंगाई भत्ते" में 15 और "अन्तरिम सहायता" में 50 की कमी हुई है। यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्ता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप 'यात्रा व्यय" में 3 की तथा वास्तविक व्यय की प्रगति के आधार पर "टेलीफोन पर व्यय" में 5 की वृद्धि परिलक्षित है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर कुल 2,46 की वृद्धि प्रदर्शित है।

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	--वेतन	..	4,50	4,50
03	--महंगाई भत्ता	..	1,55	1,55
04	--यात्रा व्यय	..	8	8
05	--अन्य भत्ते	..	60	60
06	--कार्यालय व्यय	..	1,14	1,14
07	--टेलीफोन पर व्यय	..	30	30
32	--अन्तरिम सहायता	..	..	..
	योग ..	..	8,17	8,17

अनुदान संख्या--78

सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

इस अनुदान के अन्तर्गत सिंचाई अधिष्ठान संबंधी व्यय हेतु व्यवस्था की गई है। वार्षिक योजना के अन्तर्गत सम्मिलित योजनाओं के अधिष्ठान व्यय को "आयोजनागत" के अन्तर्गत दर्शाया जाता है तथा इसके अन्तर्गत कोई स्पष्ट विभेद करना सम्भव नहीं है क्योंकि सिंचाई विभाग में कर्मचारियों को किसी योजना विशेष के लिये नियुक्त नहीं किया जाता है। अत: संपूर्ण व्यय को निर्माण कार्यों पर हुए व्यय के आधार पर आनुपातिक विभाजन किया जाता है। गत वर्ष 1,70,74,64 (मतदेय 1,70,74,44 तथा भारित *20* की तुलना में आय-व्ययक वर्ष हेतु सम्पूर्ण मांग की धनराशि 2,41,53,58 (मतदेय 2,41,52,58 तथा भारित *1,00*) है। इस प्रकार कुल 70,78,94 की वृद्धि है, जिसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित है :

01--निदेशन--(+4,93,65)--सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं समिति की संस्तुतियों के लागू होने के कारण 4,93,65 की वृद्धि प्रत्याशित है।

02--कार्यकारी अधिष्ठान-मतदेय--(+54,32,66)--सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्तों की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 54,31,86 की वृद्धि प्रस्तावित है। भारित में *80* की वृद्धि है।

03--चिकित्सा (+2,62)--सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 2,62 की वृद्धि प्रस्तावित है।

04--भूमि अर्जन कर्मचारि वर्ग--कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।

05--विशेष राजस्व कर्मचारी वर्ग (+3,15,97)--सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की संस्तुतियों के लाग होने के फलस्वरूप 3,15,97 की वृद्धि प्रस्तावित है।

06--परिचालन एवं कर्मचारी वर्ग (+3,38,10)--सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 3,38,10 की वृद्धि प्रस्तावित है।

07--कर्मशाला कर्मचारि वर्ग--(+90,42)--सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 90,42 की वृद्धि प्रस्तावित है।

08--सिंचाई सम्बन्धी शोध कार्य--(+48,17)--सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 48,17 की वृद्धि प्रस्तावित है।

09--सिंचाई आयोग (-18,26)--आयोग के विघटित होने के फलस्वरूप 18,26 की कमी परिलक्षित है।

10--प्रशिक्षण (+60)--वास्तविक आवश्यकतानुसार 60 की वृद्धि प्रत्याशित है।

11--अन्य व्यय (+3,75,01)--सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 3,75,01 की वृद्धि प्रत्याशित है।

घटाइये--वसूलियां जो व्यय में कमी के रुप में प्रदर्शित की गई है--कुल 11,00,00 के अनुमान में 10,70,00 की धनराशि राज्य विद्युत परिषद् से तथा 30,00 अन्य विभागों के लिये सिंचाई, विभाग द्वारा निष्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों से प्राप्त होने वाले अधिष्ठान व्यय के अंश को व्यक्त करता है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में भूमि अर्जन कर्मचारि वर्ग सिविल विभाग के उगाही संबंधी व्यय संजरे और खसरे तथा अन्य व्यय सहित अन्य मदों के निमित्त प्राविधान को सम्मिलित करते हुए व्यय निम्न प्रकार है :

(हजार रुपयों में)

मानक मद		धनराशि
01—वेतन	..	1,43,47,29
03—महंगाई भत्ता	..	50,47,96
04—यात्रा व्यय	..	6,50,00
05—अन्य भत्ते	..	19,87,99
06—कार्यालय व्यय	..	4,87,34
07—टेलीफोन व्यय	..	32,56
09—मोटर गाड़ियों का क्रय	..	2,50
12—प्रकाशन	..	8,36
32—अन्तरिम सहायता	..	..
33—अन्य व्यय	..	15,88,58
	..	*1,00*
योग .. मतदेय	..	2,41,52,58
भारित	..	*1,00*

अनुदान संख्या—79

सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

इस अनुदान में राजस्व लेखे के अन्तर्गत गत वर्ष के 4,71,20,37 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिये 5,21,63,64 की व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप 50,43,27 की वृद्धि हुई है जब कि पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत गत वर्ष 4,20,94,14 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिये व्यवस्था 4,77,45,24 की है। फलस्वरूप पूंजी लेखे में 56,51,10 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार अनुदान में गत वर्ष के 8,92,14,51 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 9,99,08,88 की व्यवस्था की गई है जिसके फलस्वरूप 1,06,94,37 की वृद्धि हुई है, जिसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित है :

राजस्व लेखा—

गत वर्ष के 4,71,20,37 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष का अनुमान 5,21,63,64 का है। इस प्रकार 50,43,27 की वृद्धि हुई।

मुख्य मदों के अनुसार प्राविधान का विभाजन निम्नलिखित है :—

क्रम-संख्या	मद		धनराशि
1	व्याज (शीर्षक—204, 2701 व 2702)	मतदेय ..	3,00,91,81
		भारित ..	*10,49*
2	विस्तार एवं सुधार (शीर्षक—2701)	..	8,00
3	परिचालन एवं अनुरक्षण (शीर्षक—2701, 2702 व 2711)	..	1,55,75,28
4	परिचालन एवं अनुरक्षण भारित (शीर्षक—2701)	..	*3*
5	उपस्कर एवं मशीन (शीर्षक—2701 व 2702)	..	35,10
6	नवीकरण एवं प्रतिस्थान (शीर्षक—2702)	..	19,00,00
7	अवमूल्यन रक्षित निधि हेतु व्यवस्था (शीर्षक—2702)	..	32,05,40
8	उचन्त (शीर्षक—2701)	..	11,00,00
9	कार्यशालायें (व्याज एवं उचंत रहित) (शीर्षक—2701)	..	2,76
10	प्रकीर्ण शीर्षक (2701 व 2702)	..	2,34,77
	योग ..	मतदेय ..	5,21,53,12
		भारित ..	*12,52*

आय-व्ययक में वृद्धि का अनुमान प्रत्येक शीर्षक/अनुसार नीचे स्पष्ट किया गया है :—

1--ब्याज (+16,89,78)--यह सिंचाई कार्यों के पूंजीगत के ब्याज का अनुमान है, जो वर्तमान दर पर आधारित है। परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय में तथा ब्याज की दर में वृद्धि के कारण गत वर्ष की अपेक्षा आय-व्ययक वर्ष का अनुमान 16,89,78 अधिक है।

भारित स्टेट बैंक आफ इण्डिया से लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु वास्तविक आधार पर व्यवस्था के फलस्वरूप *15,22* की कमी अनुमानित है।

2--विस्तार एवं सुधार--गत वर्ष की व्यवस्था में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

3--परिचालन एवं अनुरक्षण (+24,10,94) कतिपय अतिरिक्त कार्यों के समावेश होने के फलस्वरूप आय-व्ययक अनुदान में 24,10,94 की वृद्धि परिलक्षित है।

4--परिचालन एवं अनुरक्षण (भारित)--गत वर्ष के अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं है।

5--उपस्कर एवं मशीनें--गत वर्ष की व्यवस्था में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।

6--नवीकरण एवं प्रतिस्थापन--(+11,00,00)--नलकूपों के नवीकरण एवं उनके संयंत्रों में परिवर्तन के फलस्वरूप वास्तविक आधार पर वर्ष के प्राविधान की तुलना में 11,00,00 की वृद्धि प्रस्तावित है।

7--अवमूल्यन रक्षित निधि हेतु व्यवस्था (2,00,00)--यह व्यवस्था नलकूपों के निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के 3,25 प्रतिशत अनुमोदित दर पर आधारित है।

8--उचन्त--गत वर्ष की तुलना में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।

9--कार्यशालायें--गत वर्ष की व्यवस्था में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

10--प्रकीर्ण--(-3,42,23)--इस मद के अन्तर्गत अन्य मदों में व्यवस्था होने के फलस्वरूप गत वर्ष की तुलना 3,42,23 की कमी है।

घटाइये--इस सम्बन्ध मे 30,04,03 का अनुमान है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :--

2701--उचन्त से निर्माण कार्यों हेतु सामग्री का निर्गमन (11,00,00)--यह अनुमान उस धनराशि को व्यक्त करता है जिसका समायोजन निर्माण कार्यों को सामग्री निर्गत करने के उपरान्त किया जाता है।

2702--अवमूल्यन रक्षित निधि से पोषित की गई धनराशि (19,00,00)--इसे नलकूपों की अवमूल्यन रक्षित निधि से पूरा किया जायेगा।

राजस्व विभाग से व्यय की वसूली (4,03)--यह अनुमान तराई भावर नहरों के परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय की राजस्व विभाग की वसूली नहीं करता है।

पूंजी लेखा--

इसके अन्तर्गत वर्ष के 4,20,94,14 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 4,77,45,24 की व्यवस्था की गई जिसके फलस्वरूप 56,51,10 की वृद्धि हुई है। मुख्य शीर्षकवार व्यवस्था का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है :--

4225--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय (4,65,14)--इस शीर्षक के अन्तर्गत उपस्कर एवं मशीनें हेतु 2,42 एवं उचन्त हेतु 2,20,00 व मूल निर्माण कार्यों हेतु 2,42,72 का अनुमान है।

4701--वृहत् एवं मध्यम सिंचाई (3,29,46,78)--इस शीर्षक के अन्तर्गत उपस्कर एवं मशीनें हेतु 2,25,06 तथा उचन्त के निमित्त 90,20,00 व मूल निर्माण कार्यों हेतु 2,37,00,72 की व्यवस्था आय-व्ययक में की गई है। "भारित" के अन्तर्गत *1,00* के प्राविधान की पुनरावृत्ति की गई है।

4702--लघु सिंचाई (1,26,12,93)--मूल निर्माण कार्यों हेतु 87,86,20 उपस्कर एवं मशीनें हेतु 86,73 तथा उचन्त के निमित्त 37,40,00 का अनुमान है।

4711--बाढ़ नियंत्रण (1[illegible],64,38)--इस शीर्षक के अन्तर्गत मूल निर्माण कार्यों के निमित्त 11,90,48 उपस्कर एवं मशीनें हेतु 11,90 तथा उचन्त हेतु 4,62 00 की व्यवस्था की गई है।

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित) (*56,01*)--ऋणों के प्रतिदान हेतु वास्तविक आधार पर व्यवस्था की गई है।

घटाइये--

4225 (2,20,00), 4701 (90,20,00) - 4702 (37,40,00) तथा 4711 (4,62,00)--आयोजनागत उचन्त से निर्माण कार्यों को सामग्री का निर्गमन-यह अनुमान निर्माण कार्यों हेतु की गई सामग्रियों के संबंध में प्रत्याशित वसूलियों को व्यक्त करता है।

अनुदान संख्या–80

संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की मूल मांग 45,02, (44,98 मतदेय एवं 4भारित) के विपरीत बजट वर्ष के लिए 70,20, (70,18 मतदेय एवं 2 भारित) की मांग की गई है। इस प्रकार यहां पर 25,18, की वृद्धि प्रदर्शित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :—

राजस्व लेखा (+3,93)—

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें—

आयोजनेतर (+12,28)--

वेतनमान के पुनरीक्षण के फलस्वरूप नये वेतनमान में वेतन निर्धारण तथा सातवीं योजना के समापन पर दो क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आयोजनागत पक्ष में सृजित पदों पर होने वाले बचनबद्ध व्यय को आयोजनेतर पक्ष में ब्यावर्तन,महगाई भत्तेका अधिकांश भाग तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण धनराशि वेतन की मद में समायोजित हो जाने के कारण क्रमश: "वेतन" में 13,90 की, "यात्रा व्यय" में 50 की, "अन्य भत्ते" में 88 की," कार्यालय व्यय" में 1,20 की," टेलीफोन पर व्यय" में 20की, "पी0 ओ0 एल0" में 70 की वृद्धि एवं " महंगाई भत्ते" में 1,05 की और"अन्तरिम सहायता"में 2,75 की तथा बजट वर्ष में कोई नई गाड़ी क्रय न किये जाने से "गाड़ियों के क्रय" में 1,30 की कमी हुई है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए यहां पर 12,28 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत (-8,35)—योजनाओं के सामान्यीकरण के फलस्वरूप वचनबद्ध व्यय के आयोजनेतर पक्ष में ब्यावर्तित होने से विभिन्न मदों में कुल 8,35 की कमी प्रत्याशित है।

पूंजी लेखा—(+21,25)—

आयोजनागत (+21,25)—

5465—सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश (+21,25) —

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी की नियोजन हेतु व्यवस्था किये जाने से यहां पर 21,25 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ते आदि विभिन्न मदों में बजट वर्ष के लिए की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन	.. .. ..	..	23,90	23,90
03--महंगाई भत्ता	.. .. ..	..	7,95	7,95
04--यात्रा व्यय	.. .. ..	..	2,00	2,00
05--अन्य भत्ते	.. .. ..	..	4,13	4,13
06--कार्यालय व्यय	.. .. ..	..	5,20	5,20
07--टेलीफोन पर व्यय	. .. ..	..	80	80
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	..	1,20	1,20
24--निवेश/ऋण	.. .. ..	25,00	..	25,00
33--अन्य व्यय (भारित)	.. .. ..	.	2	2
योग	मतदेय ..	25,00	45,18	70,18
	भारित ..	..	2	2

अनुदान संख्या—81

संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के 34,45,37, (34,44,97 मतदेय तथा 40 भारित) के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिए 38,54,80 (38,54,40मतदेय तथा 40 भारित) की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षाकृत आय-व्ययक वर्ष में शुद्ध 4,09,43 मतदेय की वृद्धि परिलक्षित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :—

संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (+4,09,43)—

राजस्व लेखा (+3,03,91)—

आयोजनेतर (+3,03,91)—

गत वर्ष के 34,45,37 के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिये 37,49,28 की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिये 3,03,91 की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है जिसमें से 1,31,85 की व्यवस्था आयोजनेतर

नई मांग से सम्बन्धित है जिसका संक्षिप्त विवरण आय-व्ययक साहित्य खण्ड- 3 में अवलोकित किया जा सकता है। शेष 1,72,06 की वृद्धि, समता समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वियन के फलस्वरूप मुख्यत: बचनबद्ध मदों में परिलक्षित है।

पूंजी लेखा (+65,52)—

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से 123 उच्च आय-वर्ग भवनों तथा हापुड़ में आवास विकास परिषद से 12, मध्यम आय-वर्ग के भवनों के क्रय के निमित्त 65,52 की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

आयोजनागत (+40,00)—
पूंजी लेखा (+40,00)—

जनपद लखनऊ में गोमती नगर योजना के अन्तर्गत बिक्रीकर प्रशिक्षण केन्द्र में बिक्रीकर भवन के निर्माण हेतु आयोजनागत नई मांग के माध्यम से 40,00 की व्यवस्था कराई गई है जिसका संक्षिप्त विवरण आय-व्ययक साहित्य खण्ड- 3 में उपलब्ध है। तदनुसार 40,00 की वृद्धि अनुमानित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिए कराई गई कुल व्यवस्था निम्नवत् है :—

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
1	2	3	4	5
01	वेतन	..	22,30,25	22,30,25
03	महंगाई भत्ता	..	7,22,38	7,22,38
04	यात्रा व्यय	..	40,25	40,25
05	अन्य भत्ते	..	3,34,70	3,34,70
06	कार्यालय व्यय	..	1,25,36	1,25,36
07	टेलीफोन पर व्यय	..	11,90	11,90
08	मोटर गाड़ियों का क्रय	..	22,00	22,00
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	..	40,60	40,60
11	किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	..	99,89	99,89
12	प्रकाशन	..	25,50	25,50
16	आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि	..	15	15
17	गुप्त सेवा व्यय	..	2,00	2,00
19	लघु निर्माण कार्य	40,00	68,78	1,08,78
20	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	75,39	75,39
33	अन्य व्यय (मतदेय)	..	15,25	15,25
	(भारित)	..	*40*	*40*
	योग मतदेय ..	40,00	38,14,40	38,54,40
	(भारित) ..	..	*40*	*40*

अनुदान संख्या—82

संस्थागत वित्त (मनोरंजन कर तथा बाजीकर)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिये कुल मांग 1,37,27 की है जबकि गत वर्ष यह 1,28,05 की थी। इस प्रकार कुल 9,22 की वृद्धि हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:—

2045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क—आयोजनेतर (+9,22)—

101—संग्रह प्रभार—मनोरंजन कर (+9,22)—

मुख्यतया समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वियन के फलस्वरूप वेतनादि की मदों के लिये 6,30 का अधिक प्राविधान किया गया है। 2,92 की वृद्धि नई मांगों के माध्यम से मनोरंजन कर विभाग के सुदृढ़ीकरण की योजनान्तर्गत की गई है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिये आय-व्ययक में की गयी व्यवस्था निम्नवत् है:--

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनेतर	योग
01--वेतन	..	84,46	84,46
03--महंगाई भत्ता	..	26,49	26,49
04--यात्रा व्यय	..	6,00	6,00
05--अन्य भत्ते	..	10,41	10,41
06--कार्यालय व्यय	..	5,00	5,00
07--टेलीफोन पर व्यय	..	86	86
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	3,50	3,50
17--गुप्त सेवा व्यय	..	5	5
33---अन्य व्यय	..	50	50
	योग, ..	1,37,27	1,37,27

अनुदान संख्या--83

संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक के लिये कुल मांग 10,03,77 (10,03,73 मतदेय तथा *4* भारित) की है। जबकि गत वर्ष यह मांग 5,81,83 (5,81,79 मतदेय तथा *4* भारित) की थी। इस प्रकार 4,21,94 की वृद्धि हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:--

राजस्व लेखा (+ 1,31,94)--
आयोजनेतर (+ 1,31,94)--
203--स्टाम्प और पंजीकरण (+1,31,94)--
01--स्टाम्प न्यायिक (+ 9,70)--

न्यायिक स्टाम्पों की लागत पर वास्तविक आवश्यकतानुसार 15,00 का अधिक व्यय अनुमानित है। दूसरी ओर "निदेशन और प्रशासन" के अधीन वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये 5,30 की कमी परिलक्षित है।

02--स्टाम्प गैर अदालती-(+ 40,95)--

"निदेशन और प्रशासन" के अधीन समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 95 की वृद्धि प्रदर्शित है। गैर अदालती स्टाम्पों की छपाई आदि पर वास्तविक आवश्यकतानुसार 40,00 का अधिक व्यय अनुमानित है।

03--पंजीकरण (+ 81,29)--
001--निदेशन और प्रशासन (+ 81,29)--

01--मुख्यालय (+9,29)--इस शीर्ष के अन्तर्गत समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वेतन; अन्य भत्ते आदि की मदों के अधीन 7,08 की वृद्धि प्रदर्शित है। साथ ही कार्यालय व्यय के लिये वास्तविक आवश्यकतानुसार 2,21 की अधिक व्यवस्था की गयी है जिसमें 1,65 की व्यवस्था एक फोटो कापियर मशीन के क्रय हेतु सम्मिलित है।

02--जिला व्यय (+ 72,00)--

जिला स्तर पर स्थापित उप निबन्धक कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान के लिये 64,45 की अधिक व्यवस्था की गयी है। यह वृद्धि मुख्यतया समता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हुयी है। कार्यालय व्यय की मद के अन्तर्गत 7,55 की वृद्धि प्रदर्शित है जिसमें 3,00 की धनराशि इन कार्यालयों के उपस्करों के क्रय के लिये सम्मिलित है।

पूंजी लेखा--
आयोजनागत (+ 2,90,00)--
4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय--
01--कार्यालयों की इमारतें--
101--निर्माण-सामान्य पूल आवास--
01--स्टाम्प और पंजीकरण (+ 2,90,00)--

16 उपनिबन्ध कार्यालयों/अभिलेखागारों के भवनों के निर्माण के लिये नई मांगों के माध्यम से 3,00,00 की व्यवस्था की गयी है जो गत वर्ष की तुलना में 2,90,00 अधिक है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन महंगाई भत्ता आदि के लिये आय-व्ययक में की गयी व्यवस्था निम्नवत् है:--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	--वेतन		..	2,91,90	2,91,90
03	--महंगाई भत्ता		..	96,00	96,00
04	--यात्रा व्यय		..	2,60	2,60
05	--अन्य भत्ते		..	16,10	16,10
06	--कार्यालय व्यय		..	26,31	26,31
07	--टेलीफोन पर व्यय		..	30	30
09	--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		..	1,50	1,50
11	--किराया उपशुल्क और कर-स्वामित्व		..	54	54
18	--वृहत् निर्माण		3,00,00	..	3,00,00
20	--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		..	12	12
23	--अनुरक्षण		..	4,00	4,00
33	--अन्य व्यय	मतदेय	..	2,64,36	2,64,36
		भारित	..	*4*	*4*
	योग	मतदेय	3,00,00	7,03,73	10,03,73
		भारित	..	*4*	*4*

अनुदान संख्या--84

सचिवालय प्रशासन विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की मूल मांग में 28,66,88 (28,66,84 मतदेय तथा *4* भारित) के विपरीत बजट वर्ष के लिए कुल 35,93,38 (35,93,34 मतदेय तथा *4* भारित) की मांग की गई है। इस प्रकार यहां पर कुल 7,26,50 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा (+7,26,50)--

आयोजनेतर (+7,18,99)--

2013--मंत्रिपरिषद् (+ 4,06)--

मंत्रि-मंडल का आकार अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण 101-मंत्रियों और उप मंत्रियों का वेतन तथा 104-मनोरंजन और आतिथ्य व्यय की मदों में क्रमश: 47 तथा 3,97 की कमी हुयी है। 800-प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत अधिक संख्या में पुरानी गाड़ियों के प्रति स्थापनार्थ नई, गाड़ियों के क्रय हेतु व्यवस्था किये जाने से मोटर गाड़ियों के क्रय में 8,50 की वृद्धि प्रत्याशित है। न्यूनाधिकताओं के समायोजन के पश्चात यहां पर 4,06 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें (+4,99,75)--

नये वेतनमान में वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ते का अधिकांश भाग तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण राशि वेतन में समायोजित हो जाने और भत्तो की पुनरीक्षित दरों के आधार पर "वेतन" में 6,76,55 की, यात्रा व्यय में 9,85 की, वृद्धि हुई है। सचिवालय के कार्यकलापों में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा एक नई फोटो कापीयर मशीन की व्यवस्था किये जाने से (जैसे कि बजट साहित्य खण्ड- 3 आयोजनेतर में उल्लिखित है।) होने के कारण, 99,17 की, तथा वास्तविक व्यय की प्रगति के आधार पर टेलीफोन पर व्यय में 16,00 की वृद्धि हुयी है। गत वर्ष में क्रय की गई नई गाड़ियों से संख्या में हुई वृद्धि तथा वास्तविक व्यय के आधार पर पी० ओ० एम० की मदों में 3,60 की वृद्धि हुयी है। नये वेतनमान में वेतन निर्धारण महंगाई भत्ते के फलस्वरूप में 1,31,14 की, "अन्य भत्ते" में 12,78 की तथा अन्तरिम सहायता की मद में 1,61,50 की कमी हुयी है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए कुल 4,99,75 की वृद्धि प्रदर्शित की गयी है।

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--(+1,70)--

नये वेतनमान में "वेतन" निर्धारण के फलस्वरूप वास्तविक परिगणना एवं आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किये जाने पर "वेतन" में 3,36 की, "यात्रा व्यय" में 50 की, "अन्य भत्ते में 1,93 की, "टेलीफोन पर व्यय" में 20 की वृद्धि तथा "महंगाई भत्ते" में 3,16 की और "अन्तरिम सहायता" में 4,53 की कमी हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुये यहां पर 1,70 की शुद्ध कमी प्रदर्शित है।

2251--सचिवालय सामाजिक सेवायें (+1,01,35)--

नये वेतन में वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ते की अधिकांश भाग तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण राशि वेतन में समायोजित हो जाने और भत्तों की पुनरीक्षित दरों के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर "वेतन" में 1,45,00

की, "अन्य भत्ते" में 28,00 की वृद्धि तथा "महंगाई भत्ते" में 31,65 तथा "अन्तरिम सहायता" में 40,00 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार यूनाधिकताओं को समायोजित करने के उपरान्त 1,01,35 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें (+1,15,53)--

नये वेतनमान में "वेतन" निर्धारण; महंगाई भत्ते का अधिकांश भाग तथा अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण राशि "वेतन" में समायोजित हो जाने और भत्तों की पुनरीक्षित दरों के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक गणना के आधार पर "वेतन" में 1,78,10 की, "यात्रा व्यय" में 2,55 की, "अन्य भत्ते" में 40,62 की" "कार्यालय व्यय" में 1,25 की, वृद्धि तथा महंगाई भत्ते की मद में 79,10 की तथा "अन्तरिम सहायता" में 48,50 की कमी प्रदर्शित है। वास्तविक व्यय में बृद्धि के कारण "टेलीफोन पर व्यय" में 11 की और पी0ओ0 एल0 में 50 की बृद्धि हुई है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने के उपरान्त 1,15,53 की शुद्ध वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनागत (+7,51)--

सचिवालय पुस्तकालय में प्राचीन साहित्य की माइक्रो- फिल्मिंग एवं सचिवालय स्टेशनरी नामक दो चालू योजनाओं के लिए व्यवस्था के किये जाने से, "2552- सचिवालय सामान्य सेवायें- में 8,01 की बृद्धि" तथा "3451--सचिवालय सामान्य सेवायें में 50 की कमी" हुई है। न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुये यहां पर 7,51 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

(हजार रुपयों में)

मानाक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	..	18,52,30	18,52,30
03	महंगाई भत्ता	..	5,83,68	5,83,68
04	यात्रा व्यय	..	1,49,05	1,49,05
05	अन्य भत्ते	..	3,66,55	3,66,55
06	कार्यालय व्यय	9,00	2,19,52	2,28,52
07	टेलीफोन पर व्यय	1	2,16,61	2,16,62
08	मोटर गाड़ियों का क्रय	..	44,00	44,00
09	मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	..	77,00	77,00
11	किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	..	21,25	21,25
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..	..	1,00	1,00
30	बट्टा खाता / हानियां	..	1	1
33	अन्य व्यय	..	53,36	53,36
	(भारित) ..	..	*4*	*4*
योग ..	(मतदेय) ..	9,01	35,84,33	35,93,34
	(भारित) ..	..	*4*	*4*

अनुदान संख्या—85

सतर्कता विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग मतदेय 3,14,49 तथा भारित *19,44* की है, जबकि गत वर्ष यह मांग मतदेय 2,92,38 तथा भारित *16,75* की थी। इस प्रकार इस वर्ष मतदेय में 22,11 तथा भारित में *2,69* की वृद्धि हुयी, जिसे नीचे स्पष्ट किया है :--

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—

मतदेय (+22,11)—

भारित (+*2,69*)—

10—सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण (+4,72)—

इस उप शीर्षक में मतदेय में वेतनमानों के पुनरीक्षण के कारण वेतन में 6,88 यात्रा व्यय में 52, अन्य भत्ते में 63, कार्यालय व्यय में 20, टेलीफोन पर व्यय में 55, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 13 तथा अन्य व्यय में 1 की वृद्धि प्रदर्शित है, जबकि महंगाई भत्ता में 2,18 तथा अन्तरिम सहायता में 2,02 की कमी परिलक्षित है।

02—सतर्कता निदेशालय (+17,39)--

इस उपशीर्षक के अन्तर्गत वेतनमानों के पुनरीक्षण के कारण, वेतन में 88,93, यात्रा व्यय में 10, कार्यालय व्यय में 40, टेलीफोन पर व्यय में 16, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में 10, मशीन और सज्जा/उपकरण और सयंत्र में 05 तथा अन्य व्यय में 5 की वृद्धि प्रदर्शित है, जबकि महंगाई भत्ता में 42,40 तथा अन्तरिम सहायता में 30,00 की कमी परिलक्षित है।

03—लोक आयुक्त संगठन (भारित) (+2,69)--

इस उप शीर्षक के अन्तर्गत वेतनमानों के पुनरीक्षण के कारण, वेतन में 5,05, यात्रा व्यय में 3, अन्य भत्ते में 90 तथा गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में 5 की वृद्धि प्रदर्शित है, जबकि महंगाई भत्ता में 1,94 तथा अन्तरिम सहायता में 1,40 की कमी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष 1990-91 में वेतन भत्तों आदि में कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है:--

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनेतर	
	मतदेय	भारित
01--वेतन	1,86,63	19,00
02--मजदूरी	08	..
03--महंगाई भत्ता	55,32	3,50
04--यात्रा व्यय	16,15	45
05--अन्य भत्ते	37,53	2,00
06--कार्यालय व्यय	5,81	2,50
07--टेलीफोन पर व्यय	2,66	28
08--मोटर गाड़ियों की खरीद	..	..
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद ..	5,80	50
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व	1,88	..
17--गुप्त सेवा व्यय	90	..
19--लघु निर्माण कार्य	..	..
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	55	..
32--अन्तरिम सहायता	..	..
33--अन्य व्यय	1,18	21
योग	3,14,49	19,44

अनुदान संख्या—86

सहायता एवं पुनर्वास विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग मतदेय में 33,63 तथा भारित में 55 की है जबकि गत वर्ष यह मांग मतदेय 81,76 तथा भारित 55 की थी। इस प्रकार इस वर्ष मतदेय में 48,13 तथा भारित मद में शून्य की कमी हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:--

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—(-28,77)--

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—

01—कर्मचारि वर्ग (+89)—

नये वेतनमान में वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ता की अधिकांश धनराशि एवं अन्तरिम सहायता की सम्पूर्ण धनराशि वेतन में समायोजित हो जाने एवं वास्तविक व्यय के आधार पर वेतन में 1,90 की, यात्रा व्यय में 3 की, अन्य भत्ते में 36 की, लेखन सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण "कार्यालय व्यय" में 4 की, शुद्धि वृद्धि तथा महंगाई भत्ते में 74 की तथा अन्तरिम सहायता की मद में 70 की कमी प्रदर्शित है।

03—भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति—

01—सहायता तथा पुनर्वास विभाग से सम्बन्धित व्यय—(-9,41)—

गत वित्तीय वर्ष में 9,44 की व्यवस्था है परन्तु बजट वर्ष में केवल 3 की ही व्यवस्था की गई है। सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में 1,18 तथा लघु निर्माण कार्य की मद में 8,23 की कमी की गई है। अतः इस वर्ष 9,41 की कमी प्रदर्शित की गयी है।

अनुदान संख्या--93

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष के 68,92,37 के अनुमानों के समक्ष आय-व्ययक वर्ष के अनुमान 44,17,02 के हैं। इस प्रकार 24,75,35 की कमी परिलक्षित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है--

राजस्व लेखा--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--(- 24,75,37)--

आयोजनागत--(- 26, 72, 80)--

इस शीर्षक में कुछ योजनायें महिला व बाल कल्याण विभाग को हस्तान्तरित होने व कुछ का व्यय भार आयोजनेतर पक्ष में अन्तरित होने के कारण जहां वेतन में 1,87,18; मजदूरी में 20, महंगाई भत्ते 2,07,33, यात्रा व्यय में 10,50 अन्य भत्ते में 12,02,90, कार्यालय व्यय 23,85, टेलीफोन में 12 पेट्रोल का क्रय में 28,73, भवन किराया में 23,35, प्रकाशन में 2,50, छात्रवृत्ति में 23,93, लघु निर्माण में 7,00, मशीन में 61,53, अनुरक्षण में 2,43, सामग्री व सम्पूर्ति में 74,30, अन्तरिम सहायता में 72,15 तथा अन्य व्यय में 22,96,63 की कमी परिलक्षित है वहां विधवाओं व विकलांगों को दिये जाने वाले भरण अनुदान की दर में वृद्धि तथा लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण सहायता अनुदान में 15,51,83 की वृद्धि अनुमानित है।

आयोजनेतर--(+ 1,97,45)--

इस शीर्षक में आयोजनागत पक्ष का व्यय भार आयोजनेतर पक्ष में अन्तरित होने, वेतनमान पुनरीक्षित होने तथा मूल्य वृद्धि आदि कारणों से जहां वेतन में 1,70,24, मजदूरी में 13, यात्रा व्यय में 1,56, अन्य भत्ते में 28,02, कार्यालय व्यय में 2,68, मोटर गाड़ियों का क्रय में 50, पेट्रोल का क्रय में 1,88, भवन किराया में 4,82, प्रकाशन में 1, सहायक अनुदान में 78,98, छात्रवृत्ति में 26,28, मशीनों में 1,35, अनुरक्षण में 50,22, सामग्री व सम्पूर्ति में 1,87 की वृद्धि अनुमानित है वहां वास्तविक आवश्यकता के आधार पर महंगाई भत्ते में 61,47, टेलीफोन पर 59, अन्तरिम सहायता में 64,11 तथा अन्य व्यय में 45,27 की कमी परिलक्षित है।

अनुदान के अन्तर्गत वेतन भत्तों हेतु कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है:

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन		2,00	3,52,19	3,54,19
02--मजदूरी		..	4,10	4,10
03--महंगाई भत्ता		73	1,40,81	1,41,54
04--यात्रा व्यय		22	10,25	10,47
05--अन्य भत्ते		35	55,53	55,88
06--कार्यालय व्यय		44	23,48	23,92
07--टेलीफोन पर व्यय		..	53	53
08--मोटर गाड़ियों का क्रय		..	50	50
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		12	3,23	3,35
11--किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व		21	21,98	22,19
12--प्रकाशन		..	10	10
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता		33,71,00	2,38,75	36,09,75
15--छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन		1,63	53,16	54,79
19--लघु निर्माण कार्य		3,00	..	3,00
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		59	3,70	4,29
23--अनुरक्षण		30	51,33	51,63
25--सामग्री व सम्पूर्ति		..	6,95	6,95
33--अन्य व्यय	मतदेय	21,05	48,77	69,82
	भारित	..	*2*	*2*
योग	मतदेय	34,01,64	10,15,36	44,17,00
	भारित	..	*2*	*2*

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No....D-5464....
Date.....3-12-90.......

अनुदान संख्या—94

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के 2,61,57 के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिये 5,27,34 का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार कुल 2,65,77 की वृद्धि अनुमानित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है--

राजस्व लेखा—

2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (+ 2,65,77)--

आयोजनागत (+ 1,49,18)--

गत वर्ष तक का व्यय आयोजनेतर पक्ष में अन्तरित हो जाने के कारण जहां विभिन्न मदों में 1,64,77 की कमी परिलक्षित है वहां आठवीं योजना हेतु नयी योजनाओं के प्रारम्भ किये जाने के कारण वेतन में 17,64, महंगाई भत्ते में 6,33 यात्रा व्यय में 91, अन्य भत्ते में 2,30, कार्यालय व्यय में 2,43, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण में 20, किराया उपशुल्क व कर में 2,35, प्रकाशन में 33, सहायक अनुदान में 1,00,00, छात्रवृत्ति में 17,00, लघु निर्माण कार्य में 92,00, बृहत निर्माण कार्य में 12,00, मशीन, साज-सज्जा में 15,66, अनुरक्षण में 2, सामग्री व सम्पूर्ति में 43,13 तथा अन्य व्यय में 1,65 की वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार अन्ततः 1,49,18 की वृद्धि अनुमानित है।

आयोजनेतर (+ 1,16,59)--

गत वर्ष आयोजनागत पक्ष का व्यय आयोजनेतर पक्ष में अन्तरित होने, वेतनमान पुनरीक्षित होने तथा महंगाई आदि कारणों से जहां वेतन में 49,38, महंगाई भत्ते में 3,22, यात्रा व्यय में 1,80, अन्य भत्ते में 4,23, कार्यालय व्यय में 2,15 टेलीफोन में 21, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण में 21, किराया उपशुल्क व कर में 1,37 सहायक अनुदान में 6,40, छात्रवृत्ति में 57,31, मशीन साज-सज्जा में 30 तथा सामग्री व सम्पूर्ति में 70 की वृद्धि अनुमानित है वहां अन्तरिम सहायता में 8,97 तथा अन्य व्यय में 1,72 की कमी भी परिलक्षित है। इस प्रकार अन्ततः 1,16,59 की वृद्धि अनुमानित है।

अनुदान के अन्तर्गत वेतन व भत्तों में कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है:--

(हजार रुपयों में)

मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन		17,64	72,09	89,73
03--महंगाई भत्ता		6,33	28,41	34,74
04--यात्रा व्यय		91	2,98	3,89
05--अन्य भत्ते		2,30	8,77	11,07
06--कार्यालय व्यय		2,43	3,91	6,34
07--टेलीफोन पर व्यय		..	23	23
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		20	49	69
11--किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व ..		2,35	2,67	5,02
13--प्रकाशन व्यय		33	..	33
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..		1,00,00	9,51	1,09,51
15--छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन		17,00	69,27	86,26
18--वृहत् निर्माण कार्य . ..		92,00	..	92,00
19--लघु निर्माण कार्य		12,00	..	12,00
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..		15,66	1,03	16,69
23--अनुरक्षण		2	..	2
25--सामग्री व सम्पूर्ति		43,13	12,70	55,83
33--अन्य व्यय	मतदेय ..	1,65	1,32	2,97
	भारित	..	2	2
योग	मतदेय	3,13,95	2,13,37	5,27,32
	भारित	..	2	2

NIEPA DC
D05464

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 15 सा० वित्त—19-5-90(612) 1990—2,500(मे०)।